

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

आय-कर विधान तथा खाता

(INCOME-TAX LAW AND ACCOUNTS)

[भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० तथा एम० कॉम० कक्षाओं के विद्यार्थियों के हेतु एक विस्तारपूर्वक अध्ययन]

लेखक

एस० एम० शुक्ल, एम० ए०, एम० कॉम०, एल-एल० बी०,
वाणिज्य विभाग, डी० ए० बी० कॉलेज, कानपुर ।

षष्ठम संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

१९६०

आगरा

नवयुग साहित्य सदन,

उच्च कोटि के शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक

मूल्य : ६।) या ६ रुपये २५ नये पैसे

प्रथम संस्करण की भूमिका

आय कर विधान तथा खाता की यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० के पाठ्य क्रम के अनुसार लिखी गई है, परन्तु यह पुस्तक निर्दिष्ट रूप से उन सब लोगों को अत्यन्त सहायक होगी जो इस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं। पुस्तक के विषय का प्रतिपादन इतने सरल व स्पष्ट रूप में किया गया है कि इस विषय के नये छात्र को भी कोई कठिनाई अनुभव न होगी और पुस्तक स्वयं शिक्षक का काम देगी। विषय-वस्तु को हृदयगम कराने के लिये अधिक से अधिक उदाहरण दिये गये हैं व रोचक भाषा का प्रयोग किया गया है। यथास्थानों पर विधान की धाराओं की सहायता तथा सम्बन्धित न्यायाधीशों के निर्णयों का उल्लेख किया गया है।

सन् १९५७ के फाइनेंस एक्ट (न० २) द्वारा आय कर अधिनियम में किये गये संशोधनों के आधार पर ही इस पुस्तक की विषय सामग्री लिखी गई है और इसी फाइनेंस एक्ट की आय कर से सम्बन्धित प्रमुख धाराओं का पुस्तक के अन्त में उल्लेख किया गया है।

पुस्तक में आगरा विश्वविद्यालय व अन्य विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० परीक्षा में पूछे गये प्रमुख क्रियात्मक प्रश्नों को भी हल किया गया है, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के बारे में उचित ज्ञान हो सके।

आशा है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों तथा अन्य पाठकों के लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी। प्रत्येक सुझाव का हृदय से स्वागत किया जायेगा।

कानपुर
३१ अगस्त, १९५७

—लेखक

SOME JUDICIAL OBSERVATIONS

("Income-Tax, if I may be pardoned for saying so, is a tax on income. It is not meant to be a tax on anything else. It is one tax, not a collection of taxes essentially distinct.")

—Per Lord Macnaghten, *London County Council v Attorney-General* 1901 A. C. 26, 35/6 (H. L.) 4 T. C. 265, 293

("There are three stages in the imposition of a tax. there is the declaration of liability, that is the part of the statute which determines what persons in respect of what property are liable. Next, there is the assessment. Liability does not depend on assessment. That ex. hypothesis has already been fixed. But assessment particularises the exact sum which a person liable has to pay. Lastly, come the methods of recovery, if the person taxed does not voluntarily pay.")

—Per Lord Dunedin, *Whitney V. I. R.* 10 T. C. 88 110 (H. L.), approved by the Federal Court, *Chatturam V. C. I. T.* 1947 I. T. R. 302, 308, and by the Supreme Court *Chatturam Horiram Ltd., V. C. I. T.* [1955] 27 I. T. R. 709 716

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
१ विषय-प्रवेश (Introduction)	१-६
२ परिभाषाएँ (Definitions)	१०-२५
३ पूँजी और आय (Capital and Revenue)	२६-३२
४ करदाता (Assessee)	३३-४६
५ कर-मुक्त आय (Exempted Income)	४७-६०
६ वेतन (Salaries)	६१-७७
७ प्रतिभूतियों पर व्याज (Interest on Securities)	७८-८८
८ सम्पत्ति की आय (Income from Property)	८९-१०१
९ व्यापार, पेशा या व्यवसाय से आय (Income from Business, Profession or Vocation)	१०२-११५
१० अन्य स्रोतों से आय (Income from other Sources)	११६-१३०
११ ह्रास (Depreciation)	१३१-१४२
१२ करदाता—१ (Assessee—1)	१४३-१५०
१३ सम्मिलित हिन्दू परिवार (Joint Hindu Family)	१५१-१५५
१४ करदाता—२ (Assessee—2)	१५६-१८०
१५ कर निर्धारण करने की विधि तथा अपील (Assessment Procedure and Appeal)	१८१-२०३
१६ कर निर्धारण (Computation of Tax)	२०४-२१७
१७ व्यय-कर (Expenditure-tax)	२१८-२२३
१८ धन-कर (Wealth-tax)	२२४-२३२
१९ उपहार कर (Gift-tax)	२३३-२३८
क्रियात्मक प्रश्न (Practical Questions)	२३९-३०४
Miscellaneous Theoretical Questions	३०५-३०८
परिशिष्ट—वित्त-अधिनियम, १९६० (Finance Act, 1960)	

अध्याय १

विषय प्रवेश

(Introduction)

आय-कर (Income tax) का आशय आय (Income) पर सरकार द्वारा कर लगाने से है।^२ यह कर मुख्यतया दो उद्देश्यों से लगाया जाता है.—

(1) सरकार की आय प्राप्त करने के लिए, जो कि प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न मदों पर व्यय की जाती है।

(11) आय की असमानताओं को दूर करने के लिए।

भारतवर्ष में कुछ व्यक्ति बहुत धनवान हैं और कुछ व्यक्ति बहुत निर्धन, अतः यह कर धनवान व्यक्तियों पर इसलिए भी लगाया जाता है कि उनकी आय कम हो और देश की आय की असमानतायें दूर हो।

ऊपर लिखे दोनो उद्देश्यों में से वास्तव में प्रथम उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है। आय कर भारतीय सरकार की आय का ही महत्वपूर्ण साधन नहीं है वरन् यह कर दुनिया के अन्य देशों में भी लगाया जाता है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका आदि। इंग्लैंड में यह कर सर्व प्रथम सन् १७६६ में लगाया गया था।

आय कर का विस्तृत अध्ययन करने से पहले यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि यह कर सर्व प्रथम भारतवर्ष में कब और क्यों शुरू हुआ ? क्या जिस दशा में आजकल आय-कर लगाया जाता है, उसी दशा में यह उस समय भी था जबकि आय कर प्रथम बार भारत में शुरू हुआ और यदि नहीं, तो प्रारम्भ में अब तक इसमें क्या क्या और कब कब मुख्य परिवर्तन हुए ? इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यह अधिक अच्छा होगा कि हम आय कर के इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन करें। सुविधा के हिसाब से इस इतिहास को नीचे लिखे ८ भागों में बाँटा गया है :—

- (१) सन् १८६० से सन् १८६५ तक,
- (२) सन् १८६७ से सन् १८७३ तक,
- (३) सन् १८७७ से सन् १८८६ तक,
- (४) सन् १८८६ से सन् १९०३ तक,
- (५) सन् १९०३ से सन् १९२२ तक,

* Income tax if I may be pardoned for saying so, is a tax on income. It is not meant to be a tax on anything else. It is one tax, not a collection of taxes essentially distinct

—Per Lord Macnaghten, London County Council V. Attorney General 1901 A. C. 26 35/6 (H. L.), 4 T. C. 265, 293.

- (६) सन् १९२२ से सन् १९३९ तक,
 (७) सन् १९३९ से सन् १९५३ तक,
 (८) सन् १९५३ से आज तक ।

सन् १८६० से सन् १८६५ तक—

सन् १८५७ के गदर में सरकार को बहुत रकम व्यय करनी पड़ी थी । उस पर इतना आर्थिक बोझ आ गया था कि इसको साधारण तरीके से उठाना असम्भव प्रतीत हुआ, अतः प्रथम बार सन् १८६० में सर जेम्स विल्सन (Sir James Wilson) के प्रयत्नों के कारण आय-कर की पद्धति आर्थिक बोझ हल्का करने के लिए अपनाई गई, जो कि ३१ जुलाई सन् १८६५ तक चलती रही और इसके बाद बन्द कर दी गई । यह वर पद्धति इस प्रकार थी :—

- (अ) २०० रुपये से कम आय वालों पर कोई कर नहीं लगता था ।
 (ब) २०० रुपये से ४९९ तक की आय वालों पर २ रुपये प्रति सैंकड़ा कर लगता था ।
 (स) ४९९ रुपये से जिन लोगों की अधिक आय होती थी उन पर ४ रुपये प्रति सैंकड़ा कर लगता था ।

सन् १८६७ से सन् १८७३ तक—

सन् १८६५ से सन् १८६७ के दो वर्षों की अवधि में किसी प्रकार का आय-कर भारतवर्ष में नहीं रहा, परन्तु इन दो वर्षों के बाद सन् १८६७ में आर्थिक कठिनाइयों ने भारतीय सरकार को लाइसेंस टैक्स लगाने के लिए बाध्य किया, यह कर एक साल तक चलने के बाद कुछ सशोधनों के उपरान्त सर्टिफिकेट टैक्स (Certificate tax) में बदल दिया गया, परन्तु रिचर्ड टेम्पल (Sir Richard Temple) के प्रस्ताव के अनुसार सर्टिफिकेट टैक्स के स्थान पर आय-कर १ अप्रैल सन् १८६९ से लगाया गया । सन् १८७३ में लार्ड नॉर्थब्रुक (Lord Northbrook) ने देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के बाद यह तय किया कि आय कर बन्द कर दिया जाय, परन्तु सर रिचर्ड टेम्पल ने इसका विरोध किया । उनका विचार था कि राजस्व की स्थिरता के लिए ऐसा करना अनुचित होगा । परन्तु अन्त में यह कर सन् १८७३ में ही समाप्त कर दिया गया ।

सन् १८७७ से सन् १८८६ तक—

सन् १८७३ के चार वर्षों बाद सर जॉन स्ट्रेची (Sir John Strachey) ने फिर आय-कर लगाया, परन्तु उस समय यह कर लाइसेंस टैक्स (License Tax) कहलाता था । इस कर को लगाने का प्रमुख कारण सन् १८७६-७७ के अनाल में होने वाले व्ययों की पूर्ति करना था ।

सन् १८८६ से सन् १९०३ तक—

सन् १८८६ में लाइसेन्स टैक्स के स्थान पर आय कर अधिनियम पास किया गया। यह कर पद्धति इस प्रकार थी :—

- (अ) ५०० रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता था।
- (ब) ५०० रुपये से १,६६६ रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर ४ पाई प्रति रुपया कर लगाया जाता था।
- (स) १,६६६ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर ५ पाई प्रति रुपया के हिसाब से कर लगाया जाता था।

इस अधिनियम में प्रथम बार आय को भिन्न भिन्न शीर्षको (Heads of Income) में बांटा गया। ये शीर्षक इस प्रकार थे :—

- (अ) वेतन और पेंशन,
- (ब) कम्पनियों का लाभ,
- (स) प्रतिभूतियों पर ब्याज,
- (द) अन्य साधनों से आय।

सन् १९०३ से सन् १९२२ तक—

सन् १९०३ के बाद भी सन् १८८६ वाला ही आय कर अधिनियम चलता रहा, परन्तु इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पुराने अधिनियम में ५०० रुपये से कम आय वालों पर कोई आय-कर नहीं लगता था, परन्तु अब यह सीमा ५०० रु० से बढ़ाकर १,००० रुपए कर दी गई, अर्थात् सन् १९०३ के संशोधन के अनुसार १,००० रुपये से कम आय वालों पर कोई भी आय कर नहीं लगता था। सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध के शुरू हो जाने पर सरकार को बहुत रुपये की आवश्यकता हुई। इन आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये सन् १९१७ में प्रथम बार अधि-कर (Super tax) ५०,००० रुपये से अधिक आय वालों पर लगाया गया और सन् १९१८ में एक नया अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार पुराने अधिनियम के अधिकांशतः दोषों को दूर किया गया। यह सघनित अधिनियम (Consolidating Act) यद्यपि बड़ उरसाह व बुद्धिमता के साथ बनाया गया था, परन्तु फिर भी कुछ ही समय में अर्थशास्त्र सिद्ध हुआ। सन् १९२१ में एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना आय कर के प्रश्न पर विचार करने के लिये हुई। इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारतीय आय कर अधिनियम सन् १९२२ (Indian Income-tax Act, 1922) पास किया गया। यह अधिनियम वास्तव में भारत के आय-कर के इतिहास में प्रमुख आय-कर अधिनियम माना जाता है।

सन् १९२२ से सन् १९३६ तक—

सन् १९२२ के आय-कर अधिनियम के आधार पर ही आजकल भी कर

समाये जाते हैं, यद्यपि इस अधिनियम का सशोधन कई बार हो चुका है। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आय-कर का इतिहास भारतवर्ष में सन् १९२२ से शुरू होता है। यह अधिनियम ब्रिटिश आय कर अधिनियम के आधार पर बनाया गया था। सन् १९२४ में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। इसी वर्ष आय कर की जांच करने के लिये सरकार ने टोडहटर कमेटी की स्थापना की। इसी कमेटी की सिफारिशों पर सन् १९२६ में आय कर अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये। सन् १९२१ में आय कर और अधि कर (Super-tax) पर सरचार्ज (Surcharge) लगाये गये। सन् १९३५ में इस अधिनियम की जांच करने के लिये एक ऐयर कमेटी (Ayyer Committee) नियुक्त की गई। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सन् १९३६ में इस अधिनियम में बड़े बड़े सशोधन हुए।

सन् १९३६ से सन् १९५३ तक—

सन् १९३६ में एक सशोधित आय कर अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार आय कर में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

सन् १९३६ के आय कर अधिनियम में सबसे मुख्य परिवर्तन यह किया गया था कि पुराने आय कर लगान के Step System के स्थान पर Slab System शुरू किया गया। इन दोनों विधियों का विस्तृत वर्णन अध्याय १६ में किया गया है। सन् १९४४ में 'जैसे कमाया वैसे ही भुगतान करो' (Pay as you earn) योजना शुरू की गई। सन् १९४५ में उपाजित आय की छूट की योजना भारत में शुरू की गई अर्थात् उपाजित आय और अनुपाजित आय में अन्तर किया जाने लगा। १ अप्रैल सन् १९४६ में ३१ मार्च सन् १९४६ तक व्यापार के लाभ के ऊपर व्यापार लाभ कर (Business Profit Tax) लगाया गया। सन् १९४७ में पूंजी लाभ (Capital Gains) पर भी कर लगाया गया, परन्तु गहरे विरोध के कारण, भूतपूर्व अर्थमन्त्री डा० जोन मयाई के प्रयत्नों द्वारा सन् १९४६ में हटा लिया गया। सन् १९४७ में आय कर की न्यूनतम सीमा २,००० रुपये के स्थान पर २,५०० रुपये कर दी गई। आय कर सशोधित बिल सन् १९५१ में पास कराने की कोशिश की गई, परन्तु वह पास न हो सका। सन् १९५२ में फिर इस बात के प्रयत्न किये गये कि आय कर सशोधित बिल पास किये जायें।

सन् १९५३ से आज तक—

इस बिल की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर सन् १९५३ में भारतीय आय कर सशोधित अधिनियम (Indian Income tax Amendment Act) पास किया गया। कुछ सशोधन सन् १९५४ में किये गये। सन् १९५५ में सशोधन इस आधार पर किये गये ताकि धना लोगों पर अधिक कर लगे और गरीबों को कर देने से छूट मिले, आय कर

अधिनियम की कई धारारों इस वर्ष परिवर्तित की गईं। इस अधिनियम में विवाहित और अविवाहित पुरुषों को आय पर आय-कर लगाने के नये नियम बनाये गये। वित्त अधिनियम सन् १९५६ के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म को दी हुई बहुत सी सुविधाएँ हटा ली गईं। करदेय वर्ष सन् १९५७-५८ से पूँजी लाभ पर धारा २२ B के अनुसार फिर कर लगने लगा है।

भारत में कुल आय, जिस पर कि कर लगना चाहिए, भारतीय आय-कर अधिनियम के द्वारा निश्चित की जाती है, परन्तु जिस दर पर कर लगना चाहिए वह उस वित्त अधिनियम द्वारा निश्चित की जाती है, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष पास किया जाता है। वित्त अधिनियम सन् १९५८ (Finance Act, 1958) पर प्रेसीडेंट ने अपनी स्वीकृति २८ अप्रैल सन् १९५८ को दी थी। यह एकट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें उन्नति छूट (Development Rebate) की दरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिनका वर्णन अध्याय ११ में दिया गया है और भी जो परिवर्तन इस विधान में किये गये हैं उनका वर्णन भी इस पुस्तक में यथास्थान दिया गया है।


वित्त अधिनियम सन् १९५९ (Finance Act of 1959) पर प्रेसीडेंट की स्वीकृति २८ अप्रैल सन् १९५९ को प्राप्त हो गई थी। इस अधिनियम के अनुसार निवासियों की करदेय प्रदेश में न लाई हुई आय पर ४,५०० रुपए की मिलने वाली छूट को बन्द कर दिया गया है। लाभांश को सकल (gross) करना भी बन्द कर दिया गया है।

वित्त अधिनियम सन् १९६० में भी कई परिवर्तन किये गये हैं, जिनमें से प्रमुख परिवर्तन सम्पत्ति पर दिये जाने वाले म्यूनिसिपल व स्थानीय करों के दायित्व का है—उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिसका बतना १ अप्रैल सन् १९५० के पहिले समाप्त हो गया था, म्यूनिसिपल व स्थानीय करों की पूरी रकम व अन्य प्रकार की सम्पत्तियों में इन करों की आधी रकम ही किरायेदार का दायित्व मानी जायेगी।

इस विधान के अनुसार हुये सभी परिवर्तनों को समझने के लिये वित्त अधिनियम सन् १९६० को परिशिष्ट में दिया गया है और इन परिवर्तनों को पुस्तक के अन्दर भी यथास्थान दिया गया है।

आय-कर अधिनियम का विस्तृत रूप में अध्ययन करने से पहले यह उचित प्रतीत होता है कि आय कर अधिकारियों के धारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय।

आय-कर अधिकारी



इनमें से प्रत्येक का वर्णन नीचे दिया जाता है :—

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू—

इस बोर्ड की स्थापना सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट सन् १९२४ के अनुसार हुई थी। यह वित्त मन्त्री के अधिकार में होता है। इसमें कुछ सदस्य होते हैं, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सबसे सीनियर सदस्य बोर्ड का चैयरमैन होता है। सम्पत्ति कर, व्यय कर, दान कर के अतिरिक्त यह विभाग आय कर, अधि कर, प्रावकारी कर (Excise duty) और आगम शुल्क (Custom duty)

पर नियन्त्रण करता है। इसे आय कर अधिनियम की धारा ५६ के अनुसार नियम (Rules) निर्गमित करने का अधिकार है। इसके एक सदस्य के अधिकार में आय-कर विभाग होता है और इस विभाग के उच्च अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों पर नियुक्त किये जाते हैं।

आय-कर के कमिश्नर—

ये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और अधिकतर एक राज्य के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, परन्तु केन्द्रीय सरकार को पूरा अधिकार है कि वह जितने कमिश्नर चाहे नियुक्त कर सकती है। उच्च क्षेत्र के इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर इसके नियन्त्रण में काम करते हैं। इसे द्वितीय विभाग के इनकम टैक्स ऑफिसर और आय कर के निरीक्षकों को भी नियुक्त करने का अधिकार है। धारा ३३ (२) के अनुसार वह अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर के आर्डर के विरोध में अपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने की आज्ञा आय कर अधिकारी को दे सकता है। धारा ३३ A और धारा ३३ B के अनुसार उसे अपने से नीचे आय-कर अधिकारियों के आदेशों को रिवीजन करने का अधिकार है। धारा ६६ में भी इसके कुछ अधिकारों का वर्णन है। उसे यह भी अधिकार है कि वह एक मामले को एक आय-कर अधिकारी से दूसरे आय-कर अधिकारी के पास हस्तान्तरित कर सकता है।

इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर—

ये आय कर कमिश्नर के नियन्त्रण में रहने हैं और इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। आय-कर कमिश्नर राज्य को कई क्षेत्रों में बाँट देता है और हर एक क्षेत्र के लिए एक इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर होता है। इसके क्षेत्र के इनकम टैक्स ऑफिसर इसी के नियन्त्रण में काम करते हैं। यदि इनकम-टैक्स ऑफिसर कोई अधिक दण्ड धारा २८ के अन्तर्गत लगाना चाहता है तो बिना इसकी स्वीकृति के नहीं लगा सकता है। धारा ५ (५) के अनुसार वह उन क्षेत्रों में वे कार्य करते हैं जो आय-कर कमिश्नर द्वारा निर्देशित किये जाते हैं। कमिश्नर उसे यह भी आज्ञा दे सकता है कि वह एक निश्चित मामले में आय-कर ऑफिसर के अधिकारों का भी प्रयोग कर सकता है। वह धारा ३८ के अनुसार सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है और धारा ३६ के अनुसार बन्धनों के सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है। इसके अन्य अधिकारों का वर्णन धारा ५ (७ B), १० (५) (a) Proviso १, १२ B (२) (iv) Proviso १, १७ (१) (b) Proviso २, २३ A (८), २८ (६) और धारा ५३ में किया गया है।

इनकम-टैक्स ऑफिसर—

इसकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जाती है। आय-कर निर्धारण करना और वसूल करना इसका मुख्य काम होता है। आय-कर इन्सपेक्टर इसके नियन्त्रण में काम करते हैं। वास्तव में आय कर विभाग में व्यावहारिक दृष्टि से सबसे

महत्त्वपूर्ण अधिकारी यही होता है। इनके अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन आय कर अधिनियम की धाराओं १२ A, १३, १८, २२, २३, २३ A, २३ B, २४ A, २४ B, २५, २५ A, २६ A, २७, २८, २९, ३४, ३५, ३७, ३८, ३९, ४२, ४३, ४५, ४६, ४८ और ६४ (४) में किया गया है।

इन्स्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स—

ये आय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसे नये करदाताओं का पता लगाना। ये इनकम टैक्स ऑफिसर को दी गई भिन्न भिन्न सूचनाओं की जाच उसकी प्राज्ञानुसार करते हैं। इनकी नियुक्ति इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा की जाती है। यदि इनको किसी अन्य आय कर अधिकारी के नीचे कार्य करने के लिये रखा गया है तो ये उस अधिकारी की आज्ञा पालन करते हैं।

डाइरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन—

रासन सम्बन्धी विभाग में केन्द्रीय सरकार द्वारा कमिश्नर की बराबरी का एक और ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जिस डाइरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन (Director of Inspection) कहते हैं। केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह जितने डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन की नियुक्ति करना उचित समझे, कर सकती है। इसके कायदेश्य की सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, परन्तु इसे यह अधिकार होता है कि यह इनकम टैक्स ऑफिसर को आय कर निर्धारण करने से सम्बन्धित आज्ञाएँ दे सकता है।

न्याय सम्बन्धी अधिकारी (Judicial Officers)—

अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर—

जब कर दाता इनकम टैक्स ऑफिसर के निर्णय से सतुष्ट नहीं होता है तो वह इनके यहाँ अपील करता है। इनके दिए हुए नियम के विरुद्ध अपेलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) में ही अपील की जा सकती है। सेटल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर या डाइरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को इनके काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हाता है। इनकी नियुक्ति के द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इनके कर्तव्यों का वर्णन धारा २८, ३०, ३१, ३५, ३७, ३८ और ३९ में किया गया है।

अपेलेट ट्रिब्यूनल—

धारा ५ थ के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपेलेट ट्रिब्यूनल की नियुक्ति करती है। केन्द्रीय सरकार जिनसे सदस्यों को चाहे इम ट्रिब्यूनल के लिए नियुक्त कर सकती है, परन्तु कम से कम दो सदस्य अवश्य होने चाहिये, जिनमें एक सदस्य न्याय सम्बन्धी (Judicial Member) तथा दूसरा सदस्य हिसाब किताब (Accountant Member) सम्बन्धी होता है। अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा दिये हुये निर्णय से यदि कर दाता या इनकम टैक्स ऑफिसर में से कोई भी असंतुष्ट हो, तो इस न्यायालय में अपील कर सकता है। कर दाता को ऐसा करने के

लिए १०० रुपये जमा करना आवश्यक है, परन्तु आय कर विभाग को अपील करने के लिए इस प्रकार की कोई रकम जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपील अपेलेट प्रोसिस्टेंट कमिश्नर के फंसले के ६० दिन के अन्दर हो सकती है। इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय तथ्य के विषय में अन्तिम निर्णय माना जाता है, परन्तु यदि कोई कानून के विषय के निम्न से असन्तुष्ट हो तो इसकी अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है।

हाई कोर्ट—

यदि अपेलेट ट्रिब्यूनल के कानून के विषय में दिए हुये निर्णय से कोई पक्ष असन्तुष्ट होता है, तो ६० दिन के अन्दर इस न्यायालय में अपील कर सकता है। कर-दाता को यहाँ भी १०० रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है, परन्तु आय कर विभाग को यहाँ अपील करने के लिए कोई रुपये जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस न्यायालय में अपील करने के लिए अपेलेट ट्रिब्यूनल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। यदि अपेलेट ट्रिब्यूनल अपनी स्वीकृति न दे तो दोनो पक्षों को अधिकार है कि हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करें कि ऐसी स्वीकृति प्रदान की जावे और हाई कोर्ट इस प्रकार की स्वीकृति तभी प्रदान करेगा जबकि वह इस प्रार्थना को नियमानुसार उचित समझेगा।

सुप्रीम कोर्ट—

यदि कोई पक्ष हाई कोर्ट के निर्णय से असन्तुष्ट हो, तो हाई कोर्ट की स्वीकृति लेकर इस न्यायालय में अपील कर सकता है। इस न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता है। धारा ६६ A के अनुसार इस कोर्ट में अपील की जा सकती है।

QUESTIONS

1. (a) What were the circumstances in India due to which Income tax was imposed first time in this country
(b) Give brief history of Income tax in India
2. Write short notes on —
Various Income tax authorities of India
(Agra, B. Com, 1953)
3. Write a note on Central Board of Revenue, Income-tax Commissioners, and Inspecting Assistant Commissioners
4. Describe the various authorities entrusted with the work of administering the law of Income tax in India.
(Ra], B. Com, 1959)

अध्याय २

परिभाषाएँ

(Definitions)

करदाता (Assessee)—

करदाता की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा २ (२) में इस प्रकार की गई है—
 “करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा आय-कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अन्दर देय (Payable) हो और इसमें वे सब व्यक्ति शामिल हैं जिन पर इस अधिनियम के अनुसार उनकी आय पर कर लगाने के लिए या उनकी हानि की गणना के लिए या उनको कर वापस देने के लिए कोई कार्यवाही की गई हो।”

इस अधिनियम के अन्दर नीचे दिए हुए व्यक्ति भी राशि देने वाले होते हैं, जिन पर वास्तव में कर नहीं लगता, परन्तु उन्हें दूसरे व्यक्ति पर लगे हुए कर की राशि देनी पड़ती है। इन व्यक्तियों को भी करदाता कहते हैं :—

- (अ) एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसका कानूनी उत्तराधिकारी धारा २४ (B) के अनुसार उस कर को देने के लिए उत्तरदायी है जो कि उस मरे हुए व्यक्ति को देना चाहिए था, इसलिए उसे करदाता माना जाता है।
- (ब) धारा ४० के अनुसार एक अवयस्क और पागल का सरक्षक या ट्रस्टी करदाता की तरह समझा जाता है।
- (स) धारा ४२ (१) के अनुसार एक करदेय प्रदेश के लिए विदेशी (Non resident) द्वारा दिये जाने वाले कर के लिए उसका अभिकर्ता (Agent) करदाता की तरह समझा जाता है।
- (द) एक व्यक्ति, जिसे धारा १८ के अनुसार दूसरे व्यक्ति को राशि देने के पहिले कर काटने का अधिकार था, कर नहीं काटता है या कर काट लेता है, लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं करता है तो धारा १८ (७) के अनुसार वह करदाता माना जायेगा।

परिभाषा का महत्त्व—

आय कर अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति से आय-कर वसूल नहीं कर सकते हैं। वे केवल करदाताओं से ही आय-कर वसूल कर सकते हैं, अतः करदाता की परिभाषा

ठीक प्रकार न समझी जाय तो सारा आय-कर अधिनियम व्यर्थ हो जायगा। यही कारण है कि करदाता की परिभाषा को इस अधिनियम में महत्वपूर्ण माना गया है।

करदाताओं का वर्गीकरण (Classification of Assessee)—

करदाताओं के महत्वपूर्ण होने के कारण, जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका है, आय-कर अधिनियम में इनका नीचे लिखा वर्गीकरण किया गया है :—

- (अ) एक व्यक्ति (Individual),
- (ब) हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu undivided family),
- (स) फर्म (Firm),
- (द) स्थानीय सरकार (Local Authority),
- (य) कम्पनी (Company),
- (फ) व्यक्तियों के अन्य सघ (Other Association of Persons)

व्यक्ति (Person)—

‘व्यक्ति’ की परिभाषा—

आय-कर अधिनियम की धारा २ (१) के अनुसार “व्यक्ति में हिन्दू अविभाजित परिवार और स्थानीय सरकार सम्मिलित हैं।”

अधिनियम की दो हुई यह परिभाषा स्पष्ट नहीं है। वास्तव में व्यक्ति का अर्थ एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, स्थानीय सरकार, व्यक्तियों का सघ और कम्पनी से है। स्थानीय सरकार का अर्थ म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट आदि से है।

आय कर अधिकारी एक पागल व्यक्ति को भी व्यक्ति की परिभाषा में लेते हैं, क्योंकि यदि पागल व्यक्ति आय-कर अधिनियम में व्यक्ति न माना जाय तो बहुत से करदाता कर देने के समय पर अपने को पागल बना लेंगे।

अवयस्क (Minor) भी आय-कर अधिनियम में व्यक्ति माना जाता है। एक पागल और अवयस्क दोनों ही आय कर के लिए व्यक्ति माने गये हैं। यह निर्णय Rex Vs. New Market Commissioners के मामले में सन् १९४६ में दिया गया था।

सूझ से, इस व्यक्ति की परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जिसकी आय आय कर अधिनियम के अनुसार कर देने योग्य होगी, वही व्यक्ति करदाता मान लिया जायगा, चाहे वह अवयस्क हो या पागल या अन्य प्रकार का उसमें कोई दोष हो।

परिभाषा का महत्व—

करदाता की परिभाषा समझने के लिए ‘व्यक्ति’ की परिभाषा समझना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि करदाता की परिभाषा में व्यक्ति शब्द का प्रयोग

हूमा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आय-कर अधिनियम में व्यक्ति की परिभाषा नहीं की गई है, बल्कि यह बताया गया है कि व्यक्ति में कौन-कौन से लोग सम्मिलित हैं।

करदेय प्रदेश (Taxable Territory)—

करदेय प्रदेश की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय कर अधिनियम की धारा २ (14-A) में की गई है, जो कि बहुत विस्तृत है। सूक्ष्म में, 'करदेय प्रदेश' का अर्थ सम्पूर्ण भारतवर्ष से है।

जहाँ जहाँ के व्यक्तियों को भारतीय आय-कर अधिनियम के अनुसार आय कर देना पड़ता है वे सभी स्थान करदेय प्रदेश कहे जाते हैं। इसकी परिभाषा में कई बार परिवर्तन किये गये हैं। यह नीचे दिये हुए दिवरण से स्पष्ट हो जायेगा—

१ अप्रैल सन् १९५० से १२ अप्रैल सन् १९५० तक करदेय प्रदेश का आशय जम्मू, काश्मीर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य मध्य को छोड़कर शेष सारे भारतवर्ष से था।

१३ अप्रैल सन् १९५० से १२ अप्रैल सन् १९५४ तक करदेय प्रदेश का आशय जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सारे भारतवर्ष से था।

१२ अप्रैल सन् १९५४ के बाद से करदेय प्रदेश का आशय सारे भारतवर्ष से हो गया है।

परिभाषा का महत्त्व—

आय कर विधान के लिए यह परिभाषा बहुत महत्त्वपूर्ण इसलिए बन गई है, क्योंकि आय कर व्यक्तियों पर उनके करदेय प्रदेश के अनुसार लगता है। हमारी सरकार कर निर्धारण के लिए यह जानना आवश्यक समझती है कि करदाता करदेय प्रदेश का है कि करदेय प्रदेश के बाहर का।

गत वर्ष (Previous year)—

गत वर्ष की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय कर अधिनियम की धारा २ (११) में की गई है—

'गत वर्ष' का आशय अधिकतर उन १२ महीनों से होता है जो उस ३१ मार्च को समाप्त होते हैं जो कि चालू वर्ष या कर निर्धारण वर्ष के पहिले आती है। चालू वर्ष १ अप्रैल से शुरू होती है।

गत वर्ष को पिछले आर्थिक वर्ष में किसी न किसी दिन समाप्त होना चाहिए।

किसी भी मद की आमदनी के लिए गत वर्ष का मतलब इस प्रकार है :—

जिस वर्ष के लिए कर लगना है उस वर्ष से पहले ३१ मार्च को जो १२ महीने पूरे होते हो या करदाता का हिसाब इसके पहले किसी तरीख को बन्द होता हो तो वहाँ तक के १२ महीनों को गत वर्ष कहा जाता है।

सारांश यह है कि सन् १९६०-६१ करदेय वर्ष के लिए गत वर्ष, जिसकी आय पर कर लगेगा, १-४-५६ से ३१-३-६० तक होगा।

प्रायः लोगों के वही खाते ३१ मार्च को न बन्द होकर दशहरा, दिवाली या असाढ़ में बन्द होते हैं। ऐसी हालत में १-४-५६ से ३१-३-६० के बीच जो दशहरा, दिवाली या असाढ़ पड़ा हो वहाँ तक का एक वर्ष सन् १९६०-६१ करदेय वर्ष के लिए गत वर्ष होगा। इसी वर्ष को एकाउन्टिङ्ग वर्ष (Accounting year) भी कहते हैं।

गत वर्षों के समझने के लिए नीचे दी हुई समय सारिणी को देखिये—

Accounting Periods with reference to Income-tax Year

Income-tax year or assessment year	Income year or (Previous year)	Calendar year
1955-56	1-4-54-31-3-55	1-1-54-31-12-54
1956-57	1-4-55-31-3-56	1-1-55-31-12-55
1957-58	1-4-56-31-3-57	1-1-56-31-12-56
1958-59	1-4-57-31-3-58	1-1-57-31-12-57
1959-60	1-4-58-31-3-59	1-1-58-31-12-58
1960-61	1-4-59-31-3-60	1-1-59-31-12-59

एक बार गत वर्ष निश्चित कर लेने के बाद बार-बार बदली नहीं जा सकती है और यदि बदलना आवश्यक हो तो आय कर ऑफिसर से स्वीकृति लेनी पड़ती है।

यदि एक व्यक्ति को भिन्न-भिन्न साधनों से आय प्राप्त होती है तो यह उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वह सब साधनों के लिए एक ही गत वर्ष रखे या प्रत्येक साधन के लिए अलग-अलग गत वर्ष रखे, लेकिन सब वर्षों की अन्तिम तारीखें ३१ मार्च के पहले अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए। किसी फर्म के सार्वभौमिक का गत वर्ष फर्म से प्राप्त होने वाली आय के लिए वही होता है जो कि फर्म का, यदि फर्म पर स्वयं कर निर्धारण किया जा चुका है।

नये स्थापित किये हुए व्यापारों के सम्बन्ध में गत वर्ष ३१ मार्च को ही समाप्त किया जा सकता है या अन्य किसी तिथि पर, परन्तु यह समय १२ महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापार १ नवम्बर सन् १९५५ को प्रारम्भ होता है तो सन् १९५६-५७ करदेय वर्ष के लिए इसकी गत वर्ष ३१ मार्च सन् १९५६ को समाप्त हो सकती है, परन्तु यदि व्यापार का स्वामी चाहे तो अपनी गत वर्ष की ३१ अगस्त सन् १९५६ को भी समाप्त कर सकता है, परन्तु इस दशा में

सन् १९५६-५७ में उस व्यक्ति की आय पर कोई आय कर नहीं लगेगा, परन्तु सन् १९५७-५८ में आय-कर अवश्य लगेगा ।

गत वर्ष सदैव ३१ मार्च को या इससे पहले ही समाप्त होता है, परन्तु यदि किसी करदाता का गत वर्ष ३१ मार्च के कुछ दिनों बाद समाप्त होता हो तो क्या उस वर्ष को गत वर्ष माना जा सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है :—

यदि करदाता का वर्ष ४ अप्रैल सन् १९५४ से आरम्भ होता है और ३ अप्रैल सन् १९५५ को समाप्त होता है तो गत वर्ष की परिभाषा के अनुसार सन् १९५४-५५ को सन् १९५५-५६ करदेय वर्ष के लिये गत वर्ष नहीं मानना चाहिये, क्योंकि गत वर्ष ३१ मार्च के तीन दिन बाद समाप्त होती है । इस आय पर कर सन् १९५६-५७ में लगना चाहिये । इस कठिनाई को दूर करने के लिये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी को इन मामलों में यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी वर्ष को गत वर्ष मान सकते हैं, जोकि ११ महीने से कम व १३ महीने से अधिक न हो और ऐसा भी वर्ष गत वर्ष माना जाता है जो कि आर्थिक वर्ष समाप्त होने के एक माह के अन्दर समाप्त हो जाता है । इस अधिकार के अनुसार ऊपर दिये हुए उदाहरण में सन् १९५४-५५ को सन् १९५५-५६ करदेय वर्ष के लिये गत वर्ष माना जा सकता है । यह निर्णय Nanak Chand Fateh Chand Vs. C. I. T. के मामले में दिया गया था ।

परिभाषा का महत्त्व—

आय-कर गत वर्ष की आय पर लगता है, अतः आय-कर देने के लिए गत वर्ष की परिभाषा समझना अत्यन्त आवश्यक है ।

आय-कर गत वर्ष की आय पर लगता है । इस नियम के निम्न अपवाद (Exceptions) हैं :—

(१) यदि कोई व्यापार साल के मध्य में ही समाप्त हो जाय तो उसकी आय पर तुरन्त कर लगा दिया जायगा । जो व्यक्ति व्यापार बन्द करते हैं उन्हें व्यापार बन्द करने के १५ दिन के अन्दर आय-कर अधिकारी को व्यापार बन्द करने की सूचना दे देनी चाहिये । यदि यह सूचना नहीं दी जाती है तो इस व्यक्ति पर व्यापार बन्द होने के समय तक की आय पर लगने वाले कर के बराबर तक जुर्माना किया जा सकता है । [धारा २५]

(२) यदि कोई व्यक्ति भारत को सदैव के लिए छोड़ रहा हो, तो उसकी इस वर्ष की आय पर इसी वर्ष कर लग जायगा । [धारा २४ अ]

(३) कुछ विशेष प्रकार के समुद्री जहाजों के मालिकों पर उसी वर्ष कर लगता है जिस वर्ष कि आय पैदा की जाती है । ये धारार्य ऐसे विदेशी

समुद्री जहाजों के मालिकों पर लगती है जिनका कोई एजेंट भारत में नहीं है। इन जहाजों के बन्दरगाह छोड़ने के पहिले, इनके मालिक को इनकी भारतीय प्राप्ति के $\frac{1}{2}$ पर कर देना पड़ता है। यह कर चुका देने के बाद ही Port Clearance प्रमाण पत्र दिया जाता है।

[धारा ४४ अ, ४४ ब]

कृषि आय (Agricultural Income)—

कृषि आय की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा २ (१) में दी हुई है। कृषि आय उस भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं जोकि खेती के काम के लिए प्रयोग की जाती हो और जिस पर सरकार को भूमि कर या स्थानीय कर देना पड़ता हो, अर्थात् कृषि आय उस भूमि की आय को कहते हैं जो इन दोनों नियमों का पालन करे :—

(अ) यह भूमि कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाती हो और

(ब) इस भूमि पर भूमि-कर या स्थानीय कर लगता हो ।

उदाहरण (१)—माना कि अ एक ऐसी भूमि का मालिक है जो कि कृषि काम के लिए प्रयोग की जाती है और जिस पर भूमि कर लगता है तो इस भूमि से जो आय प्राप्त होगी, वह अ के लिए कृषि आय होगी, परन्तु यदि अ इस भूमि की पैदावार को ब को बेच देता है और और ब उस पैदावार को बटवा कर स को बेच कर आय प्राप्त करता है तो ब के लिए यह कृषि आय नहीं कही जायगी।

(C. I. T. Vs. Mada Venkatsubbaaya 1951)

उदाहरण (२)—एक जमींदार के पास कुछ जमीन है, जिस पर पेड अपने आप उगते हैं। वह इन पेडों की लकड़ी काट कर बेचता है। इस लकड़ी से जो आय प्राप्त की जायगी वह कृषि आय नहीं होगी, क्योंकि इस भूमि के ऊपर जमींदार को कोई भूमि-कर नहीं देना पड़ता है और इस भूमि पर खेती का कार्य नहीं होता है।

(अ) कृषि कार्य के लिए भूमि का प्रयोग करना (Land used for Agricultural purposes)—

यह वाक्य कृषि आय की परिभाषा में प्रयोग हुआ है। इसे समझने के लिए नीचे दिया हुआ वर्णन महत्वपूर्ण है :—

इस सम्बन्ध में कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स बनाम राजा विनयकुमार साहसराय सन् १९५७ (C. I. T. Vs. Raja Benoy Kumar Sahas Roy 1957) में उच्चतम न्यायालय के दिए हुए निर्णय को सर्वमान्य माना गया है। न्यायाधीश श्री भगवती ने इस मामले में कृषि भूमि और कृषि कार्य का पूरा वर्णन

करने के पश्चात् खेतों के कार्य के लिए मृमि को प्रयोग करने के बारे में निम्नलिखित चार सिद्धान्तों पर जोर दिया है :—

(१) प्रारम्भिक क्रियाएँ—पौधा निकलने के पहले की कुछ आवश्यक क्रियाएँ, जिनमें मनुष्य अपना श्रम व बुद्धि केवल मृमि की पैदावार पर ही नहीं बल्कि मृमि पर भी प्रयोग करता है, कृषि के अन्तर्गत आती हैं। इन आवश्यक क्रियाओं के उदाहरणों में मृमि का जोतना, मृमि में पानी लगाना और बीज बोना आदि हैं।

(२) वाद की क्रियाएँ—इनमें वे क्रियाएँ शामिल हैं जो मृमि में पौधा निकलने के बाद की जाती हैं। जैसे—निगई करना, मुटाई करना, सिंचाई करना और पौधों की बीजों व अन्य जानवरों से रक्षा करना आदि। ये क्रियाएँ प्रारम्भिक क्रियाओं के साथ कृषि की क्रियाएँ हैं।

(३) कृषि का सम्बन्ध मनुष्य व जानवरों के लिये अनाज और खाद्य सामग्रियों पैदा करने से ही नहीं है, बल्कि सब व्यापारिक पदार्थों, जैसे—चाय, कॉफी, उन्हाहू, कपास, गन्ना, रबर, दूध आदि के पैदा करने से भी है।

(४) जो क्रियाएँ मृमि पर कोई आवश्यक कार्य नहीं करेंगी, उन्हें कृषि की क्रियाएँ केवल इर्भाविए ही नहीं कहा जायगा कि उनका मृमि से सम्बन्ध है। जैसे जानवरों का पालना, डेरी (Dairy) का काम करना, मुर्गी पालना आदि स्वतः कृषि कार्य नहीं हैं।

सन् १९५७ में उच्चतम न्यायालय ने कमिश्नर ऑफ इन्कम-टैक्स बनाम ज्योतीकना चौधरानी और सर कामेश्वरसिंह बनाम कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (C. I. T. Vs. Jyotikana Chowdhurani & Sir Kameshwar Singh Vs. C. I. T. 1957) में ऊपर लिखे दूर सिद्धान्तों के आधार पर ही निर्णय दिया था कि एक जगल में न तो मृमि जोती जाती है और न बीज बोना जाता है, बल्कि सब पेट अपने आप लगते हैं। इसलिए जगल के पेटों की रक्षा करने के लिये व उनकी तरफों करने के लिये किये गये काम, जो कि 'वाद की क्रियाओं' के अन्तर्गत आते हैं, कृषि की क्रियाएँ नहीं माने जायेंगे। लेकिन सन् १९५७ में कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स बनाम राजा दिनयदुमार साहसराय के मामले में वहाँ उच्चतम न्यायालय के साफ़ किए दृष्टे भाग पर नए रूप से दृष्टारोपण किया गया था और पेटों को बचाने व उनकी रक्षा करने के लिए वाद की क्रियाएँ भी की गई थीं वहाँ इस प्रकार से दृष्टार लगाये गये पेटों से प्राप्त होने वाली आय को कृषि का आय माना गया है।

जगली घास या बांस में, जोकि अपने आप उगे हों, प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं है। (Rani Tara Kumari Devi Vs. C. I. T. 1946)

मृमि जो कि ऐसे जानवरों को चराने के लिए पट्टे पर दी जाती है जिन्हें कृषि के काम में प्रयोग किया जाता है, तो घास के चराने से प्राप्त होने वाली इस पट्टे की

भाय को कृषि आय कहा जायगा । चाहे वह घास भूमि पर अपने आप जमी हो या भूमि जोत कर उगाई गई हो ।

(C. I. T. Vs. Rai Shamsheerjang Bahadur 1953)

यदि एक डेरो जोकि ऐसे जानवरों द्वारा चलाई जाती है जिन्हें अपनी स्वयं की कृषि भूमि पर चराया जाता है तो इसकी आय कृषि आय मानी जायगी ।

(C. I. T. Vs. Vankataswamy Naidu 1956)

कृषि शब्द का मुख्य अर्थ भूमि को जोतने से है । Agri का अर्थ खेती है और Culture का अर्थ जोतना है, अतः Agricultural का अर्थ खेत जोतना व इससे सम्बन्धित कार्य करना है ।

(ब) भूमि जिस पर भारतवर्ष में भूमि-कर या स्थानीय-कर लगता हो—

यह वाक्य भी कृषि आय की परिभाषा में प्रयोग हुआ है । कृषि आय का अर्थ समझने के लिए इसे भी भली भाँति समझ लेना चाहिये ।

यदि भूमि भारतवर्ष के बाहर स्थित है और इस पर किसी विदेशी सरकार द्वारा लगान लिया जाता है तो इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं कही जायगी ।

(Kumar Jagadish Chandra Sinha Vs C. I. T. 1955)

कृषि आय की परिभाषा में स्थानीय-कर का आशय उस कर से है जोकि सरकार के किसी अफसर द्वारा स्थानीय सरकार के लाभ के लिए निर्धारित एवं एकत्रित किया जाता है । यदि स्थानीय कर स्थानीय सरकार जैसे म्युनिसिपैलिटी द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसी के द्वारा वसूल किया जाता है तो ऐसी भूमि की आय को कृषि आय नहीं कहा जायगा, चाहे उस पर पूर्णतया कृषि कार्य ही क्यो न किया जाता हो ।

(Hulas Narain Singh Vs. Prov. of Bihar 1942)

कृषि आय को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये हुए हैं :—

(१) मकान से प्राप्त होने वाली आय—एक ऐसे मकान से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं जायेगी जोकि कृषि के कार्य में मदद देने के लिए कृषि भूमि के पास बनाया गया हो । कृषि काम में मदद देने से आशय गल्ला रखना, बीज रखना, कृषि के औजार रखना और कृषि में प्रयोग होने वाले जानवरों आदि को रखने से है ।

(२) कृषि आय में से एक कम्पनी के द्वारा दिया हुआ लाभांश—उच्चतम न्यायालय ने सन् १९५५ में Bacha Guzdar Vs. C. J. T. के मामले में यह निर्णय दिया था कि यदि एक कम्पनी ने अपनी कृषि आय में से लाभांश दिया

है तो अंशधारियों को यह लाभार्थ कृपि आय के रूप में नहीं मिलेगा, परन्तु पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने सन् १९५६ में C. I. T. Vs. Mrs Miller के मामले में इसी विषय पर भारतीय दृष्टिकोण के विरुद्ध विचार प्रकट किये हैं।

(३) मछलियों से आय—समुद्री मछलियों या सरकारी तालाब प्रादि से मिलने वाली मछलियों से आय कृपि आय नहीं कही जाती है।

(४) गिरवी रखी हुई भूमि से आय—यदि कोई भूमि साधारण गिरवी (Mortgage) रखी जाती है तो इस गिरवी से प्राप्त होने वाली आय को कृपि आय नहीं कहा जाता है।

(५) दुग्धशाला से आय—जिन दुग्धशालाओं के जानवरों को मोल लेकर चारा (Fodder) खिलाया जाता है, उन दुग्धशालाओं की आय कृपि आय नहीं कही जाती है।

(६) भवन से आय—जो भवन खेती करने वाली भूमि के पास होते हैं, परन्तु खेती के काम में मदद नहीं पहुँचाते हैं, उनकी आय भी कृपि आय नहीं कही जाती है।

(७) पत्थर की खानों से प्राप्त होने वाली आय—इस आय को कृपि आय नहीं कहा जाता है। यह निर्णय Shiv Lal Ganga Ram Vs. C.I.T. के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सन् १९५० में दिया था।

(८) भूमि पर लगने वाले मेलो व नुमायशों की आय को भी कृपि आय नहीं कहा जाता है।

(९) खानों के अधिकार-शुल्क (Royalties) की आय कृपि आय नहीं है।

(१०) ईंट बनाने के लिए बेची हुई जमीन की आय कृपि आय नहीं है।

(११) खरीदी हुई पैदावार के स्टोर करने के लिए जो भूमि प्रयोग में लाई जाती है, उससे प्राप्त होने वाली आय कृपि आय नहीं है।

(१२) कोयला, मैंगनीज और माइका (Mica) से प्राप्त होने वाली आय कृपि आय नहीं है।

(१३) बाजारों और तालाब के सिंघाड़ों से प्राप्त होने वाली आय कृपि आय नहीं है।

(१४) समुद्री पानी से Sodium Chloride निकालने से प्राप्त होने वाली आय कृपि आय नहीं होती है। यह निर्णय C. I. T. Vs. Linga Reddi के मामलों में दिया गया था।

(१५) सिंचाई के लिए दिये गये पानी से प्राप्त होने वाली आय कृपि आय नहीं होती है।

(१६) खाल की खेती से प्राप्त होने वाली आय कृपि आय नहीं होती है। यह

निरणय Beohar Singh Raghur Singh Vs. C. I. T. के मामले में सन् १९४८ में दिया गया था।

अंशतः कृषि आय (Partly Agricultural Income)—

नीचे लिखी आय अंशतः कृषि आय होती है :—

(१) करदेय प्रदेश के विक्रेता द्वारा पैदा की हुई चाय से प्राप्त आय अंशतः कृषि आय होती है। इस आय का ६०% कृषि आय माना जाता है और ४०% आय पर कर लगता है।

(२) यदि कोई गन्ने की फँवटरी का मालिक स्वयं अपने खेतों पर गन्ना पैदा करता है और इसी गन्ने को अपनी फँवटरी में शक्कर बनाने के लिए प्रयोग करता है तो इस फँवटरी की आय अंशतः कृषि आय कही जायेगी।

कृषि आय का महत्त्व—

कृषि आय का ज्ञात करना इसलिए बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस आय के ऊपर कर नहीं लगता है और यह आय कुल आय में भी नहीं जोड़ी जाती है।

आय (Income)—

यह एक विचित्र बात है कि आय कर अधिनियम में आय की परिभाषा नहीं दी हुई है। केवल धारा २ (६ सी) में यह दिया हुआ है कि आय में क्या-क्या सम्मिलित किया जाता है। यह धारा इस प्रकार है—

“आय में नीचे लिखे शामिल हैं—

(१) लाभांश।

(२) धारा ७ में समझाये हुए अनुलाभ या वेतन के बदले में मिले हुए लाभ का मूल्य।

(३) एक संचालक या अन्य किसी व्यक्ति, जिसका कि कम्पनी में पर्याप्त हित है, के द्वारा कम्पनी से प्राप्त हुए लाभ या अनुलाभ का मूल्य (पर्याप्त हित का अर्थ उस कम्पनी में कम से कम २०% मत देने का अधिकारी होना है) और ऐसी राशि जिसे कम्पनी ने इन लोगों की ओर से भ्रष्टा किया हो और यदि इसे कम्पनी न चुकाती तो इन्हे ही चुकाना पड़ता।

(४) धारा १० (२) clause (vii) के द्वितीय भाग में माने जाने वाले लाभ और धारा १० (2A) के अनुसार माने जाने वाले लाभ या धारा १२ (५) के अनुसार माने जाने वाले लाभ।

(५) धारा १० (५ A) के अनुसार जो रकम व्यापार पैदा या व्यवसाय की लाभ मानी जाती है।

(६) धारा १२ B के अनुसार पूँजीगत लाभ।

(७) बीमा कम्पनी से प्राप्त हुए लाभ, जो कि पारस्परिक बीमा सघ द्वारा

चलाई जाती हो या अनुसूची के ६ वें नियम के अनुसार बनी हुई सहकारी समिति के द्वारा चलाई जाती हो ।”

आय-कर अधिनियम के अनुसार, जो 'आय' को परिभाषा दी हुई है और जिसे ऊपर समझाया गया है, वास्तव में पूर्ण परिभाषा नहीं है ।

आय की परिभाषा Sir George Lowndes ने C I. T. Vs. Shaw Wallacis & Co. के मामले में इस प्रकार दी थी—

“इस अधिनियम में आय से तात्पर्य उच्च सामयिक मौद्रिक आय (Periodical Monetary Return) से है जो कि कुछ नियमितता के साथ या सम्भावित नियमितता के साथ निश्चित साधनों से प्राप्त होती है ।”^१ इन्ही महाशय ने आय की एक पद के फलों से और एक खेत की फसल से तुलना की है ।^२

Lord Russell of Killowen ने Gopal Saran Narain Singh Vs C I T. के मामले में आय के सम्बन्ध में यह निर्णय दिया था :—

“कोई वस्तु जिसका उचित रीति में आय की तरह वर्णन किया जा सकता है, इस अधिनियम के अन्तर्गत करदेय है, जब तक कि वह स्पष्टतया कर-मुक्त न हो ।”^३

आय के सम्बन्ध में नीचे लिखे हुए नियम महत्वपूर्ण हैं :—

- (१) आय को पूर्णतः स भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि आय पर कर लगता है, पूर्णतः पर नहीं ।
- (२) प्रत्येक आय कर लगता है, जब तक कि वह स्पष्टतया कर-मुक्त (Exempt) न हो ।
- (३) आय स्याई पूर्णतः की बढातरी से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि अस्याई पूर्णतः की बढातरी से प्राप्त होती है ।
- (४) आय मुद्रा में भी हो सकती है और वस्तुओं में भी । यह निर्णय Tennant Vs. Smith के मामले में दिया गया था, अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा में ही प्राप्त हो । अन्य किसी चीज में प्राप्त आय, जो कि मुद्रा में नाशो जा सकती है, आय मानी जायगी ।
- (५) आय के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी न किसी साधन से प्राप्त

1 “Income in this Act connotes a periodical monetary return ‘coming in’ with some sort of regularity or expected regularity from definite sources”—Sir George Lowndes.

2 “Income has been likened pictorially to the fruit of a tree or the crop of a field”—Sir George Lowndes

3 “Anything which can be properly described as income is taxable under the Act unless expressly exempted.”

की जाय । जो आय किमी भी साधन से प्राप्त नहीं की जाती वह आय नहीं होती है ।

- (६) आय चाहे ईमानदारी से पैदा की गई हो या बेईमानी से, दोनों पर कर लगता है ।
- (७) यह आवश्यक नहीं है कि आय नियमित रूप से मासिक, त्रैमासिक, छमाई या अन्य किसी समय के बाद प्राप्त हो, तभी आय कही जायगी । यदि इकट्ठी आय प्राप्त होती है और उसके नियमित रूप से प्राप्त होने की आशा नहीं है तो भी यह आय-कर की दृष्टि से आय मानी जायगी ।
- (८) जो आय प्राप्त होते समय आय के रूप में नहीं होती है और बाद में आय बन जाती है, उसे आय कर के लिए आय नहीं माना जाता है ।
- (९) यदि एक देनदार पर कुछ रकम छोड़ दी जाती है तो वह उसकी आय नहीं मानी जाती है ।
- (१०) यदि किसी व्यक्ति को किमी व्यय से छुटकारा मिल जाता है तो यह उसकी आय नहीं मानी जाती है ।
- (११) आय अपने आप प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि बाहर से आनी चाहिए, जैसे—बलब के सदस्यों से प्राप्त होने वाली पारस्परिक आय पर कोई आय-कर नहीं लगता, परन्तु यदि वह बलब अपनी आय को विनियोग में लगा दे तो इन विनियोगों से प्राप्त होने वाली आय बलब को आय मानी जायगी ।
- (१२) एक करदाता को यदि अपनी कमाई हुई आय प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है तो वह उसकी आय मानी जाती है, चाहे करदाता ने उसे वास्तव में प्राप्त न किया हो, जैसे—यदि किसी कम्पनी के मैनेजिंग एजेंट को कम्पनी के लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया जाता है तो वर्ष के अन्त में लाभ पर निकाले हुए कमीशन की रकम मैनेजिंग एजेंट को उस वर्ष की आय मान ली जायगी और इस पर कर भी लगेगा, चाहे उसे यह कमीशन उस समय तक न भी प्राप्त हुआ हो ।
- (१३) यदि किसी आय के स्वामित्व पर दो पक्षों में मतभेद है तो इस मतभेद के कारण कर निर्धारण नहीं रुकेगा, चाहे इस आय के स्वामित्व का झगडा अदालत तक में क्यों न पहुँच गया हो ।

परिभाषा का महत्त्व—

आय-कर की सब परिभाषाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण परिभाषा आय की है, क्योंकि आय कर आय के ऊपर ही लगता है, अतः जब तक आय की परिभाषा स्पष्ट न होगी तब तक आय कर किस प्रकार लगाया जायगा ।

उपार्जित आय (Earned Income)—

इसकी परिभाषा आय कर विधान की धारा २ (6 AA) में की गई है। वह आय, जोकि शारीरिक परिश्रम व मानसिक परिश्रम व दोनों के द्वारा पैदा की जाती है, उपार्जित आय कहलाती है। उदाहरण के लिये, नीचे लिखी हुई आय उपार्जित आय हैं :—

- (अ) एक प्राध्यापक की आय,
- (ब) एक डाक्टर की आय,
- (स) संचालक की आय,
- (द) पेन्शन, जोकि रिटायर होने के बाद मिलती है,
- (य) पुस्तक लिखने पर मिलने वाला अधिकार शुल्क,
- (फ) वह आय जोकि वेतन शीर्षक में शामिल की जाती है,
- (र) वह आय जोकि व्यापार, पेशा और व्यवसाय से प्राप्त होती है, जहाँ व्यापार, पेशा और व्यवसाय कर दाता द्वारा स्वयं किया जाता है,
- (ल) अन्य साधनों से आय वाले शीर्षक में आने वाली वह सब आयें, जिनमें कि ब्यक्तिक (Personal) परिश्रम किया जाता है।

नीचे लिखी हुई आय उपार्जित आय नहीं हैं —

- (क) प्रतिभूतियों से आय,
- (ख) लाभांश,
- (ग) पूँजी आय।

उपार्जित आय का महत्त्व—

इस आय का आय कर में महत्त्व इसलिए है कि इस पर कर लगाते समय एक विशेष प्रकार की छूट दी जाती है, जिसे उपार्जित आय की छूट (Earned Income Relief) कहते हैं, परन्तु Finance Act सन् १९५७ के अनुसार उपार्जित आय की छूट बन्द कर दी गई है और इसके स्थान पर उपार्जित आय और अनुपार्जित आय के कर निकालने में भेद कर दिया गया है, जिसे आगे समझाया जायगा।

उपार्जित आय की छूट (Earned Income Relief)—

यह छूट उपार्जित आय पर दी जाती थी। जिस प्रकार व्यापार में प्रयोग होने वाली मशीनों आदि पर आय कर की छूट दी जाती है। ठीक उसी प्रकार उपार्जित आय पैदा करने में शरीर का हास होता है। यही कारण है कि शारीरिक व मानसिक परिश्रम द्वारा पैदा की हुई आय पर छूट दी जाती थी। इसी छूट को उपार्जित आय की छूट कहते थे।

यह छूट केवल आय-कर निकालते समय ही दी जाती थी, अधिक कर निकालते

समय नहीं दी जाती थी। यह छूट स्थानीय सरकार, रजिस्टर्ड फर्म व कम्पनी को छोड़ कर बाकी सबको दी जाती थी।

सन् १९५६-५७ के करदेय वर्ष के लिए व इसके पहिले के वर्षों के लिए, सभी शीर्षको की उपाजित आय पर यह छूट दी जाती थी, परन्तु सन् १९५७-५८ के करदेय वर्ष में केवल 'वेतन' पर ही उपाजित आय की छूट दी गई थी। अब किसी आय पर उपाजित आय की छूट नहीं दी जाती है। इसी छूट को नीचे समझाया गया है।

उपाजित आय की छूट की दर—

(१) जब उपाजित आय २५,००० रु० तक है।

(२) जब उपाजित आय २५,००० रु० से अधिक और ४५,००० रु० से कम है।

(३) जब उपाजित आय ४५,००० रु० है या इससे अधिक है।

(१) जब उपाजित आय २५,००० रु० तक है तो उपाजित आय की छूट की राशि उपाजित आय का $\frac{१}{३}$ या ४,००० रु० से अधिक नहीं होगी, जैसे—यदि मान लिया कि उपाजित आय २२,००० रु० है तो इसका $\frac{१}{३}$ भाग ४,४०० रु० हुआ। इस दशा में उपाजित आय की छूट कुल ४,००० रु० ही होगी और यदि $\frac{१}{३}$ भाग ४,००० रु० से कम आता है तो उतनी ही उपाजित आय की छूट होगी।

(२) जब उपाजित आय २५,००० रु० से अधिक और ४५,००० रु० से कम है तो उपाजित आय की छूट इस प्रकार निकाली जायेगी। कुल उपाजित आय में से २५,००० रुपये घटाये जायेंगे, बची हुई राशि के $\frac{१}{३}$ भाग को ४,००० रुपये में से घटाया जायेगा और जो कुछ घटाने से बचेगा वही उपाजित आय की छूट होगी, जैसे—मान लिया कि उपाजित आय ३५,००० रु० है तो उपाजित आय की छूट निकालने के लिए $३५,००० - २५,००० = १०,०००$ रुपये। इस १०,००० रुपये का $\frac{१}{३} = ३,३३३$ रुपये। इस ३,३३३ रुपये को ४,००० में से घटाने पर ६,६६६ रु० बचता है, अतः यही ६,६६६ रु० उपाजित आय की छूट हुई। फार्मूला इस प्रकार है :—

$४,०००$ रु०—{ (कुल उपाजित आय—२५,०००) का $\frac{१}{३}$ }

(३) यदि कुल उपाजित आय ४५,००० रुपये है या इससे अधिक है तो कोई उपाजित आय की छूट नहीं दी जाती है।

करदेय आय निकालने के लिए कुल आय में से उपाजित आय की छूट घटा दी जाती थी। आय-कर के लिए कुल आय में से उपाजित आय की छूट घटा दी जाती थी, परन्तु अधि-कर के लिये ऐसा नहीं किया जाता था। उदाहरण के लिये, यदि एक करदाता (Assessee) की उपाजित आय २५,००० रु० होती थी तो वह २१,००० रु० पर आय कर देता था, क्योंकि २५,००० रु० में से ४,००० रु० उपाजित आय

की छूट घटा दी जाती थी, लेकिन उसी करदाता पर अधि-कर (Super-tax) २५ ००० रु० पर ही लगता था ।

सन् १९५८-५९ के करदेय वर्ष में व आगे के वर्षों में किसी भी आय पर उपाजित आय की छूट नहीं दी जाती है, वरन् उपाजित आय व अन्य प्रकार की आय में कर निकालने में भेद किया जाता है ।

वर्तमान काल में उपाजित आय की छूट—

उपाजित आय की छूट के सम्बन्ध में जो नियम १ अप्रैल सन् १९५७ के पहिले थे, वे समाप्त कर दिये गये हैं । अब उपाजित आय की छूट का आशय उपाजित आय पर अनुपाजित आय की तुलना में कम सर-चार्ज लगाना है और यह छूट आय-कर व अधि-कर दोनों पर मिलती है । जनरल सरचार्ज ५% तो सब प्रकार की आय पर निकाला जाता है, चाहे वह उपाजित हो या अनुपाजित; पर अनुपाजित आय पर १५% स्पेशल सरचार्ज और लगाया जाता है । इस प्रकार अनुपाजित आय पर कुल सरचार्ज २० प्रतिशत लगता है, जबकि उपाजित आय पर केवल ५ प्रतिशत ही सरचार्ज लगता है । यही छूट उपाजित आय की छूट है ।

फर्म और उपाजित आय की छूट—

रजिस्टर्ड फर्म को उपाजित आय की छूट इसलिए नहीं मिलती है कि इसकी आय पर कर फर्म न देकर इसके साभेदार देते हैं । इसलिए यह छूट फर्म को न मिल कर साभेदारों को मिलती है, परन्तु यदि रजिस्टर्ड फर्म का कोई साभेदार विदेशी (Non-resident) है तो फर्म के आय व लाभ में से उसे मिलने वाले भाग पर फर्म पर कर-निर्धारण होता है । इस पर फर्म को उपाजित आय की छूट मिलती है यदि यह विदेशी साभेदार फर्म में सक्रिय रूप से कार्यकर्ता हो ।

एक अनरजिस्टर्ड फर्म को अपनी उपाजित आय की छूट मिलती है, परन्तु यदि अनरजिस्टर्ड फर्म की आय इतनी कम है कि उस पर कोई कर नहीं लग सकता तो इस आय को साभेदारों की आय में जोड़ दिया जाता है और उन पर कर लगाने समय उन्हें इस फर्म के मिलने वाले भाग पर उपाजित आय की छूट दी जाती है । यदि यह साभेदार फर्म में सक्रिय रूप से भाग ले रहा हो ।

यदि किसी फर्म में एक साभेदार की स्त्री व उसके अवयस्क बच्चे भी उसके अतिरिक्त साभेदार हैं, तो इन स्त्री और बच्चों की फर्म से प्राप्त होने वाली आय उस साभेदार की आय में जोड़ दी जायगी और उसे इस पर उपाजित आय की छूट मिलेगी । यदि वह सक्रिय रूप से फर्म में कार्य कर रहा हो, चाहे उसके स्त्री और बच्चे फर्म में सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहे हो । इसके विपरीत यदि साभेदार स्वयं सक्रिय रूप से फर्म में कार्य नहीं करता है और उसके स्त्री और बच्चे फर्म में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, तो स्त्री और बच्चों को फर्म से मिलने वाली आय साभेदार को मिलने वाली आय में जोड़ दी जायगी, परन्तु इस पर कोई उपाजित आय की छूट नहीं दी जायेगी ।

सारास यह है कि साभेदार को उपाजित आय की छूट का लाभ उठाने के लिए फर्म में सक्रिय रूप से भाग लेना अत्यन्त आवश्यक है ।

QUESTIONS

1. Write short notes on the following —
 - (a) Agricultural Income (Agra, B Com . 1948 55, 57, 60 ,
Raj . B. Com 1950, 52, 59)
 - (b) Previous Year (Agra, B Com , 1949, 51, 55, 56, 59, 60 ,
Ald , B Com , 1953 , Raj , B Com , 1959 52)
 - (c) Person
 - (d) Taxable Territory (Raj., B Com , 1951)
 - 2 Explain the following terms —
 - (a) Earned Income (Agra, B Com , 1956)
 - (b) Earned Income Relief (Agra. B Com , 1959)
 - (c) Income
 - (d) Assessee
 - 3 What will be the Previous Years for the following assessment years ? —1956 57, 1957 58 1958 59 1959 60 and 1960 61
 4. What will be the Calender years for the following assessment years ? —1957 58 1958 59, 1959 60, 1960 61
-

अध्याय ३

पूँजी और आय

(Capital and Revenue)

पूँजी और आय में अन्तर करने की आवश्यकता—

आय कर अधिनियम के अनुसार केवल आय पर ही आय कर लगता है, पूँजी पर नहीं, इसलिए प्रत्येक प्राप्त की हुई राशि में यह जानना आवश्यक है कि वह पूँजीगत प्राप्ति है या आयगत। बिना इन दोनों के अन्तर को समझे हुए आय कर की रकम ठीक-ठीक नहीं निकाली जा सकती है। यही कारण है कि इन दोनों का अन्तर यहाँ समझना गया है।

पूँजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति में अन्तर (Distinction between Capital Receipts and Revenue Receipts)—

पूँजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति में अन्तर करना कठिन कार्य है, क्योंकि एक राशि एक परिस्थिति में पूँजीगत हो जाती है और वही राशि दूसरी परिस्थिति में आयगत हो जाती है। इन दोनों में अन्तर करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाये गये हैं और न बनाये ही जा सकते हैं। जो भी इनसे सम्बन्धित नियम भिन्न-भिन्न स्थानों पर मिलते हैं वे केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात् उनका ज्ञान इन दोनों का अन्तर मालूम करने में सहायता पहुँचाता है। भिन्न भिन्न न्यायालयों द्वारा दिये हुए निर्णयों के आधार पर भी इनमें अन्तर किया जाता है।

Pollock M. R. के विचार में : “मेरे विचार में बहुत से लेखापालों के लिए यह परेशानी का विषय है कि कौनसी प्राप्ति पूँजी है और कौनसी प्राप्ति आय है और जहाँ तक में समझता हूँ, इनके अन्तर के लिए एक सन्तोषजनक परिभाषा बनाना असम्भव है।

“एक प्राप्ति आय है या नहीं, यह एक तथ्य का प्रश्न है, कानून का नहीं, क्योंकि आय और पूँजी का अन्तर एक निजी मुविधा का प्रश्न है और इसमें कोई विशेष सार नहीं है।”*

कम्पनी अधिनियम के पूँजी और आय से सम्बन्धित निर्णय आय कर के मामलों में पूर्णतया नहीं लगाये जा सकते हैं, यद्यपि Lord Atkinson ने कम्पनी के आय-कर से सम्बन्धित मामलों में ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं की है।

नीचे कुछ ऐसे नियम दिये जाते हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौनसी प्राप्ति पूँजीगत है और कौनसी प्राप्ति आयगत। इन नियमों के साथ साथ व्यापार की परिस्थितियों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है।

इन दोनों में अन्तर करने के नियम—

पूँजीगत प्राप्ति

- (१) स्थायी पूँजी पर मिली हुई आय, जैसे—एक फर्नीचर का व्यापारी जब भवन बेचकर आय प्राप्त करता है तो यह आय पूँजीगत आय मानी जायेगी। स्थायी सम्पत्तियाँ पूँजी सम्पत्तियाँ कही जाती हैं।
- (२) यदि किसी आय प्राप्त होने वाले साधन के छोड़ने पर कुछ राशि मिलती है तो वह पूँजी प्राप्ति कही जाती है, जैसे—एक भट्टे के व्यापारी को कुछ जमीन से ईंटें निकालने के बदले में हर्जाना दिया जाता है तो यह हर्जाना पूँजीगत प्राप्ति माना जायेगा। सूक्ष्म में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी आय के साधन को बन्द करने का हर्जाना पूँजीगत प्राप्ति है।
- (३) यदि एक व्यक्ति किसी सम्पत्ति को विनियोग की तरह रखता है तो इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली आय पूँजी आय कही जाती है, जैसे—यदि एक व्यक्ति के पास कुछ भरा है, जिनको कि वह विनियोग के उद्देश्य से अपने पास रखे हुये था तो इन अगो को बेचने से जो लाभ प्राप्त होगा। वह पूँजी आय कही जायेगी।

(४) यदि किसी व्यक्ति को कोई राशि

आयगत प्राप्ति

- (१) चालू पूँजी पर मिली हुई आय, जैसे—एक फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बेचने पर प्राप्त हुई राशि आयगत प्राप्ति मानी जाती है। चालू सम्पत्तियों को व्यापारिक सम्पत्तियाँ भी कहते हैं।
- (२) मिलने वाली आय के बदले में मिले हुए हर्जाने को आयगत प्राप्ति कहा जाता है। जैसे—एक भट्टे के व्यापारी से एक व्यक्ति ने ईंटों के क्रय करने का प्रसविदा दिया। यह व्यक्ति ईंटें क्रय न करके यदि भट्टे के व्यापारी को हर्जाना देता है तो यह हर्जाना आयगत प्राप्ति कही जायेगी।
- (३) यदि एक व्यक्ति किसी सम्पत्ति को पुनः बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने पास रखता है तो इस प्रकार की सम्पत्ति को बेचकर प्राप्त हुआ लाभ आयगत माना जाता है, जैसे—यदि एक व्यक्ति अगो का सट्टा करने की दृष्टि से क्रय करता है तो इन अगो के बेचने से प्राप्त हुआ लाभ आयगत माना जाता है।

(४) यदि किसी व्यक्ति को कोई राशि

पूँजी के रूप में मिलेगी तो वह पूँजी आय मानो जायेगी ।

आय के रूप में मिलेगी तो वह आय प्राप्त मानी जायेगी, चाहे भले ही दूसरे व्यक्ति ने इसे पूँजी में से दिया हो, जैसे—यदि कोई कम्पनी अपनी पूँजी में से किसी कर्मचारी को वेतन देती है तो उस कर्मचारी के लिए वह आयगत प्राप्त ही मानी जायेगी ।

(५) यदि कुछ अधिकारों को छोड़ने पर कोई राशि मिलती है तो वह पूँजी प्राप्ति नहीं जाती है ।

(५) भविष्य में होने वाले लाभों के हर्जाने के रूप में एक प्रसविदा के अनुसार मिली हुई राशि आयगत प्राप्त मानी जाती है ।

पूँजी व्यय और आय व्यय

(Capital Expenditure and Revenue Expenditure)

पूँजी व्यय और आय व्यय में अन्तर करने की आवश्यकता—

आय कर अधिनियम के अनुसार करदेय आय (Taxable Income) निकालने के लिये केवल आय व्यय को ही घटाया जा सकता है, पूँजी व्यय को नहीं, मतः जब तक आय व्यय और पूँजी व्यय में अन्तर न किया जाय तब तक सही करदेय आय नहीं निकाली जा सकती है । यही कारण है कि इन दोनों का अन्तर यहाँ समझाया गया है ।

पूँजी व्यय और आय व्यय में अन्तर—

इन दोनों में अन्तर करना उतना ही कठिन है जितना कि पूँजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति में । एक ही राशि एक परिस्थिति में पूँजीगत व्यय हो सकती है और वही राशि दूसरी परिस्थिति में आय व्यय हो सकती है । इन दोनों में अन्तर करने के लिए पूर्णतया निश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते हैं । कभी-कभी इस अन्तर को समझने के लिए इस सम्बन्ध में न्यायालयों द्वारा दिये हुये निर्णयों का सहारा लेना पड़ता है ।

इन दोनों के अन्तर समझने के लिये नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखना चाहिए :—

- (१) व्यापार का स्वभाव ।
- (२) सौदे का सही रूप ।
- (३) व्यय करने का उद्देश्य ।
- (४) सम्बन्धित न्यायालयों के निर्णय ।

(५) व्यय किये हुए धन की मात्रा ।

(६) कुछ सामान्य सिद्धान्त ।

इन सामान्य सिद्धान्तों को नीचे समझाया गया है :—

पूँजी व्यय और आय व्यय में अन्तर करने के नियम

पूँजी व्यय	आय व्यय
(१) एक स्थायी सम्पत्ति के क्रय करने में किया गया व्यय, जैसे—एक सूती मिल खोलने के लिए क्रय किए गए भवन का व्यय पूँजी व्यय माना जाता है ।	(१) एक व्यापारिक सम्पत्ति के क्रय करने में किया गया व्यय, जैसे—एक व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है उस वस्तु के क्रय में किया गया व्यय आय व्यय माना जाता है ।
(२) एक क्रय की हुई स्थायी सम्पत्ति के लाने व लगाने के व्यय ।	(२) व्यापारिक चि ह के पजीकृत कराने का व्यय ।
(३) वह व्यय जो कि स्थायी सम्पत्ति के लाभ पैदा करने की शक्ति को बढ़ाता है ।	(३) वह व्यय जो कि स्थायी सम्पत्ति की दशा को सम्हालने रखने के लिए किया जाता है ।
(४) पूँजी दायित्व से छुटकारा पाने के लिए दी जाने वाली रकम ।	(४) आय दायित्व से छुटकारा पाने के लिए दी जाने वाली रकम ।
(५) लाभ कमाने के साधन को प्राप्त करने का व्यय ।	(५) लाभ को प्राप्त करने का व्यय ।

नीचे न्यायालय के कुछ निर्णय पूँजी आय व व्यय और आयगत प्राप्ति और व्यय के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए दिए जाते हैं । इन निर्णयों को केवल उदाहरण रूप में मानना चाहिये ।

(१) अगर विक्रेता एक साधारण विनियोगी है, तो अन्न और प्रतिभूतियों की विक्री से मिली हुई आय पूँजी होगी, परन्तु यदि वह अन्नो एवं प्रतिभूतियों में व्यापार करता है तो इसे आयगत प्राप्ति माना जायगा ।

(Oriental Investment Co. Ltd. Vs. C.I.T 1957)

(२) एक खान के सम्बन्ध में खनिज पदार्थ निकालने के लिए एक नये गड्ढे बनाने का व्यय पूँजी व्यय माना गया था ।

(In re Addie and Sons. Vs. I T. C.)

(३) एक तेल के आयातकर्ता ने विदेश के तेल के एक सौदागर को इसलिए खपया उधार दिया था कि वह उससे तेल बेचने की एजेन्सी

पूँजी हानि और आय हानि में अन्तर—

किसी भी हानि के बारे में यह जानने के लिए कि वह पूँजी हानि है या आय हानि, नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखना चाहिए :—

- (अ) व्यापार की दशा और स्वभाव,
- (ब) न्यायालयों के इससे सम्बन्धित निर्णय,
- (स) कुछ सामान्य नियम ।

आय हानि से सम्बन्धित सामान्य नियम नीचे दिये हुये हैं :—

- (१) दिन प्रति दिन के व्यापार में किसी हानि का होना ।
- (२) माल की कीमत का कम हो जाना ।
- (३) स्टॉक का आग द्वारा जल जाना या अन्य किसी प्रकार से नष्ट हो जाना ।
- (४) किसी मिलने वाली आय की रकम का न मिलना ।
- (५) किसी कर्मचारी द्वारा व्यापारिक समय में व्यापारिक माल या रकम को चुरा लेना ।

पूँजी हानि—

जो हानियाँ आय हानियां नहीं होती हैं वे सब पूँजी हानियाँ कही जाती हैं, जैसे—किसी व्यापारी की स्थायी सम्पत्ति के नष्ट होने से होने वाली हानि पूँजी हानि कही जाती है ।

आय हानि और पूँजी हानि के सम्बन्ध में न्यायालयों के कुछ निर्णय नीचे दिये हुए हैं :—

- (१) एक कर्मचारी के गवर्न (Embezzlement) द्वारा हुई हानि को पूँजी हानि नहीं माना गया है, बल्कि व्यापार से सम्बन्धित हानि मानी गई है ।

(Lord Dairy Farm Ltd. Vs. C. I. T. 1955)

(Jagarnath Therani Vs. C.I.T., Bihar & Orissa)

- (२) एक व्यापार का कर्मचारी व्यापार के रुपये को बैंक लिए जा रहा था । रास्ते में कुली ने रुपये को चुरा लिया । इस हानि को व्यापारिक हानि नहीं बताया गया है, क्योंकि यह हानि लाभ उपार्जन करने के सम्बन्ध में नहीं हुई है ।

(Mul Chand Hira Lal Vs. C. I. T.)

(Bihar & Orissa High Court)

- (३) यदि एक व्यक्ति अपने लाभ को प्राप्त करता है और उस लाभ को घर लाते समय रास्ते में लूट लिया जाता है या घर में रखने के बाद लूट लिया जाता है तो इस हानि को व्यापार से सम्बन्धित हानि नहीं कहा जायेगा ।

(४) बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी व्यावहारिक हानि है या नहीं—यदि व्यापार का स्वभाव इस प्रकार का है कि कर्मचारियों द्वारा बहुमूल्य वस्तुएँ इधर उधर ले जाई जाती हैं तो इस प्रकार बहुमूल्य वस्तुओं की होने वाली हानि को व्यापारिक हानि कहा जायेगा ।

(Madras High Court)

(५) एक व्यापारी के रिश्तेदार ने, जो कि उसके यहाँ उत्तरदायी कर्मचारी भी था, दुकान बन्द हो जाने के बाद दुकान से रुपया चुरा लिया । इस हानि को उडोसा हाई कोर्ट ने व्यापारिक हानि नहीं बताया है ।

(६) एक उत्तरदायी वनक ने अपने व्यापारिक वस्तुओं को निभाते हुए कुछ रुपयों का गवन किया और भूठे खाते बनाकर दे दिये । इस हानि को व्यापारिक हानि माना गया था ।

(Venkatachalapatery Iyer Vs. C I. T. Madras 1951)

(७) एक व्यापारी के बैंक के चालू खाते का रुपया इसलिए नहीं मिला था कि बैंक दिवालिया हो गई थी । यह हानि व्यापारिक हानि मानी गई थी ।

(८) महाजनी व्यापार में हस्तस्थ रोकड में खाते बन्द करते समय कमी पाई गई । इस कमी को पूँजी हानि नहीं माना गया, क्योंकि महाजनी व्यापार में रुपये का लेन देन ही मुख्य व्यापार होता है ।

(Banshi Lal Abir Chand Vs. C I. T., C. P.)

QUESTIONS

1. How will you make a distinction between Capital receipt and Revenue receipt and why is such distinction necessary in Income-tax ?
2. How will you make a distinction between Capital and Revenue expenditure and why is such distinction necessary in Income tax ?
3. What important factors are taken into consideration in making a distinction between Capital loss and Revenue loss ? Give few examples of both types of losses

अध्याय ४

करदाता

(Assessee)

करदाता के निवास स्थान के अध्ययन की आवश्यकता—

आय-कर अधिनियम के अनुसार आय कर लगाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि करदाता का निवास स्थान क्या है। निवास को जानने के पश्चात् ही यह ज्ञात किया जाता है कि उसको किस आय पर आय-कर लगेगा और किम पर नहीं, अतः करदाता के निवास स्थान का अध्ययन करना आय-कर का एक आवश्यक अंग है।

निवास स्थान के अनुसार करदाता के भेद (Classes of assessee according to residence) —

निवास स्थान के अनुसार करदाता को तीन भागों में बांटा गया है :—

- (१) निवासी (Resident) ।
- (२) साधारण निवासी (Ordinary Resident) ।
- (३) विदेशी (Non-Resident) ।

यह जानने के लिए कि एक व्यक्ति (Individual) निवासी है या साधारण निवासी या विदेशी, नीचे बनी हुई तालिका देखनी चाहिये :—

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
<p>आय कर अधिनियम की धारा 4—A (a) में दो हुई शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने वाला व्यक्ति निवासी कहा जाता है। यह शर्त इस प्रकार है:—</p>	<p>आय-कर अधिनियम की धारा 4—B (a) में दी हुई शर्तों को जो व्यक्ति पूरी करता है वह साधारण निवासी कहा जाता है।</p> <p>यदि एक व्यक्ति निवासी होने वाली चार शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है और नीचे लिखी हुई दोनों शर्तों को पूरा करता है तो साधारण निवासी कहा जाता है :—</p>	<p>भारतीय आय-कर अधिनियम विदेशी को व्याख्या नहीं करता है, अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि जो व्यक्ति निवासी या साधारण निवासी नहीं है, वह विदेशी कहा जाता है, अर्थात् जो निवासी होने के लिए पहले खाने में दो हुई चार शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता वह विदेशी है।</p>

- (१) वह कुल मिला कर कम से कम १८२ दिन तक या इससे अधिक गत वर्ष में करदेय प्रदेश में रहा हो, या
- (२) उसने कर लगाने के क्षेत्र में अपना रहने का स्थान कम से कम १८२ दिन या उससे अधिक के लिए उस वर्ष में रखा हो और कर देय प्रदेश में उस वर्ष किसी भी समय के लिये रहा हो, या
- (३) वह उस वर्ष से पहिले वाले चार वर्षों में कम से कम ३६५ दिन या उससे अधिक कर लगाने वाले क्षेत्र में रहा हो और उस वर्ष में कम से कम एक दिन या इससे अधिक के लिए रहा हो, परन्तु यह रहना साक स्मिक न हो, या
- (४) वह करदेय प्रदेश में किसी भी समय आया हो, परन्तु आय कर अधिकारी (Income tax officer) को यह विश्वास हो कि वह
- (१) वह उस वर्ष के पहिले वाले दस वर्षों में से कम से कम नौ वर्षों तक 'निवासी' रहा हो और
- (२) उस वर्ष से पहिले वाले सात वर्षों में कुल मिला कर कम से कम २ वर्षों से अधिक समय तक करदेय प्रदेश में रहा हो।

अपने आने को
तिथि से वम से
कम तीन वर्ष तक
करदेय क्षेत्र में
अवश्य रहेगा ।

इस प्रकार यह बात
बिलकुल स्पष्ट हो जाती
है कि किसी व्यक्ति को
निवासी मानने के लिए
उस व्यक्ति का करदेय
प्रदेश में उस वर्ष में
स्वयं रहना या आना
आवश्यक हो जाता है ।

ऊपर समझाई हुई निवासी की चारों शर्तों का स्पष्टीकरण—

(१) पहली शर्त के अनुसार व्यक्ति को १८२ दिन या इससे अधिक गत वर्ष में कर-देय प्रदेश में रहना आवश्यक है । "रहने" का आशय यह नहीं है कि वह व्यक्ति लगातार एक ही जगह पर रहे । वह अपने रहने के स्थानों को यदि चाहे तो बराबर बदल सकता है, कभी एक होटल में कभी दूसरे होटल में या घमंशाला में रह सकता है, परन्तु कर देय प्रदेश में उसके रहने के कुल दिन १८२ से कम नहीं होने चाहिए ।

(२) रहने का स्थान (Dwelling Place)—दूसरी शर्त रहने के स्थान के बारे में है । यहाँ रहने के स्थान का आशय यह नहीं है कि कोई पक्का या ऊँचा बना हुआ मकान हो । यदि एक छप्पर पड़ी हुई जगह में ही रहता है तो वही उसका रहने का स्थान मान लिया जायेगा । रहने के स्थान का वह मालिक या किरायेदार हो सकता है, परन्तु मुख्य बात यह है कि उसमें रहने का इसे अधिकार होना चाहिए और उसे यह पर की तरह प्रयोग कर सके ।

(३) तीसरी शर्त में "३६५ दिन या इससे अधिक" कर लगाने वाले क्षेत्र में गत वर्ष के पहले रहता है । यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति लगातार इन ३६५ दिनों रहा हो, बस मात्र जालों से कुल मिलाकर ३६५ दिन या इससे अधिक रहना ही चाहिए और वह कम से कम एक दिन के लिए गत वर्ष में करदेय प्रदेश में अवश्य आया हो, परन्तु यह आना आकस्मिक न हो । आकस्मिक आने का आशय सयोगवश, अचानक व बिना किसी निश्चितता के आने से है, जैसे किसी जहाज के उतरने के कारण करदेय प्रदेश में रुकना या किसी डाक्टर की राय लेने पर करदेय प्रदेश में आना आकस्मिक आना कहा जाएगा, परन्तु शिकार के लिए प्रति वर्ष आना आकस्मिक आना नहीं कहा जाएगा ।

(४) चौथी शर्त में ३ साल का समय उस व्यक्ति के करदेय प्रदेश में आने की तिथि से गिना जाना चाहिए ।

सम्मिलित हिन्दू परिवार का निवास

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
(१) हिन्दू सम्मिलित परिवार के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण का यदि कोई भी भाग करदेय प्रदेश से होता है तो यह परिवार 'निवासी' समझा जाता है ।	(१) यदि इस प्रकार का वर्त्ता या प्रबन्धक करदेय प्रदेश का साधारण निवासी है तो वह परिवार भी साधारण निवासी माना जाता है ।	(१) यदि इस परिवार का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश के बाहर से होता है तो वह परिवार विदेशी माना जाता है ।
(२) ऊपर दी हुई शर्त आय-कर अधिनियम की धारा 4—A (b) में दी हुई है ।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय-कर अधिनियम की धारा 4—B (b) में दी हुई है ।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय कर अधिनियम की किसी भी धारा में दी हुई नहीं है, अनुमान द्वारा निकाली गई है ।

फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य संघ का निवास स्थान (Residence of firm or other Association of Persons)

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
(१) फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य संघ के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण का यदि कोई भी भाग करदेय प्रदेश से होता है तो यह फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य संघ 'निवासी' समझे जाते हैं ।	(१) जो फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य संघ 'निवासी' होते हैं वही 'साधारण निवासी' भी माने जाते हैं ।	(१) यदि इनका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश के बाहर से होता है तो वह परिवार विदेशी माना जाता है ।
(२) ऊपर दी हुई शर्त आय-कर अधिनियम की धारा 4—A (b) में दी हुई है ।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय कर अधिनियम की धारा 4—B (c) में दी हुई है ।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय कर अधिनियम की किसी भी धारा में दी हुई नहीं है । अनुमान द्वारा निकाली गई है ।

कम्पनी का निवास

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
<p>(१) एक कम्पनी करदेय प्रदेश में हमेशा निवासी कम्पनी है। यदि यह एक भारतीय कम्पनी है या जिस वर्ष में कम्पनी का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश में हो तो ऐसी कम्पनी को उस वर्ष का निवासी माना जाता है।</p> <p>(२) ऊपर दी हुई शर्त प्राय-कर अधिनियम की धारा 4—A (c) में दी है।</p>	<p>(१) जो कम्पनी 'निवासी' होती है वही 'साधारण निवासी' भी मानी जाती है।</p> <p>(२) ऊपर दी हुई शर्त प्राय-कर अधिनियम की धारा 4—B (c) में दी हुई है।</p>	<p>(१) यदि इनका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश के बाहर से होता है तो वह कम्पनी विदेशी मानी जाती है।</p> <p>(२) ऊपर दी हुई शर्त प्राय कर अधिनियम की किसी भी धारा में दी हुई नहीं है, अनुमान द्वारा निकाली गई है।</p>

निवास स्थान से सम्बन्धित कुछ मुख्य नियम (Some important rules regarding Residence)—

(१) कर निर्धारण के लिए एक व्यक्ति एक वर्ष निवासी और दूसरे वर्ष विदेशी हो सकता है या इसके विपरीत (Vice Versa)।

(२) प्राय कर लगाने समय करदाता के 'गत वर्ष' के निवास स्थान को देखा जाता है, अर्थात् वह गत वर्ष 'निवासी' या 'साधारण निवासी' या 'विदेशी'।

नीचे दिये हुए चार्ट द्वारा एक व्यक्ति (Individual) के बारे में ऊपर दी हुई 'निवासी', 'साधारण निवासी' व विदेशी की विभिन्न शर्तों को समझाया गया है :-

१९४४-४५	१९४५-४६	९१	निवासी	यद्यपि १८२ दिन से कम रहा है, परन्तु पिछले चार वर्षों में ३१-३-१९४४ तक ३६५ दिन से अधिक रहा और उस वर्ष में भी रहा है।
१-१२-१९४५	३०-४-१९४७	१२१	"	१८२ दिन से कम ठहरा है, परन्तु पिछले चार वर्षों में ३१-३-१९४५ तक ३६५ दिन से अधिक रहा है और उस वर्ष में भी रहा है।
१९४६-४७	१९४७-४८	३६५	"	१८२ दिन से अधिक रहा है।
१९४७-४८	१९४८-४९	३०	निवासी तथा साधारण निवासी	१८२ दिन से कम रहा है, परन्तु पिछले चार वर्षों में ३१-३-१९४७ तक ३६५ दिन से अधिक रहा है और उस वर्ष में भी रहा है।
				पिछले दस वर्षों में से जो ३१-३-१९४७ को समाप्त होती है, ६ वर्ष तक निवासी रहा और पिछले सात वर्षों में ३१-३-१९४७ तक २ वर्षों से अधिक रहा है।

करदेय आय (Taxable Income)—
करदेय आय कर्तव्यता के निवास स्थान के अनुसार निकाली जाती है, अर्थात् एक निवासी की करदेय आय एक साधारण निवासी और विदेशी की करदेय आय से भिन्न होगी। नीचे दी हुई तालिका भिन्न-भिन्न निवासियों की करदेय आय प्रगट करती है।

भिन्न-भिन्न निवासियों की करदेय आय

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
(१) करदाता द्वारा कर- देय प्रदेश में गत वर्ष में पाई हुई आय, चाहे वह कर- देय प्रदेश में या करदेय प्रदेश के बाहर उपाजित की गई हो।	(१) निवासी के अनुसार	(१) निवासी के अनुसार
(२) करदाता द्वारा कर- देय प्रदेश में गत वर्ष में उपाजित की हुई आय, चाहे वह करदेय प्रदेश में या करदेय प्रदेश के बाहर प्राप्त की गई हो।	(२) निवासी के अनुसार	(२) निवासी के अनुसार
(३) वह आय जो कर- देय प्रदेश के बाहर गत वर्ष में उपा- जित की गई हो और बाहर ही प्राप्त की गई हो, परन्तु उसी वर्ष करदेय प्रदेश में लाई गई हो।	(३) निवासी के अनुसार	नोट—विदेशी की ओर किसी आय पर आय कर नहीं लगता है।
(४) आय, जो कि गत वर्ष में करदेय प्रदेश के बाहर ऐसे व्या- पार से उपाजित की गई हो, जिसका कि संचालन करदेय प्रदेश से होता है,	(४) आय, जो कि गत वर्ष में करदेय प्रदेश के बाहर उपाजित की गई हो, परन्तु करदेय प्रदेश में लाई न गई हो या प्राप्त न की गई हो।	

परन्तु करदेय प्रदेश में लाई न गई हो या प्राप्त न की गई हो ।

(५) वह आय जो कि १ अप्रैल सन् १९३३ के बाद और गन वर्ष से पहले कर-देय प्रदेश से बाहर उपाजित की गई हो तथा उस पर कोई कर न दिया गया हो और कर-देय प्रदेश में गत वर्ष लाई गई हो ।

नोट—ऊपर लिखी हुई शर्तों आय-कर अधिनियम की धारा ४ (१) में दी हुई हैं ।

(५) निवासी के अनुसार ।

नोट—ऊपर लिखी हुई शर्तों आय-कर अधिनियम की धारा ४ (१) में दी हुई हैं ।

नोट—ऊपर लिखी हुई शर्तों आय-कर अधिनियम की धारा ४ (१) में दी हुई हैं ।

भिन्न-भिन्न निवासियों की करदेय आय के सम्यन्ध में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण नियम —

(१) निवासी को जिस-जिस आय पर कर देना पड़ता है, साधारण निवासी को भी उसी आय पर कर देना पड़ता है । केवल एक ही अन्तर है कि निवासी को विदेश से न लाई हुई उस आय पर कर देना पड़ता है जिसका कि प्रबन्ध भारत से होता है, परन्तु साधारण निवासी को विदेश में उपाजित की हुई सब आय पर कर देना पड़ता है, चाहे उसका प्रबन्ध भारत से होता हो या अन्य कहीं से ।

(२) धारा ४ (२) के अनुसार एक निवासी छी द्वारा अपने विदेशी पति की बिना कर लगी हुई विदेशी आय से प्राप्त की हुई रकम को कर लगाने के लिये उसकी आय में जोड़ दिया जायेगा ।

(३) उपाजित आय, प्राप्त हुई आय और लाई हुई आय में अन्तर समझना अत्यन्त आवश्यक है :—

(अ) उपाजित आय—जो आय पैदा की जा चुकी हो, उपाजित आय कही जायेगी, चाहे प्राप्त की गई हो या न की गई हो ।

- (ब) प्राप्त आय—वह आय जो कि कर दाता को या उसके एजेंट को मिलती है, प्राप्त आय कही जाती है। यदि किसी करदाता को विदेश में कुछ आय मिलती है, जिसे वह भारत में ले आता है तो वह आय विदेश में प्राप्त हुई कही जायेगी। आय को रुपये, चैक, बिल या हुण्डी आदि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
- (स) लाई हुई आय—जो आय विदेश में प्राप्त करने के बाद भारत में लाई जाती है, उसे 'लाई हुई आय' कहा जाता है।

उदाहरण—

श्री देवकीनन्दन की नीचे लिखी हुई रकमें हैं :—

(अ) उसके बम्बई के व्यापार से प्राप्त हुए	₹ १०,००० रुपये
(ब) उसकी स्वयं की खेती से प्राप्त हुए	₹ ३,००० रुपये
(म) उसके इटली के व्यापार से, जिसका कि प्रबन्ध भारत से होता है, लाए गए	₹ ५,००० रुपये
(द) उसके अमेरिका के व्यापार में, जिसका कि प्रबन्ध अमेरिका से ही होता है, जो कि भारत नहीं लाये गए हैं	₹ ८,००० रुपये
(य) उसकी विदेशी आय ₹ ५,००० रुपये, जिसमें से ₹ ५,००० रुपये भारत में लाए गए हैं, जिसका प्रबन्ध भारत से होता है।	

ऊपर दी हुई आयों को ध्यान में रखते हुए देवकीनन्दन की करदेय आय क्या होगी ? यदि देवकीनन्दन निवासी या साधारण निवासी या विदेशी है।

हल—

जबकि देवकीनन्दन निवासी (Resident) है—

(अ) उसके बम्बई के व्यापार से	₹ १०,००० रुपया
(स) उसके इटली के व्यापार से, जिसका कि प्रबन्ध भारत से होता है (लाई हुई रकम)	₹ ५,००० रुपया
(य) भारत में लाई हुई विदेशी आय भारत में न लाई हुई विदेशी आय	₹ ५,००० रुपया ₹ १०,००० रुपया
कुल करदेय आय	<u>₹ ३०,००० रुपया</u>

Note—Finance Act, 1959 के द्वारा ₹ ५,००० रुपये की छूट बन्द कर दी गई है।

जबकि देवकीनन्दन साधारण निवासी (Ordinary Resident) है—

(अ) बम्बई के व्यापारी से प्राप्त हुई आय	१०,००० रुपया
(स) उसके इटली के व्यापार से, जिसका कि प्रबन्ध भारतवर्ष से होता है लाए गए	५,००० रुपया
(य) भारत में लाई हुई विदेशी आय	५,००० रुपया
(द-प) विदेशी आय जो भारत नहीं लाई गई (८,००० + १०,०००)	१८,००० रुपया
कुल करदेय आय	<u>३८,००० रुपया</u>

जबकि देवकीनन्दन विदेशी (Non Resident) है—

(अ) उसके बम्बई के व्यापार से प्राप्त हुई आय	१०,००० रुपया
कुल आय	<u>१०,००० रुपया</u>

Illustration No 2—

Following are the incomes of X —

- Received Rs 1 000 in India which accrued in England
- Rs 2 000 earned in India but received in England
- Rs 10 000 were earned in Africa received in Africa but brought in India
- Rs 8 000 were earned and received in Japan from a business which was controlled and managed in Japan and this amount was not brought in India
- Rs 6 000 was untaxed foreign income of 1936 which was brought into India in previous year

Which of the above incomes are taxable when X is Resident or Ordinary resident or Non resident ?

Solution No 2—

When X is Resident—

(a) Income received in India where ever accrued	Rs 1 000
(b) Income earned in India where ever received	2 000
(c) Income earned outside and received outside the taxable territory but brought in India	10 000
(d) All untaxed foreign Income brought in India, which was earned outside after 1st April 1933 and before previous year	6 000
Total Rs	<u>19 000</u>

When X is Ordinarily Resident—	Rs
(a) Income received in India where ever accrued	1 000
(b) Income earned in India where ever received	2 000
(c) Income earned outside and received outside the taxable territory but brought in India	10 000
(d) Income earned outside received outside and not brought in India	8 000
(e) All untaxed foreign income brought in India which was earned outside after 1st April 1933 and before previous year	6 000
Total Rs	<u>27 000</u>

When X is Non resident—	
(a) Income received in India where ever accrued	1 000
(b) Income earned in India where ever received	2 000
Total Rs	<u>3 000</u>

Illustration No 3—

Following are the incomes of a wife who is resident in India —

- (a) She gets a salary of Rs. 2 000 in Kanpur
- (b) She received a remittance of Rs 3 000 from her husband s untaxed foreign income who is non resident
- (c) Her agricultural income from China Rs 10 000 This agricultural business is controlled from India but this income has not been brought in India

Find out taxable income of wife

Solution No 3--

Statement of wife s taxable income

	Rupees
Salary	2 000
Remittance from her husband (this will be treated as income accruing in India for wife)	3 000
Income from China (this agricultural income is treated as foreign income because it is not subject to land revenue to Government of India)	10 000
Total Rs	<u>15 000</u>

Illustration No 4—

Whether the following persons are resident or ordinary resident or non resident

- (a) X lived in taxable territories continuously for a period of 11 years but in Dec. 1959 he went to Pakistan and did not return upto 31st March 1960
- (b) Mr Y maintained a dwelling house in India for a period of 200 days in the previous year but did not come in India for a single day during the previous year
- (c) Mr Z has been in the taxable territory for a period of 400 days during the last 4 years prior to previous year but did not come to India even for a single day in the previous year
- (d) Mr M an Australian came to India in the month of January 1960 for serving as manager of a company in Bombay for a period of 5 years

Solution No 4—

- (a) During 1958-59 he was physically present within taxable territory for more than 182 days and further he was resident for nine years during preceding ten years and was also present for more than two years within 7 years therefore he is a resident and ordinary resident
- (b) Mr Y is not resident because for becoming resident only maintaining of dwelling house for a period of more than 182 days is not sufficient he must have also lived in the taxable territory at least for a day in that year
- (c) Mr Z is not resident because he has not been in the taxable territory even for a single day in the previous year
- (d) Mr M is resident because he has been in the taxable territory in the previous year in the month of January February and March. As his appointment is for 5 years Income tax officer will be satisfied

that he has to stay for a period of more than 3 years.

QUESTIONS

1. Write short notes on the following —
 - (a) Non resident (Agra, B Com. 1942, 47, 50 57, Raj, B. Com, 1953)
 - (b) Resident (Agra, B Com 1945, 46 51)
 - (c) Ordinary Resident (Agra, B Com. 1945, 46, 51, Raj, B Com. 1951)
 2. Explain how you would decide the question of Residence of an assessee for Income tax purposes Give illustrations. (Allahabad, B. Com 1954 59)
 3. What are the different categories into which the assesseees are divided with regard to residence ? Give a brief account of each of them (Agra, B Com, 1956, Alld. B Com., 1955)
 4. How is residence of Assesseees determined for Income tax purposes ? Explain the incidence of Residence on tax liability. (Raj, B Com. 1955)
 5. The residence of an assessee is determined according to the provisions of section 4 A and 4 B of the Income tax Act. Discuss these provisions as briefly and clearly as possible (Agra B Com, 1953)
-

अध्याय ५

कर मुक्त आय

(Exempted Income)

आकस्मिक आय (Casual Income)—

मरे (Murray) के नये अंगरेजी शब्द कोष के अनुसार 'आकस्मिक' का अर्थ 'सयोग से प्राप्त होना, सयोग पर निर्भर होना, अनिश्चित समय पर मिलना' ... है।*#

आकस्मिक आय वह आय है जो कि बिना किसी नियम (Stipulation), प्रकृतिदा या यों कहिये कि बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त होती है।

Ryall Vs. Hoare (8 T. C. 521) के मामले में नीचे लिखे हुए उदाहरण न्यायाधीश Rowlatt ने आकस्मिक आय समझने के लिए दिये थे :—

- (अ) दान,
- (ब) मुद्रा का पडा हुआ मिलना,
- (स) दांव (Bet) जीतने पर मिलने वाली रकम,
- (द) ऐसी वस्तु के बेचने से प्राप्त हुआ लाभ, जिसका कि व्यापार से सम्बन्ध न हो।

आय कर अधिनियम की धारा ४ (२) (vii) के अनुसार वही आय आकस्मिक आय कही जाती है, जो कि नीचे लिखी हुई शर्तों को पूरा करे —

- (१) वह आय ऐसी पूर्ण जो लाभ न हो, जिस पर कि धारा १२ (B) के अनुसार कर लगाया जाता है।
- (२) वह आय किसी व्यापार, कारोबार, व्यवसाय या किसी पेशे से उत्पन्न न हुई हो।
- (३) वह आय आकस्मिक हो व बार-बार आने वाले स्वभाव की न हो।
- (४) वह आय किसी भी कर्मचारी के पारिश्रमिक में जुड़ने वाली न हो।

आय-कर अधिनियम के अनुसार ऊपर दी हुई आकस्मिक आय की परिभाषा को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :—

* According to Murray's new English Dictionary, 'casual' means "subject to, depending on or produced by chance accident, fortuitous, accruing or coming at uncertain time, not to be calculated on, uncertain, unsettled, occurring or brought about without design or premeditation, coming up or presenting itself as it chances."

(१) कम्पनी के सचालक को स्तीफा न देने से रोकने के लिए दी गई एक थोक रकम, आकस्मिक आय नहीं मानी गई है ।

(२) प्राध्यापको को पचाई बनाने और परीक्षा की कार्रवायों के जाँचने के लिए मिली हुई फीस आकस्मिक आय नहीं है ।

(३) अपराधियों का पता लगाने के लिए या पकड़वाने के लिये घोषित किये गये इनाम उन व्यक्तियों के लिए आकस्मिक आय होंगे जिनका कि ऐसा करना कर्त्तव्य नहीं था, परन्तु यदि यह इनाम किसी पुलिस अफसर को दिया जाय तो वह उसकी आकस्मिक आय नहीं मानी जायगी ।

(४) यदि दान बार बार नियमित रूप से दिये जाते हैं तो आकस्मिक नहीं माने जायेंगे । यह निर्णय *Kedar Narain Singh Vs. C. I. T., U. P.* के मामले में दिया गया था, परन्तु जो दान कभी-कभी दिये जाते हैं, यदि सयोग से उनकी दोबारागी हो जाय तो भी वे 'आकस्मिक आय' माने जायेंगे । यह निर्णय *Rani Amrit Kaunwar Vs. C. I. T., U. P. 1946* में दिया गया था ।

(५) एक व्यक्ति जोकि लगातार छुट्टी में बाजी लगाता है, उसके लाभ पर कर लगाया जा सकता है और उसकी यह आय आकस्मिक आय नहीं है । यह निर्णय *Partridge Vs. Mallandaine* के मामले में दिया गया है ।

(६) मोहन अपने रहने के लिये मकान खरीदता है और बाद में इसे लाभ पर बेच देता है । इस लाभ पर कोई कर नहीं लगेगा, क्योंकि मकान खरीदना और बेचना मोहन का पेशा नहीं है ।

(७) एक महाजन, जिसका कि पेशा लोगों को छपया उधार देना है, यदि अपने देनदारों से छपया न मिलने पर उनकी जमीन ऋण के बन्धन में लेता है और इस जमीन को लाभ पर बेचता है तो यह लाभ 'आकस्मिक आय' नहीं माना जायगा ।

(८) यदि एक व्यक्ति को लाँटरी में इनाम मिलता है तो इस आय पर आय-कर नहीं लगेगा ।

(९) यदि कम्पनी के किसी सचालक को कम्पनी के अशो के अभिगोपन (Underwriting) का कमीशन मिलता है तो वह उसकी 'आकस्मिक आय' नहीं मानी जायगी ।

(१०) यदि किसी व्यक्ति के जन्म दिवस पर उसके मित्रों व सम्बन्धियों से भेंटें (Gifts) मिलती हैं तो यह आकस्मिक आय मानी जायगी ।

(११) यदि एक व्यक्ति सट्टे का व्यापार करता है तो सट्टे से प्राप्त आय आकस्मिक आय नहीं कही जायगी, परन्तु एक दूसरा व्यक्ति कभी सयोग से एक सट्टे का सौदा करके आय प्राप्त करे तो इस आय पर आय-कर नहीं लगेगा ।

(१२) किसी कम्पनी के कर्मचारी को मिला हुआ बोनस उसकी आकस्मिक आय नहीं मानी जायगी ।

एक फर्म को जो कि बिजली का समान क्रय व विक्रय करने का काम करती थी, फिलिप बिजली कम्पनी द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में फिलिप कम्पनी द्वारा बने हुये बल्व बेचने का एकाधिकार (monopoly) दिया गया। कुछ समय बाद फिलिप कम्पनी ने इस एकाधिकार को छीन लिया और फर्म के साभेदारों को २०,००० रुपये हजाने के रूप में मिले, यद्यपि फर्म अपना वह बिजली का काम करती रही जोकि एजेन्सी मिलने के पहिले करती थी। न्यायाधीशों ने इस २०,००० रुपये को करदेय आय माना और इसे धारा ४ (३) (vii) के अन्तर्गत कर मुक्त नहीं माना।

[P. H. Divecha And other V, C. I. T. Bombay city
June 23, 1959]

आकस्मिक आय का महत्त्व—

आकस्मिक आय का आय-कर के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्व है, क्योंकि इस आय पर—

- (अ) आय-कर नहीं लगता, और
- (ब) यह आय कुल आय में नहीं जोड़ी जाती है।

यही कारण है कि आकस्मिक आय की परिभाषा धारा ४ (३) (vii) में दी हुई है, परन्तु यह आवश्यक है कि इसकी परिभाषा समझने के लिए न्यायालयों के निर्णयों को व उस व्यक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखा जाय जिसे यह आय प्राप्त हुई हो।

आकस्मिक आय के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण नियम—

आय-कर अधिनियम के अनुसार उस आय पर आय कर नहीं लगता है जोकि आकस्मिक हो और जिसकी बार-बार होने की प्रकृति न हो (It should be casual and of non recurring nature)। जो आय केवल आकस्मिक है और Non-recurring नहीं है उस पर आय-कर लगेगा, अतः आय-कर से मुक्ति पाने के लिये आय का आकस्मिक और Non recurring होना आवश्यक है। पुण्य के लिए दिये हुये दान (Donations for Charitable Purposes)—

आय-कर अधिनियम की धारा १५-B के अनुसार एक वर-दाता द्वारा १ अप्रैल सन् १९५२ के बाद दिये हुए दानों पर आय-कर नहीं देना पड़ता है, परन्तु इन दानों को कर मुक्त होने के लिए नीचे लिखी शर्तें पूरी होनी चाहिए:—

- (१) यह दान किसी ऐसी पुण्यार्थ सस्था या फण्ड में दिया जाय, जो कि कर लगाने वाले क्षेत्र में स्थापित हो।
- (२) इस सस्था की आय धारा ४ (३) (i) के अनुसार आय-कर से मुक्त हो।

- (३) यह सस्था एक प्र यास या पञ्जीकृत सस्था या कम्पनी या सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा चलाई जाती हो या एक विश्वविद्यालय या एक प्रमाणित शिक्षा सस्था हो ।
- (४) यह अपने आय व्यय का नियमित लेखा रखती हो ।
- (५) यह किसी विशेष जाति के लाभ के लिए स्थापित न की गई हो ।
- (६) इस सस्था को सरकार द्वारा या स्थानीय सरकार द्वारा पूर्णतया या कुछ भ्रज तक आर्थिक मदद मिलती हो ।
- (७) दान किया हुआ रुपया २५० रुपय से कम नहीं होना चाहिए ।
- (८) यह दान की रकम १,५०,००० रुपये या उसकी कुल आय के ७१ प्रतिशत मे से, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यहां उसकी कुल आय का आनाय उस आय से है जोकि उसकी कर मुक्त आय घटाने के बाद बचती है ।
- (९) दान की रकम कुल आय मे दर निकालने के लिये जोड़ी जाती है ।
- (१०) कम्पनी द्वारा दिया हुआ दान कवल आय कर से मुक्त होता है, परन्तु अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ दान आय कर व अर्थ कर दोनों से मुक्त होता है ।

[घारा ११-B]

आय कर से सर्वथा मुक्त आयें (Incomes totally exempt from tax)-

आय कर अधिनियम की घारा ४ (३) के अंतगत वे आयें दो हुई हैं जोकि आय कर से मुक्त हैं और कर की दर निर्धारण करने के लिए कुल आय म भी शामिल नहीं की जाती हैं :-

(१) धार्मिक या पुण्यार्थ सम्पत्ति की आय—उस सम्पत्ति की आय जोकि प्र यास या भ्रय वैधानिक दायित्वो के द्वारा धार्मिक या पुण्य कार्यों के लिए रखी जाती है, परन्तु यह आवश्यक है कि इन सम्पत्तियों से प्राप्त हुई आय उन धार्मिक व पुण्य कार्यों मे लग ि चाहिए जोकि करद्वय प्रदेश में हो और यदि इस सम्पत्ति की कुल आय इन कार्यों में व्यय नहीं की जाती है बल्कि उस आय का एक भाग ही इन कार्यों के लिए रखा जाता है तो केवल वह भाग ही कर मुक्त होगा ।

[घारा ४ (२) (1)]

(२) पुण्यार्थ सस्था के लिये किये हुये व्यापार की आय—यदि कोई आय ऐसे व्यापार से प्राप्त की जाती है, जोकि धार्मिक और पुण्यार्थ सस्था के लिए किया जाता है और वह आय पूर्णतया इसी सस्था के लिए प्रयोग की जाती है तो वह आय आय कर से मुक्त होगी ।

[घारा ४ (३) (1) (b)]

(३) धार्मिक या पुण्यार्थ सस्था द्वारा प्राप्त चन्द—यदि कोई धार्मिक या पुण्यार्थ सस्था अपनी आय एच्छत चन्द से प्राप्त करती है और इस चन्दे की

रकम को पूरातया धार्मिक और पुण्यार्थ कामो मे प्रयोग करती है तो आय कर से मुक्त होगी । [धारा ४ (३) (II)]

(४) स्थानीय सरकार की आय—किसी स्थानीय सरकार (Local Authorities) की अपने क्षेत्र के अन्दर प्राप्त हुई आय, परन्तु इस सस्था की वह आय आय कर से मुक्त नहीं है जोकि इसे अपने क्षेत्र से बाहर कोई व्यवसाय करने मे प्राप्त होती है । [धारा ४ (३) (III)]

(५) प्रॉवीडेंट फण्ड की प्रतिभूतियों का व्याज—ऐसे प्रॉवीडेंट फण्ड की रकम स त्रय की हुई प्रतिभूतियों के व्याज पर कर नहीं लगता है, जोकि प्रॉवीडेंट फण्ड एक्ट सन् १९२५ के अनुसार रखा जाता है । [धारा ४ (३) (IV)]

(६) कार्यालय से सम्बन्धित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला हुआ भत्ता—यदि किसी कर्मचारी को अपने कार्यालय से सम्बन्धित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कोई भत्ता मिलता है तो उस भत्ते की वह रकम कर मुक्त होगी जिसको कि वास्तव मे व्यय किया गया है । इस भत्ते से अज्ञाय कर्मचारी को मिले हुये मनोरंजन के भत्ते या अनुनाम (Perquisite) से नहीं है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भत्ते की रकम, जाकि व्यय नहीं हुई है, करदेय आय मे जोड़ दी जाती है ।

[धारा ४ (३) (VI)]

(७) विदेशी का यात्रा व्यय—किसी ऐसे कर्मचारी को जोकि भारतवर्ष का नागरिक न हो, छुट्टी पर भारत से घर जाने के लिए अपने मालिक से मिला हुआ यात्रा व्यय । [धारा ४ (३) (VI-a)]

(८) भारत के नागरिक का यात्रा व्यय—यदि कोई मालिक अपने कर्मचारी को जोकि भारत का नागरिक है, छुट्टी पर अपने भारत मे स्थित घर पर जाने के लिये कोई यात्रा व्यय देता है तो यह यात्रा व्यय उस कर्मचारी की आय अवश्य है, पर इस आय पर न तो कर ही लगेगा और न यह आय कर्मचारी की कुल आय मे ही जोड़ी जायगी । [धारा ४ (३) (VI b)]

(९) आकस्मिक आय—आकस्मिक आय, जिसका वणन पीछे किया जा चुका है, कर मुक्त होती है । [धारा ४ (३) (VII)]

(१०) धारा ४ (३) (VII) के अनुसार कृपि आय ।

(११) प्रमाणित प्रॉवीडेंट फण्ड की आय—एक प्रमाणित प्रॉवीडेंट फण्ड (Recognised Provident Fund) के प्रन्यासियों को इस फण्ड से मिली हुई आय कर मुक्त होती है । इस फण्ड की परिभाषा धारा ५८-A (a) मे की गई है ।

[धारा ४ (३) IX]

(१२) (अ) किसी देशी राज्य के महाराजा को विधान की धारा २९१ के अनुसार निजी व्यय (Privy Purse) के लिए मिली हुई आय ।

- (य) किसी विदेश के अम्बेसेडर, हाईकमिश्नर या अन्य इसी प्रकार के अधिकारियों व इनके सेक्रेट्री व सलाहकार को उस राज्य से इन औहदों से सम्बन्धित कार्य करने के लिए मिले हुए पारिश्रमिक की प्राय ।
- (स) किसी विदेशी सरकार के वाणिज्य दूत को उसके औहदे से सम्बन्धित किये हुये कार्यों के लिए मिले हुये पारिश्रमिक की प्राय ।
- (द) किसी विदेशी राज्य के ट्रेड कमिश्नर या अन्य इसी प्रकार के प्रतिनिधि, जोकि अर्वातनिक (Honorary) काम नहीं कर रहे हैं, के द्वारा प्राप्त हुए पारिश्रमिक की प्राय । इन अधिकारियों को यह छूट तभी दी जायेगी जबकि हमारे देश के इस प्रकार के अधिकारियों को इस तरह की छूट उन देशों में मिलती हो जिन देशों से ये अधिकारी प्राये ह ।
- (य) ऊपर के (ब), (स) और (द) के अन्तर्गत लिखे हुए अधिकारियों के कार्यालय के सदस्यों को मिलने वाले पारिश्रमिक की प्राय कर मुक्त है, यदि नीचे लिखी हुई शर्तें पूरी हो :-
- (1) वह उसी देश का रहने वाला हो जहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ प्राया हो ।
- (11) वह अपने औहदे से सम्बन्धित कार्य के अलावा भारत में कोई व्यापार, पेशा या व्यवसाय न करता हो और यदि ये कर्मचारी (द) में लिखे हुए अधिकारों के यहाँ कार्य करते ह तो इनकी प्राय तभी करमुक्त होगी जबकि इस प्रकार की छूट भारत के कर्मचारियों को उनके देशों में मिलती हो ।

[धारा ४ (३) (ख)]

(१३) भारतीय नागरिकों का विदेशी भत्ता—सरकार के द्वारा भारत के नागरिक को करदेय प्रदेश के बाहर कार्य करने के लिए दिया हुआ भत्ता या अनुलाभ (allowances or perquisites) ।

[धारा ४ (३) (ख)]

(१४) नेपाली सेना के सैनिकों की आय—नेपाली सेना के सैनिकों की आय, जोकि भारत सरकार का सेना में काम कर रहा हो ।

[धारा ४ (३) (ख)]

(१५) रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की आय—यदि कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट सन् १९२६ के अनुसार है और मुख्यतः धमिका व

मालिकों में और श्रमिकों व श्रमिकों में उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बनी है तो ऐसी ट्रेड यूनियन की प्रतिभूतियों पर ब्याज, सम्पत्ति से आय और अन्य साधनों से आय कर मुक्त है ।

[धारा ४ (३) (x b)]

(१६) एक विशेष प्रकार की सम्पत्ति की आय—यदि एक मकान १ अप्रैल सन् १९४६ तथा ३१ मार्च सन् १९५६ के बीच में बना हो तो इसका बनना समाप्त होने के बाद की तारीख में २ वर्षों की आय ।

[धारा ४ (३) (xii)]

(१७) अनुमोदित साइन्स रिसर्च एसोसिएशन की आय—किसी अनुमोदित (approved) साइन्स रिसर्च एसोसिएशन की वह आय जो ३१ मार्च सन् १९४६ के बाद उत्पन्न हुई हो और उसी एसोसिएशन के काम में लाई जाती हो ।

[धारा ४ (३) (xiii)]

(१८) विदेशी उद्यम के कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय—विदेशी उद्यम (enterprise) के कर्मचारी द्वारा प्राप्त की हुई आय, जो कि कुल मिलाकर भारतवर्ष में ६० दिन में अधिक न रहे और जिसे ऐसी विदेशी सस्था ने भेजा हो जो भारत में कोई व्यापार न करती हो ।

[धारा ४ (३) (xiv)]

(१९) विदेशी तान्त्रिक का वेतन—एक ऐसे विदेशी के वेतन पर कर नहीं लगता है जोकि भारत में तान्त्रिक की तरह सरकार के या स्थानीय सरकार के या भारत में किसी व्यवसाय के या किसी ऐसे कॉरपोरेशन के अन्तर्गत काम करता हो जो किसी विशेष कानून द्वारा बनाया गया हो, परन्तु इस कर मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत आने वाले वर्ष के पहिले ४ वर्षों में कभी भी भारत का 'निवासी' न रहा हो । यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वह जिस वर्ष भारतवर्ष में आया है, उस वर्ष की आय और अगले वर्ष की आय कर मुक्त होती है ।

यदि यह तान्त्रिक भारत आने वाले वर्ष व अगले वर्ष मिलाकर ३६५ दिन से अधिक वेतन प्राप्त करता है तो केवल ३६५ दिन का ही वेतन कर मुक्त होता है ।

परन्तु यदि इस तान्त्रिक का नौकरी का प्रसविदा सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है तो यह कर की छूट भारत आने वाले साल में व अगले दो साल तक मिलती है ।

[धारा ४ (३) (xv-b)]

नोट—तान्त्रिक (Technician) की परिभाषा इस एक्ट की धारा ४ (३) (xv a) के अन्त में दिए हुए Explanation में दी गई है ।*

* "Technician" means a person having specialised knowledge and experience in constructional or manufacturing operations, or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power, who is employed in India in a capacity in which such specialised knowledge and experience are actually utilised".

(२०) विदेशी सरकार से मिलने वाला पारिश्रमिक—यदि कोई व्यक्ति सहकारी तान्त्रिक सहायता के प्रोग्राम के सम्बन्ध में विदेश से आया हो तो उसको विदेशी सरकार से मिलने वाला पारिश्रमिक कर मुक्त है, यदि भारत सरकार व विदेशी सरकार में पारस्परिक समझौते के अनुसार उसकी नियुक्ति हुई हो। वेतन के अलावा उसकी अन्य आय भी कर से मुक्त हो सकती है, यदि उसकी आय विदेश में उपाजित की गई हो और उस पर उसे विदेशी सरकार को कर देना पड़ता हो।

[धारा ४ (२) (xv)]

(२१) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित किए हुए बोनड्स का व्याज—भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय नवनिर्माण तथा विकास बैंक के समझौते के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित किए हुए बोनड्स का व्याज। यह छूट केवल उन्हीं को दी गई है जो कि विदेशी हैं।

[धारा ४ (३) (xvi)]

(२२) दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टीफिकेट का व्याज—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए हुए दस-वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टीफिकेट का व्याज या पन्द्रह-वर्षीय प्रमूटी सर्टीफिकेट पर मिले हुए व्याज की मासिक रकम।

[धारा ४ (३) (xvii)]

(२३) डाकखाने के सेविंग बैंक की जमा पर व्याज—डाकखाने के सेविंग बैंक की जमा पर व्याज, डाकखाने के कंश सर्टीफिकेट व नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट व दस वर्षीय नेशनल प्लान सर्टीफिकेट का व्याज।

[धारा ४ (३) (xviii a)]

(२४) (अ) सरकार व स्थानीय सरकार द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था से उधार ली हुई रकम पर दिया गया व्याज।

(ब) भारत की औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऋण प्रसविदे के अन्तर्गत विदेशी वित्त संस्था से लिए हुए ऋण पर दिया गया व्याज, यदि इस समझौते को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर लिया है।

(स) भारत की औद्योगिक इकाइयों द्वारा विदेशों में पूंजी माल क्रय करने के हेतु लिये गए ऋण पर दिया जाने वाला व्याज, यदि इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने सहमति दे दी है।

[धारा ४ (३) (xviii b)]

(२५) लका के केन्द्रीय बैंक के निर्गमन विभाग के पास की प्रतिभूतियों का व्याज—लका के मुद्रा अधिनियम सन् १९४६ (Monetary Law Act, 1949) के अन्तर्गत बने हुए लका के केन्द्रीय बैंक के निर्गमन (issue) विभाग द्वारा रखी हुई प्रतिभूतियों पर व्याज।

[धारा ४ (३) (xviii c)]

(२६) केन्द्रीय व प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के दैनिक भत्ते—
केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों को मिले हुए दैनिक भत्ते ।
[धारा ४ (३) (XIX)]

(२७) १ अप्रैल सन् १९३८ के पहले निर्गमित हुये ऋण का व्याज—
१ अप्रैल सन् १९३८ के पहले निर्गमित हुए ऋण का व्याज, जोकि करदेय प्रदेश के
बाहर विदेशी को देय हो । लेकिन यह आय उसकी कुल सामारिक आय में जोड़ ली
जायगी ।
[धारा ४ (३) (XX)]

(२८) कुछ विशेष प्रकार के अछूतों की आय—भारतीय विधान की
धारा ३६६ (२५) में बताये हुए अछूतों की आय, यदि वे कुछ विशेष स्थानों के रहने
वाले हों, लेकिन इन्हे सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए । जैसे आसाम की पहाड़ी
जातियाँ, चाहे वे जाति सम्बन्धी क्षेत्र (Tribal areas) में रहती हो या मनीपुर व
त्रिपुरा के राज्यों में चली गई हो ।
[धारा ४ (३) (XXI)]

(२९) केन्द्रीय या राजकीय सरकार द्वारा दिया गया बहादुरी का
इनाम—केन्द्रीय सरकार या राजकीय सरकार द्वारा नकद या वस्तुओं में दिया गया
बहादुरी का इनाम ।
[धारा ४ (३) (XXII)]

(३०) सम्मिलित हिन्दू परिवार के सदस्य की आय—एक सम्मिलित
हिन्दू परिवार के सदस्य को सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय में से मिला हुआ भाग ।
[धारा १४ (१)]

उदाहरण के लिए, माना कि एक सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय १,६००
रुपये है । इस परिवार में ४ सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले ४०० रुपयों
पर न तो आय कर लगेगा और न ही ये रुपए उसकी कुल आय में शामिल किए
जायेंगे ।

(३१) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड (Approved Superannua-
tion Fund) के निक्षेप (Deposit) की आय ।
[धारा ५८ आर]

इनामी बॉण्ड सन् १९६५ का व्याज—

१ अप्रैल सन् १९६० से ५) और १००) की राशियों के इनामी बॉण्ड सम-मूल्य
पर सरकार द्वारा जारी किये गये हैं और १ अप्रैल सन् १९६५ को या इसके बाद
सममूल्य पर भुगतान किये जायेंगे । ये इनामी बॉण्ड बियरर बॉण्डों के रूप में होंगे ।
इनाम की रकम भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत आय कर से मुक्त होगी और
नकद दी जायगी ।

आय जो आय-कर से मुक्त हैं, परन्तु सुपरटैक्स से मुक्त नहीं हैं और कुल आय में सम्मिलित होती हैं (Incomes which are exempt from Income-tax but not from Super-tax and are included in Total Income)—

नीचे लिखी हुई आयें आय-कर से मुक्त हैं, परन्तु सुपर-टैक्स से मुक्त नहीं हैं और कुल आय में आय-कर की दर निकालने के लिये सम्मिलित की जाती हैं :—

(१) एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में से उसको स्पगित वापिकी (Deferred Annuity) देने के लिए या उसकी स्त्री और बच्चों की सहायता करने के लिए काटी हुई रकम, परन्तु यह उसके वेतन के $\frac{1}{4}$ से अधिक नहीं होनी चाहिये।
[धारा ७ (१) Proviso 1]

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित की हुई कर-मुक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज।
[धारा ८ Proviso 2]

(३) राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की हुई कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज।
[धारा ८ Proviso 3]

(४) एक ऐसी-अपजोइन्ड फर्म (Unregistered Firm) व अन्य संस्थाओं के लाभ का भाग, जिस पर फर्म या अन्य संस्थाओं द्वारा आय-कर अदा कर दिया गया है।
[धारा १४ (२)]

(५) करदाता ने अपने जीवन के लिये या अपनी स्त्री के जीवन के लिये या भगद करदाता स्त्री है तो अपने पति के जीवन के लिए या यदि सम्मिलित हिन्दू परिवार हो तो इस परिवार के किसी भी पुरुष या उसकी स्त्री के लिए दिया हुआ प्रीमियम।
[धारा १५ (१)]

नोट— इस वापिक प्रीमियम को बीमा कराई हुई रकम के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(६) Provident Fund Act, 1925 के अनुसार रले हुए प्रॉवीडेंट फण्ड में एक कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा।
[धारा १५ (१)]

(७) एक प्रमाणित प्रॉवीडेंट फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया दान, लेकिन यह दान कर्मचारी के वेतन के २ या ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए।
[धारा १८-एफ]

(८) एक कर्मचारी द्वारा अनुमोदित वापिकीय कोष (Approved Superannuation Fund) में दिया गया चन्दा।
[धारा १८ आर]

नोट— ऊपर दी हुई छूटों में नं० १, ५, ६, ७, ८ का जोड़ एक व्यक्ति के मामले में उसकी कुल आय के $\frac{1}{4}$ या ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उसमें अधिक नहीं होना चाहिए, परन्तु एक सम्मिलित परिवार के मामले में यह

प्रोमियम कुल आय के $1/4$ या १६,००० रुपये में से जो भी कम हो उसमें अधिक नहीं होना चाहिए।

आय जो आय-कर व अधि-कर दोनों से मुक्त हैं, परन्तु आय-कर की दर निकालने के लिए कुल आय में जोड़ी जाती हैं (Incomes exempt from Income tax and Super-tax but included in the total Income for rate purposes only) —

नीचे लिखी हुई आयें आय-कर व अधि-कर दोनों से मुक्त हैं, परन्तु आय-कर की दर निकालने के लिए कुल आय में जोड़ी जाती हैं :—

(१) (i) एक सहकारी समिति द्वारा किये जाने वाले व्यापार के लाभ पर कर नहीं दिया जायेगा, यदि यह :—

(अ) एक ऐसी समिति है जो कि बैंकिंग वा व्यापार या सदस्यों को सहाय की सुविधायें देने का काम करती है; या

(ब) एक ऐसी समिति है जो कि कुटीर उद्योगों में लगी है, या

(स) एक ऐसी समिति है जो अपने सदस्यों की कृषि की पैदावार के विपणन (Marketing) का कार्य करती है; या

(द) एक ऐसी समिति है जो कि अपने सदस्यों के लिए कृषि सम्बन्धी औजार, बीज और जानवर क्रय करती है; या

(य) एक ऐसी समिति है जो कि अपने सदस्यों की कृषि की पैदावार के Processing में लगी हुई है; या

(फ) एक ऐसी समिति है जो कि अपने सदस्यों द्वारा एकत्रित किये हुये दूध को संयुक्त दूध सहकारी समिति को देने का काम करती है।

(ii) यदि एक सहकारी समिति ऊपर (Clause (i) के अन्तर्गत) समझाई हुई समितियों की भाँति नहीं है तो इसका ऐसा लाभ जो कि १५,००० रुपये से अधिक न हो,

(iii) एक सहकारी समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों में किये हुए विनियोगों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश,

(iv) उन गोदामों से प्राप्त आय जो कि भण्डार के लिए, विपणन के लिए या Processing के लिए किराये पर दिये गये हैं,

(v) यदि एक ऐसी सहकारी समिति की कुल आय २०,००० रु० से अधिक नहीं है और समिति ग्रह समिति या नगर उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या शक्ति के द्वारा कार्य करने वाली निर्माण समिति नहीं है तो इस समिति द्वारा प्राप्त किये हुए प्रतिभूतियों के व्याज पर और सम्पत्ति की आय पर।

ऊपर वर्णन की हुई छूटें एक बीमा कम्पनी को व Sanjhatta Salt Owner's Society को प्राप्त नहीं हैं।

[पारा १४ (३)]

नोट—यह धारा वित्त अधिनियम सन् १९६० द्वारा प्रतिस्थापित की गई है।

(२) एक करदाता जो कि सहाकारी समिति का सदस्य है, इस समिति से प्राप्त होने वाले लाभों पर कर नहीं देगा । [धारा १४ (४)]

(१) ऐसे करदाता को गोदामों या भण्डारखानों के किराये से प्राप्त आय पर कर नहीं लगता जो कि किसी कानून द्वारा वस्तुओं के विपणन करने का अधिकारी है । यह छूट तभी मिलेगी जबकि ये गोदाम वस्तुओं के विपणन में सहायता देने के लिये या भण्डार करने के लिए किराये पर उठाये गये हों । [धारा १४ (५)]

आय जो कि आय-कर से मुक्त नहीं है, परन्तु अधि-कर से मुक्त है और कुल आय में जोड़ी जाती है (Incomes exempt from super tax but not from Income-tax and is included in total Income) —

(१) एक कम्पनी को अपनी कुल आय के उस भाग पर कोई सुपर टैक्स नहीं देना पड़ता है, जो कि एक ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभों द्वारा प्राप्त की जाती है जो कि ३१ मार्च सन् १९५२ के बाद बनी हो और जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास हो जाय कि यह कम्पनी कुछ विशेष उद्योगों में लगी हुई है, जैसे कोयला, लोहा एवं स्पात, हेवी कॅमीकल्स, हेवी मशीनरी, बागज, ट्रेक्टर, सीमेंट और लोको-मोटिव्ज आदि और धारा १५ C उस कम्पनी पर लगती हो ।

[धारा ५६ A (१)]

(२) विनियोग ट्रस्ट कम्पनियों को लाभों के रूप में जो आय दूसरी कम्पनियों के उस लाभ में से मिलती है जिस पर सुपर टैक्स लग चुका है । इस लाभों पर विनियोग ट्रस्ट कम्पनियों को सुपर टैक्स नहीं देना पड़ता है । परन्तु इस छूट को प्राप्त करने के लिए विनियोग ट्रस्ट कम्पनी को एक विशेष प्रकार का होना चाहिए ।

(३) यदि एक रजिस्टर्ड फर्म की आय ४०,००० रुपये से अधिक होती है तो इसे इससे अधिक आय पर आय कर देना पड़ता है, परन्तु सुपर-टैक्स नहीं देना पड़ता है ।

नई स्थापित औद्योगिक कम्पनियाँ—

आय कर अधिनियम की धारा १५ C के अनुसार नीचे लिखी हुई सूचनायें दी हुई हैं :—

(१) इन कम्पनियों का लाभ, यदि इनकी पूँजी के ६ प्रतिशत से अधिक नहीं है तो इनके स्थापित होने के बाद के प्रथम ५ वर्षों में, आय-कर व अधि-कर से मुक्त है । धारा १५ C, जिसमें कि यह छूट दी हुई है, नीचे लिखी हुई कम्पनियों पर लागू होती है ।—

(१) जो किसी पूर्व स्थापित कम्पनी के तोड़ने (Splitting up) या पुनर्निर्माण (Reconstruction) से नहीं बनी है ।

(११) यह धारा ऐसी औद्योगिक कम्पनी पर लगती है जो कि १ अप्रैल सन्

१९४८ से १८ वर्ष के अन्दर किसी भी समय करदेय प्रदेश में वस्तुओं का निर्माण शुरू करता है। यह समय का प्रतिबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।

(111) जिसमें यदि शक्ति द्वारा निर्माण कार्य होता है तो कम से कम दस श्रमिक और यदि बिना शक्ति के निर्माण कार्य होता है तो २० या २० से अधिक श्रमिक वाय करते हैं।

केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो किसी औद्योगिक कम्पनी को इस छूट का लाभ न लेने दे।

इस कम्पनी के लाभ आय-कर अधिनियम की धारा १० के अनुसार निकाले जायेंगे। इस लाभ में से मिलने वाले लाभांश पर किसी भी अशुभकारी को कर नहीं देना पड़ेगा, परन्तु यदि इस कम्पनी का लाभ ऊपर समझाई हुई निश्चित सीमा से अधिक होता है तो उसमें से मिलने वाले लाभांश पर अशुभचारियों को कर देना पड़ेगा।

इस धारा के अनुसार कर मुक्त आय करदेय आय पर कर निकालने के लिए कुल आय में जोड़ी जाती है।

QUESTIONS

- 1 (a) Certain classes of incomes are totally exempt (both Income tax and Super tax) and are not included in the total income of the assessee. Give four instances of such income.
- (b) Give four instances of incomes which are exempt from income tax (not from super tax) but are to be included in the total income of an assessee.

(Agra, B. Com 1960)

- 2 What are the classes of Income to which the Income tax Act does not apply?

(Agra, B Com, 1959)

- 3 The Indian Income tax Act confers absolute exemption in respect of certain incomes while some incomes are included in the total income for determining the rate only. Explain these provisions fully.

(Agra, B Com, 1951)

- 4 Write short notes on —

(a) Casual Income (Agra, B Com, 1946, 50, 57)

(b) Charitable donations.

- 5 State the provisions of section 15 B (in respect of exemption of donations for charitable purposes) and section 15 C in respect of exemptions from tax on newly established industrial undertakings (Raj, B Com, 1956)
- 6 What are the conditions to be satisfied by a charitable institution for obtaining exemption from income tax and super tax on its income ? (Agra M Com 1960)
- 7 Enumerate with illustrations the classes of incomes which are exempt from both income tax and super tax (Alld B Com 1953)
- 8 State the incomes which though exempt from income tax are never the less included in finding out the total income (Alld, B Com 1958)
-

अध्याय ६

वेतन

(Salaries)

पिछले अध्याय में हम उन आयों को पढ़ चुके हैं जिन पर कि आय-कर नहीं लगता है। आय-कर अधिनियम की धारा ६ में कर लगने वाली आयों को ६ भागों में बाटा गया है, जो इस प्रकार हैं—

- (१) वेतन, (धारा ७);
- (२) प्रतिभूतियों पर ब्याज, (धारा ८);
- (३) सम्पत्ति से आय, (धारा ९);
- (४) व्यापार, पेशे और व्यवसाय से आय, (धारा १०);
- (५) अन्य साधनों से आय, (धारा १२);
- (६) पूर्ण लाभ, (धारा १२ B)।

न्यायाधीश *Kania* के शब्दों में धारा ६ 'आय' की परिभाषा नहीं करती है, बल्कि यह तो केवल उन शीर्षकों को बताती है जिनके अन्दर करदाता द्वारा प्राप्त की हुई आयें लिखी जाती हैं।

प्रत्येक करदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी कुल आय निकालते समय अपनी भिन्न भिन्न आयों को धारा ६ में दिए हुए शीर्षकों के अनुसार बाँटे। यदि कोई आय ऐसी हो जिसके शीर्षक के बारे में सन्देह हो तो करदाता अपनी इच्छानुसार उसे उस शीर्षक में ले जा सकता है, जिसमें ले जाने से उस पर कम बोझ पड़े। यह निर्णय *Kothari Vs. C. I. T.* (1951) में दिया गया था। चूँकि आय-कर के अधिनियम के अनुसार करदाता की भिन्न आयों को उचित शीर्षकों (Heads) में लिखना आवश्यक है, इसलिए ऊपर दिये हुए शीर्षकों में से प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। इस अध्याय में केवल वेतन का ही वर्णन किया गया है।

वेतन का अर्थ—

साधारण भाषा में—

वेतन का अर्थ उस रकम से है जोकि किसी कर्मचारी को प्रत्येक महीने अपने मालिक से प्राप्त होती है।

आय-कर अधिनियम के अनुसार—

धारा ७ के अनुसार एक कर-दाता को उस वेतन पर कर देना पड़ता है जोकि उसे अपने मालिक से देय (Due) हो, चाहे वह रकम उसे मिली हो या नहीं।

वेतन के सम्बन्ध की कुछ मुख्य बातें—

(१) वेतन का भाष्य वेतन और मजदूरी दोनों से है। ऊँचे अधिकारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक 'वेतन' और मजदूरों व कारीगरों को दिये जाने वाला पारिश्रमिक 'मजदूरी' कहा जाता है। प्रायः कर अधिनियम में इन दोनों में कोई अन्तर नहीं किया गया है। इन दोनों साधनों से प्राप्त हुई आय 'वेतन' शीर्षक में लिखी जाती है।

(२) कर दाता और उसके मालिक में, मालिक और नौकर का सम्बन्ध होना आवश्यक है। यह निर्णय *C. I. T. Vs. Mills Stone Co. 1941* और *David Mitchell Vs. C. I. T. 1956* के मामले में दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति कार्यालय के किसी पद पर है और उय पद पर होने के कारण पारिश्रमिक भी प्राप्त करता है, लेकिन उसमें और मालिक में 'मालिक और नौकर' का सम्बन्ध नहीं है तो उसका पारिश्रमिक वेतन शीर्षक में नहीं लिखा जायगा। *Commissioner of Income tax Vs. Lady Navajbai Tata (1947)* के मामले में यह निर्णय दिया गया था। इस मामले में करदाता कम्पनी का संचालक था, उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ पारिश्रमिक न तो वेतन माना गया था और न मजदूरी, बल्कि उपहार (Gratuity), क्योंकि मालिक और नौकर का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया था, अतः उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ पारिश्रमिक धारा ७ के अन्तर में आकर धारा १२ के अनुसार 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर में जाया गया था। किसी कम्पनी के सञ्चालक को मिलने वाला पारिश्रमिक 'वेतन' शीर्षक में जाना चाहिए या 'अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षक में, यह तय करते समय कम्पनी के अन्तर्नियम व कम्पनी और संचालक के बीच हुए प्रसविदे को अवश्य देख लेना चाहिए।

(३) केवल मालिक और नौकर के ही सम्बन्ध का होना पारिश्रमिक को वेतन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह निर्णय *Commissioner of Income tax Bombay Vs. Durga Khote (1952)*, जोकि सिनेमा की अभिनेत्री है, के मामले में दिया गया था। इस अभिनेत्री ने कई फिल्म कम्पनियों के प्रसविदे भरे थे और उन सबसे आय प्राप्त की थी। इस सब आय को धारा ७ के अनुसार वेतन शीर्षक में न दिखाने का निर्णय दिया था। इस आय को 'व्यापार, पेशा और व्यवसाय' शीर्षक में दिखाना उचित माना गया था। कोई आय वेतन है या नहीं, इसका निर्णय परिस्थितियों और तथ्यों को देखकर करना चाहिए।

(४) वेतन का अर्थ उस रकम से है जोकि भारतवर्ष में उपाजित की जाती है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करके वेतन प्राप्त करता है तो उसकी आय विदेशी आय मानो जायगी और वेतन के अन्तर में नहीं की जायगी।

(५) यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से वेतन पंदा करने के बाद भी नहीं लेता है तो भी उसके ऊपर इस वेतन पर कर लग जायगा।

(६) वेतन भारतीय सरकार या भारत के किसी अन्य मालिक द्वारा दिया जाना चाहिए । यदि कोई विदेशी सरकार वेतन का भुगतान करती है तो वह आय वेतन शीर्षक में नहीं ले जाई जायगी, वरन् 'अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षक में ले जाई जायगी ।

जो सरकारी नौकर भारत के नागरिक है और सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं उनके वेतन पर कर लगता है, चाहे वे जितने समय से विदेश में ठहरे हों, परन्तु इस वेतन में वे भत्ते शामिल नहीं किये जायेंगे जोकि उन्हे विदेश में ठहरने की कीमत को सहन करने के लिये दिये जाते हैं ।

[Explanation 2 A of Sec. 4 (1)]

[धारा ४ (३) (xa)]

यह नियम कर निर्धारण के लिये १ अप्रैल सन् १९६० से लागू होता है ।

वेतन शीर्षक में शामिल होने वाली आयें—

वेतन शीर्षक में नीचे लिखी हुई आयें शामिल की जाती हैं :—

(१) यदि कम्पनी के डाइरेक्टर को या ऐसे व्यक्ति को जो कम्पनी के प्रबन्ध से सम्बन्धित है और जिसे कम्पनी में २०% वोट देने का अधिकार हो, कम्पनी द्वारा कोई वस्तु किराया पर दी जाती है या कोई लाभ बिना कीमत लिए दिये जाता है तो इसके मूल्य को उसके वेतन में जोड़ दिया जायेगा ।

(२) यदि कम्पनी के १८,००० रुपये से अधिक वार्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को (ऊपर न० १ में सम्भाल्ये गये कर्मचारियों को छोड़कर) बिना कीमत लिए हुए कोई लाभ या कम मूल्य पर कोई वस्तुयें या सेवार्यें दी जायें तो इनकी कीमत को वेतन में शामिल किया जायेगा ।

(३) मालिक के द्वारा अपने किसी कर्मचारी को देन को चुकाय जाने का मूल्य, जिसे यदि मालिक न चुकाता तो कर्मचारी को ही चुकाना पड़ता ।

(४) यदि मालिक कोई रकम अपने कर्मचारी के जीवन बीमा कराने के लिए दे या एक प्रसविश के अन्तगत करदाता के जीवन की वार्षिकी (Annuity) के लिये दे तो यह रकम उसके वेतन में शामिल कर ली जायेगी ।

(५) एक करदाता द्वारा अपने मालिक में या पहले के मालिक से प्राप्त हुमा या प्राप्त होने वाला हर्जाना (Compensation), जोकि या तो नौकरी से भलग करने के बदले में या अन्य किसी प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुमा हो, वेतन शीर्षक में शामिल किया जाता है । इस दशा में धारा ६० (२) के अन्तगत करदाता को केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त छूट दी जा सकती है ।

(६) मालिक से लिया हुआ पेन्शनी वेतन—यह पेन्शनी वेतन उसी तारीख को वेतन माना जायगा जिसको प्राप्त हुआ है, परन्तु यह पेन्शनी यदि किसी मकान आदि बनाने के लिए ली जाय तो वेतन न मानकर ऋण मानी जायगी और इस पर उसी समय कर लगेगा जबकि वेतन दाय होगा ।

(७) यदि मालिक द्वारा कोई वापिसी, पेंशन, उपहार, फीस या कमीशन आदि कर्मचारी को हैसियत में मिला हो ।

(८) यदि वेतन के बदले में या वेतन के अतिरिक्त कोई भी पौस, कमीशन या लाभ मालिक से मिला हो ।

(९) कोई भी भुगतान, जो कि करदाता द्वारा अपने मानिक से या पहिले वाले मालिक से या अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड से प्राप्त हुआ हो, परन्तु इस फण्ड में उसके द्वारा दिया हुआ अगदान (Contribution) और उसका ब्याज शामिल नहीं है ।

(१०) अनुलाभ (Perquisites) भी वेतन की तरह करदाय माने जाते हैं । वेतन के अतिरिक्त मालिक द्वारा मिलने वाली लगभग सभी प्रकार की रकमें इसके अन्दर आती हैं, जैसे—बिना किराया रहने का स्थान, बिना कीमत या रियायत पर कर्मचारी को सामान देना आदि । वेतन में शामिल होने वाली शीर्षक के अन्दर न० १, २, ३, ४ में लिखी हुई रियायतें या भत्तों की रकमें अनुलाभ (Perquisites) में शामिल की जाती हैं । मकान के किराये का भत्ता एक अनुलाभ है, जिसका विस्तृत वर्णन आगे किया गया है ।

मालिक से पाये हुए अनुलाभ (Perquisites) वेतन में जोड़ जाते हैं और उन पर कर लगता है, परन्तु मानिक के अतिरिक्त अन्य लोगों से मिले हुए अनुलाभों पर धारा १२ के अनुसार कर लगेगा । वे वेतन में नहीं जोड़े जायेंगे ।

वेतन के बदले में लाभ (Profits in Lieu of Salaries)—

वेतन शीर्षक में शामिल होने वाली आयों में जिन आयों का वर्णन उपर्युक्त (६) व (१०) में किया गया है, वे 'वेतन के बदले में लाभ' कही जाती हैं ।

मकान के किराये का भत्ता (House Rent Allowance)—

(अ) एक कर्मचारी को मकान के किराये का भत्ता मिलता है तो भत्ते की पूरी रकम,

(ब) यदि किसी कर्मचारी को रहने के लिए मुफ्त मकान मिल जाता है तो यह देखना पड़ेगा कि वह मकान पर्नीशर आदि से सजा हुआ है या नहीं । यदि सजा हुआ है तो उसके वेतन का १२½% और यदि नहीं सजा हुआ है तो उसके वेतन का १०% 'वेतन' शीर्षक में जोड़ा जायेगा । परन्तु कर्मचारी को यह अधिकार है कि यदि वार्षिक किराये का मूल्य इन प्रतिशतों से कम है तो वह कम है मकान का भत्ता माना जायगा ।

[Sub rule (11) of clause (a) of sub rule (1) of Rule 24 A]

जहाँ बिना सजे हुए मकान के किराये का मूल्यांकन वेतन के २० प्रतिशत से अधिक होता है और सजे हुए मकान में किराये का मूल्यांकन वेतन के २५ प्रतिशत से अधिक होता है तो २० व २५ प्रतिशतों से जितना अधिक होता है वह १० व १२½ प्रतिशतों में क्रमशः जोड़ दिया जाता है।

[Sub rule (1) of clause (a) of sub rule (1) of Rule 24 A]

यह नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा :—

बिना सजा हुआ मकान (Unfurnished house)—

यदि वेतन १०,००० रुपये वार्षिक है और Fair Rent ८०० रुपये वार्षिक है तो ८०० रुपये ही मकान किराये का भत्ता माना जायेगा, क्योंकि यह वेतन के १० प्रतिशत से कम है।

यदि वेतन १०,००० रुपये वार्षिक है और Fair Rent १,२०० रुपये वार्षिक है तो मकान किराये का भत्ता १,००० रुपये ही माना जायेगा, क्योंकि यह वेतन के १० प्रतिशत के बराबर है।

यदि वेतन १०,००० रुपये वार्षिक है और Fair Rent २,२०० रुपये वार्षिक है तो मकान किराये का भत्ता १,२०० रुपये होगा, क्योंकि १०,००० रुपये का १० प्रतिशत १,००० रुपये होता है और २,२०० रुपये १०,००० रुपये के २० प्रतिशत से २०० रुपये अधिक है, इसलिए १,००० रुपये + २०० रुपये = १,२०० रुपये होता है।

सजा हुआ मकान (Furnished house)—

यदि सजे हुए मकान का Fair Rent वेतन के १२½ प्रतिशत से कम है तो कर्मचारी के इसी वास्तविक किराये को ही वेतन में जोड़ा जायेगा। यदि Fair Rent वेतन की १२½ और २५ प्रतिशतों के बीच में है तो १२½ प्रतिशत ही वेतन में जोड़ा जायेगा और यदि Fair Rent वेतन के २५ प्रतिशत से अधिक है तो कर्मचारी के वेतन के १२½ प्रतिशत में, वेतन के २५ प्रतिशत से जितना अधिक होगा उतना, जोड़कर मकान के किराये का भत्ता निकाला जायेगा।

यदि मालिक ने अपने किसी कर्मचारी को रहने का मकान रियायती किराये (Concessional Rent) पर उठाया है तो इस मकान का वेतन में जोड़े जाने वाला भत्ता इस प्रकार निकाला जायगा—

इस मकान का भत्ता पहले उस प्रकार निकाला जायगा, जैसा कि मूल किराये के मकान के बारे में समझाया जा चुका है। इस भत्ते में से कर्मचारी द्वारा दिया गया वास्तविक किराया घटाने के बाद जो रकम शेष बचेगी वही इस मकान के किराये का भत्ता माना जायगा और वेतन में जोड़ दिया जायगा।

उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी का वेतन १०,००० रुपये वार्षिक है और इस बिना सजे हुए मकान का Fair Rent २,००० रुपये वार्षिक है, परन्तु कर्मचारी

से रियायत के कारण कुल ६०० रुपये वार्षिक ही लिया जाता है। इस दशा में किराये का भत्ता इस प्रकार निकाला जायगा :—

वेतन का १० प्रतिशत	= $\frac{१०,००० \times १०}{१००}$
	= १,००० रुपये
मकान का भत्ता	= १,००० रु०—६०० रु०
	= ४०० रु०

[Clause (b) of sub rule (1) of Rule 24 A]

ऊपर समझाई हुई दशाओं में जहाँ कहीं Fair Rent प्रयोग हुआ है वह Fair Rent इस प्रकार निकाला जायगा :—

(अ) जहाँ सरकार द्वारा बौई रहने की जगह किसी सरकारी अफसर को दी जाती है, वहाँ इस रहने वाली जगह का किराया उन नियमों द्वारा ज्ञात किया जायगा जो कि सरकार द्वारा अपने अफसरों के रहने के लिए अलॉटमेंट करने के सम्बन्ध में बनाये जाते हैं।

[Sub clause (1) of clause (1) of the Explanation of Sub-Rule 1 of Rule 24 A]

(ब) अन्य दशाओं में—जहाँ रहने का स्थान सजा हुआ नहीं है वहाँ उसी मोहल्ले में इस प्रकार के रहने के स्थानों का क्या किराया मिनता है या इन रहने के स्थानों का म्यूनिसिपल मूल्यांकन क्या है, इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी वही उसका Fair Rent माना जायगा। जहाँ रहने का स्थान सजा हुआ है वहाँ इसका Fair Rent सर्व प्रथम उस प्रकार निकाला जायगा, जैसे बिना सजे हुए मकान का निकाला जाता है। इसके बाद इस प्रकार आई हुई रकम में फर्नीचर का वास्तविक किराया जोड़ दिया जायगा। यदि यह फर्नीचर मकान मालिक का है तो फर्नीचर के प्रारम्भिक मूल्य पर १० प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से फर्नीचर का वास्तविक किराया माना जायगा और यदि फर्नीचर किराये पर लिया गया है तो इस पर दिया जाने वाला किराया ही वास्तविक किराया माना जायेगा।

[Sub clause (ii) of clause (1) of the Explanation of Sub-Rule 1 of Rule 24 A]

मकान भत्ते की प्रतिशतें निकालने के लिए वेतन का मूल्य निकालना—

मकान के भत्ते के सम्बन्ध में ऊपर दिये हुए विवरण में कई जगह विभिन्न प्रतिशतों का प्रयोग हुआ है जो कि वेतन पर निकाली जाती है। वेतन का यहाँ आणव्य मासिक या अन्य प्रकार से दिए जाने वाले असली वेतन, भत्तों, बोनस या कमीशन से है। लेकिन इसमें निम्नलिखित रकमें उपयुक्त उद्देश्य के लिए शामिल नहीं की जाती।—

(1) महगाई का भत्ता।

- (11) करदाता के प्रॉवीडेन्ट फण्ड खाते में मालिक द्वारा दिया हुआ अशदान ।
 (111) ऐसे भत्ते जो कर से मुक्त हैं ।

[Clause (2) of the explanation of sub rule (1) of rule 24 A]

कार के व्यय—

यदि कार मालिक की है और मालिक ने इसे नौकर को कार्यालय के कार्य के लिए व उसके निजी प्रयोग के लिए दी है और दोनों ही दशाओं में इस पर होने वाले व्यय मालिक सहन करता है तो कार के निजी प्रयोग के लिए अनुलाभ (Perquisite) का मूल्य करदेय होगा । इसी प्रकार यदि कार का मालिक कर्मचारी है और इसके व्यय मालिक द्वारा सहन किये जाते हैं तो वे अनुपातिक व्यय जो निजी प्रयोग से सम्बन्धित हैं, करदेय हैं ।

गैस और बिजली के बिल—

यदि मालिक द्वारा उस मकान के गैस व बिजली के बिल जिसमें कि कर्मचारी रहता है, भुगतान किये जाते हैं तो यह कर्मचारी की करदेय आय होगी, परन्तु यदि इनकी पूर्ति मालिक के साधनों द्वारा की जाती है और मालिक को इन्हे किसी बाहरी एजेंसी से क्रय नहीं करना पड़ता है तो इनका मूल्यांकन शून्य माना जायेगा ।

[Clause (D) of sub rule (1) of rule 24 A]

शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें—

यदि किसी कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य को भुगत शिक्षा की सुविधायें मालिक द्वारा दी जाती हैं तो इन पर मालिक द्वारा किया जाने वाला व्यय कर्मचारी का अनुलाभ माना जायगा, परन्तु यदि शिक्षा सस्या को कर्मचारियों के लाभ के लिये स्वयं मालिक चला रहा है तो करदाता के अनुलाभ का मूल्यांकन उस मोहल्ले के पास की उसी प्रकार की सत्याओं में शिक्षा प्राप्त करने के उचित कीमत के आधार पर निकाला जायगा ।

हरिजनो और मालियों को दिया हुआ वेतन—

यदि मालिक के किसी ऐसे मकान में कर्मचारी रहता है जिसकी देख-भाल करने के लिए हरिजन व माली रखे हुए हैं तो इनको दिये जाने वाले वेतन पर कर्मचारी को कोई कर नहीं देना पड़ेगा ।

वेतन में से घटाने योग्य आयें (Deductions from Salaries)—

धारा ७ (२) के अनुसार नीचे लिखी हुई रकमें वेतन में से पहले घटा ली जायेंगी और ६६ में बची हुई रकमों पर आय-कर लगेगा :—

- (१) अपने पैसे से सम्बन्धित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारी द्वारा

कितानो व पत्रिकाओं के ब्रय करने के लिए खर्च किया हुआ धन, परन्तु यह धन ५०० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(२) मनोरजन का भत्ता अब आय कर से मुक्त नहीं है, इसलिए मनोरजन भत्ते की वेतन में शामिल कर देना चाहिए और इसे शामिल करने के बाद नीचे लिखी हुई कटौतियाँ काटनी चाहिए :—

(अ) यदि कर दाता सरकार से वेतन पाता है तो उसके असली वेतन का $\frac{1}{2}$ या ५,००० रुपये में से जो भी कम हो, वेतन में से घटाया जायगा । १ अप्रैल सन् १९५५ से पहिले मनोरजन भत्ता न पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी यह छूट दी जाती है ।

(ब) अन्य करदाताओं (जो सरकारी नोकर न हों) के लिए उनके असली वेतन का $\frac{1}{2}$ या ७,५०० रुपये में जो भी कम हो, परन्तु यह भत्ते की रकम से अधिक [नहीं होनी चाहिए । यह भत्ता तभी घटाया जायगा जबकि वे इसे अपने वर्तमान मालिक से १ अप्रैल सन् १९५५ के पहिले से लगातार प्राप्त करते रहे हों ।

(३) यदि कर्मचारी के पास कोई अपनी सवारी है, जिसे वह अपने कार्यालय से सम्बन्धित कर्त्तव्यों के पूरा करने के लिए प्रयोग करता है तो इसके सम्बन्ध में हुए व्यय और ह्रास के लिए उचित रकम । यह रकम उचित है या नहीं, इसका निर्णय आय-कर अधिकारी करेगा । यह रकम तभी घटाई जाएगी जबकि करदाता को कोई सवारी भत्ता नहीं मिलता है ।

(४) कोई रकम जो कि कर्मचारी ने अपनी नौकरी की शर्तों के अन्तर्गत पूर्णतया अपने कर्त्तव्यों के पालन करने में व्यय की हो ।

Illustration No 1—

X, the professor of a college, gets Rs. 600/ per month. His salary for the month of Jan, Feb and March 1960 was not paid. What will be his total salary for the assessment year 1960 61.

Solution No 1—

Salary for Previous year ending 31st March, 1960	Rs. <u>7 200</u>
---	---------------------

Illustration No. 2—

X, the professor of a College, gets Rs 700/- per month. He is examiner in university and gets 600 as fee for examining answers books From Nov. 1959 he was given a dearness allowance of Rs 20/- per month. He got an allowance of Rs. 30/ per month for being incharge of games. In Jan. 1960 he took six month basic

salary in advance. Find out his total income under the head salary for the assessment year 1960 61.

Solution No 2—

	Rs.
Basic Salary for 9 months	6,300
Salary taken in Advance for six months	4,200
Dearness Allowance (Rs. 20×5)	100
Games Allowance (Rs 30×12)	360
Total Salary	Rs <u>10,960</u>

Note—(1) Examiner's fee will be taken under the head "Income from other Sources"

(2) As X has taken only basic Salary in advance, hence allowances have not been added in it.

Illustration No 3—

X was appointed on 1st April 1959 at Kanpur, on Rs. 300/- per month. On 1st May, 1959 he was retrenched. He got Rs 2,000 compensation for the termination of his service. On 1st Nov 1959 he got a job of Rs 200 as salary and Rs. 10 as dearness allowance per month. On 1st Feb 1960 he took an advance of five month's salary. He also took a loan of Rs. 1,000 on 1st March 1960 for construction of his house. What is his salary for the assessment year 1960 61 ?

Solution No. 3—

	Rs.
Salary at Kanpur (one month)	300
Compensation	2,000
Salary for three months (@ of Rs 200 per month)	600
Dearness Allowance (Rs. 10×3)	30
Advance Salary	1,050
Total Salary	Rs. <u>3,980</u>

Note—(1) Loan for Construction of house will not be included in Salary.

(2) It is assumed that Dearness allowance of Rs. 10 per month too is included in Advance.

प्रॉबिडेन्ट फण्ड—

प्रॉबिडेन्ट फण्ड का अर्थ—

एक कर्मचारी के वेतन में से प्रति माह कुछ रकम एक निश्चित प्रतिगत के पनुसार काटी जाती है और इस प्रकार काटी हुई रकम एक फण्ड में जमा की जाती

है। कभी कभी मालिक भी कुछ रकम इस फण्ड में जमा करता है। इस प्रकार के फण्ड को प्रॉवीडेंट फण्ड कहते हैं।

प्रॉवीडेंट फण्ड रखने के उद्देश्य—

- (१) कर्मचारियों में बचत की भावना पैदा होती है।
- (२) अवकाश ग्रहण करने के बाद इस फण्ड की रकम से कर्मचारियों को काफी सहायता मिलती है।
- (३) यदि सयोगवश नौकरी करते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्त्री, बच्चों व अन्य आश्रितों को इस फण्ड की रकम मिलने से कुछ सहारा होता है।
- (४) जिनकी ही इस फण्ड की रकम अधिक होती जाती है, उतना ही कर्मचारी के हृदय से अनिश्चित परिस्थितियों का डर हटता जाता है।
- (५) जो कर्मचारी इस फण्ड को रखते हैं उन्हे मालिक के दान (Contribution) का लाभ अपने आप प्राप्त हो जाता है।
- (६) इस फण्ड की रकम को विनियोग करके ब्याज प्राप्त करने का लाभ मिलता है।

प्रॉवीडेंट फण्ड के भेद—

प्रॉवीडेंट फण्ड तीन प्रकार के होते हैं :—

- (१) वैधानिक प्रॉवीडेंट फण्ड (Statutory Provident Fund)।
- (२) प्रमाणित प्रॉवीडेंट फण्ड (Recognised Provident Fund)।
- (३) अप्रमाणित प्रॉवीडेंट फण्ड (Unrecognised Provident Fund)।

वैधानिक प्रॉवीडेंट फण्ड—

यह फण्ड प्रॉवीडेंट फण्ड एक्ट सन् १९२५ के द्वारा नियन्त्रित होता है। इसमें मालिक और कर्मचारी दोनों के द्वारा दान किया जाता है।

प्रॉवीडेंट फण्ड का प्रयोग—

- (अ) सरकारी कार्यालयों में,
- (ब) रेलवे में,
- (स) अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में,
- (द) स्थानीय सरकारी कार्यालयों में,
- (य) विश्वविद्यालयों में,
- (र) शिक्षा संस्थाओं में, इत्यादि।

प्रॉवीडेंट फण्ड सम्बन्धी नियम—

(१) मालिक द्वारा दिया गया चन्दा कर्मचारी की कुल आय में जोड़ा नहीं जाता है और यह चन्दा आय-कर से भी मुक्त होता है।

(२) कर्मचारी का चन्दा, जोकि उसके वेतन से काट कर लिया जाता है, कुल वेतन में शामिल किया जाता है, परन्तु इस पर भी आय कर नहीं लगता है। कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा और उसके द्वारा दिये हुए जीवन बीमा प्रीमियम की रकम आय-कर से मुक्त होती है। परन्तु इनका जोड़ कर्मचारी की कुल आय के ३ भाग या ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिये।

(३) दोनों के चन्दों से बने हुए प्रॉवीडेन्ट फण्ड के संचित धन का ब्याज कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है और कर मुक्त भी होता है।

(४) कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् या जब कभी भी इस फण्ड की कुल रकम मिलती है तो इस रकम को न तो कुल आय में जोड़ा जाता है और न इस पर आय कर ही लगता है।

नोट—सूक्ष्म म. याद रखना चाहिये कि इस फण्ड से सम्बन्धित प्रश्न हल करते समय कर्मचारी के कुल मिलने वाले वेतन को लिखना चाहिए और 'कर मुक्त आय' के शीर्षक में कवल कर्मचारी द्वारा दिया गया दान व उसके जीवन बीमा का प्रीमियम लिखना चाहिए, परन्तु इनका जोड़ उसकी कुल आय के ३ व ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। मालिक के दान का और इस फण्ड के ब्याज का कहीं भी कोई लेखा नहीं किया जायेगा।

इस फण्ड का प्रभाव—

प्रॉवीडेन्ट फण्ड रखने से प्राप्त होने वाले साधारण लाभों के अतिरिक्त इस फण्ड का एक विशेष लाभ यह होता है कि मालिक द्वारा दिये गये दान और प्रॉवीडेन्ट फण्ड के संचित धन पर मिले हुए ब्याज का कोई लेखा आय कर निकालते समय नहीं किया जाता है।

प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड—

प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड की परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा ५८-A में दी हुई है। इस धारा के अनुसार एक प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड वह फण्ड है जिसे आय-कर कमिश्नर द्वारा आय कर अधिनियम के अध्याय ६-A में दिए हुए नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है।

इस फण्ड को प्रमाणिकता पाने के लिए व इस प्रमाणिकता को कायम रखने के लिए धारा ५८ C में दी हुई शर्तों का पालन व अगर केन्द्रीय सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं तो उनका भी पालन करना आवश्यक है।

इस फण्ड का प्रयोग—

- (अ) बीमा कम्पनी (अग्नि, समुद्री व अन्य),
- (ब) बैंक,
- (स) कारखानों के कर्मचारी,

(द) व्यापारिक सत्याग्रो, आदि ।

ऊपर लिखे हुए स्थानों में इस फण्ड का प्रयोग होता है ।

इस फण्ड सम्बन्धी नियम—

(१) कर्मचारी की कुल आय में मालिक के प्रॉवीडेंट फण्ड में अशदान (Provident Fund Contribution) का वह भाग जोड़ा जायेगा जो कि कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक हो । यदि मालिक का प्रॉवीडेंट फण्ड में अशदान कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत तक है तो कर्मचारी की कुल आय में नहीं जोड़ा जायेगा ।

(२) कर्मचारी के प्रॉवीडेंट फण्ड खाते का ब्याज, यदि कर्मचारी के वेतन के ३ से अधिक है तो जितनी अधिक रकम है वह कुल आय में जोड़ दी जाएगी या यदि कर्मचारी के प्रॉवीडेंट फण्ड के ब्याज की दर ६ प्रतिशत से अधिक है तो यह अधिक ब्याज भी कुल आय में जोड़ा जाता है ।

(३) केवल कर्मचारी का प्रॉवीडेंट फण्ड में दान ही कर-मुक्त आय (Exempted income) में लिखा जाता है, परन्तु यह रकम भी उसके वार्षिक वेतन के ३ या ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(४) कर्मचारी का प्रॉवीडेंट फण्ड में अशदान व उसके द्वारा दिया गया जीवन धीमा प्रीमियम कर मुक्त है, परन्तु इन दोनों का जोड़ कुल आय के ३ और ८,००० रुपये से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए ।

(५) यदि किसी कर्मचारी ने अपने मालिक के यहाँ लगातार ५ वर्ष तक नौकरी की है तो कर्मचारी के अशकाश ग्रहण करने के पश्चात् मिलने वाली इस फण्ड की एकत्रित धनराशि न तो कुल आय में ही जोड़ी जाती है और न इस पर आय कर ही लगता है ।

[धारा 58 G (2)]

यहाँ ५ वर्ष का यह प्रतिबन्ध आय-कर नियम की धारा ५८ [G (2) Proviso 1] के अनुसार लगाया गया है, परन्तु इसी धारा के अनुसार आय-कर कमिश्नर को यह भी अधिकार है कि वह इस छूट का लाभ उन कर्मचारियों को भी दे सकता है जिन्होंने अपने नियोक्ता के यहाँ लगातार ५ वर्षों से कम नौकरी की हो, परन्तु यह अधिकार वह तभी प्रयोग करता है जबकि उसके विचार में नौकरी, कर्मचारी की बीमारी के कारण या नियोक्ता के व्यापार बन्द होने के कारण या अन्य किसी कारण से, जोकि कर्मचारी की दक्षि के बाहर है, छूट गई हो ।

इस फण्ड का प्रभाव—

वैधानिक प्रॉवीडेंट फण्ड की तुलना में कर्मचारी के हिसाब से यह फण्ड कम अच्छा है, क्योंकि इस फण्ड में मालिक के दान और फण्ड के ब्याज को भी एक निश्चित सीमा के बाद कुल आय में शामिल किया जाता है, परन्तु वैधानिक प्रॉवीडेंट फण्ड में

मालिक के दान और फण्ड के व्याज को कुल आय में बिलकुल शामिल नहीं किया जाता है।

अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड—

जो प्रॉवीडेन्ट फण्ड आय कर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित नहीं होता है और वंचानिक भी नहीं होता है तो उसे अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड कहते हैं।

इस फण्ड का प्रयोग—

यह फण्ड बहुत कम प्रचलित है और यदि है भी तो व्यक्तिगत सस्थायें इसका प्रयोग करती हैं।

इस फण्ड सम्बन्धी नियम—

- (१) कर्मचारी द्वारा इस फण्ड में दिया गया चन्दा कर मुक्त नहीं होता है और इस चन्दे को उसके मिले हुए वेतन में जोड़ा जाता है।
- (२) मालिक द्वारा दिए गये चन्दे और इस फण्ड के व्याज पर प्रत्येक साल कर नहीं लगाया जाता है।
- (३) जब कर्मचारी अवकाश ग्रहण करता है या जब कभी भी इस फण्ड की रकम उसे दी जाती है तो धोक में मिली हुई इस रकम में से, कर्मचारी के चन्दे और उस पर के व्याज को घटा कर, बची हुई रकम को कुल आय में जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि कर्मचारी के चन्दे पर प्रति वर्ष पहले ही कर लग चुका है और एक रकम पर दो बार कर नहीं लगता है।
- (४) यदि कर्मचारी जीवन बीमा प्रीमियम देता है तो इस प्रीमियम की आय कर से मुक्त होती है, परन्तु यह उसकी कुल आय के ५ भाग या ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस फण्ड का प्रभाव—

यह फण्ड ऊपर समझाये हुए दोनों फण्डों की तुलना में कर्मचारी के दृष्टिकोण से बुरा माना जाता है, क्योंकि इस फण्ड में मालिक का चन्दा, कर्मचारी का चन्दा व इस फण्ड की संचित रकम के व्याज में से कोई भी कर-मुक्त नहीं होता है।

६. अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड का प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड में बदलना (Changing of Unrecognised P F into Recognised P F)—

जब किसी वर्ष अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड प्रथम बार प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड में बदला जाता है तो इस दिन तक की कर्मचारी की प्रॉवीडेन्ट फण्ड की रकम में से या तो सब रकम या इसका एक भाग प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड में ले जाया जाता है। जो भाग प्रमाणित फण्ड में ले जाया जाता है उसमें से कर्मचारी का उस

दिन तक का अंशदान घटाकर जो शेप बचता है, वेतन में जोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कर्मचारी अपने अंशदान पर उस समय कर दे चुका है, जबकि प्रॉविडेन्ट फण्ड अग्रमाणित था।

Illustration No. 4—

Mr. X, an employee, gets Rs 800 per month. He and his employer both contribute to a Provident Fund at the rate of 12%. Interest credited to his Fund at the rate of 5% per annum is Rs 565. He has paid Rs 2,500 as life Insurance Premium. He gets house allowance of Rs 60 per month. During the year he got Rs 800 as bonus from his employer.

Find out his total income and exempted income for 1960-61 if he is member of (a) Statutory Provident Fund, (b) Recognised Provident Fund, and (c) Unrecognised Provident Fund.

Solution No. 4—

- (a) When X is the member of Statutory Provident Fund.
Statement of the total income of Mr. X for 1960-61.

	Rs.
Salary	9,600
House Allowance Rs. (60×12)	720
Bonus	800
Total Income	Rs. <u>11,120</u>
Exempted Income	Rs.
P. F. Contribution (By employee only)	1,152
Life Insurance Premium	<u>1,628</u>
	Rs. <u>2,780</u>

Note—Full premium of Rs. 2,500 will not be exempted because employee's Contribution to P. F. plus insurance premium should not be more than $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 8,000 which ever is less.

- (b) When X is the member of Recognised P. F. Statement of total income of Mr. X for 1960 61.

	Rs.
Salary	9,600
House Allowance	720
Bonus	800
	Rs
Employer's Contribution in Excess of 10 P. C. of his Salary of Rs. 9,600 is	192

Interest credited to P. F. in excess of $\frac{1}{2}$ of his Salary and prescribed rate of 6 P. C per annum is Nil

Total Income Rs. 11,312

Exempted Income

Rs.

P. F Contribution by

Employee only

1,152

Life Insurance Premium

1,676

Rs. 2,828

Note—P. F. by employee and Premium are limited to $\frac{1}{2}$ of total income or Rs. 8,000 whichever is less

(c) When X is the member of Unrecognised Provident Fund Statement of total Income of Mr X for 1960-61.

	Rs
Salary	9,600
House Allowance	720
Bonus	800
Total Income	Rs. <u>11,120</u>

Exempted Income

Rs.

Insurance Premium

2,500

अनुमोदित सुपरएनुयेशन फण्ड (Approved Superannuation Fund)—

अनुमोदित सुपरएनुयेशन फण्ड वह फण्ड है जो धारा १८ P में दी हुई शर्तों को पूरा करता है और सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा स्वीकृत होता है।

इस फण्ड के सम्बन्ध में नियम—

(१) कर्मचारी जो चन्दा इस फण्ड में देता है, उस पर आय-कर नहीं लगता है, परन्तु यह चन्दा और जीवन बीमा प्रीमियम की रकम मिलकर उसको कुल आय के $\frac{1}{2}$ भाग व ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए।

(२) भवकाश ग्रहण करने पर या अन्य किसी दशा में जब इस फण्ड की रकम कर्मचारी को या उसके छोटे बच्चों को दी जाती है, तो इस पर भी कोई कर नहीं लगता है।

जीवन बीमा प्रीमियम—

(१) जो प्रीमियम बीमारी, जोखिम या अन्य इस प्रकार के कामों पर दिया

जाता है उस पर छूट नहीं मिलती है। केवल जीवन बीमा के प्रीमियम पर ही छूट मिलती है।

(२) किसी ऐसी पॉलिसी पर दिये गये प्रीमियम पर छूट मिलती है जो कि अपने जीवन के लिए या अपनी स्त्री के जीवन के लिए, यदि करदाता स्त्री हो तो अपने पति के जीवन के लिए ली गई हो, परन्तु यह छूट और उसके प्रॉवीडेन्ट फण्ड की छूट मिल कर यदि करदाता वैधानिक प्रॉवीडेन्ट फण्ड या प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड का सदस्य हो तो उसकी कुल आय के $\frac{1}{2}$ भाग या ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।

(३) यदि करदाता सम्मिलित परिवार का सदस्य है तो इस परिवार के किसी पुरुष या उसकी स्त्री के लिए कराये गये प्रीमियम पर भी छूट मिलती है। यह प्रीमियम और उसके प्रॉवीडेन्ट फण्ड की छूट मिला कर, यदि करदाता वैधानिक प्रॉवीडेन्ट फण्ड या प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड का सदस्य हो, तो इस परिवार की कुल आय के $\frac{1}{2}$ भाग व १६,००० रुपये में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिये।

ऊपर दिये हुए (२) और (३) नियमों में यह ध्यान रखना चाहिए कि बीमा प्रीमियम की रकम बीमा की कुल रकम के १० प्रतिशत से अधिक न हो।

(४) यदि बीमा प्रीमियम ऐसे प्रॉवीडेन्ट फण्ड से लेकर दिया गया है जिस पर छूट मिलती हो तो इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी।

(५) कुछ करदाता बच्चों की भलाई के लिए बीमा कराते हैं। इस बीमा प्रीमियम की छूट उसी हालत में मिलेगी जबकि बच्चे इस प्रीमियम से लाभ उठावें, जैसे—बच्चों की शिक्षा के लिए बीमा कराना।

(६) यदि बीमा कम्पनी ने कोई बोनस दिया है और प्रीमियम उस बोनस में से दिया गया है तो छूट नहीं मिलेगी।

(७) विदेशी आय से, जिस पर कि भारत में कर नहीं लगता है, यदि कोई प्रीमियम दिया जाता है तो उस पर छूट नहीं मिलेगी।

(८) यदि बीमा प्रीमियम इसी रकम में से दिया गया है जिस पर भारतीय आय-कर अधिनियम के अनुसार कर नहीं लगता है तो इस प्रीमियम पर कोई छूट नहीं मिलेगी।

कर की उद्गम पर कटौती (Deduction of tax at Source) —

(१) आय कर अधिनियम की धारा १८ (२) के अनुसार प्रत्येक मालिक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने कर्मचारी के वेतन में से कर काट ले, यदि उस कर्मचारी का कुल वर्ष का वेतन आय कर की न्यूनतम सीमा (Minimum Exemption Limit) से अधिक हो।

(२) कर्मचारी को वेतन कर काट लेने के बाद ही दिया जाता है।

(३) मालिक का यह भी कर्त्तव्य है कि वह इस प्रकार काटे हुये कर को

सरकारी खजाने में प्रति मास जमा करे और इसका एक नक्शा आय कर विभाग को भेजे ।

(४) यदि कोई मालिक उद्गम पर कर काटने के सम्बन्ध में दिये गये नियमों का पालन न करे तो उसे आय-कर अधिनियम के अनुसार करदाता माना जायेगा ।

(५) आय-कर और अधि-कर उन दरों पर काटना चाहिए जोकि उस साल चल रही हो, जिस साल वेतन दिया जाता है ।

(६) जहाँ धारा १८ के अनुसार उद्गम पर कर की कटौती होती है वहाँ करदाता को उस वेतन पर तब तक कर नहीं देना पड़ेगा जब तक कि उसने बिना कर कटा हुआ वेतन प्राप्त न किया हो ।

[धारा ७ (१) Proviso 2]

QUESTIONS

1. What is the meaning of Salaries from Income-tax point of view ? Explain the various rules regarding Computation of income from Salaries.
2. Explain the following .—
(a) Perquisites
(b) Profits in Lieu of Salary
3. What relief from Income-tax is allowed in respect of Life Insurance Premiums, Provident Fund Contribution and Interest and how is the amount of such relief calculated ?
(Agra, B. Com., 1941, 50, 57, Alld., B. Com, 1957)
4. State briefly the difference between Recognised Provident Fund and Unrecognised Provident Fund.
(Agra, B. Com., 1947, 53, 57, 58)
5. (a) Write a full note on house rent allowance.
(b) Explain Statutory P. F.

प्रतिभूतियों पर व्याज

(Interest on Securities)

कुछ व्यक्ति अपने बचे हुए धन को भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रतिभूतियों (Securities) में विनियोग करते हैं। इन प्रतिभूतियों के ऊपर व्याज मिलता है। साधारणतया इसी व्याज को पाने के लालच से दखत को प्रतिभूतियों में लगाया जाता है।

इस अध्याय में प्रतिभूतियों के व्याज पर कर लगाने के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम में दिये हुए नियमों का वर्णन किया गया है।

आय-कर अधिनियम की धारा ८ के अनुसार नीचे लिखी प्रतिभूतियों के व्याज पर कर लगाया जाता है :—

- (अ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का व्याज।
- (ब) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का व्याज।
- (स) स्थानीय सरकार द्वारा निर्गमित किये हुए ऋण-पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों का व्याज।
- (द) कम्पनी द्वारा निर्गमन किये हुए ऋण-पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों का व्याज।

परन्तु नीचे लिखी दशाओं में प्रतिभूतियों के व्याज पर कर नहीं दिया जाता है :—

- (१) जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर से मुक्त हो।
- (२) राज्य सरकार द्वारा आय-कर मुक्त प्रतिभूतियाँ निर्गमित करने पर कर-दाता को इन प्रतिभूतियों के व्याज पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा, परन्तु यह कर राज्य सरकार से वसूल कर लिया जायेगा।
- (३) किसी फर्म या अन्य सस्थाओं द्वारा निर्गमित की हुई प्रतिभूतियों के व्याज पर धारा ८ के अनुसार 'प्रतिभूतियों के व्याज' के शीर्षक में कर नहीं लगता है। यदि इस प्रकार की प्रतिभूतियों पर कोई व्याज मिलता है तो उसे 'अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षक में ले जाया जाता है।
- (४) पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का व्याज, कौल सर्टीफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट और नेशनल प्लान सर्टीफिकेट के व्याज पर भी कर नहीं लगता है।

(५) कम्पनी के अंशों पर मिला हुआ लाभ भी धारा ८ के अनुसार

‘प्रतिभूतियों पर ब्याज’ वाले शीर्षक में करदेय नहीं है। इस भाषा को ‘अन्य साधनों से आय’ वाले शीर्षक में ले जाया जाता है।

(६) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर केवल आय कर की ही छूट होती है, अधि-कर की नहीं, परन्तु कुल आय निकालने के लिए इन प्रतिभूतियों के ब्याज को प्रयोग में लाया जाता है।

(७) यदि एक ऐसा व्यक्ति प्रतिभूतियों को बेच कर लाभ कमाता है जिसने प्रतिभूतियों को अपने पास विनियोग के उद्देश्य से रखा हो तो इस लाभ को पूंजी लाभ माना जाता है।

(८) यदि एक ऐसा व्यक्ति प्रतिभूतियों को बेचकर लाभ कमाता है जिसने प्रतिभूतियों को अपने पास सट्टा करने के लिए रखा हो तो इस लाभ को आयगत लाभ माना जाता है और इस पर कर लगता है।

(९) प्रतिभूतियों के वे सब ब्याज कर-मुक्त हैं जिनका कि वर्णन अध्याय ५ में ‘कर-मुक्त’ आयों के सम्बन्ध में किया गया है।

करदाता एक रजिस्टर्ड फर्म थी, जो प्रतिभूतियों में व्यापार करती थी और इसलिए प्रतिभूतियाँ उसका Stock-in-trade थीं। फर्म अपने इस व्यापार के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम सन् १९१८ के अनुसार कर दे चुकी थी। ३० जून सन् १९४७ को फर्म समाप्त हो गई और इसने आय-कर अधिनियम सन् १९२२ की धारा २५ (३) का लाभ प्राप्त करने की आज्ञा माँगी, जो कि कर की मुक्ति से सम्बन्धित है। इस समय प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि क्या प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज इस करदाता के लिए करदाता की व्यापार की आय थी। न्यायाधीश एस० टी० देसाई व के० टी० देसाई ने कहा कि उन प्रतिभूतियों पर ब्याज, जो कि करदाता के व्यापार का Stock-in-trade का भाग है, व्यापार की आय है और करदाता पर धारा २५ (३) के अनुसार कर नहीं लगेगा।

[C. I. T. Bombay City V. Chugandas & Co. Dec. 17, 1958.]

प्रतिभूतियों के भेद—

(१) कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ (Tax Free Securities)।

(२) कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ (Less Tax Securities)।

कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ—

कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही हो सकती हैं। यदि सरकारी प्रतिभूतियाँ कर मुक्त हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वह आय कर से मुक्त हैं, अधि-कर से नहीं और दर निकालने के लिए इनके ब्याज को कुल आय में जोड़ा जाता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज पर न तो आय-कर लगता है और न अधि-कर और इन ब्याजों को कुल आय में

भी शामिल नहीं किया जाता। इन प्रतिभूतियों का वर्णन आय-कर अधिनियम की धारा ४ (३) में किया गया है, जिसे इस पुस्तक के अध्याय ५ में समझाया गया है। गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ कभी भी वास्तव में कर-मुक्त नहीं होती हैं, क्योंकि इनके ब्याज पर कर कम्पनी द्वारा सदैव दिया जाता है। हाँ, करदाता को चूँकि कर नहीं देना पड़ता है, इसलिए उसके दृष्टिकोण से प्रतिभूतियाँ कर मुक्त कही जाती हैं, लेकिन करदाता की कुल आय में इन प्रतिभूतियों का ब्याज और उस आय कर की रकम को भी जोड़ा जाता है जोकि कम्पनी ने उस ब्याज पर दी है। जैसे यदि एक कम्पनी ने ७% कर-मुक्त ऋण पत्र निर्गमित किये हैं, तो ऋण पत्रधारी (Debentureholder) ब्याज की पूरी रकम प्राप्त करेगा, जोकि इन ऋण पत्रों पर मिलनी चाहिए। इस ब्याज में से कम्पनी इस पर दिए हुए कर को नहीं काटेगी। इस उदाहरण में ऋण पत्रधारी को १०० रुपये लगाने पर ७ रुपये ब्याज मिलेगा। यह ब्याज व इसके ऊपर कम्पनी द्वारा दिया हुआ आय कर करदाता की कुल आय में जोड़े जायेंगे, क्योंकि कम्पनी द्वारा दिया हुआ आय कर करदाता की ओर से दिया हुआ माना जाता है। गैर सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज सदैव सकल (Gross) बनाया जायगा, परन्तु कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को कभी भी सकल नहीं बनाया जायेगा। करदाता की कुल आय में गैर सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों के शुद्ध ब्याज को न जोड़ कर सकल ब्याज (Gross Interest) जोड़ा जाता है।

कर-युक्त प्रतिभूतियाँ—

कर युक्त प्रतिभूतियाँ सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं, परन्तु करदाता की कुल आय निकालने के लिए दोनों के साथ एक ही नियम लगता है। करदाता को इन पर ब्याज देने वाली रकम में से कर काट लिया जाता है और शेष रकम करदाता को दी जाती है। इसका आशय यह नहीं होता कि कर का भार ब्याज देने वाले पर पड़ेगा। यह भार वास्तव में ब्याज पाने वाले पर ही पड़ता है, अतः इस ब्याज की प्राप्त रकम में कटे हुए ब्याज की रकम को जोड़ कर करदाता की कुल आय में शामिल करना चाहिए, परन्तु यदि इन प्रतिभूतियों पर ब्याज की प्रतिशत दी हुई हो तो इनके ब्याज को सकल (Gross) नहीं बनाया जाता है। ब्याज को सकल बनाने के सम्बन्ध में इस अध्याय के अन्त में दिए हुए नियमों को देखिए।

उदाहरण—

- (i) Rs 10 000 5% (Less tax) debentures of a company.
- (ii) Rs 10 000 5% (Less tax) Government securities.
- (iii) Rs 10,000 5% (Tax free) debentures of a company.
- (iv) Rs. 10 000 5% (Tax free) Government securities

प्रथम उदाहरण में ऋण पत्रों पर ५ प्रतिशत के अनुसार ५०० रुपये ब्याज के हुए। कम्पनी इन ५०० रुपये में से कर काटकर बाकी ब्याज की रकम ऋण पत्रधारी को देगी। इस ऋण पत्रधारी की कुल आय उसे मिलने वाला ब्याज + कम्पनी

द्वारा काटा हुआ कर जोड़ कर निकाली जायगी, अर्थात् ५०० रुपये कुल आय में जोड़े जायेंगे ।

द्वितीय उदाहरण में ऊपर दी हुई विधि के अनुसार ही कुल आय में जोड़ने वाला व्याज निकाला जायेगा ।

तीसरे उदाहरण में कम्पनी ऋण पत्रधारी को पूरा ५०० रुपया व्याज का देगी, परन्तु जब इस ऋण-पत्रधारी की कुल आय निकाली जायेगी तो कम्पनी द्वारा दिया हुआ कर इसमें जोड़ दिया जायेगा । (i. e. Rs. 500 + tax paid by the Co.)

चौथे उदाहरण में सरकार द्वारा ५०० रुपये व्याज दिया जायगा और विनियोगी की कुल आय निकालते समय ५०० रुपये ही जोड़ा जायगा । इसे सकल नहीं बनाया जायगा ।

कर मुक्त प्रतिभूतियों व कर-युक्त प्रतिभूतियों का अन्तर—

कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ	कर-युक्त प्रतिभूतियाँ
<p>(१) ये प्रतिभूतियाँ सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं, परन्तु इन दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों के व्याज के सम्बन्ध में आय कर के दृष्टिकोण से अलग अलग नियम लगते हैं । जैसे—गैर सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों के व्याज को सकल बनाया जाता है, परन्तु सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों के व्याज को सकल नहीं बनाया जाता ।</p> <p>(२) इन प्रतिभूतियों पर व्याज प्राप्त करने वाले को पूरा व्याज दिया जाता है ।</p> <p>(३) प्राप्त हुए कुल व्याज में कम्पनी द्वारा इस व्याज पर दिए हुए आय कर को जोड़ दिया जाता है ।</p> <p>(४) गैर सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों में यदि प्रतिशत दी हुई है तो भी इस व्याज को सकल बनाया जाता है ।</p>	<p>(१) ये प्रतिभूतियाँ भी सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं, परन्तु इन दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों के व्याज के सम्बन्ध में आय-कर के दृष्टिकोण से एक से ही नियम लगते हैं । जैसे—दोनों ही प्रकार की प्रतिभूतियों के व्याज को सकल नहीं बनाया जाता है ।</p> <p>(२) इन प्रतिभूतियों पर व्याज पाने वाले को पूरे व्याज में से आय-कर काट कर शेष व्याज दिया जाता है ।</p> <p>(३) इनसे प्राप्त हुए व्याज में कर की वह रकम जोड़ दी जाती है जिसे कम्पनी ने व्याज देने के पहले काट लिया था ।</p> <p>(४) यदि प्रतिभूतियों में व्याज की प्रतिशत दी हुई है और शुद्ध व्याज नहीं दिया हुआ है तो इनके व्याज को सकल नहीं बनाया जाता है ।</p>

प्रतिभूतियों के करदेय व्याज से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण नियम—

- (१) प्रतिभूतियों के व्याज को वसूल करने में जो उचित व्यय करदाता को करना पड़ता है उसे व्याज की रकम से घटा दिया जाता है ।
- (२) यदि करदाता कोई ऋण प्रतिभूतियों में विनियोग करने के लिए उधार लेता है तो इस ऋण पर दिया गया व्याज भी प्रतिभूतियों के व्याज से घटा दिया जाता है, परन्तु यदि यह व्याज किसी विदेशी को दिया गया है तो इसे सभी घटाया जा सकता है, जब उस विदेशी से उस पर आय कर काट लिया गया हो या उसका कोई एजेन्ट करदेय क्षेत्र में हो, जिससे कर वसूल किया जा सके ।
- (३) यदि सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ त्रय करने के लिए ऋण लिया जाता है तो इस ऋण का व्याज कर मुक्त व्याज में से ही घटाया जायगा ।
- (४) प्रतिभूतियों के व्याज पर आय कर उपाजित होते समय नहीं लगाया जाता है, बल्कि उस समय लगाया जाता है जबकि व्याज प्राप्त हो जाय ।
- (५) यदि प्रतिभूतियों पर किया गया खर्चा या उनके लिए उधार लिए गये खपों का व्याज, प्रतिभूतियों के व्याज से अधिक हो जाता है तो इस अधिक रकम को हानि समझकर उसी वर्ष की अन्य आय से अपलिखित करना चाहिए, परन्तु यदि उस वर्ष कोई अन्य आय न हो या यदि हो और अपर्याप्त हो, तो इस हानि को अगले वर्ष के प्रतिभूतियों के व्याज से घटाना उचित होगा ।
- (६) प्रतिभूतियों के व्याज को उपाजित आय नहीं माना जाता है ।

दिखावटी लेन देन (Bond Washing Transactions)—

ये लेन-देन कर बचाने के लिए करदाता द्वारा किये जाते हैं । इन्हें भली भाँति समझने के लिए नीचे लिखे नियमों को समझ लेना चाहिए :—

- (१) प्रतिभूतियों का व्याज प्रायः छमाही या वार्षिक दिया जाता है और इस छमाही और वार्षिक के दिन जिस व्यक्ति के पास प्रतिभूतियाँ होती हैं, उसी पर आय कर अधिकारी पूरे समय के व्याज का कर लेते हैं ।
- (२) यदि कोई प्रतिभूति व्याज देय तिथि (Due date of Interest) के पहले बेची जाती है तो बेचने वाले पर उस समय तक के व्याज के लिए कोई आय कर नहीं लगता है और यदि बेचने वाले को प्रतिभूतियों के भेता से उस समय तक के व्याज के लिए कोई प्रतिफल मिलता है तो इस पर भी कोई कर नहीं लगता है, क्योंकि इसे पूँजी लाभ माना जाता है ।

ऊपर दिये हुए नियमों को व्यापारी लोग चालाकी से प्रयोग करते हैं, वे ब्याज देय तिथि के कुछ पहले प्रतिभूतियों को ब्याज सहित (Cum interest) बेच देते हैं और ब्याज मिलने की तारीख के कुछ दिनों बाद उन्हीं प्रतिभूतियों को ब्याज रहित (Ex-interest) खरीद लेते हैं। ऐसा करने से ब्याज मिलने के समय व्यापारी के पास प्रतिभूतियाँ नहीं रहती हैं। यही कारण है कि आय कर अधिकारी उनसे इन प्रतिभूतियों के ब्याज पर कर वसूल नहीं कर पाते हैं।

इस प्रकार के लेन देनों को आय कर अधिनियम के अनुसार रोक दिया गया है और यह नियम बनाया गया है कि यदि इस प्रकार का लेन-देन किया जायेगा तो आय-कर उसी व्यापारी पर लगेगा जिसने कि यह चालाकी की है। आय कर अधिकारी को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि वह करदाताओं को इन लेन-देनों के बारे में सूचना देने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि कोई करदाता आय कर अधिकारी को इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उस पर अधिक से अधिक ५०० रुपये तक प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना हो सकता है। [(धारा ४४ F) (5)]

प्रतिभूतियों को व्याज सहित बेचना (Selling of Securities cum-interest)—

यदि एक व्यापारी ब्याज मिलने की तारीख आने के पहले ही प्रतिभूतियों को बेच देता है और ब्याज मिलने की तारीख पर मिलने वाले ब्याज के अधिकार को बेच देता है तो इस बिक्री को व्याज सहित बिक्री (Cum interest Sale) कहा जाता है। वास्तव में विक्रेता ने जितने दिन प्रतिभूतियों को अपने पास रखा था उसका ब्याज लेने का अधिकार उसे था, परन्तु वह इसके बदले में प्रतिफल लेकर बिक्री करता है। इस प्रकार की बिक्री के बाद ब्याज की तिथि पर पूरा ब्याज क्रेता को मिलेगा।

प्रतिभूतियों का व्याज रहित बेचना (Selling of Securities Ex-Interest)—

यदि एक व्यापारी ब्याज मिलने की तारीख आने के पहले ही प्रतिभूतियों को बेच देता है, परन्तु ब्याज मिलने की तिथि पर मिलने वाले ब्याज के अधिकार को नहीं बेचता है तो इस बिक्री को व्याज रहित बिक्री (Ex-interest Sale) कहा जाता है। वास्तव में विक्रेता को इस प्रकार की बिक्री कम मूल्य पर करनी पड़ती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बिक्री के बाद आने वाली पहली ब्याज की तिथि पर विक्रेता को पूरा ब्याज मिलता है, परन्तु अन्य तिथियों पर क्रेता को पूरा ब्याज मिलता है।

कर की उद्गम पर कटौती (Deduction of Tax at Source)—

(१) ब्याज देने वाले व्यक्ति को, करदाता को ब्याज देने के पहले उच्चतम दर पर कर काट लेना चाहिए।

(२) यदि करदाता की आय, आय-कर की न्यूनतम सीमा से कम है तो

उसे आय-कर अधिकारी से 'आय-कर मुक्त' का प्रमाण पत्र लेकर जहाँ से उसे ब्याज मिलता है, वहाँ भेज देना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर उद्यम के स्थान पर आय-कर नहीं काटा जायेगा।

(३) जिन लोगो पर आय कर नीची दर से लगता है उन्हें आय-कर अधिकारी (I. T. O.) से इस बात का प्रमाण-पत्र लेकर ब्याज देने वाले के पास भेज देना चाहिए, ताकि उद्यम पर ब्याज नीची दर में काटा जाय।

(४) ब्याज देने वाले व्यक्ति को करदाता के पास उद्यम स्थान पर काटे हुए कर का विवरण निश्चित फार्म पर भेजना चाहिए और इसी विवरण को उसे आय-कर अधिकारी के पास भी भेजना चाहिए।

Deduction of tax at Source and Finance Act, 1959—

इस अधिनियम के अनुसार सन् १९५९-६० में उद्यम पर कर की कटौती करते समय नीचे लिखे हुए नियमों को ध्यान में रखना चाहिए :—

(१) ब्याज देने वाले व्यक्ति को करदाता को ब्याज देने के पहिले निर्धारित दर (Prescribed Rate) पर कर काटना चाहिए।

(२) करदाता द्वारा आय-कर अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देने पर, यदि आय-कर अधिकारी को प्रार्थना पत्र की सत्यता पर विश्वास हो जाये तो, वह एक लिखित प्रमाण पत्र देता है कि करदाता की कुल आय, आय-कर की न्यूनतम सीमा से कम है या इसकी कुल आय इतनी है कि इस पर निर्धारित दर से कम कर लगेगा, यदि करदाता को न्यूनतम सीमा से कम आय का प्रमाण-पत्र मिला है तो ब्याज देने वाला व्यक्ति इस प्रमाण-पत्र के आधार पर कर बिल्कुल न काटेगा, परन्तु यदि करदाता को इस बात का प्रमाण-पत्र मिला है कि उसकी आय, आय-कर की न्यूनतम सीमा से कम है तो ब्याज देने वाला व्यक्ति इस प्रमाण-पत्र के आधार पर उतनी ही कम दर पर कर काटेगा।

Illustration No. 1—

Mr. X of Agra took a loan for purchasing Rs. 10,000/- 3% debentures of District Board cum-int. during 1959-60 and paid Rs. 200 interest on it. His investments including the above in the same year were :—

- (a) Rs 10,000 3% debentures of District Board,
- (b) Rs. 6,000 3% Allahabad Municipal Debentures,
- (c) Rs. 5,000 2% Free of tax Govt. Securities,
- (d) Rs. 3,000 2% Preference Shares of a Company,
- (e) Rs 30 were spent as collection charges for interest.

Find out the Taxable Income from Securities for assessment year 1960-61, assuming that the rates of declaration of Int. of 3%

Debentures of district board fall after the purchase and before 31st March 1960

Solution No 1—

Income from Securities —		Rs
(a) 3% Debentures of District Board		300
(b) 3% Allahabad Municipal Debentures		180
(c) 2% Free of Tax Govt Securities		<u>100</u>
		580
Less Admissible deductions —	Rs	
Collection charges	30	
Interest on Loan	<u>200</u>	
	230	<u>230</u>
Taxabl Income from Securities		Rs <u>350</u>
Exempted Income —	Rs	
Free of tax Govt Securities	<u>100</u>	

Note—Rs 3 000 2% Preference Shares of a company have not been taken into consideration because the dividend of these shares will appear under the heading of Income from other sources

Illustration No 2—

Following are the particulars of the Incomes of Mr Surendra Babadur of Etawah for the year 1959 60 Find out his taxable income from securities for the assessment year 1960 61

- (a) Rs 10 000 3% Bombay Govt Loan
- (b) Rs 15 000 2% Free of Tax Govt Securities
- (c) Rs 8 000 2% Calcutta Port Trust Bonds
- (d) Rs 6 000 2% Banaras Municipal Debentures.
- (e) He purchased Rs 40 000 2% Government Bonds at Rs 94 cum dividend on 30th November 1959 Interest on these bonds was payable on First July and First January
- (f) Rs 30 were the collection charges for interest
- (g) Rs 10 000 3% Preference Shares in a Company
- (h) Rs 10 000 4% Debentures of a Cotton Co
- (i) He paid Rs 200 as Bank commission for purchase of 2% Government Bonds
- (j) He paid Rs 300 as interest on a loan which he took for purchasing 2% Govt Bonds

Solution No 2—

Income from Securities —		Rs
(a) 3% Bombay Govt Loan		300
(b) 2% Free of Tax Govt Securities		300
(c) 2% Calcutta Port Trust Bonds		160
(d) 2% Banaras Municipal Debentures		120
(e) 2% Govt Bonds†		400
(f) 4% Debentures of a cotton Co		400
		1 680
Less Admissible deduction —	Rs	
Collection charges	30	
Interest on loan	300	
	330	330
Taxable income from securities	Rs	1 350

Exempted Income —

Free of Tax Govt Securities Rs 300

Note—(1)† Interest on 2% Govt Bonds has been calculated only for six months because the assessee will get only one instalment in the month of January before the close of the previous year

(2) 3% Preference shares of a company are not taken into consideration because the dividend on these shares will be taken under the heading of Income from other sources

(3) Rs 200 Banks Commission paid for purchase of 2% Govt Bonds will not be deducted because it is capital expenditure. Only collection charges for Interest are allowed as deduction

Illustration No 3—

Surendra held the following securities. Find out his taxable income from securities for the assessment Year 1960-61

- (a) 2% Govt Bonds for Rs 20 000
- (b) 2% Development Trust Bonds of Rs 30 000
- (c) 3% Debentures of a Sugar Mill Co for Rs 25 000
- (d) On 1st Dec 1959 he sold his sugar Mill Debentures cum interest for Rs 25 500 and purchased 4% debentures of a cotton Mill Co for Rs 40 000. Interest is payable on all the securities at First Nov and First May
- (e) He paid Rs 200 interest on a loan which he took for purchasing Securities from a foreigner from whose in

come, tax has not been deducted by Govt. of India so far.

Solution No 3—

Income from Securities	Rs.
(a) 2% Govt Bonds	400
(b) 2% Development Trust Bonds	600
(c) 3% Debentures of a Sugar Mill Co	<u>750</u>
	Total Rs. <u>1,750</u>
Less admissible deduction —	Nil
Exempted income —	Nil

Note—(1) 4% Debentures of a Cotton Mill Co for Rs 40 000 are, no doubt purchased cum dividend but interest on them—has not been taken into consideration because the due date of interest falls after 31st March which is the last date of previous year

(2) Rs 200 interest paid on a loan for purchasing Securities has not been taken into consideration because this interest is paid to a foreigner from whose income the tax has not been deducted so far. It is a rule that if interest is paid to a foreigner for a loan for purchasing security, it can not be deducted till the tax is not deducted from his income

व्याज को सकल (Gross) करने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण नियम—

(१) यदि शुद्ध (Net) व्याज दिया हुआ हो तो उसे सकल बनाकर कुल आय में जोड़ा जाता है।

(२) गैर सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों का व्याज सदैव सकल बनाया जाता है, परन्तु यदि सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों का व्याज दिया हुआ हो तो उसे सकल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि केवल Tax free securities दी हुई हो और यह न दिया हो कि ये सरकारी हैं या गैर सरकारी तो इन्हें सदैव गैर सरकारी मानना चाहिये और इनके व्याज को सकल बनाना चाहिए।

(३) यदि प्रतिभूतियाँ कर मुक्त (Less tax) दी हो तो इनके व्याज को सकल नहीं बनाया जाता है, चाहे वे सरकारी हो या गैर सरकारी, परन्तु यदि कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर मिला हुआ शुद्ध व्याज दिया हुआ है तो इसे सकल आवश्यक बनाया जायेगा। इन नियमों का समझने के लिय नीचे दिये हुए उदाहरणों को देखिये।

(४) Surendra received Rs. 199 interest on less tax securities of Rs. 9,000 @ 3%.

इसमें शुद्ध व्याज दिया हुआ है, अतः इसे सकल बनाया जायेगा जोकि २७० रुपए होगा, क्योंकि ६००० रुपए पर ३% से २७० रुपए व्याज के होते हैं।

(ब) Surendra received interest @ 3% less tax securities of Rs 9 000। इसका व्याज २७० रुपए होगा और इसे सकल नहीं बनाया जायेगा।

ऊपर दिए हुए दो उदाहरणों की मदद से हम नीचे दिये हुए आसान नियम बनाते हैं —

- (१) कि यदि प्रतिशत दी हुई हो और व्याज न दिया हो तो सकल नहीं बनायेंगे।
- (२) यदि प्रतिशत दी हुई हो और व्याज भी दिया हुआ हो पर तु दिया हुआ व्याज प्रतिशत द्वारा निकालते हुए व्याज से कम हो तो सकल किया जायेगा।
- (३) यदि प्रतिशत तो दिया हो किन्तु प्रतिभूतियों की रकम न दी हुई हो तो भी व्याज को सकल बनाया जायेगा।
- (४) यदि यह पता न चले कि प्रतिभूतिया कर युक्त हैं या कर मुक्त तो उन्हें कर युक्त मानना ही उचित होता है।
- (५) और सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों के व्याज को सर्वत्र सकल बनाया जायेगा।
- (६) सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों के व्याज को सकल नहीं बनाया जायेगा। इन पर आय कर की औसत दर से छूट मिलती है।

प्रतिभूतियों के व्याज को सकल बनाने का फारमूला (Method of grossing Interest from Securities)—

सन् १९५६-६० के लिये दिये हुये व्याज का १०% करना चाहिये क्योंकि प्रतिभूतियों के व्याज पर २५ प्रतिशत से कर और ५ प्रतिशत से अधिककर व्याज देने वाला काटता है।

QUESTIONS

- 1 Write short notes on the following —
 - (a) Bond washing transactions in securities
(Agra B Com 1948 53 55 58 S
Raj B Com 1951)
 - (b) Less tax and free of tax
(Agra B Com 1957
All India B Com 1954 55)
 - (c) Cum Int and Ex Int
- 2 Explain clearly the meaning of free of tax or less tax in connection with interest on security and dividend on shares for purpose of Income tax assessment
(Agra B Com 1950 Raj B Com 1957)

अध्याय ८

सम्पत्ति की आय

(Income from Property)

सम्पत्ति की आय का अर्थ—

साधारण भाषा में सम्पत्ति की आय का आशय मकान, भूमि व अन्य प्रकार की सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली रकमों से होता है।

आय-कर अधिनियम की धारा ९ के अनुसार केवल उन्हीं मकानों के किराये पर आय कर लगता है जिनका कि करदाता स्वामी होता है, अर्थात् सम्पत्ति की आय का आशय उन मकानों की आयों से है जिनका स्वामी करदाता होता है।

सम्पत्ति की आय के कर सम्बन्धी नियम—

(१) करदाता को अपने मकानों के उचित वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) पर कर देना पड़ता है।

(२) यदि कोई मकान करदाता के पास पट्टे (Lease) का है और उस पर उसे किराया भी मिलता है तो इस किराये की आय 'सम्पत्ति की आय' वाले शीर्षक में नहीं लिखी जायेगी, क्योंकि करदाता पट्टे वाले भवन का मालिक नहीं है।

उपर दिये हुये विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि सम्पत्ति की आय वाले शीर्षक में उमी भवन की आय आयेगी जिसका कि करदाता स्वामी होगा।

(३) यदि भूमि का कोई भाग, जिस पर कि किराया मिलता हो, करदाता के मकान के साथ में लगा हुआ हो तो उसे भी मकान की आय माना जाता है।

(४) यदि एक किरायेदार ने निक्की किरायेदार (Sub-tenant) को रक्त लिया है तो इस किरायेदार से प्राप्त हुआ किराया 'अन्य आय वाले शीर्षक' में जायेगा।

(५) यदि कोई भूमि भवन से जुड़ी हुई नहीं है और उस पर किराया प्राप्त होता है तो यह किराया भी 'अन्य आयों में आय' वाले शीर्षक में लिखा जायेगा।

(६) १ अप्रैल सन् १९४६ और ३१ मार्च सन् १९५६ के बीच में बने हुए मकान के प्रथम दो वर्षों की आय पर आय कर नहीं लगता है। यदि यह मकान व्यापार के लिए प्रयोग नहीं होता है।

(७) यदि करदाता साधारण निवासी नहीं है तो उसकी विदेश में बनी हुई सम्पत्ति पर कर नहीं लगेगा, परंतु यदि करदाता साधारण निवासी है तो उसकी विदेश में बनी हुई सम्पत्ति पर भी कर लगाया जायगा।

(८) यदि करदाता का मकान आने किसी व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी आय पर आय-कर लगता है तो इस मकान के किराये की आय 'सम्पत्ति से आय' वाले शीर्षक में नहीं लिखी जाएगी।

(९) यदि कोई भवन खेती करने वाली भूमि के पास है और खेती के कामों में मदद देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसकी आय पर कर नहीं लगता है।

(१०) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सम्पत्ति के मालिक हो और प्रत्येक साझेदार का अंश निश्चित हो व निकाला जा सकता हो तो उस सम्पत्ति की आय पर सम्मिलित रूप से कर नहीं लगेगा, परन्तु प्रत्येक के भाग को उसकी निजी आय में जोड़ कर उसकी कुल आय पर कर लगाया जायगा।

वार्षिक मूल्य (Annual Value)

इसके अर्थ समझने का महत्त्व—

आय कर करदाता को सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर ही लगता है। यदि किसी सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य गलत निकाला जाय तो उस सम्पत्ति की आय का कर भी गलत होगा। यही कारण है कि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का ठीक-ठीक ज्ञान किया जाता है। इस मूल्य को तीन भागों में बाटा गया है :—

(१) किराये पर उठे हुए मकान का वार्षिक मूल्य।

(२) उस मकान का वार्षिक मूल्य जिसमें कि करदाता स्वयं रहता हो।

(३) ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य जिसके कुछ भाग में करदाता रहता हो और कुछ भाग किराए पर उठा हो।

किराये पर उठे हुये मकान का वार्षिक मूल्य—

जितने किराये पर मकान उठा हुआ होता है इस किराये की रकम को उस किराये से मिलाया जाता है जिस पर मकान उठाया जा सकता है। इन दोनों प्रकार के किरायों में से जो किराया अधिक होता है वही मकान की आय मानी जाती है। जो मकान शहर में बने हुए होते हैं उनका मूल्यांकन म्यूनिसिपैलिटी द्वारा किया जाता है, अतः शहरों के मकानों के म्यूनिसिपल मूल्यांकन की तुलना मकानों के असली किरायों से करनी चाहिए और इनमें जो अधिक हो वही मकान की आय मानी जायगी। इस आय में से म्यूनिसिपैलिटी या स्थानीय सरकार को दिए जाने वाले करो* का अंश घटा देना चाहिए। इस प्रकार बची हुई आय सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य कही जाती है, क्योंकि धारा ६ (२) के तीसरे Proviso के (a) भाग में यह नियम दिया हुआ है कि मालिक द्वारा दिये जाने वाले म्यूनिसिपैलिटी या स्थानीय करो का अंश किरायेदार का दायित्व होता है। इसी Proviso के (b) भाग के अनुसार वार्षिक मूल्य निका-

* इन करों में स्थानीय सरकार द्वारा लगाये हुए service taxes को भी शामिल किया जाता है।

लने के लिये करदाता के करो के दायित्व को वार्षिक किराये में से घटा देना चाहिए । यही कारण है कि अभी तक वार्षिक किराये या म्यूनिसिपल मूल्यांकन में से जो भी अधिक होना है उसी में से म्यूनिसिपल करो व स्थानीय करो का आधा घटा दिया जाता था । परन्तु वित्त अधिनियम सन् १९६० में इस सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किया गया है, जो कि नीचे समझाया गया है ।

करों के सम्बन्ध में किरायेदार का दायित्व व वित्त अधिनियम सन् १९६०—

वित्त अधिनियम सन् १९६० के अनुसार आय-कर अधिनियम की धारा ६ (२) के तीसरे Proviso के (a) भाग के स्थान पर नीचे लिखा हुआ नियम प्रतिस्थापन (Substitute) किया गया है—

उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिसका बनना १ अप्रैल सन् १९५० के पहिले समाप्त हो गया था, म्यूनिसिपल व स्थानीय करो की पूरी रकम व अन्य प्रकार की सम्पत्तियों में इन करो की आधी रकम ही किरायेदार का दायित्व मानी जायगी ।

मर्थात्—

ऐसी सम्पत्ति, जो १ अप्रैल सन् १९५० के पहिले बन कर तैयार हो गई हो, के बारे में—

(i) सम्पत्ति का म्यूनिसिपल मूल्यांकन या (ii) सम्पत्ति का वार्षिक किराया	}	इन दोनों में जो अधिक हो	-	$\left(\begin{array}{c} \text{म्यूनिसिपल करो} \\ \text{व} \\ \text{स्थानीय करो} \\ \text{की पूरी रकम} \end{array} \right)$	=	वार्षिक मूल्य
---	---	----------------------------	---	---	---	------------------

अन्य प्रकार की सम्पत्तियों के बारे में—

(i) सम्पत्ति का म्यूनिसिपल मूल्यांकन (ii) सम्पत्ति का वार्षिक किराया	}	इन दोनों में जो अधिक हो	-	$\left(\begin{array}{c} \text{म्यूनिसिपल करो व} \\ \text{स्थानीय करो का} \\ \text{आधा} \end{array} \right)$	=	वार्षिक मूल्य
--	---	----------------------------	---	--	---	------------------

यदि करदाता के मकान का किरायेदार किराया देने के अतिरिक्त उस मकान के म्यूनिसिपल और स्थानीय कर को भी अदा कर देता है, जिसका भुगतान वास्तव में मासिक मकान को करना चाहिए था, तो किरायेदार द्वारा दिये गए म्यूनिसिपल तथा स्थानीय कर को भी वार्षिक मूल्य निकालने के लिए किराए में जोड़ लिया जाता है ।

Illustration No. 1—

The annual rent received from a tenant amounts to Rs. 7,000. Municipal and local taxes payable by the assessee on that house amounts to Rs. 400, out of which Rs 350 are paid by the tenant in addition to the rent of Rs 7,000

Find out the annual value of the property assuming that the house was constructed in 1953.

Solution No. 1—

	Rs.
Annual Rent	7,000
Local taxes paid by the tenant	<u>350</u>
	Rs. 7,350
Less $\frac{1}{2}$ of Municipal and Local Taxes	<u>250</u>
Annual Value	Rs. <u>7,100</u>

उस मकान का वार्षिक मूल्य जिम्में करदाता स्वयं रहता हो—

इस मकान का वार्षिक मूल्य पहले उसी प्रकार निकाला जायगा जिस प्रकार कि किराए वाले मकान का वार्षिक मूल्य निकाला जाता है। इस वार्षिक मूल्य में से इसके आधे या १,८०० रुपये में न जो कम हागा, घटा दिया जावेगा। इस प्रकार घटाने के बाद जो रकम बचेगी वही मकान का वार्षिक मूल्य मानी जायगी, परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह वार्षिक मूल्य करदाता की कुल आय के १/१० से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि यह मूल्य उसकी कुल आय के १/१० से अधिक है तो १/१० तक ही रकम वार्षिक मूल्य मानी जायगी।

जहाँ वार्षिक आय की तुलना कुल आय के १/१० भाग में करने का प्रश्न उठता है, वहाँ पर नीचे दिए हुए नियमों में से किसी भी एक का प्रयोग करना चाहिए.—

(१) [(सभी प्रकार की आय—स्वयं रहने वाले वाले मकान में से वैधानिक ढौर पर घटाने योग्य व्यय) $\times \frac{१}{६} \times \frac{१}{१०}$] = स्वयं रहने वाले मकान का वार्षिक मूल्य, परन्तु इस मूल्य में से मरम्मत के लिए १/६ घटाना पड़ेगा, या

(२) [(सभी प्रकार की आय—मकान की वार्षिक आय से वैधानिक ढौर पर घटाने योग्य व्यय) $\times \frac{१}{१०}$] = स्वयं रहने वाले मकान का वार्षिक मूल्य, परन्तु इस मूल्य में से मरम्मत के लिए $\frac{१}{६}$ घटाना पड़ेगा, या

* $\frac{१}{१०}$ निकालने की विधि—

माना कि कुल आय १ है, इसलिए स्वयं रहने वाले मकान का वार्षिक आय $\frac{१}{६}$ हुई। इसमें से उसका $\frac{१}{६}$ मरम्मत के लिए घटाया जाएगा ($\frac{१}{६} \times \frac{१}{६} = \frac{१}{३६}$) स्वयं रहने वाले मकान की बरदेय आय ($\frac{१}{६} - \frac{१}{३६}$) = $\frac{५}{३६}$ हुई अन्य आय १ - $\frac{५}{३६} = \frac{३१}{३६}$ अथवा यह देखना है कि $\frac{५}{३६}$ जो कि स्वयं रहने वाले मकान का वार्षिक आय है, अन्य आय $\frac{५}{३६}$ का कौनसा भाग है $\frac{५}{३६} - \frac{५}{३६}$ अर्थात् $\frac{५}{३६} \times \frac{१}{५} = \frac{१}{३६}$ अन्य आय $\frac{५}{३६}$ में $\frac{१}{३६}$ का गुणा करने से $\frac{५}{३६}$ आता है। इसीलिए ऊपर दिए हुए फार्मूलों में $\frac{१}{३६}$ का गुणा किया गया है।

(३) [सभी प्रकार की आय—स्वयं रहने वाले मकान में से वार्षिक तौर पर घटाने योग्य व्यय] का $\frac{2}{3}$ = स्वयं रहने वाले मकान का वार्षिक मूल्य, परन्तु इस मूल्य में से मरम्मत के लिए $\frac{1}{5}$ नहीं घटाना पड़ेगा ।

Illustration No 2—

Mr X has a residential house. Its Municipal Valuation is Rs. 4,000 He pays Rs 30 Insurance Premium against the risk of fire in connection with this house. His total Income from other sources is Rs 13,000

Find out his total Income.

Solution No 2—

Income from other sources		Rs. 13 000
	Rs.	
Income of residential house		
Municipal Value	4 000	
Less $\frac{1}{5}$ Statutory Allowance not exceeding Rs. 1,800/-	<u>1,800</u>	
	Rs <u>2,200</u>	
But this Rs 2,200 should not be more than $\frac{2}{10}$ of total Income. hence —		
	Rs.	
$\left[(13,000 - 30) \times \frac{6}{55} \right] =$	1,415	
Less $\frac{1}{5}$ for repairs	<u>236</u>	
	1,179	
Less Expenses (premium)	<u>30</u>	
	Total Income	Rs. <u>14,149</u>

नोट—(अ) इस प्रश्न में मकान का वार्षिक मूल्य २,२०० रुपये के स्थान पर १,४१५ रुपये माना गया है, क्योंकि यह कुल आय का $\frac{2}{10}$ है ।

(ब) इस प्रश्न में गुणन (Calculation) को निकटतम रुपये तक किया गया है ।

(स) बीमा प्रीमियम की छूट व मरम्मत के लिए छूट का वर्णन मागे किया जायगा ।

(३) ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य जिसके कुछ भाग में करदाता रहता हो और कुछ भाग किराये पर उठा हो—

ऐसी परिस्थिति में जो भाग किराये पर उठा है, उसका 'वार्षिक मूल्य' निकालना चाहिए और इसी मूल्य के आधार पर उस भाग का भी वार्षिक मूल्य निकालना चाहिए, जिसमें कि करदाता स्वयं रहता है, जैसे—यदि $\frac{2}{3}$ भाग में किरायेदार

रहता है और १/३ भाग में करदाता, तो २/३ भाग के 'वार्षिक मूल्य' के आधार पर पूरे मकान का वार्षिक मूल्य निकालना चाहिए और फिर इस पूरे वार्षिक मूल्य का १/३ करना चाहिए। इस प्रकार ३ करने से जो रकम आये उसमें से उसका १/२ या १,८०० रुपये में से जो भी कम हो, घटाने में जो शेष बचता है वही स्वयं रहने वाले भाग का 'वार्षिक मूल्य' माना जाता है। किराये पर उठे हुए भाग के वार्षिक मूल्य में रहने वाले भाग का इस प्रकार से निकाला हुआ वार्षिक मूल्य जोड़ने से उस पूरे मकान का वार्षिक मूल्य निवल आता है, जिसके कुछ भाग में करदाता रहता है और कुछ भाग किराये पर उठा है।

नोट—यदि मालिक के पास एक ही मकान स्वयं प्रयोग करने के लिए हो और वह मालिक उस स्थान से बाहर काम करता हो, जहाँ कि उसका मकान बना हुआ है। यह मकान वर्ष भर तक खाली पड़ा रहा हो, अर्थात् न तो मालिक स्वयं इसमें रह रहा हो और न इसे किराये पर उठाया हो तो इस मकान का वार्षिक मूल्य कुछ भी नहीं माना जायगा। यदि यह मकान कुछ समय के लिए किराये पर उठा रहा है तो उसका वार्षिक मूल्य उस पर मिला हुआ किराया ही माना जायेगा, किन्तु यदि करदाता इसे कुछ समय के लिए प्रयोग करता है तो इसका वार्षिक मूल्य उसी के अनुपात में निकाला जायगा, परन्तु यह आवश्यक है कि ऐसे भवन से हानि नहीं होनी चाहिए।

सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटाये जाने वाली आये (Deductions From Annual Value)—

सम्पत्ति की 'वार्षिक आय' में से नीचे लिखी हुई आये को घटाना चाहिए :—

(१) यदि सम्पत्ति मालिक के अधिकार (Possession) में है या यह किसी किरायेदार के पास है और मालिक ने इसकी मरम्मत का भार अपने ऊपर लिया है तो इसके 'वार्षिक मूल्य' का ३ मरम्मत के रूप में घटा दिया जायगा।

[धारा ६ (१) (१)]

नोट—३ मरम्मत के लिए सर्वत्र घटाया जायगा, चाहे मरम्मत में कम व्यय हुआ हो या अधिक या बिल्कुल भी न हुआ हो।

(२) यदि सम्पत्ति ऐसे किरायेदार के पास है जिसने किराया देने के अतिरिक्त मरम्मत कराने का भी भार अपने ऊपर लिया है तब वार्षिक मूल्य व असल किराये का अन्तर ही मरम्मत का मूल्य माना जाता है, परन्तु यह अन्तर जब सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के ३ से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि अधिक है तो ३ तक ही मरम्मत माना जायगा।

[धारा ६ (१) (१)]

नोट—इसे उदाहरण न० ३ में आगे समझाया गया है।

(३) सम्पत्ति को आग या अन्य प्रकार की हानि से बचाने के लिए किया गया बीमा प्रीमियम।

[धारा ६ (१) (१)]

(४) यदि ऋदाता ने कोई ऋण सम्पत्ति को बन्धक (Mortgage) रख कर लिया है तो इस ऋण का ब्याज ।
[धारा ६ (१) (iv)]

(५) वार्षिक प्रभार (Annual Charge)—यदि किसी मकान पर प्रति वर्ष कुछ व्यय करना कानून की दृष्टि से आवश्यक है तो ऐसे व्यय को वार्षिक प्रभार कहा जाता है और इसे प्रति वर्ष सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से घटाया जा सकता है, जैसे—यदि किसी सम्मिलित परिवार की विधवा को न्यायालय द्वारा सम्पत्ति की आय में से प्रति वर्ष कुछ रकम देने की आज्ञा दी जाय तो इस सम्मिलित परिवार की सम्पत्ति की करदेय आय निकालते समय विधवा को दी जाने वाली रकम प्रति वर्ष घटानी चाहिए । इस उदाहरण में विधवा को प्रति वर्ष दी जाने वाली आय 'वार्षिक प्रभार' है । यदि सम्पत्ति पर पूँजी प्रभार (Capital Charge) है तो इस प्रभार की रकम न घटाकर केवल इसका ब्याज ही घटाया जाता है ।

[धारा ६ (१) (iv)]

(६) यदि जिस भूमि पर सम्पत्ति बनी हुई है उस पर कुछ किराया लगता हो तो उस भूमि का किराया (Ground Rent) भी घटा दिया जाता है ।

[धारा ६ (१) (iv)]

(७) यदि कोई भवन उधार ली हुई पूँजी से बनवाया जाय या उसकी मरम्मत करवायी जाय या उसे ब्रह्म किया जाय तो उस ऋण के ब्याज को भी घटा दिया जाता है ।

(८) सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भूमि पर लगान दिया जाय ।

[धारा ६ (१) (v)]

(९) सम्पत्ति का किराया वसूल करने के खर्च, परन्तु ये खर्च सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के ६% से अधिक नहीं होना चाहिये ।

[धारा ६ (१) (vi)]

(१०) एक मकान जितने समय के लिये खाली रहता है उतने समय के अनुपातिक मूल्य को घटा दिया जाता है । यह अनुपातिक मूल्य सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के आधार पर निकाला जाता है । जैसे, यदि मकान दो माह तक खाली पड़ा रहा तो उस मकान के वार्षिक मूल्य का $\frac{2}{12}$ या $\frac{1}{6}$ मकान के खाली रहने की छूट होगी । इस छूट को मकान के खाली रहने की छूट (Vacancy Allowance) कहते हैं ।

[धारा ६ (१) (vii)]

(११) यदि किसी किरायेदार ने मकान छोड़ दिया हो और उस पर किराया बाकी हो या किराया न देने के कारण उससे जबरदस्ती मकान खाली कराया जा रहा हो और कानूनी कार्यवाही बकाया किराया वसूल करने के लिये की गई हो तो बकाया किराया भी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से घटा दिया जावेगा ।

अगर किराया बकाया रह गया हो और न वसूल हो सके तो इसके पहले कि यह बकाया किराया घटाया जा सके, निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है—

(अ) मालिक मकान किराया वसूल करने के लिये सम्भव कानूनी उपाय कर चुका हो, परन्तु किराया वसूल न हुआ हो या आय कर अधिकारी को इस बात का विश्वास हो जाये कि किराया वसूल होने के योग्य नहीं है

(ब) वह किरायेदार मकान खाली कर चुका हो या खाली करने के लिये कार्यवाई की जा चुकी हो ।

(स) मकान मालिक के अन्य किसी मकान में वह न रह रहा हो ।

(द) किरायेदारी यथार्थ में हो ।

[घारा ६०]

नोट—यदि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटाये जाने वाली आयें उस सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से अधिक हो तो यह अन्तर उस सम्पत्ति की हानि होती है जिसे करदाता को आय के दूसरे शीर्षको में से घटाया जा सकता है । इसे उदाहरण नम्बर ६ में समझाया गया है ।

Illustration No 3—

Mr R. P. Seth owns house property of the annual rental value of Rs 8 000 which he has let to Mr Kamthan at Rs. 7 000 p. a , Mr Kamthan agreeing to bear the cost of repairs himself. The expenses of Mr. Seth in connection with this property amount to Rs. 2 500 excluding the cost of repairs.

You are required to calculate his taxable income from property.

Would it make any difference if the house had been let out at Rs 6,000 p a. instead of Rs 7 000 p a. ?

(Agra University B. Com 1955)

Solution No. 3—

	Rs
Annual Value	8 000
Less	
Repairs	
(Annual Value Rs 8,000—actual Rent Rs 7,000)	1 000
Taxable Income from property	Rs 7 000

If the house is let at Rs. 6 0 0 p a. instead of Rs 7,000 p. a.

	Rs
Annual value	8,000
Less :	
Repairs	
Taxable Income from property	Rs 1,333 33
	Rs 6 666 67

Note—(1) Expenses Rs 2 500 given in the question have not been taken into consideration because they do not come under the list of deductions allowed by sec 9

(2) Rs 1 333 33 is $\frac{1}{6}$ of the Annual value because the difference between the annual value and rent received should not exceed $\frac{1}{6}$ of the annual value

Illustration No 4—

Mr Y is the owner of two houses of which first is let at Rs 300 p m and the second is used for his residence. The Municipal valuations of the two houses are Rs 3 000 and 2 000 respectively. His expenses on both the houses are —Municipal taxes Rs 500 insurance premium Rs 100 collection charges Rs 80 and ground rent Rs 60. The first house remained vacant for a period of three months.

Mr X held the following securities —

- Rs 30 000 2% Government loan
- Rs 15 000 3% Municipal Debentures
- Rs 10 000 4% Preference shares of a company

His collection charges for interest on the above mentioned investments amounted to Rs 200

He is also employed in Government secretariate. His salary in this office is Rs 300 per month of which 8% is contributed by him to his Provident Fund to which his employer also contributes a similar amount. He gets Rs 40 per month as house allowance.

Find out (a) his taxable income from property and (b) his total income assuming that both the houses were constructed in 1953

Solution No 4—

Rent of the first house	Rs 3 600
Less	
$\frac{1}{6}$ of proportionate Municipal taxes	150
Annual value of property let	Rs <u>3 450</u>
Annual value of the residential house restricted to $\frac{1}{10}$ of total Income	Rs <u>753*</u>
Total annual value of first and second houses	
Rs (3 450 + 753)	4 203

Less Admissible deductions	Rs	
Repairs ($\frac{1}{8}$)	700	50
Insurance Premium	100	
Collection charges	80	
Ground Rent	60	
Vacancy Allowance of first house for three months	862	50
Taxable Income from property		<u>Rs 2 400</u>

Income from Salary	Rs	
Salary		3 000
House Allowance Rs (40×12)		480
	Rs	<u>4 080</u>

Income from securities —	Rs	
2% Government Loan		600
3% Municipal Debentures		450
		<u>1 050</u>

Less admissible deduction		
Collection charges		200
	Rs	<u>850</u>

Statement of Total Income of Mr X

		Rs
(1) Salary		4 080
(2) Interest on securities		850
(3) Income from property		2 400
(4) Income from other sources (2% Pref Shares of a Co)		200
Total Income	Rs	<u>7 530</u>
Exempted Income —	Rs	
Contribution to P F (By employee only)		<u>288</u>

*Note—The annual value of residential house which is Rs 753 has been found out in the following manner —

	Rs.
*Annual value of house let	3 450
Less $\frac{1}{8}$ repairs	575
	<u>Rs 2 875</u>

For calculation of Annual value of residential house

Income from all sources	Rs
Rs (2 875 + 4 080 + 850 + 200)	= 8 005

Less expenses on property (100+80+60+862 50)	= 1 102 50
	Rs <u>6 902 50</u>

Annual value therefore is —	= Rs 753
Rs $\frac{6\ 902\ 50 \times 6}{55}$	

Illustration No 5—

Mr Y is the owner of a house the municipal valuation of this house is Rs 1 300 $\frac{2}{3}$ of it is let at Rs 100 per month and $\frac{1}{4}$ is used by him for his residence This house was constructed with the help of a loan on which Y is paying Rs 200 as Interest The Municipal Taxes for this house are Rs 200 He pays a ground rent of Rs 30 and Insurance Premium of Rs 80 for it

He is employed on Monthly Salary of Rs 800 per month He is also owner of Rs 20 000 3% Govt Securities

- Find out
- Annual value from property assuming that the house was constructed in 1953
 - Taxable Income from property and
 - Total Income of Mr Y

Solution No 5—

Rental value of part on let		Rs.
		1,200
Less $\frac{1}{4}$ of $\frac{2}{3}$ municipal Taxes		75
Annual value of the property let		Rs <u>1 125</u>
Value of Residential part on	Rs	
$\frac{1}{4}$ of the annual rental value of the whole house	400	
Less $\frac{1}{4}$ M Tax of $\frac{1}{4}$ portion	<u>25</u>	
	375	
Less $\frac{1}{2}$ Statutory Allowance	<u>187 0</u>	Rs <u>187 50</u>
Total Annual value of the Property		
Rs (1 125 + 187 50)		1 312 0
Less Admissible Deductions	Rs	
$\frac{1}{2}$ for repairs	218 75	
Ground rent	30	
Interest on Loan	200	
Insurance Premium	<u>80</u>	
	Rs- 528 75	
Taxable Income from property		Rs <u><u>783 75</u></u>

Statement of Total Income

Salary		9,600
Interest from Securities		600
Income from property		783 75
	Total Income	Rs <u>10 983 75</u>

Note—Municipal valuation of Rs 1,300 has not been taken into consideration because the rental value of the house, taking in view the portion let, is greater.

Illustration No. 6—

Mr. A is the owner of two houses, one is let out at Rs 100 per month and the other is used by him for his residence. The municipal valuation of the second house is Rs 600. He paid the following expenses in respect of the house let Rs 200 Fire Insurance Premium, Rs 250 Int on Mortgage. His expenses in respect of the residential house are —Insurance Premium Rs. 150, Int on loan taken for repair of the house Rs. 125. His income from other sources is Rs. 40,000. Find out his total Income from property and total taxable income, assuming that both the houses were constructed in 1953

Solution No 6—

		Rs
Annual Rental value of the first house is		1,200
Less	Rs	
Repairs $\frac{1}{2}$	200	
Int. on Mortgage	250	
Fire Insurance Premium	<u>200</u>	
		<u>650</u>
		Rs <u>550</u>
Municipal Valuation of Residential House		600
Less $\frac{1}{2}$ Statutory Allowance		<u>300</u>
		300
Less		
Repairs $\frac{1}{2}$	50	
Insurance Premium	150	
Int on loan taken for repairs	<u>125</u>	
		<u>- 325</u>
		Rs <u>- 25</u>
Total Income from both the houses	Rs (550 - 25) = Rs 525	525
Income from other sources		<u>40 000</u>
Total taxable Income		Rs <u>40 525</u>

QUESTIONS

- 1 In computing the taxable income from property, what deductions are allowed from annual value ?
(Agra, B. Com- 1960)
 - 2 State the provisions of Section 9 of the Indian Income tax Act regarding tax on income from property
(Agra, B. Com , 1948)
 - 3 Define annual value of a property and state the deductions that are allowed from the annual value in computing the taxable income from property
(Agra B Com 1952 Raj , B Com , 1954, 1957)
 - 4 Write short notes on—
 - (a) Vacancy allowance. (Agra B Com 1953, 58 S)
 - (b) Annual Value of Property (Alld , B Com. 1955)
 - 5 State the allowances that are deductible under the head Income from property under section 9 of Income tax Act.
(Raj , B Com 1954)
-

अध्याय ६

व्यापार, पेशा या व्यवसाय से आय

(Income from Business, Profession or Vocation)

आय कर अधिनियम की धारा १० के अनुसार करदाता को व्यापार, पेशा या व्यवसाय से किये हुए लाभ पर कर देना पड़ता है। यह आय 'व्यापार, पेशा और व्यवसाय' (Business, Profession or Vocation) के शीर्षक में लिखी जाती है। इस आय पर लगने वाले कर से सम्बन्धित नियमों का अध्ययन करने के पहले यह उचित मानना होता है कि Business, Profession or Vocation का अर्थ समझ लिया जाय।

Business—

माल बनाना, दूकान करना, बैंक वा काम करना, यातायात, उपक्रम (Adventure) का लाभ आदि Business के अन्दर आते हैं।

भारतीय सन्निधम के अनुसार Business की परिभाषा इंग्लिश आय-कर अधिनियम सन् १९१८ में दी हुई Trade की परिभाषा से कुछ विस्तृत है। Smith Vs. Anderson के मामले में न्यायाधीश M. R. Jessell ने कई शब्द-कोषों में Business का अर्थ देखने के बाद यह परिभाषा दी थी : "Anything which occupies the time and attention and labour of a man for the purpose of profits is business.... .."

Profession—

इसमें वे काम आते हैं जिनमें बुद्धि, हुनर व कुशलता का प्रयोग किया जाता है, जैसे—अध्यापक, डाक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि। Profession का अर्थ C. I. T. Vs. Maxse के मामले में विस्तृत रूप से समझाया गया है।

Vocation—

इसमें विशेष तौर पर वे सब पेशे आते हैं जिन्हें मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए करता है, जैसे—गाना, नाच, दलाली, बीमा एजेंसी आदि। Partridge Vs. Mullandevane के मामले में न्यायाधीश ने Vocation का अर्थ समझाते समय एक सुन्दर उदाहरण दिया है, जो कि इस प्रकार है : यदि एक व्यक्ति सदैव खोरी करने का पेशा बना लेता है तो आय-कर अधिकारी उसकी आय पर कर लगा सकता है और ऐसा करना बिल्कुल उचित है।

व्यापार, पेशा या व्यवसाय के लाभ पर लगने वाले कर से सम्यन्धित नियम—

(१) यदि एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार करता है तो आय कर सब व्यापारों की संयुक्त आय पर लगता है, प्रत्येक व्यापार की आय पर अलग-अलग नहीं लगता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि धारा १० के अनुसार व्यापार, पेशा और व्यवसाय की कुल प्राप्ति (Gross Receipt) पर आय-कर नहीं लगता, परन्तु इनके लाभो पर लगता है।

(२) एक व्यापार को समाप्त करते समय सम्पत्तियों को बेचने पर मिले हुए लाभ पर कर नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय व्यापार नहीं किया जा रहा है, परन्तु एक व्यापार के बन्द किये जाने पर यदि उसका अन्तिम रहतिया बेचा जाता है और उस पर लाभ होता है तो इस लाभ पर कर लगता है, क्योंकि माल की इप बिक्री और साधारण बिक्री में कोई अन्तर नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि दोनों ही दशाओं में माल बेचने का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, परन्तु जब व्यापार की सब सम्पत्तियाँ, अन्तिम रहतिये सहित, एक निश्चित रकम के लिए इकट्ठी बेची जाती हैं तो अन्तिम रहतिये पर लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठना है।

(३) यदि एक व्यापार में हानि होती है तो करदाता उसे दूसरे व्यापार के लाभ से काट सकता है।

(४) एक साझेदार को फर्म से प्राप्त हुआ लाभ आय कर अधिनियम की धारा १० के अन्तर्ग व्यापारिक लाभ माना जाता है और धारा १२ के अनुसार अन्य साधनों की आय नहीं माना जाता है।

Mohan Lal Hira Lal Vs. C. I. T., C P. 1952

(५) यदि इम बीपेक की आय में करदाता को किसी रकम के लिए छूट दे दी गई हो और वह रकम बाद में करदाता को मिल जाती है तो इस पर उस वर्ष कर लगेगा जिस वर्ष उसे यह मिली हो। [धारा १० (२-A)]

(६) यदि कोई इमारत, मशीन या प्लाट, जिसके ऊपर कटौती मिलनी है, पूर्ण रूप से व्यापार में प्रयोग नहीं की गई है तो वह छूट प्रयोग के अनुपात में दी जायेगी। [धारा १० (३)]

(७) यदि कोई हानि सट्टे के व्यापार में होती है तो उसे सट्टे के लाभो से ही पूरा किया जा सकता है।

व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लाभो को निकालते समय सट्टे में हुए लाभो को नहीं घटाना चाहिए।

[C. I. T. of Nagpur and Bhandara V. Ramgopal Kanhyal Sept. 7, 1959]

(८) व्यापार, पेशा या व्यवसाय के लाभ में से कुछ खर्चों को आय-कर अधिनियम की धारा १० (२) के अनुसार घटाया जा सकता है और कुछ खर्चों को

धारा १० (४) के अनुसार नहीं घटाया जा सकता है, अतः इन खर्चों को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए ।

(६) आय-कर अधिनियम की धारा १५ C के अनुसार नई औद्योगिक सस्था के कार्य शुरु करने के प्रथम पाच वर्षों की आय पर आय कर नहीं लगता है, यदि इसकी आय सस्था की पूँजी के ६ प्रतिशत से अधिक न हो ।

(१०) नई औद्योगिक सस्था से मिले हुए लाभ पर भी आय कर नहीं लगता है, परन्तु ऐसा कम्पनी शुरु होने के प्रथम चार वर्षों तक ही होता है ।

(११) यदि नई औद्योगिक सस्था के प्रथम चार वर्षों की आय उसकी पूँजी के ६% से अधिक है तो उस पर आय-कर लगेगा ।

(१२) आय कर अधिकारी आय कर लगाने के लिए गत वर्ष की आय से ही सम्बन्ध रखते हैं । यदि किसी व्यापार द्वारा अगले वर्ष लाभ प्राप्त करने की आशा हो तो इन अनुमानित लाभो पर कर नहीं लगेगा ।

(१३) एजेन्सी के समाप्त किये जाने पर मिला हुआ हर्जाना व्यापारिक लाभ माना जायगा और इस पर आय-कर लगेगा । [धारा १० (५-A)]

(१४) आय की कम्पनियाँ—आय कम्पनी की ४० प्रतिशत आय व्यापारिक आय मानी जाती है और ६० प्रतिशत कृषि आय । इसका वर्गानु अर्धाय २ में 'कृषि आय' की परिभाषा के साथ किया गया है ।

(१५) एक शर्कर व्यवसाय की व्यापारिक आय जानने के लिए अर्धाय दो में 'कृषि आय' की परिभाषा को देखिये ।

(१६) स्टॉक का मूल्यांकन (Valuation of Stock)—आय कर अधिनियम में स्टॉक के मूल्यांकन की कोई भी विधि नहीं दी हुई है, परन्तु यह आवश्यक है कि इसके मूल्यांकन की जो भी विधि एक वर्ष अपनाई जाय वही वर्ष प्रति वर्ष अपनाती चाहिए और यदि उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो आय कर अधिकारी से स्वीकृति ले लेनी चाहिए ।

लाभ हानि खाते के सम्बन्ध में कुछ नियम—

व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाये हुए लाभ-हानि खाते द्वारा दिखाया गया लाभ आय कर अधिकारियों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता है, क्योंकि—

- (अ) बहुत से व्यय लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में ऐसे लिखे जाते हैं, जिनके लिखने की स्वीकृति आय कर अधिनियम द्वारा नहीं है ।
- (ब) कुछ ऐसी आयें जमा पक्ष में लिखी जाती हैं, जिन्हे आय कर अधिनियम के अनुसार नहीं लिखना चाहिए ।
- (स) भिन्न भिन्न सम्पत्तियों पर ह्रास काटने की दरें आय कर अधिनियम में दी हुई हैं, इन दरों के अनुसार ह्रास नहीं काटा जाता है ।
- (द) हो सकता है कि पूँजीगत व्ययों को नाम पक्ष में और पूँजीगत आयों को जमा पक्ष में लिख दिया गया हो, इत्यादि ।

यही कारण है कि आय-कर के दृष्टिकोण से लाभ हानि खाता दोबारा बनाया जाता है और उसके अनुसार दिखाये हुए लाभ को करदेय लाभ माना जाता है ।

आय-कर के दृष्टिकोण से लाभ-हानि खाता बनाते समय व्यापारिक लाभ हानि खाते के—

नाम (Debit) पक्ष में—

- (अ) पूंजीगत व्ययों को हटा देना चाहिए ।
- (ब) यदि आय कर में दी हुई ह्रास की दरों से अधिक ह्रास काटा गया हो तो इस अधिक रकम को हटा देना चाहिए ।
- (स) अस्वीकृत व्ययों को हटा देना चाहिए ।
- (द) यदि कोई व्यय न तो स्वीकृत है और न अस्वीकृत, परन्तु व्यापार से सम्बन्धित है तो उसे लिख देना चाहिए ।
- (य) यदि कोई स्वीकृत व्यय नहीं लिखे गये हैं तो उन्हें भी लिख देना चाहिए ।

जमा (Credit) पक्ष में—

- (अ) पूंजीगत आयों को हटा देना चाहिए ।
- (ब) व्यापारिक आय यदि न लिखी हुई हो तो लिख देना चाहिए ।
- (स) अगले वर्षों की आयों को भी हटा देना चाहिए ।

ऊपर लिखे हुए नियमों को ध्यान में रख कर यदि लाभ हानि खाता बनाया जायगा तो उचित करदेय लाभ निकल सकता है ।

स्वीकृत व्यय (Admissible Expenses)—

आय कर अधिनियम के अनुसार नीचे लिखे हुए व्यय लाभ हानि निकालते समय घटाये जा सकते हैं, अर्थात् यदि ये खर्चे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखे हुए होंगे तो इन पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी :—

(१) किराया—उन भवन का किराया जिसमें व्यापार होना है, परन्तु यदि भवन व्यापार के लिए और रहने के लिए भी प्रयोग किया जाता है तो व्यापार से सम्बन्धित भाग का अनुपातिक किराया । [धारा १० (२) (i)]

(२) मरम्मत—यदि करदाता किंगयेदार हो और उस भवन की मरम्मत का भार भी उसी के ऊपर हो तो यह मरम्मत की रकम स्वीकृत व्यय मानी जाती है और यदि वह इस भवन में रहता भी हो तो केवल अनुपातिक मरम्मत ही स्वीकृत व्यय मानी जायेगी । [धारा १० (२) (ii)]

(३) व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लिए उधार ली हुई पूंजी पर दिया हुआ ब्याज " " " " । [धारा १० (२) (iii)]

(४) बीमा प्रीमियम—व्यापार के भवन, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक या स्टोर की रक्षा के लिए कराए गए बीमा का प्रीमियम । [धारा १० (२) (iv)]

(५) व्यापार से सम्बन्धित भवन, मशीन व फर्नीचर के ऊपर किए गए चालू मरम्मत का व्यय । [धारा १० (२) (v)]

Ramkishan Sunderlal Vs. C. I. T. (1951) के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चालू मरम्मत के बारे में नीचे लिखे विचार प्रकट किए थे :— यहाँ चालू मरम्मत वा आशय भवन, मशीन व फर्नीचर को सही हालत में रखने के लिए किए गए व्यय से है । यदि ये व्यय समय-समय पर न किए जायें तो व्यापारिक सम्पत्तियाँ व्यापारी को धोखा दे सकती हैं । इन व्ययों का आशय व्यापारी को कोई विशेष लाभ पहुँचाने से नहीं है ।

(६) ह्रास (Depreciation)—व्यापार की मशीन, प्लांट, फर्नीचर और भवन के लिए काटा गया हान, यदि यह आय कर अधिनियम की दरो के अनुसार है । [धारा १० (२) (vi)]

(७) व्यापार के भवन, मशीन या प्लांट के नष्ट हो जाने पर इनके बेचने से मिली हुई आय को तुलना इनके ह्रासित मूल्य (Written down Value) से करनी चाहिए । ह्रासित मूल्य इनकी बिक्री की कीमत से जितना ही अधिक होगा उतना ही स्वीकृत व्यय माना जाएगा । [धारा १० (२) (vii)]

(८) पशुओं की बिक्री से हानि—यदि व्यापार में कुछ पशु प्रयोग में लाये जाते हों तो उनकी मृत्यु या बेकार हो जाने पर बेचने से हानि । [धारा १० (२) (viii)]

(९) व्यापार से सम्बन्धित इमारत के ऊपर दिए गए म्यूनिसिपैलिटी के कर या स्थानीय कर । [धारा १० (२) (ix)]

(१०) बोनस—व्यापार के कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के उपलक्ष में दिया गया बोनस । [धारा १० (२) (x)]

(११) अप्राप्त और सदिग्ध ऋण (Bad and doubtful Debts)—व्यापार से सम्बन्धित देनदारों के ऋण यदि अप्राप्त और सदिग्ध हैं, तो इन्हें घटाया जा सकता है, परंतु यदि भविष्य में कभी यह रुपया वसूल हो जाय तो यह रकम करदाता की उस वर्ष की आय में शामिल कर दी जाएगी जिस वर्ष कि यह मिलेगी ।

[धारा १० (२) (xi)]

(१२) व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध (Scientific Research) पर हुए व्यय, यदि वे पूँजी प्रकृति के नहीं हैं । [धारा १० (२) (xii)]

(१३) कोई भी रकम जो कि ऐसी विज्ञान शोध सघ को दी जाय जिसका उद्देश्य विज्ञान की शोध करना हो या किसी यूनीवर्सिटी, कालेज या अन्य सस्था को दी जाय जिसका प्रयोग विज्ञान की शोध के लिये किया जाय या किसी यूनीवर्सिटी, कालेज या अन्य सस्था को दी जाय, जो कि उच्च व्यापार से सम्बन्धित स्टैटिस्टिकी शोध (Statistics Research) और समाज विज्ञान के लिये प्रयोग करे। यह सघ यूनीवर्सिटी, कालेज या सस्था किसी उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित (approved) होनी चाहिये। यह धारा वित्त अधिनियम सन् १९६० द्वारा पुरानी धारा के स्थान पर लाई गई है। [धारा १० (२) (xiii)]

(१४) यदि व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध पर कोई पूँजी व्यय किया जाय तो प्रथम पाँच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष इसके १/५ को स्वीकृत व्यय माना जाता है। [धारा १० (-) (xiv)]

(१५) यदि कोई व्यय ऐसे है जो कि व्यापार से सम्बन्धित हैं, परन्तु जिनका ऊपर वर्णन नहीं किया गया है और वे पूँजी व्यय व व्यक्तिगत व्यय नहीं हैं तो उन्हें भी स्वीकृत व्यय माना जायगा :— [धारा १० (२) (xv)]

इन व्ययों के उदाहरण नीचे दिये हैं :—

- (क) व्यापार के सम्बन्ध में किए गए कानूनी व्यय,
[Usher's Wiltshire Brewery Ltd. V. Bruce
6 T.C. 399; H.L.]
- (ख) व्यापारिक समय (Business hours) में कर्मचारियों द्वारा गवन की गई रकम,
- (ग) कर्मचारियों को नौकरी से छलग करने के लिए दिया गया हर्जाना,
- (घ) भाल बनाने व उन्हें बेचने के लिए किए गए व्यय,
- (ङ) कर्मचारियों को काम करते समय शारीरिक क्षति होने वाली जोखिम के लिए किए गए बीमे का प्रीमियम,
- (च) व्यापार के खातों को रखने के व्यय,
- (छ) नियोक्ता द्वारा प्रमाणित प्रॉप्रीयेन्ट फण्ड में दिया गया चन्दा,
- (ज) नियोक्ता द्वारा सुपरएनुयेशन फण्ड में दिया गया चन्दा,
- (झ) वर्ष के शुरू में नई बहियाँ बनाने व पूजने के सम्बन्ध में किए गए व्यय, यदि यह व्यय २०० रुपये से अधिक नहीं है,
- (ञ) फ्राडिट कराने के व्यय,
- (ट) भाल के खरीदने व बिक्री के लिए दी गई दलाली को घटाया जा सकता है, लेकिन दीर्घकालीन ऋणों के लेने के लिए दी गई दलाली को नहीं घटाया जा सकता है।

- (ठ) विज्ञापन व्यय, परन्तु ये व्यापार बढ़ाने आदि के लिए न किए गए हों, क्योंकि उस दशा में वे पूजा व्यय माने जायेंगे,
- (ड) व्यापार के सम्बन्ध में दिए गए चन्दे,
- (ढ) खानो व पेटेन्ट वस्तुओं के लिए दिया गया अधिकार शुल्क (Royalty),
- (ए) ऐसे व्यय जिनसे कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो,
- (त) इनकम टैक्स अधिकारी तक आय कर के सम्बन्ध के व्यय, परन्तु आय-कर अपील के व्यय नहीं ।
- (य) कर्मचारी को दी गई पे शन,
- (द) दिवली कर,
- (घ) अभिकर्त्ताओं को दिया हुआ हर्जाना ।

अस्वीकार व्यय (Expenses expressly disallowed)—

नीचे लिखे हुए व्यय लाभ निकालते समय घटाए नहीं जायेंगे, अर्थात्, इहे लाभ हानि खाते में नहीं लिखा जाएगा :—

- (१) किसी ऐसे विदेशी को दिया हुआ ब्याज जिसकी आय से कर नहीं काटा गया है ।

[Proviso 1 of sec. 10 (2) (iii)]

- (२) किसी विदेशी को दिया गया 'वेतन', यदि कर न काटा गया हो,
 - [धारा १० (४) (a)]
- (३) साभेदारी फर्म द्वारा अपने किसी साभेदार को दिया गया वेतन, ब्याज या अन्य प्रकार का पारिश्रमिक,
 - [धारा १० (४) (b)]
- (४) मालिकों द्वारा निकाले हुए आहरण (Drawings),
- (५) मालिकों द्वारा किए गए निजी व्यय,
- (६) आय कर व अधि कर की रकम,
- (७) आय कर की अपील का व्यय,
- (८) अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फंड में दान,

[धारा १० (४) (c)]

- (९) अप्राप्य ऋणों के लिए सचिव
- (१०) हास के लिए या अन्य कामों के लिए किए गए सचिव व उन पर ब्याज, (११) पूँजी व्यय,
- (१२) यदि करदाता अपने ही मकान में व्यापार करता है तो इस मकान का किराया,
- (१३) कम्पनी द्वारा किसी सचालक को आवश्यकता से अधिक दिया जाने वाला पारिश्रमिक,
 - [धारा १० (४) (A)]

- (१४) दान,
 (१५) लाभ-हानि खाते में लिखी हुई पुरानी हानियाँ,
 (१६) यदि किसी हानि का बीमा हो चुका है तो इस प्रकार की हानि,
 (१७) कम्पनी के अशो को यदि कटौती पर बेचा गया है तो यह कटौती,
 (१८) ऐसी पेन्शन जो कि पुराने साभेदारो को दी जा रही हो,
 (१९) स्वीकृत रकम से अधिक ह्रास की रकम,
 (२०) अन्य कोई व्यय, जो कि व्यापार के सम्बन्ध में न किया गया हो।

नीचे लिखी हुई हानियाँ करदेय व्यापारिक आय निकालने के लिए नहीं घटाई जायेंगी :—

(१) एक अजनबी व्यक्ति द्वारा एक व्यापारी के लाभ को लूटना। जैसे— एक महाजन की तिजोरी तोड़कर चोरो द्वारा उमकी रकम को चुराना।

[Ramaswami Chettier Vs. C.I.T.]

(२) डाकुओं द्वारा एक व्यापारी के दफ्तर में घुसकर उसके मुनीम व खजांची को लूटकर उस दिन की सारी बिक्री को ले जाना।

[Gadodia and Co. In re]

(३) करदाता के ऐसे कर्मचारी को लूटना जोकि करदाता की रकम बैंक लिए जा रहा हो।

[Mul Chand Hira Lal Vs. C.I.T]

ऊपर दिए हुए टीनों उदाहरणों में दी हुई हानियों को तब तक नहीं घटाया जा सकता है जब तक ये वास्तव में व्यापार के स्वभाव से सम्बन्धित न हों। यदि चोरी व डाकुओं द्वारा हुई हानियाँ व्यापार के स्वभाव से सम्बन्धित हों तो इन्हें व्यापार के लाभ से घटाया जा सकता है। जैसे—यदि एक करदाता को बैधानिक नियमों के अनुसार विभिन्न क्रय केन्द्रों पर किसानों को रज्या वांटने के लिए भेजना पड़ता है और इस रूप में रास्ते में लूट लिया जाता है तो इस हानि को घटाया जा सकता है।

धारा १० में घटाने योग्य व्ययों की सूची पूर्ण नहीं है। एक व्यापार से सम्बन्धित हानि को व्यापार का लाभ निकालने के लिए घटाया जा सकता है, चाहे वह इस उपधारा के किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत न दी हुई हो, क्योंकि लाभ साधारण व्यापार के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर निकाला जाता है। प्रत्येक आय कर अधिकारी को इन व्यापार के सिद्धान्तों का ज्ञान होना चाहिए।

नकद साख (Cash Credit)—

कुछ बेईमान करदाता व्यक्तिगत खातों के नाम से भूठो 'नकद साख' जमा कर लेते हैं। ऐसा करने से वे अपने लाभों को छिपा लेते हैं और यह नहीं दिखाते हैं कि यह रकम कहाँ से आई। जब आम-कर अधिकारी इस रकम के बारे में पूछता है तो

बहुधा यह कहा जाता है कि यह रकम गहने बेचकर या मुसरात से प्राप्त हुई है। इन उत्तरो को आय-कर अधिकारी की दृष्टि में बहुत ही कम विश्वसनीय माना जाता है।

करदाता या तो अपने खाते में या अपने सम्बन्धियों या अन्य व्यक्तियों के खाते में ये रकम जमा करता है। यदि ये रकम करदाता ने अपने खाते में जमा की है तो आय-कर अधिकारी के सन्तोष के लिए यह साबित करने का बौद्ध करदाता पर ही रहता है कि रकम वास्तव में आय नहीं है। आय कर अधिकारी यदि इस स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न हो तो इस नकद साख (Cash Credit) को आय मान कर इस पर कर लगा सकता है। यदि अन्य व्यक्तियों के खाते में ये रकम जमा है तो इस बात को साबित करने का बौद्ध, कुछ निरोध दस्तावों को छोड़कर अन्य दस्तावों में, आय-कर विभाग पर ही रहता है।

(Jai Narayn Balabakas Vs. C.I.T. 1957)

(Radhakrishnan Beharj Lal Vs. C.I.T. 1954)

यदि Cash Credit हो तो प्रत्येक करदाता को इसका स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए, धरना खाते अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। करदाता के खाते में Cash Credit था, परन्तु इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, जिसके कारण आय-कर अधिकारी करदाता की आय का ठीक अनुमान उसके खाते से न चला सका, अतः उसके खाते को अस्वीकृत किया गया और धित्री पर एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार लाभ का अनुमान लगाया गया।

[P. Abdul Khadar V. C. I. T. Madras Oct. 19, 1959]

आय कर अफसर ऐसी रकमों को लाभ मानकर कर लगा सकता है, यदि उसे यह विश्वास हो जाय कि ये लेखे वेईमानी की नीयत से किए गये हैं। जब तक आय-कर अधिकारी को विश्वास न हो कि नकद साख सही है, तब तक वह इस राशि पर लाभ मानकर कर लगाता है तथा ऐसे करदाता पर जुर्माना भी करता है।

क्षति पूर्ति व्यापारिक आय के रूप में (Compensation as business Income)—

आय-कर अधिनियम की धारा १० (5-A) के अनुसार नीचे लिखी हुई दस्तावों में मिला हुआ हर्जाना व्यापारिक आय होता है और इस पर कर भी लगता है:—

- (अ) एक भारतीय कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता (Managing Agent) का हटाने के लिए दी हुई क्षति पूर्ति या उसकी राजों के परिवर्तन करने के लिए दी गई रकम।
- (ब) एक भारतीय कम्पनी के मनेजर को हटाने के लिए व उसके प्रसविदे में कोई परिवर्तन करने के लिए दी हुई क्षति पूर्ति।
- (स) कोई भी व्यक्ति, जोकि करदाता प्रदेश में काम करने वाली कम्पनी का पूर्ण या लगभग पूर्ण प्रबन्ध करता हो तो ऐसे व्यक्ति को हटाने व उसके प्रसविदे के परिवर्तन करने की क्षति पूर्ति।

(द) किसी ऐसे अभिकर्ता (Agent) को, जोकि करदेय प्रदेश में किसी की एजेंसी कर रहा हो, हटाने के लिए दी गई क्षति पूर्ति ।

Illustration No. 1—

Following is the Profit and Loss Account of Mr. X for the year ending 31st March 1960.

	Rs.		Rs.
Salaries	5,000	Gross Profit	50 000
Insurance Premium	500	Interest	1,000
Advertising	3 000	Interest on Govt securities	3,000
Depreciation	2,000	Profit on sale of investment	1,000
Postage Stamp	200		
Income tax reserve	2,000		
General expenses	20,000		
Net profit	22 300		
	<u>Rs. 55 000</u>		<u>Rs. 55 000</u>

Find out the taxable profit from business of Mr X after taking into consideration the following —

- Depreciation allowable is Rs 1 600.
- Advertising expenses include Rs 1,000 which is capital expenditure.
- General expenses include Rs. 500 for subscriptions given to a Political party and Rs. 300 for repair of a machinery.
- Rs. 1,500 is the amount of Sales tax paid but is not included in the above P. & L A/c.

Solution No. 1—

	Rs.
Net Profit as disclosed by Profit and Loss A/c.	22,300
Add Inadmissible expenditures	Rs
Excess depreciation	400
Subscription to political party	500
Advertising (Capital Expenditure)	1,000
Income-tax Reserve	<u>2,000</u>
	<u>3,900</u>
	26,200
Deductions	Rs.
Sales tax	1,500
Interest on Govt Securities (it is taken under separate heading)	3,000
Profit on sale of Investment (Being Capital Profit)	<u>1,000</u>
Taxable Profit from business	<u>Rs. 5 500</u>
	<u>20,700</u>

Illustration No. 2—

Following is the P & L account of a company for the year ending 31st March, 1960.

Salaries (office)	Rs 3 000	Gross profit	Rs 60 000
Rent	2 400	Interest on securities	2 000
Director's Fees	1,500	Bad debts recovered	200
Law expenses	700	Discount received	800
Subscription (Business)	200	Commission	2,000
Auditors Fees	900	Profit on sale of Securities	1,500
Depreciation	1 500	Other receipts	300
Fire Insurance Premium	300		
Travelling expenses	400		
Reserve for bad and doubtful debts	1 200		
Expenses in connection with issue of shares	1,500		
Bad Debts	700		
Net Profit	52,500		
	Rs. <u>66 800</u>		Rs <u>66 800</u>

Find out the taxable profit from business of the company after taking into consideration the following —

- (a) Law charges include an amount of Rs. 200 spent in connection with a purchase of a new machinery.
- (b) Admissible depreciation is Rs 1 000

Solution No 2—

Net profit as disclosed by profit and loss account	Rs. 52,500
Add expenses disallowed —	

	Rs	
Expenses in connection with issue of shares	1,500	
Reserve for Bad and doubtful debts	1 200	
Law charges on machinery (Capital expenditure)	200	
Excess depreciation	<u>500</u>	<u>3 400</u>
		55 900

Deductions	Rs.	
Interest on securities	2,000	
Profit on sale of securities	<u>1,500</u>	<u>3 500</u>
Taxable profit from business		Rs. <u>52 400</u>

Illustration No 3—

Following is the Profit and Loss account of a Sugar Mill Co for the year ending 31st March, 1960 --

Stock of Sugar at 1st April 1959	Rs 2,00 000	Sales	Rs 30 00 000
Cost of Cane crushed	13,00,000	Stock of Sugar	4 00,000
Wages	2,50 000		
Repairs and renewals	20 000		
Establishment Charges	30 000		
Depreciation	1 00 000		
Auditor's fees	1 500		
Director's fees	2 300		
Commission on sale	30,000		
Balance c/d	14 66 200		
	<u>Rs. 34 00 000</u>		<u>Rs 34 00,000</u>

Find out the total income of the company after taking into consideration the following —

- The amount of Rs 4,000 paid to an undesirable employee as compensation is included in Establishment Charges.
- Cane crushed includes Rs. 3,00,000 the cost of cane grown on the company's own farm whereof Rs 4 00 000 is the average market price of the cane
- Repairs and Renewals includes an amount of Rs 8,000 which is cost of additions to factory Buildings.
- Depreciation allowable is Rs 90,000

Solution No 3—

Profit as disclosed by P. & L A/c		Rs. 14,66,200
Add —	Rs	
• Additions to factory building	8,000	
Excess depreciation	<u>10 000</u>	<u>18,000</u>
		14 84,200
Deductions		
Agricultural Income		
(Rs. 4 00 000—Rs 3 00 000)		<u>1 00 000</u>
Total Income		<u>Rs 13 84 200</u>

Note—The amount of compensation given to undesirable employee has not been taken into consideration because his removal from the company is profitable in the interest of the company

Illustration No 4—

Given below is the Profit and Loss Account of a tea company for the year ending 31st March 1960. Find out his total income for 1960-61 when allowable depreciation is Rs 56,000.

	Rs		Rs
Opening Stock	3 00 000	Sale of tea	9 00 000
Manufacturing Exp	1 80 000	Stock of tea	
Directors Fees	2 000	(at 31st March	
Auditor's Fees	500	1960)	3 00 000
Donations to Political Party	2 000		
Brokerage	10 000		
Freight	10 000		
Income tax	12 000		
Reserve for Bad Debts	8 000		
Depreciation	60 000		
Net Profit	<u>6 15 500</u>		
	Rs <u>12 00 000</u>		Rs <u>12 00 000</u>

Solution No 4—

Profit as disclosed by P & L Account		Rs	6 15 500
Add—	Rs		
Donations	2 000		
Reserve for bad debts	8 000		
Income tax	12 000		
Excess depreciation	<u>4 000</u>		<u>26 000</u>
			6 41,500
Deduct —			
60% is treated as agricultural income			<u>3 84 900</u>
Taxable Income from business		Rs	<u>2 56 600</u>

Note—60% of the Agricultural Income has been calculated on Rs 6 41 500

QUESTIONS

- 1 Define business and state the deductions that are expressly allowed in computing the taxable income from business
(Raj B Com 1960)
 - 2 What deductions are allowed to a business in computing the profits? Specify the expenses disallowed
(Agra B Com 1944 1954)
 - 3 Enumerate the expenses which are allowed in computing the taxable profits of a partnership firm and a limited Co and also state the expenses or losses which are not allowed
(Agra B Com 1952 Raj B Com 1957)
 - 4 In what circumstances are the following items allowed as deduction in computing the taxable income from business —
 - (a) Repairs
 - (b) Insurance Premium
 - (c) Interest
 - (d) Legal Charges
 - (e) Depreciation of Investment

(Agra B Com 1950)
-

अध्याय १०

अन्य साधनों से आय

(Income from other Sources)

आय-वर्ग अधिनियम की धारा १२ (१) के अनुसार जो आय 'वेतन', 'प्रतिभूतियों पर ब्याज', 'सम्पत्ति पर आय' और 'व्यापार पेशा व व्यवसाय' वाले शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में नहीं लिखी जाती है, वह 'अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षक में लिखी जाती है।

Salisbury House Estate Ltd. Vs. Fry, 15 Tax cases 266 के मामले में नीचे लिखे हुए नियम इस शीर्षक के बारे में दिए गए थे :—

- (१) यदि कोई आय चार विशिष्ट शीर्षकों में से किसी में भी जाने के योग्य नहीं है, तभी 'अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षक में जायगी।
- (२) यदि किसी आय का कोई शीर्षक है तो उसे उसी शीर्षक में ले जाना चाहिए।

नीचे लिखी हुई आयें 'अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षक में आती हैं :—

- (१) ऋणों पर ब्याज,
- (२) अशो का लाभान,
- (३) एक परीक्षा के निरीक्षक द्वारा प्राप्त की हुई फीस,
- (४) एक Bar Council द्वारा परीक्षा और प्रवेश के लिए प्राप्त की हुई फीस,

(Bar Council Patna Vs. C.I.T. 1949)

- (५) एक कर्मचारी द्वारा मालिक के अलावा अन्य कहीं से प्राप्त किया हुआ कमीशन,
- (६) करदेय प्रदेश के बाहर से प्राप्त की हुई खेती की आय,
- (७) शिकमी किराये पर उठे हुए मकान का किराया,
- (८) किसी खान में प्राप्त किया हुआ भूमि का किराया
- (९) किसी ऐसी भूमि से किराया प्राप्त करना जो कि इमारतों से जुड़ी हुई न हो।
- (१०) बाजार या मछलियों की आय,
- (११) अशो के बेचने पर मिला हुआ कमीशन,
- (१२) सचालको की फीस,

- (१३) अधिकार-शुल्क (Royalty),
 (१४) प्रतिभूतियों के ब्याज को छोड़कर बाकी सब प्रकार के ब्याज, जैसे—
 ऋण पर ब्याज, चालू खाते पर ब्याज आदि,
 (१५) पट्टे पर दठी हुई सम्पत्ति पर आय,
 (१६) मशीन व फर्नीचर को किराये पर उठाने में आय,
 (१७) कोई ऐसी वार्षिकी जोकि किसी वसीयतनामा के अनुसार मिली हो,
 परन्तु यह वार्षिकी मालिक द्वारा कर्मचारी को न मिली हो।

अन्य साधनों से प्राप्त हुई आय में से नीचे लिखे हुए व्ययों को घटा देने के बाद ही करदेय आय प्राप्त होती है (Deductions from "Income from other Sources")—

- (१) वे सब व्यय घटा दिए जाते हैं जिनकी मदद से आय प्राप्त की गई है, परन्तु इन व्ययों को न तो पूँजी व्यय होना चाहिए और न निजी व्यय।
 (२) यह व्यय उसी वर्ष होना चाहिए जिस वर्ष में वह आय प्राप्त हुई हो। यह निर्णय प्रिवी कौन्सिल ने C. I. T. Vs. Basant Ram Takhat Singh के मामले में दिया था।
 (३) साभास प्राप्त करने के लिए बैंको को दिया गया उचित कमीशन घटाया जा सकता है।
 (४) जो व्यय व्यापार, पेशे व व्यवसाय में अस्वीकृत व्यय (Inadmissible Expenses) माने गए हैं वे यहाँ भी अस्वीकृत व्यय माने जाते हैं।

अन्य साधनों से प्राप्त हुई आय में से घटाने योग्य व्ययों के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय नीचे दिए हुए हैं :—

(१) एक ऐसी रियासत में न्यायालय द्वारा एक रिसेवर नियुक्त किया गया था जिसमें कृषि आय व अन्य प्रकार की आयें प्राप्त होती थी। रिसेवर के वेतन का अनुपातिक भाग ही अन्य प्रकार की आयों से घटाने का निर्णय दिया गया था।

(Sachindra Mohan Ghosh Vs. C. I. T.)

(२) एक कम्पनी के सचालक के विरुद्ध यह कार्यवाही की गई कि उसके सचालक बनने का चुनाव भ्रष्ट था। सचालक ने अपने चुनाव को बंध साबित करने के लिए व्यय किए। इन व्ययों को न्यायाधीशों द्वारा घटाने योग्य व्यय माना गया था।

(C. I. T. Vs. Sir Purshotham Dass Thakur Das 1946)

(३) एक बरदाना ने सचालक को फीस और लानाग के रूप में एक ऐसी कम्पनी से करदेय आय प्राप्त की जिसे उन्होंने चलाया था और जब कम्पनी घाटिक

कठिनाइयों में भी तो उसने ३ लाख रुपये का दान कम्पनी को दिया। यह व्यय घटाने योग्य व्यय नहीं माना गया, क्योंकि यह व्यय लाभान या संचालक की फीस प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था।

(C. I. T. Vs. Sir Homi Mehta)

(४) एक कम्पनी, जोकि प्रारम्भ की श्रेणी में है, अपने काम शुरू करने के पहले किये हुए कार्यालय के व्ययों को अन्य साधनों की प्राय से नहीं घटा सकती है।

(C. I. T. Vs. Bihar Spinning and Weaving Mills Ltd. 1953).

लाभांश (Dividends)—

साधारण भाषा में लाभांश का अर्थ कम्पनी के लाभ के उस भाग से है जोकि अशकारी को अशकारी होने की हैसियत में मिलना है। प्राय कर अधिनियम की धारा २ (६-A) में यह बताया गया है कि लाभांश में कौन कौन सी रकमें शामिल करनी चाहिए और कौन कौन सी रकम शामिल नहीं करनी चाहिए, परन्तु इस धारा में लाभांश की पूर्ण परिभाषा नहीं की गई है। इस परिभाषा में ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिन्हें साधारण तौर पर लोग लाभांश नहीं मानते हैं। वे सब प्रायें लाभांश में शामिल हैं जो कम्पनी के एकत्रित लाभों में से या उनकी सीमा तक वितरण करने या भुगतान करने से सम्बन्धित हैं। इस धारा में चालू लाभों में से दिये जाने वाले लाभांशों का कोई बरांत नहीं किया गया है, यद्यपि इन लाभों में से वाटी हुई रकम प्राय-कर में लाभांश मानी गई है।

कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ के अनुसार एक कम्पनी अपने चालू वर्ष के लाभों या एकत्रित लाभों के अतिरिक्त और वही से भी लाभांश नहीं दे सकती है।

कम्पनी किसी अशकारी को प्राय कर काटने के बाद ही लाभांश देती है, अतः जो रकम अशचारियों को मिलती है वह कर काटने के पश्चात् मिलती है। यदि लाभांश में से कर न काटा गया होता तो अशचारियों को अधिक लाभांश प्राप्त होता। यही कारण है कि जब अशचारियों की प्राय में लाभांश जोड़ा जाता है तो सकल (Gross) बनाकर जोड़ा जाता है। मिले हुए लाभांश को सकल बनाने की विधि को अंग्रेजी में Grossing of Dividend कहते हैं।

लाभांश को सकल करने की विधि—

जब लाभांश को सकल नहीं बनाया जाता है, परन्तु विद्यते वर्ष तक कम्पनी के लाभांश पर ३० प्रतिशत कर और १-५ प्रतिशत अधि-कर लगता था, अतः यदि शुद्ध लाभ को सकल (Gross) करना होना था तो इस प्रकार किया जाता था :—

$$\frac{\text{शुद्ध लाभ} \times २००}{१२७}$$

whose full profit is taxable and Rs. 1,874 from another company whose 20% profit is taxable.

Find out the Gross dividend of the shareholder for the assessment year 1959-60

Solution No. 3—

For 1959-60 :

$$\frac{6,000 \times 200}{137} + \frac{1,874 \times 100}{100 - \left(20 \times \frac{31.5}{100}\right)}$$

$$= 8,759.12 + \frac{1,874 \times 100}{93.7} = 8,759.12 + 2,000$$

$$= \text{Rs. } 10,759.12$$

वित्त अधिनियम सन् १९५६ और लाभांश—

(१) इस अधिनियम के अनुसार कम्पनी के लाभांश में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, जोकि नीचे दिये हुए हैं—अभी तक लाभांश के ऊपर जो कर कम्पनी द्वारा दिया जाता था, उसे यह समझा जाता था कि कम्पनी यह कर अपने कोप से देती है, इसलिए अशुभकारी की मिलने वाले लाभांश में कम्पनी द्वारा इस पर दिये गये कर को जोड़ दिया जाता था। इसी प्रथा को लाभांश का सकल करना कहा जाता था, परन्तु अब इस अधिनियम के द्वारा लाभांश को सकल करना बन्द कर दिया गया है, अर्थात् १ अप्रैल सन् १९६० से कोई भी ऐसे लाभांश सकल नहीं बनाये जायेंगे जिन पर कि सन् १९६०-६१ में कर देय होगा। इस नियम को नीचे दिए हुए चार्ट द्वारा समझाया गया है।

गत वर्ष	करदेय वर्ष	लाभांश को सकल बनाना
१९५५-५६	१९५६-६०	लाभांश को इस प्रकार सकल बनाया जाता था। $\frac{\text{शुद्ध लाभांश} \times २००}{१३७}$
१९५६-६०	१९६०-६१	लाभांश को सकल नहीं बनाया जायगा, परन्तु चूँकि प्रति-भूतियों के ब्याज की तरह इन पर आय कर काटा जायेगा, अतः $\frac{\text{शुद्ध लाभांश} \times १०}{७}$ किया जायेगा।

धारा १६ (२) जोकि लाभांश को सकल बनाने से सम्बन्धित है, आय-कर

अधिनियम से हटा दी गई है। इस योजना के बन्द करने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा है।

(२) यदि कोई कम्पनी किसी अगवारी को अपने ऐसे लाभो में से लाभांश देती है जिस पर राज्य सरकार द्वारा कृपि आय कर लगाया गया है तो अगवारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत देय आय पर धारा ४६ B के अनुसार कुछ छूट मिलेगी।

(३) वित्त अधिनियम सन् १९५९ में आय कर अधिनियम की धारा १८ (३ D) को स्थानापन्न कर दिया है। अब कम्पनियाँ निर्धारित दर पर (Prescribed Flat Rate), जोकि आय कर के लिए २५% और सरचार्ज के लिए ५% है, लाभांश में से आय कर काटकर केन्द्रीय सरकार को क्रेडिट किया करेगी, जैसा कि सरकारी प्रतिभूतियों के व्याज और करदेय ऋण पत्रों के व्याज के सम्बन्ध में किया जाता है। यह रकम कर निर्धारण के समय अगवारी के व्यक्तिगत कर निर्धारण में वापिस (Reimbursed) कर दी जायेगी। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यह धारा उन्हीं कम्पनियों में लगेगी जोकि ऐसे लाभांश घोषित करती हैं, जिन पर कि सन् १९६०-६१ में कर लगेगा। जैसे— ३० अप्रैल सन् १९५६ को समाप्त होने वाली वर्ष के लिये घोषित किये हुए लाभांशो पर यह योजना लागू हो जायेगी।

(४) इस अधिनियम के अनुसार धारा १८ (३ E) आय-कर अधिनियम में जोड़ी गई है, जिसके अनुसार कर मुक्त अधिलाभांश पर कर काटने के सम्बन्ध में नियम दिये हुए हैं, परन्तु यह धारा उन्हीं लाभो पर लगेगी जिन पर करदेय वर्ष सन् १९६०-६१ में कर लगेगा।

(५) इस अधिनियम में आय-कर की धारा ४६ (C) को हटा दिया है।

(६) इस अधिनियम में आय कर की धारा ३५ (१०) को भी हटा दिया गया है।

लाभांश को वर्तमान काल में सकल बनाने की विधि—

यद्यपि अब लाभांश को सकल नहीं बनाया जायेगा, जैसा कि अभी तक होता आया है, परन्तु अब इस पर प्रतिभूतियों के व्याज की भाँति कर काटा जायगा, जोकि आय कर व सरचार्ज मिला कर ३० प्रतिशत होगा। अर्थात् यदि १०० रु० लाभांश के होंगे तो इसमें से ३० रु० कर काटकर कुल ७० रुपये ही लाभांश के रूप में दिये जायेंगे। अतः यदि शुद्ध लाभांश दिया हुआ हो तो इसे सकल इन प्रकार बनाया जायेगा :—

$$\frac{\text{शुद्ध लाभांश} \times 100}{70} \text{ या } \frac{\text{शुद्ध लाभांश} \times 10}{7}$$

Illustration No. 4—

M: A received the following net dividends on ordinary shares from various companies from May 1959 to March 1960 —

(a) Rs. 1,370 from X Co Ltd for the year ending 31st Dec., 1958, whose 100% profits are taxable

- (b) Rs 2 740 from Y Co Ltd for the year ending 31st Jan 1959 whose 100% profits are taxable
- (c) Rs 4 110 from Z Co Ltd for the year ending 31st March 1959 whose 100% profits are taxable
- (d) Rs 2 100 from A Co Ltd for the year ending 30th June 1959
- (e) Rs 2 800 from B Co Ltd for the year ending 30th Nov 1959
- (f) Rs 1 400 from C Co Ltd for the year ending 31st Dec 1959

Find out the amount of dividend to be included in the total income of A for income tax purposes and also the amount of tax credit

Solution No 4—

Name of the Co	Net Dividend received	Tax deducted at source	Gross Dividend	Tax credit
	Rs	Rs	Rs	Rs.
(a) X Co Ltd	1 370	not applicable	2 000	630
(b) Y Co Ltd	2 740	not applicable	4 000	1 260
(c) Z Co Ltd	4 110	not appl cable	6 000	1 890
(d) A Co Ltd	2 100	900	3 000	900
(e) B Co Ltd	2 800	1 200	4 000	1 200
(f) C Co Ltd	1 400	600	2 000	600
	14,520	2 00	21 000	6 480

Gross Dividend is Rs 21 000

Tax credit is Rs 6 480

Notes—(i) In the first three cases dividend has been grossed with this formula $\frac{\text{Net Dividend} \times 200}{137}$

(ii) In the last three cases dividend has been grossed with this formula $\frac{\text{Net Dividend} \times 10}{7}$

Illustration No 5—

Shri X has investments in tax free Preference Shares and the amount of such dividend received from April 1959 to March 1960 is as under —

Name of the Co	Tax free Pref %	No of Shares	Paid up value of each share	Out of Profit for the year
			Rs	
A Co	5%	25	100	30 6 1959

B. Co	6%	30	100	31- 8-1959
C. Co	7%	150	100	31-10-1959

Find out the amount of Tax free Pref. Dividend, tax credited and the total dividend income according to Sec. 18 (3E).

Solution No 5—

Tax free Pref. %	No of Shares	Paid up value of each Share	Total Share in paid up Capital	amount of Dividend
		Rs	Rs	Rs
5%	25	100	2,500	125
6%	30	100	3 000	180
7%	150	100	15,000	1,050
Total Dividend received				Rs <u>1,355</u>

Total dividend income according to sec. 18 (3E) will be calculated in the following manner.

When net income is Rs 70	Total income is Rs 100
„ „ „ 1	„ „ $\frac{100}{70}$
„ „ „ 1,355	„ „ $\frac{100}{70} \times 1,355$
	= Rs. 1,935.71

Therefore the amount of tax credited is Rs 1 935 71 — Rs. 1,355 i.e. Rs 580 71*

पूँजी हानि को प्रतिसाद करना और आगे ले जाना (Set off and Carry Forward of Capital Losses)—

पूँजी हानि को उसी वर्ष के पूँजी लाभ से प्रतिसाद (Set off) करना चाहिए। यदि उस वर्ष का पूँजी लाभ पूँजी हानि को प्रतिसाद करने के लिये पर्याप्त न हो तो उसे अगले साल के पूँजी लाभों में प्रतिसाद करना चाहिए। इस प्रकार की हानि अगले आठ साल तक ले जाई जा सकती है। यदि करदाता कम्पनी के अतिरिक्त अन्य प्रकार का है तो वह अपनी पूँजी हानि को तभी आगे ले जा सकता है जबकि वह ५,०००) से अधिक हो।

पूँजी लाभ (Capital Gains)—

एक ही लाभ एक व्यक्ति के लिए पूँजी लाभ और दूसरे के लिए व्यापारिक लाभ हो सकता है। चाय कर अधिनियम का धारा १२ B के अनुसार उन पूँजी लाभों पर कर लगता है जो कि ३१ मार्च सन् १९४६ के बाद और १ अप्रैल सन् १९४८ के पहले पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने से या बेचने से प्राप्त हुए हों और इस प्रकार के

* Tax is credited at the rate of 30 p. c. according to Sec. 18 (3E)

लाभ उस गत वर्ष की आय समझे जायेंगे जिसमें कि यह हस्तान्तरण या विक्री हुई है। १ अप्रैल सन् १९४८ से ३१ मार्च सन् १९५६ तक पूँजी लाभ पर कोई कर नहीं लगा था।

पूँजी लाभ और फाइनेन्स एक्ट सन् १९५६—

सन् १९५६ के फाइनेन्स एक्ट के अनुसार ३१ मार्च सन् १९५६ के बाद से पूँजी लाभो पर कर लगने लगा है। जो पूँजी लाभ पूँजी सम्पत्ति (Capital Asset) के विक्री करने, हस्तांतरण करने, छोड़ने अथवा विनिमय करने से प्राप्त होते हैं वे लाभ उस गत वर्ष की आय समझे जायेंगे जिसमें कि यह विक्री, हस्तांतरण, छूट या विनिमय हुए हो।

इस एक्ट की धारा १२-B (१) के (Proviso) १ व २ के अनुसार नीचे लिखी पूँजी सम्पत्ति कर लगाने के लिए विक्री, विनिमय, छूट या हस्तांतरित की हुई नहीं मानी जायगी :—

- (१) किसी सम्मिलित परिवार के पूर्णतः या अंशतः विभाजित होने पर बँटने वाली पूँजी सम्पत्ति,
- (२) एक कम्पनी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति हस्तांतरित करने जिसकी पूरी अथवा पूँजी उसके नियंत्रण में हो।

धारा १२-B (२) के अनुसार पूँजी आय में से नीचे लिखी हुई कटौतियाँ घटाने के बाद शेष लाभ करदेय पूँजी लाभ माना जायेगा—

- (१) पूँजी सम्पत्ति की विक्री, विनिमय, छूट या हस्तांतरण करने में किया गया व्यय,
- (२) पूँजी सम्पत्ति का करदाता के लिये असल मूल्य—इसमें वे सब पूँजी व्यय शामिल कर लिए जायेंगे, जो इसे बढ़ाने या इसमें परिवर्तन करने के लिए किए गये हो, परन्तु वे व्यय शामिल नहीं किये जायेंगे जिनके लिए धारा ८, ९, १० और १२ में छूट मिल सकती है। पूँजी सम्पत्ति का अर्थ आगे समझाया गया है।

पूँजी लाभ पर कर लगाने के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण नियम—

- (१) यदि कुल पूँजी लाभ ५,००० रुपये या इसमें कम है तो इस पर कोई कर नहीं लगेगा।
- (२) यदि पूँजी लाभ और अन्य आय मिलकर १०,००० रुपये से अधिक नहीं होती है तो भी पूँजी लाभ पर कर नहीं लगेगा।
- (३) यदि किसी विवाहित व्यक्ति का पूँजी लाभ करदेय है तो इस पर कर लगाने के लिए दर इस प्रकार निकाली जायेगी—अन्य आय + पूँजी लाभ का $\frac{1}{2}$ = कुल आय। इस कुल आय पर आय-कर की दरों के हिसाब से औसत दर निकालनी चाहिए। इसी औसत दर के हिसाब से पूँजी लाभ की रकम पर आय कर निकाला जायगा।

पूँजी सम्पत्ति का अर्थ (Meaning of Capital Asset)—

“पूँजी सम्पत्ति” के अन्तर्गत करदाता की हर प्रकार की सम्पत्ति आती है, चाहे वह ध्यापार, पेशे व व्यवसाय में सम्बन्धित हो या नहीं, परन्तु नीचे लिखी हुई सम्पत्तियाँ इसमें शामिल नहीं की जाती हैं :—

- (I) ध्यापार, पेशे व व्यवसाय के लिए रखे हुए स्टॉक, उपभोगनीय स्टोर्स या कच्चे माल,
- (II) निजी वस्तुयें, जैसे अस्थायी सम्पत्ति (पहनने के कपड़े, गहने और फर्नीचर) जिन्हें करदाता ने स्वयं के प्रयोग के लिए या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के प्रयोग के लिए रखी हो,
- (III) कोई भूमि जिससे प्राप्त होने वाली आय कृपि आय है,

[धारा २ (४ A)]

इस सम्बन्ध में नीचे लिखी सूचनायें महत्त्वपूर्ण हैं :—

- (अ) ‘पूँजी सम्पत्ति’ लेने वाले व करदाता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध है और आय कर अधिकारी को यह विश्वास है कि यह विक्री या हस्तान्तरण आदि कर बचाने के दृष्टिकोण से किया गया है तो इन्सर्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की पूर्ण स्वीकृति से विक्रय के समय की उचित कीमत के बराबर उस सम्पत्ति की भी कीमत मानी जायेगी ।
- (ब) यदि यह सम्पत्ति ऐसी है जिस पर करदाता ह्रास काट चुका है तो करदाता के लिए इस सम्पत्ति की वास्तविक कीमत इसका ह्रासित मूल्य (Written Down Value) होगा, जोकि धारा १० (२) (VII) के अनुसार, समायोजन होने से चायेगी ।
- (स) यदि ‘पूँजी सम्पत्ति’ करदाता को १ जनवरी सन् १९५४ के पहले प्राप्त हुई हो तो वह आय कर अधिकारी को सतुष्ट करने के वाद उस सम्पत्ति के प्राप्त करने वाली तिथि के उचित विक्रय मूल्य को सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य मान सकता है और इसमें से ह्रास की रकमें घटाई जा सकती हैं और धारा १० (२) (VII) के अनुसार समायोजन भी किये जा सकते हैं ।
- (द) यदि इस सम्पत्ति के विक्रय व विनिमय आदि के लिए पहले कभी कोई बातचीत या समझौते आदि हुए हों, जिनके अन्तर्गत कुछ रकम करदाता को प्राप्त हुई हो और उसे करदाता ने अपने पास रखा हो तो इसे वास्तविक कीमत निकालने के लिए घटा दिया जायगा ।

लेखों के रखने की विधियाँ (Methods of Accounting)—

धारा १२ के अनुसार धारा १० और १२ के लिए आय व लाभ उस लेखा विधि के अनुसार लिखे जायेंगे, जिसका प्रयोग करदाता लगातार नियमित रूप से करता

चला आ रहा है, परन्तु यदि लेखा पुस्तकों के रखने की कोई विधि लगातार नहीं अपनाई गई है या जो विधि अपनाई गई है उससे आय कर अधिकारी सन्तुष्ट नहीं है तो आय और लाभ का ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में आय का निर्धारण आय कर अधिकारी अपनी इच्छानुसार करेगा, इसलिए यह आवश्यक है कि करदाता अपनी लेखा पुस्तकों के लिखने का ऐसा तरीका अपनाये, जिसके द्वारा उसकी सही आय का ज्ञान हो सके और एक विधि को एक बार अपनाने के बाद बार बार न बदले और यदि बदलने की आवश्यकता हो तो आय-कर अधिकारी की स्वीकृति लेने के बाद ऐसा करे।

भारतवर्ष में हिस्साब किताब रखने के लेखों की दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं :—

- (१) भारतीय बही खाता प्रणाली (Indian System of Accounts)।
- (२) अंग्रेजी दोहरा लेखा प्रणाली (English System of Accounting)।

भारतीय बहीखाता प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धान्तों पर आधारित है। इन दोनों प्रणालियों में नीचे लिखी हुई विधियों के अनुसार लेखे किये जाते हैं—

- (१) रोकड़ विधि (Cash System),
- (२) व्यवसायिक विधि (Mercantile System),
- (३) अन्य विधियाँ (Other Systems)।

रोकड़ विधि

(Cash System of Accounting)

रोकड़ विधि क्या है ?—

केवल नकद प्राप्ति और नकद व्यय को लिखने वाली पद्धति को रोकड़ विधि कहते हैं। उधार लेखे इस विधि में नहीं किये जाते हैं।

कहाँ अपनाई जाती है ?—

अधिकतर बकील, अकक्षक और डाक्टर आदि इस विधि को प्रयोग में लाते हैं। वास्तव में इस विधि का प्रयोग उस जगह उचित होता है जहाँ लाभ ज्ञात करन की इच्छा नहीं रहती है।

लाभ—

इस विधि से सबसे मुख्य लाभ यह है कि इस विधि को अपनाने वाले को किसी भी समय यह ज्ञात हो सकता है कि उसके पास रोकड़ रोक क्या है और कहीं कहीं से धन प्राप्त हुआ है और कितन कितन मदों पर व्यय हुआ है ?

हानि—

इस विधि से लाभ और हानि को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उधार सौदों

का लेखा न करने से लेखों में गड़बड़ी रहती है और आय-व्यय सम्बन्धी पूरा विवरण नहीं रहता है। यदि कोई व्यापारी इस प्रथा को अपनाता है तो उसको अपना सही लाभ व हानि ज्ञात नहीं हो सकता है।

व्यवसायिक विधि (Mercantile System)

क्या है ?—

जिस विधि के अनुसार नकद और उधार दोनों प्रकार के सौदे लिखे जाते हैं, उसे व्यवसायिक विधि कहते हैं। प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सभी आयों व व्ययों का लेखा किया जाता है। चाहे इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि वे एक निश्चित अवधि का उचित लाभ या हानि और सम्पत्तियाँ व दायित्व दिखा सकें। अन्तिम स्टॉक का भी मूल्य ज्ञात किया जाता है।

कहाँ प्रयोग की जाती है ?—

सभी बड़े व्यापारी इस पद्धति को प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि व्यापार में लाभ-हानि ज्ञात करना प्रति आवश्यक होता है।

लाभ—

इस प्रणाली के दो मुख्य लाभ हैं—प्रथम, व्यापार का शुद्ध लाभ व हानि ज्ञात होता है। द्वितीय, व्यापार की स्थिति विवरण का सही पता लगता है।

अन्य विधियाँ—

ऊपर समझाई गई दो विधियों के अतिरिक्त अन्य कई विधियाँ लेखा करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। उनमें से एक विधि मिश्रित विधि (Mixed System) भी है। इस विधि के अनुसार व्यापारी कुछ लेखों को रोकड़ के हिसाब से और कुछ को व्यवसायिक विधि के हिसाब से रखते हैं। यह प्रथा सन्तोषजनक नहीं है।

हानि का प्रतिसाद (Set off Losses)—

धारा ६ में भिन्न-भिन्न आयों को छः शीर्षकों में बाँटा गया है। धारा २४ (१) के अनुसार यदि एक या एक से अधिक शीर्षकों में हानि हो तो उसे अन्य शीर्षकों के लाभ से प्रतिसाद (Set off) किया जा सकता है।

एक ऐसा फर्म जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अपनी हानि को अपनी उसी वर्ष का दूसरी आयों से प्रतिसाद कर सकती है, परन्तु इस फर्म के सार्वभार फर्म की हानि को अपनी अन्य आयों में से प्रतिसाद नहीं कर सकते हैं। रजिस्टर्ड फर्म के सार्वभार फर्म की हानि को अपनी अन्य आयों में प्रतिसाद कर सकते हैं, यदि फर्म स्वयं अपनी अन्य आयों से हानि को प्रतिसाद न कर पाई हो।

सट्टे की हानियाँ केवल सट्टे के लाभों में से ही प्रतिसाद की जा सकती हैं।

व्यापारिक हानियों को आगे ले जाना (Carry Forward of Business Losses)—

एक व्यापार की हानि को उसी वर्ष की अन्य आयों से प्रतिसाद किया जा सकता है। यदि सब हानि का प्रतिसाद (Set off) न हो सके तो इसे अगले वर्षों में ले जाया जा सकता है। हानि को आगे ले जाने के सम्बन्ध में नीचे लिखे नियम हैं :—

- (१) हानि आगे के ८ सालों तक ले जाई जा सकती है।
- (२) यतः यह है कि वह व्यापार जिसकी हानि आगे ले जाई जा रही है, चलता रहे। यदि वह व्यापार बन्द हो जाएगा तो हानि आगे नहीं ले जाई जा सकती है।
- (३) इस हानि को अगले वर्षों में या तो उसी व्यापार के लाभ से या अन्य किसी व्यापार के लाभ से प्रतिसाद किया जा सकता है।
- (४) सट्टे की हानि को अगले वर्षों में केवल सट्टे के लाभों में से प्रतिसाद किया जा सकता है।
- (५) केवल उसी व्यक्ति को हानि आगे ले जाने का अधिकार है जिसने कि हानि उठाई हो।
- (६) यदि आगे ले जाने वाली हानि के साथ-साथ आगे ले जाने वाला ह्रास भी है तो अगले वर्ष हानि को प्रतिसाद पहले किया जायगा और ह्रास के बाद में।
- (७) रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म की हानियों के प्रतिसाद व आगे ले जाने के सम्बन्ध में भी ऊपर दिए हुए ही नियम लगते हैं।

एच और जे एक साझेदारी फर्म के साझेदार थे। एच की मृत्यु १४ अगस्त सन् १९५३ को हुई। १५ अगस्त सन् १९५३ को उसकी विधवा स्त्री और जे के बीच समझौता होने पर साझेदारी उसी प्रकार चालू रखी गई जैसे कि एच के समय थी। सन् १९५५-५६ की कर निर्धारण वर्ष में विधवा ने सन् १९५४-५५ की हानि को व अपने पति के समय की हानियों को अपने लाभ के भाग में से set off करने की आज्ञा मांगी। सर्पलेट ट्रिब्यूनल ने यह आज्ञा दे दी, क्योंकि विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में आई थी। यही कारण था कि उसे आय-कर अधिनियम की धारा २४ (२) का लाभ दिया गया।

[C. I. T. Bombay City V. Bai Maniben, June 30, 1959]

स्त्री की आय—

बहुत से व्यक्ति कर बचाने की दृष्टि से अपनी स्त्री को फर्म में साझेदार बना लेते हैं या अपनी कुछ सम्पत्तियों को उसके नाम हस्तांतरित कर देते हैं। यदि आय-कर अधिकारी के सामने इस प्रकार का कोई मामला आता है तो वह स्त्री को इस

प्रकार की आय को कर लगाने के लिए पति की आय में जोड़ देता है, परन्तु यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि पति ने सम्पत्ति का हस्तान्तरण स्त्री को पर्याप्त प्रतिफल के बदले में या अलग रहने के लिए किया है तो इस आय को पति की आय में नहीं जोड़ा जा सकता है।

कुल आय (Total Income)—

आय कर अधिनियम की धारा २ (१५) के अनुसार 'कुल आय' का अर्थ उस आय से है जिस पर करदाता से उसके निवास स्थान के आधार पर कर लिया जाता है और जो आय-कर अधिनियम में दिये हुये तरीकों के अनुसार निकाली जाती है, अर्थात् वेतन, प्रतिभूतियों का ब्याज, सम्पत्ति की आय, व्यापार वा लाभ और अन्य आय को जोड़कर 'कुल आय' निकाली जाती है। यह आय धारा ७, ८, ९, १०, १२, १२ B, १६, ४४ D, ४४ E और ४४ F के अनुसार निकाली जाती है।

कुल संसार की आय (Total World Income)—

धारा २ (१५) के अनुसार कुल आय में सभी प्रकार की आयें शामिल होती हैं, चाहे उनका उपार्जन भारत में हुआ हो या भारत के बाहर। वे आयें इसमें शामिल नहीं होती हैं जोकि कुल आय में धारा ४ (३) के अनुसार सम्मिलित नहीं की जाती हैं तथा जो पूँजी लाभ कुल आय में शामिल नहीं होते हैं वही पूँजी लाभ कुल सासारिक आय में भी शामिल नहीं होते हैं, परन्तु नीचे लिखी हुई आय यद्यपि कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती है, फिर भी कुल सासारिक आय में सम्मिलित की जाती है—धारा १४ (१) के अनुसार एक सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय में से उसके सदस्य को मिली हुई आय।

कुल संसार की आय का महत्त्व—

कुल संसार की आय का निकलना केवल विदेशी के लिये करना पड़ता है, क्योंकि उसकी कुल आय की दर कुल संसार की आय को ध्यान में रख कर निकाली जाती है।

अवयस्क की आय (Income of minor)—

कुछ चालाक व्यक्ति आय-कर बचाने के लिए अपनी सम्पत्ति बच्चे के नाम कर देते हैं या उसे फर्म में साझेदार बना लेते हैं। इस बच्चे की आय उस व्यक्ति की कुल आय में, आय-कर निकालने के लिए जोड़ दी जाती है, परन्तु यदि इस सम्पत्ति का हस्तान्तरण उचित प्रतिफल के लिए या विवाहित लड़कों के लिए किया जाता है तो इसकी आय उस व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ी जाती है।

बेनामी सौदे (Benami Transactions)—

जो व्यक्ति अपना कर बचाना चाहते हैं वे सौदे को दूसरे के नाम में करवाते

है। जब कोई सौदा असली व्यक्ति के नाम में न होकर दूसरे व्यक्ति के नाम में होता है तो उसे बेनामी सौदा कहते हैं। आय-कर अधिकारी को यदि विश्वास हो जाय कि इस प्रकार का सौदा किया गया है तो वह इस सम्पत्ति की आय को भी असली व्यक्ति की आय में जोड़कर कर लगाता है।

QUESTIONS

1. In what circumstances is the income of one person treated as the income of another.
(Agra, M. Com, 1960)
2. Under what circumstances can the incomes of the wife and a minor son of an assessee be included in his Total Income
(Agra, B Com, 1952)
3. Define —
 - (a) Total Income and total World Income in connection with the Income-tax Law
(Agra, B Com, 1940, 45, 46, 50 59)
 - (b) Cash System and Mercantile System of Accountancy.
(Agra, B. Com, 1950)
 - (c) Capital gains
(Agra, B Com 1953, 55, 59, Raj, B Com, 1960)
 - (d) Set off and Carry forward Losses
(Agra B Com, 1942, 45, 49, 54, 56 59, Raj B Com, 1954, 59)
 - (e) Dividend
(Agra, B Com, 1955, 60)
4. Section 13 of the Indian Income tax Act, 1922 reads as follows.—

“Income profits and gains shall be computed for the purpose of section 10 and 12 in accordance with the method of accounting regularly employed by the assessee

Provided that if no method of accounting has been regularly employed or if the method employed is such that in the opinion of the income tax officer, the income, profits and gains cannot be properly deduced therefrom, then the computation shall be made upon such basis and in such manner as the income tax officer may determine’

Comment on this section explaining in particular the various methods of accounting that may be employed by the assessee

(Agra, B Com, 1941)
5. Illustrate Grossing up of dividends, for assessment purposes
(Raj., B. Com, 1959)

अध्याय ११

हास

(Depreciation)

आय कर अधिनियम धारा १० (२) (vi) के अनुसार नीचे लिखी हुई सम्पत्तियों पर काटा गया हास स्वीकार व्यय माना जाता है :—

(अ) भवन ।

(ब) मशीन ।

(स) प्लॉट, इसमें Vehicles, Books, Scientific Apparatus & Surgical Equipments भी शामिल हैं ।

(द) फर्नीचर ।

हास को स्वीकार व्यय मानने का कारण—

व्यापारिक आय निकालते समय केवल आय व्यय ही स्वीकार व्यय माने जाते हैं, पूँजी व्यय स्वीकार व्यय नहीं माने जाते हैं, यद्यपि आय पैदा करने में पूँजी सम्पत्तियाँ बहुत मदद करती हैं, अतः यदि इन सम्पत्तियों के हास या घिसावट का ध्यान न रखा जाय तो घ-माय होगा। यही कारण है कि इन सम्पत्तियों पर इनके हास के रूप में छूट दी जाती है।

हास की छूट प्राप्त करने की शर्तें—

(१) ऊपर दी हुई चार प्रकार की सम्पत्ति के अतिरिक्त और किसी भी सम्पत्ति का हास व्यापारिक लाभों में से नहीं घटाया जा सकता है। जैसे, ऐसे अंशों व प्रतिभूतियों (Shares & Securities) के मूल्य हास को, जोकि पूँजी विनियोग के रूप में रखे गए हों, स्वीकृत व्यय नहीं माना गया है।

[Punjab National Bank Vs. C. I. T.]

(२) करदाता केवल अपनी ही सम्पत्ति का हास अपने व्यापारिक लाभ निकालने के लिए काट सकता है। यदि वह सम्पत्ति का मालिक नहीं है, वरन् केवल प्रयोग के लिए दूसरे की सम्पत्ति को ले रखा है तो इस सम्पत्ति का हास स्वीकृत व्यय नहीं है। यदि करदाता ने दूसरे की सम्पत्ति पर कोई पूँजी व्यय किया है तो इसके लिए कोई हास स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

[Poona Electric Supply Co. Vs. C. I. T.]

- (३) सम्पत्ति व्यवसाय के काम में वास्तव में लाई जाती हो । यदि कोई सम्पत्ति कुछ महीनों ही व्यापार के काम में लाई जाती है तो उतने महीनों का ही हान स्वीकार व्यय माना जायेगा ।
- (४) ह्रास पूरे महीनों का ही मान्य होता है ।
- (५) ह्रास केवल असल मालिक को ही मिलता है । यदि कोई सम्पत्ति किराया क्रय विधि (Hire purchase System) पर क्रय की गई है तो उस पर तब तक ह्रास स्वीकृत व्यय नहीं माना जायेगा जब तक कि यह तय न हो जाये कि उसे अन्त में खरीद ही लिया जायगा ।
- (६) सम्पत्ति के केवल ह्रासित मूल्य (Written down value) पर ही निकाला हुआ ह्रास स्वीकृत व्यय होता है, परन्तु सामुद्रिक जहाज पर असली कीमत (Original Cost) के आधार पर भी ह्रास मिलता है ।
- (७) आय-कर अधिकारी के पास ह्रास के सम्बन्ध में निश्चित विवरण (Prescribed Particulars) भेज देने चाहिये ।
- (८) ह्रास की रकम सम्पत्ति के असली मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

आय-कर के दृष्टिकोण से स्वीकृत ह्रास के भेद (Kinds of depreciation from Income tax point of view)—

आय कर के दृष्टिकोण से ह्रास को ६ भागों में बांटा गया है :—

(१) साधारण ह्रास (Normal Depreciation)—आय-कर अधिनियम के अनुसार भिन्न भिन्न सम्पत्तियों के लिए ह्रास की दरें निश्चित कर दी गई हैं । इन दरों के आधार पर प्रति वर्ष ह्रास वादा जा सकता है । इसी ह्रास को साधारण ह्रास कहते हैं । इन दरों की सूची अन्त में दी हुई है । यह ह्रास सम्पत्तियों के ह्रासित मूल्य विधि से निकाला जाता है ।

(२) अतिरिक्त शिफ्ट का भत्ता (Extra Shift Allowance)—यह भत्ता केवल मशीन और प्लाट के लिए ही दिया जाता है । काम की अधिकता के कारण कारखानों को दो पारी (Double Shift) या तीन पारी (Triple Shift) चलाया जाता है । ऐसा करने से मशीन व प्लाट बहुत घिसते हैं, इसलिए इन पारियों के लिए दिया गया भत्ता 'अतिरिक्त शिफ्ट का भत्ता' कहा जाता है ।

इस भत्ते की दरें—

(अ) दो शिफ्ट के लिए साधारण ह्रास का ५०%.

(ब) तीन शिफ्ट के लिए साधारण ह्रास का १००% ।

इस प्रकार के भत्तों के लिए वर्ष को ३०० दिन का माना जाता है, इसलिए

जितने दिनों दो शिफ्ट चली हो उतने दिनों का साधारण ह्रास निकाल कर ५० प्रतिशत करना चाहिए, इस प्रकार—

$$\frac{\text{वर्ष भर का साधारण ह्रास} \times \text{जितने दिनों दो शिफ्ट चली हो}}{३००} \times \frac{५०}{१००}$$

उदाहरण—एक मशीन का वर्ष भर का साधारण ह्रास २०० रुपये है और यह मशीन ६० दिन तक दो शिफ्ट चलाई गई है तो उसका अतिरिक्त शिफ्ट भत्ता ऊपर दिए हुए नियम की मदद से इस प्रकार निकाला जायेगा—

$$\frac{40}{20} \times \frac{200 \times 50}{300} = 20 \text{ रुपये}$$

जितने दिनों तीन शिफ्ट चली हो उतने दिनों के साधारण ह्रास का १०० प्रतिशत अतिरिक्त शिफ्ट भत्ता होना है, इस प्रकार—

$$\frac{\text{वर्ष भर का साधारण ह्रास} \times \text{जितने दिनों तीन शिफ्ट चली हो}}{३००}$$

उदाहरण—एक मशीन का वर्ष भर का साधारण ह्रास २०० रुपये है और यह मशीन ६० दिन तक तीन शिफ्ट चलाई गई है तो इसका अतिरिक्त शिफ्ट भत्ता ऊपर दिए हुए नियम के अनुसार इस प्रकार निकाला जायेगा—

$$\frac{40}{300} \times 200 = 40 \text{ रुपये}$$

(३) अधिक ह्रास (Additional Depreciation)—घारा १० (२) (vi-a) के अनुसार यदि कोई इमारत, मशीन या प्लान्ट ३१ मार्च सन् १९४८ के बाद बनाई गई है या क्रय की गई है तो उस पर प्रथम पांच वर्षों तक साधारण ह्रास के अतिरिक्त अधिक ह्रास भी दिया जा सकता है, जोकि साधारण ह्रास के बराबर होता है। परन्तु ३१ मार्च सन् १९५६ के बाद यह ह्रास नहीं दिया जायेगा; अर्थात् करदेय वर्ष सन् १९५६-६० से यह ह्रास बन्द कर दिया जायेगा।

(४) प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation)—

(अ) जो मकान १ अप्रैल सन् १९४६ और ३१ मार्च सन् १९५६ के बीच में बना हो उस पर १५ प्रतिशत और दूसरे मकानों पर १०% प्रारम्भिक ह्रास दिया जाता है, परन्तु जो मकान ३१ मार्च सन् १९५६ के बाद में प्रयोग में लाये जाते हैं उन पर प्रारम्भिक ह्रास नहीं दिया जाता है।

(व) जो मशीनें या प्लांट १ अप्रैल सन् १९४६ और ३१ मार्च सन् १९४६ के बीच में ब्रय की गई है और जो उन्नति छूट बटने के योग्य नहीं है उन पर २०% प्रारम्भिक (Initial) ह्रास दिया जाता है। प्रारम्भिक ह्रास के सम्बन्ध में नीचे लिखे हुए नियम महत्वपूर्ण हैं :—

(१) ह्रासित मूल्य (Written down value) निकालने के लिए प्रारम्भिक ह्रास घटाया नहीं जाता है।

(२) जब सम्पत्ति बेकार हो जाय या बेची जाय, उस समय बिना हुई सम्पत्ति पर लाभ व हानि निकालने के लिए प्रारम्भिक ह्रास को घटा देना चाहिए।

(३) जिस वर्ष सम्पत्ति ब्रय की जाती है उस वर्ष साधारण ह्रास, अधिक ह्रास व प्रारम्भिक ह्रास सभी दिए जाते हैं, परन्तु ऊपर समझाये हुए सब नियमों के अन्दर ही ऐसा किया जाता है। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि प्रारम्भिक ह्रास मशीन व मकान के जीवन में केवल एक बार ही स्वीकृत किया जाता है। यह ह्रास ३१ मार्च सन् १९४६ में बन्द कर दिया गया है।

(४) बिना अपलिखित हुआ ह्रास (Unabsorbed Depreciation)—जिस वर्ष व्यापार का लाभ कम होने के कारण पूरा ह्रास अपलिखित नहीं किया जाता है तो इस बचे हुए ह्रास को Unabsorbed Depreciation कहते हैं। प्रायः कर अधिनियम के अनुसार इस बिना अपलिखित ह्रास को बन्दवाता की उस वर्ष की अन्य आयों से काटा जा सकता है और यदि अन्य आयों न हों तो अगले वर्षों तक ले जाया जा सकता है, जब तक कि पूरी तरह से अपलिखित न कर दिया गया हो।

यदि बिना अपलिखित ह्रास के साथ व्यापार की हानि को घायो ले जाया गया है तो इस ह्रास की तुलना में हानि को पहले अपलिखित किया जायेगा। यदि यह व्यापार बन्द हो जाय, जिसका कि बिना लिखा हुआ ह्रास घायो से जाया जा रहा है, तो व्यापार के बन्द होने के साथ ही साथ ह्रास का भी घायो से जाना बन्द कर दिया जायेगा।

(६) तुलनात्मक ह्रास (Balancing Depreciation)—जब मकान, मशीन व प्लांट बेकार हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं या अन्य किसी कारण व्यापार में प्रयोग करने योग्य नहीं रहने के कारण उन्हें बेचने से प्राप्त हुई रकम या उनकी Scrap Value की तुलना उस सम्पत्ति के ह्रासित मूल्य (Written down Value) से करते हैं। इस तुलना में ह्रासित मूल्य उस सम्पत्ति के बिक्री मूल्य या Scrap Value से जितना अधिक होता है, उतना ही तुलनात्मक ह्रास कहा जाता है। यदि उस सम्पत्ति का बिक्री मूल्य उसके ह्रासित मूल्य से अधिक हो तो उसे लाभ माना जाता है और उस पर कर लगता है, परन्तु यदि यह बिक्री मूल्य सम्पत्ति के ब्रय

मूल्य से भी अधिक हो तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अन्तर को पूँजी लाभ माना जाता है और उस पर कर नहीं लगता है। यदि उम सम्पत्ति पर बीमा का रूपया मिले तो उसे भी सम्पत्ति की Scrap Value ही माना जायेगा। तुलनात्मक ह्रास की छूट लेने के लिए यह आवश्यक है कि उसे लेखा पुस्तको में अवश्य लिखा जाय।

उन्नति छूट (Development Rebate)—

उन्नति छूट का उद्देश्य औद्योगिक उन्नति में मशीनों के अधिक प्रयोग को उत्साहित करना है। धारा १० (२) (vi b) के अनुसार करदाता उस नई मशीन व प्लाट और नव जहाज पर जो ३१ मार्च सन् १९५४ के बाद केवल व्यापार के लिए ही प्रयोग करता है तो वह नीचे लिखी हुई दरों के साथ उन्नति छूट काट सकता है :—

(१) ३१ दिसम्बर सन् १९५७ के बाद लिए जाने वाले जहाज पर जहाज की मसली कीमत की ४०% छूट दी जायेगी।

(२) १ जनवरी सन् १९५८ के पहले यदि कोई जहाज लिया गया है और यदि कोई मशीन या प्लाट लगाया गया है तो जहाज या मशीन या प्लाट पर २५% छूट दी जायेगी।

उन्नति छूट को आगे ले जाने के सम्बन्ध में नियम (Rules for Carry forward of Development Rebate)—

यदि किसी वर्ष कुल आय उन्नति छूट से कम है तो उतनी ही उन्नति छूट उस वर्ष अपलिखित (Write-off) की जायेगी, जिससे कि कुल आय शून्य हो जाय और दोष उन्नति छूट अगले वर्ष ले जाई जायेगी। इस प्रकार उन्नति छूट को अधिक से अधिक आठ वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।

यदि किसी वर्ष करदाना की आय से उस वर्ष की उन्नति छूट व पिछले साल की उन्नति छूट घटानी है तो पहले पिछले साल की उन्नति छूट घटाई जायेगी और बाद में उम साल की उन्नति छूट घटाई जायेगी। यदि पिछले कई सालों से उन्नति छूट लाई जा रही है तो सबसे पहले पुराने साल की उन्नति छूट घटाई जायेगी और बाद में क्रम से आने वाले सालों की उन्नति छूट घटाई जायेगी।

उन्नति छूट पाने का अधिकारी बनाने के लिए नीचे लिखी हुई शर्तें पूरी करनी पड़ेगी :—

(१) करदाना की जहाज या मशीन या प्लाट के सम्बन्ध में पूरा विवरण देना चाहिए, और

(२) उन्नति की छूट का ७५% लाभ हानि खाते में डेबिट किया जायेगा और एक मचिन शीप में क्रेडिट किया जायेगा। इसे अगले १० वर्षों तक व्यापार के लिए प्रयोग किया जायेगा, परन्तु लाभान्ध बांटने के लिए या भारत के बाहर लाभ भेजने के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा।

परन्तु ऊपर का न० २ नियम उन कम्पनियों पर जिन्होंने Electricity (supply) Act, 1948 के अंतर्गत लाइसेंस लिया है और उन जहाजों, प्लांट और मशीनों पर जोकि १ जनवरी सन् १९५८ के पहले ली या लगाई गई थी, लागू नहीं होता है।

जिस वर्ष जहाज लिया गया था या मशीन या प्लांट लगाया था उस वर्ष के अंत से दस वर्ष के अन्दर किसी भी समय यदि करदाता द्वारा इस प्रकार का जहाज, मशीन या प्लांट सरकार को छोड़कर किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तान्तरित किया जाता है तो इस प्रकार दी हुई छूट भंगत मानी जायेगी।

क्या लारियों व बसें (Lorries and Buses) स्थापित (instal) की हुई प्लांट व मशीनरी हैं और क्या धारा १० (२) (v2 b) के अनुसार इन पर उत्पत्ति छूट (Development Rebate) मिलनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर "हाँ" में दिये हैं।

[C. I. T. of Madras V. Shri Rama Vilas Service (Private) Ltd. Oct. 26, 1959]

ह्रासित मूल्य (Written Down Value or W. D. V.)

यदि गत वर्ष में कोई सम्पत्ति नई क्रय की गई है तो उसकी असली कीमत और यदि सम्पत्ति पुरानी खरीदी हुई थी तो उसमें ह्रास घटाने के बाद बची हुई रकम ह्रासित मूल्य कही जाती है। जो सम्पत्ति उपहार में प्राप्त होती है, उसका ह्रासित मूल्य उस सम्पत्ति के पहले ह्रासित मूल्य व उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य में जो भी कम हो, वही माना जायेगा।

अप्रचलन छूट (Obsolescence Allowance)—

साधारण अर्थ में अप्रचलन का अर्थ उस ह्रास से होता है जो नई व अच्छी मशीनों के आ जाने से होता है। जब अधिक मात्रा में और अच्छा माल बनाने वाली मशीनों का आविष्कार हो जाता है तो पुरानी मशीनों के मूल्य में कमी आ जाती है। इसी कमी को लेखापालक अप्रचलन कहते हैं। परन्तु प्रायः कर में अप्रचलन की छूट का आशय इस प्रकार है :—

यदि किसी सम्पत्ति पर ह्रास काटा गया है और ऐसी सम्पत्ति बेची जाती है तो एक अप्रचलन छूट (Obsolescence allowance) और मिलेगी, यदि उसका ह्रासित मूल्य (Written Down Value) उसकी बिक्री मूल्य से अधिक है। अर्थात् ह्रासित मूल्य जितनी रकम से बिक्री मूल्य से अधिक है उसे अप्रचलन छूट कहते हैं।

ह्रास की दरें (Depreciation Rates)—

प्रायः कर अधिनियम के अनुसार नीचे लिखी हुई दरों पर साधारण ह्रास

काटा जा सकता है। ये दरें Indian Income-tax Rules एवं १९२२ के ८ वें नियम में दी हुई हैं, जो कि इस प्रकार हैं :—

सम्पत्ति दर

इमारत—

(१) प्रथम श्रेणी	२३%
(२) द्वितीय श्रेणी	५%
(३) तृतीय श्रेणी	७½%
(४) अस्थाई	कोई दर निश्चित नहीं है। इनके Renewals का व्यय मान्य है।

फर्नीचर और फिटिङ्ग—

(१) सामान्य	६%
(२) होटल, सिनेमा और थोडिङ्ग में प्रयोग किये जाने वाले	६%

मशीन और प्लान्ट—

(१) सामान्य	७%
(२) धाटा मिल, चावल मिल, हड्डी मिल, शकर मिल, बर्फ का कारखाना, दियासलाई का कारखाना, चाय का कारखाना, जूतो का कारखाना	६%
(३) कागज, दफ्ती, जहाज बनाना, लोहा, तांबा, तेल निकालना, मोटर कार की मरम्मत करना, सीमेंट की फैक्टरियाँ आदि	१०%
(४) रबर और प्लास्टिक के कारखाने	१२%
(५) सिल्क बनाने के कारखाने	१२%
(६) नमक के कारखाने	१५%
(७) बिजली की मशीन { बंटरी अन्य मशीनें	२०% १०%
(८) सिनेमा की फिल्म बनाने में प्रयोग आने वाली	२०%
(९) बिजली की रेलें	६%
(१०) हवाई जहाज	३०%
(११) सूती कपड़े की मशीन	१०%
(१२) जूट की मशीन	६%
(१३) ऊनी कपड़े की मशीन	१०%
(१४) ट्यूबवैल बॉरिंग प्लान्ट	१२%
(१५) गणना करने की मशीन, टाइपर राइटर व अन्य दफ्तर की मशीनें।	१५%

(१६) मोटर कार	२०%
(१७) चीड़ पाइ के घीनारों के लिए	१५%
(१८) गकर व कोल्हू पर	१८%
(१९) मोटर टैंकों पर	२५%
(२०) नेत्रे लाइन पर	७%
(२१) धीने क सामान बनाने वाले कारखानों की मशीनों पर	२०%
(२२) बांध बनाने वाले प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टरों पर	२५%
(२३) मोटर ट्रक	२५%
(२४) हिमाव करन की मशीनों व टाइराइटर	१५%

Illustration No 1—

Mr. X purchased and installed a new machine for Rs 30 000 on 1st Dec, 1950. Rate of Depreciation allowable is 10%. The machine was used Double Shift in 1952-53 for 50 days and Triple Shift in 1953-54 for 100 days. Find out the depreciation for assessment year 1956-57.

Solution No 1—

Assessment year —		Rs
1951-52	Cost of machine	30,000
	Depreciation Allowance	
	Initial Depreciation	6,000*
	Normal Depreciation	1 000
	Additional Depreciation	1 000
		<u>2 000</u>
1952-53	Written Down Value	28 000
	Depreciation Allowance	
	Normal Depreciation	2 800
	Additional Depreciation	2 800
		<u>5 600</u>
1953-54	W D V,	22,400
	Depreciation Allowance	
	Normal Depreciation	2 240
	Additional Depreciation	2,240
	Extra Shift Allowance	
	$\left(\frac{2 240 \times 50}{300} \times \frac{50}{100} \right)$	186 66
		<u>4 666 66</u>
1954-55	W D V,	17,733 34
	Depreciation Allowance -	
	Normal Depreciation	1,773 33
	Additional Depreciation	1,773 33
	Extra Shift Allowance	

	<u>591 11</u>	<u>4 137 77</u>
1955 56 W D V		Rs, 13 595 57
Depreciation Allowance		
Normal Depreciation	1,359 56	
Additional Depreciation	<u>1 359 56</u>	
	Rs <u>2 719 12</u>	

Depreciation for assessment year 1956 57 is Rs 2 719 12

- *Note—(i) Initial Depreciation of Rs 6 000 for 1951 52 is not deducted for finding out Written Down Value
- (ii) Machine was used double shift in 1952 53 but its assessment year is 1953 54 therefore its calculation has been made in 1953 54 assessment year. The same rule applies in calculation of Triple shift

Illustration No 2—

The original cost of a machine was Rs 3 00 000 Its Written Down Value was Rs. 90,000 and Initial Depreciation amounted to Rs 60 000 What will be the position of Depreciation in the following cases —

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| (a) If the machine was sold for | Rs 25 000 |
| (b) If the machine was sold for | Rs 40 000 |
| (c) If the machine was sold for | Rs 3 20 000 |

Solution No 2—

(a) When the machine is sold for	Rs 25 000 —
	Rs
Written Down value	90 000
Less Initial Depreciation	<u>60 000</u>
W. D V	30 000
Less sale price	<u>25 000</u>
Balancing Depreciation	Rs 5 000

Note—Initial Depreciation is deducted in the end when Written Down Value is compared with the Sale price

- (b) When machine is sold for Rs 40 000 —

	Rs
Written Down Value	90 000
Less Initial Depreciation	<u>60 000</u>
W D V	<u>30 000</u>
Sale price is	<u>40 000</u>
Taxable Profit	
(Rs 40 000—30,000)	Rs <u>10 000</u>

(c) When machine is sold for Rs. 3,20,000 ;—

	Rs.
Sale price	3,20,000
Original cost	<u>3,00,000</u>
Capital Profit	<u>6,20,000</u>
(non-taxable)	
W. D. V.	90,000
Less Initial Depreciation	<u>60,000</u>
W. D. V.	Rs <u>30,000</u>
Sale Price	3,20,000
Less Capital Profit	<u>20,000</u>
	3,00,000
Less W. D. V.	<u>30,000</u>
Taxable Profit	Rs <u>2,70,000</u>

Illustration No. 3—

A company started business on 1-6-1949 with new machinery at a cost of Rs. 3,50,000. It closes its accounts in December every year. On 1-1-1952 fire broke out in the factory and the machinery was destroyed. As the company insured the machinery it received a compensation of Rs. 1,50,000. Work out the profit or loss under section 10 (2) (vii) of the Income-tax Act to be assessed or allowed in the 1953-54 assessment of the company. The rate of depreciation in regard to the machinery in question is 10 per cent.

(C. A. Final, May, 1953)

Solution No. 3—

Depreciation for accounting year 1949 or assessment year 1950-51 .

	Rs.
Initial Depreciation 20% of Rs. 3,50,000	70,000
Normal Depreciation 10% of Rs. 3,50,000 for $\frac{1}{2}$ year	35,000
Additional Depreciation 10% of	
Rs. 3,50,000 for $\frac{1}{2}$ year	<u>35,000</u>
Total Depreciation for the year	Rs. <u>1,40,000</u>
Written Down Value for accounting year 1950 .	
Cost of Machinery	3,50,000
Less Normal and Additional Depreciation already allowed	<u>70,000</u>
Written down value for accounting year 1950	Rs. <u>2,80,000</u>

Depreciation for Accounting year 1950 or Assessment year 1951 52	
Normal Depreciation 10% of Rs 2 80 000	28 000
Additional Depreciation 10% of Rs 2 80 000	<u>28 000</u>
Total Depreciation for year	Rs <u>56 000</u>
Written down value for accounting year 1951	
Written down value on 1 1 1950	2 80 000
Less Depreciation for 1950	<u>56 000</u>
	Rs <u>2 24 000</u>
Depreciation for Accounting year 1951 or Assessment year 1952 53	
	Rs
Normal Depreciation 10% of Rs 2 24 000	22 400
Additional Depreciation 10% of Rs 2 24 000	<u>22 400</u>
Total Depreciation for the year	Rs <u>44 800</u>
Written down value for 1951	
Written down value on 1 1 1951	2 24 000
Less Depreciation during 1951	<u>44 800</u>
	<u>1 79 200</u>
Written down value for purposes of section 10 (2) (vii) — Rs 1 79 200 — Rs 70 000 of initial depreciation = Rs 1 09 200	
Compensation Recd	Rs 1 50 000
W D V	<u>1 09 200</u>
Taxable Profit	Rs <u>40 800</u>

QUESTIONS

- 1 Write short notes on —
 - (a) W D V (Written Down Value)
(Agra B Com 1943 44 48 50)
 - (b) Unabsorbed Depreciation
(Agra B Com 1945 46 49 51 55 56
All India B Com 1955)
 - (c) Obsolescence allowance
(Agra B Com 1950)
 - (d) Extra Shift Allowance
(Agra B Com 1950 55)
- 2 Write short notes on —
 - (a) Initial depreciation
(Agra B Com 1953 55)
 - (b) Additional Depreciation

- (c) Normal Depreciation.
(d) Balancing charge. (Agra, B Com., 1955, 60)
3. Write short notes on —
(a) Depreciation Allowances. (Raj, B. Com , 1959)
(b) Development Rebate. (Agra, B Com., 1960 ,
Raj. B Com., 1960)
4. What do you understand by the term depreciation ? Explain how the unabsorbed depreciation of one year can be allowed subsequently. Does the carry forward of depreciation in any way differ from the carry forward of losses ? Explain the provisions fully. (Raj, B Com, 1956)
-

अध्याय १२

करदाता-१

Assessee (1)
(Individual)


भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार नीचे लिखे भागों में करदाताओं को बाँटा गया है :—

- (१) व्यक्ति (Individual),
- (२) सम्मिलित हिन्दू परिवार,
- (३) फर्म,
- (४) अन्य सस्थाएँ (Other association of persons),
- (५) कम्पनी,
- (६) स्थानीय सरकार (Local Authorities) ।

ऊपर लिखे हुए करदाताओं में से प्रत्येक करदाता का वर्णन क्रम वार किया जायेगा । इस अध्याय में हम एक व्यक्ति की कर देय आय का वर्णन करेंगे ।

एक व्यक्ति नीचे लिखे साधनों से आय प्राप्त कर सकता है :—

स्वयं की आय (वेतन आदि)	रजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग	अन्य सस्थाओं के लाभ का भाग
सम्मिलित हिन्दू परिवार की	अन रजिस्टर्ड फर्म के लाभ	
आय का लाभ	का भाग	



ऊपर के चित्र में दिखाये हुए भिन्न-भिन्न साधनों को नीचे समझाया गया है—

- (१) स्वयं की आय—इस आय का विवरण पिछले अध्यायों में किया जा चुका है ।
 - (२) सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय का भाग—यदि सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय प्राप्त करने में व्यक्ति ने स्वयं परिश्रम किया है तो इस परिश्रम के फलस्वरूप मिली आय पर कर लगेगा, परन्तु जो आय सम्मिलित हिन्दू परिवार से मिलती है उस पर कर नहीं लगता है ।
 - (३) रजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग—यदि व्यक्ति इस फर्म का साभेदार है तो इस फर्म की आय का वह भाग जिसका कि वह अधिकारी है, उसकी आय में जोड़ दिया जायेगा और उसे उसके ऊपर कर देना पड़ेगा ।
 - (४) अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग—चूँकि अनरजिस्टर्ड फर्म को अपनी कुल आय पर कर देना पड़ता है, इसलिए उस व्यक्ति को जो कि इसका साभेदार है, इस फर्म से प्राप्त होने वाले अपने भाग को कुल आय में कर निर्धारण के लिए जोड़ना पड़ता है, परन्तु उस पर कर नहीं देना पड़ता है ।
 - (५) अन्य सस्थाओं के लाभ का भाग—यदि व्यक्ति इन सस्थाओं का सदस्य है तो इनसे प्राप्त होने वाले अपने भाग को कुल आय में कर निर्धारण के लिए जोड़ेगा, परन्तु इस पर कर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सस्थाओं को अपनी आय पर कर देना पड़ता है ।
 - (६) कम्पनी का लाभांश—व्यक्ति की आय में कम्पनी के लाभांश को सम्पूर्ण करने के बाद जोड़ा जाता है ।
- | | | |
|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> (७) स्त्री की हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से आय । (८) अवयस्क को हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से आय । (९) अवयस्क को फर्म की साभेदारी से प्राप्त आय । (१०) अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से आय । | } | <p>इनका विस्तृत वर्णन अध्याय १० में किया गया है । ये सब आयें उस व्यक्ति की आय में जोड़ा जाती हैं जिसने सम्पत्ति को हस्तान्तरित किया है ।</p> |
|--|---|--|

Illustration No 1—

Mr. X gets a salary of Rs 500 per month. He uses his own house for residence, its municipal valuation is Rs 3,000. He has insured his life for Rs. 12,000 and pays a life insurance premium of Rs 300 yearly. He is a member of Statutory P. F. to which he contributes 2% of his salary and similar contribution towards this fund is made by his employer. He invested Rs. 20,000 in 2% Govt. Bonds and Rs 10,000 in 3% Bombay Port Trust Bonds. His interest from bank deposit is Rs 600. Interest on accumulated balance of P. F. is Rs. 200.

Find out his total income for the assessment year 1960-61.

Solution No 1—**Statement of Total Income**

		Rs 6,000
Income from Salary	Rs	
Interest from Securities	400	
2% Govt. Bonds	300	
3% Bombay Port Trust Bonds	<u>300</u>	700
Income from property	3,000	
Annual value	1,500	
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	<u>1,500</u>	
<p>Since it is more than 10% of his income hence only 10% will be taken</p> $\left(7300 \times \frac{1}{10} \times \frac{12}{11}\right) = 796$		
Less Admissible deduction	<u>133</u>	663
$\frac{1}{2}$ for repairs		600
Interest from Bank Deposit		<u>Rs. 7,963</u>
Total Income	Rs.	
Exempted Income		
Contributions to P. F. (by employee)	120	
Insurance Premium	<u>300</u>	
	420	

Note—Calculations are made upto nearest rupee

Illustration No 2—

Mr. Y gets a salary of Rs 700 per month. 3% of it he contributes towards a Provident Fund. His employer also contributes

a similar amount towards it. His Fund is governed by P. F. Act 1925 Interest on his accumulated Balance of Provident Fund is Rs. 300 He is owner of one house, half of which is let Rs. 50 per month and the remainder is used by him for his own residence He pays Rs 200 Municipal Taxes, Rs 100 Fire Insurance Premium and Rs 60 Ground rent for it. The Municipal valuation of the house is Rs. 1,000 He purchased cum interest 3% Calcutta Municipal Debentures of the face value of Rs 30,000 on 1st Nov 1959 Interest on these debentures is declared on first January and first July each year. Collection charges for interest amount to Rs 20 Rs. 130 was paid as interest on a loan which he took for purchasing these debentures He pays Rs. 400 Life Insurance Premium for his life.

Find out his total income for 1960-61 assuming that the house was constructed in 1953

Solution No 2--

Statement of Total Income

		Rs
Salary		8 400
Interest from securities —	Rs	
3% Calcutta Municipal Debentures		
(for half year)	450	
Less —	Rs.	
Collection Charges	20	
Interest	<u>130</u>	
Taxable Income from Securities	<u>150</u>	300
Income from property —		
Rent of the house let	600	
Less $\frac{1}{2}$ of Municipal Taxes	<u>50</u>	
Annual value of the portion let	<u>550</u>	
Value of residential portion (It is calculated on the basis of the portion let)	550	
Less $\frac{1}{3}$ Statutory allowance	<u>275</u>	
Annual value of residential portion	<u>275</u>	
Total annual value of the house (Rs 550 + 275)	825	
Less Admissible Deductions —		
	Rs	Rs
$\frac{1}{3}$ Repairs	137 5	
Ground Rent	60	

Fire Insurance Premium	160	297 5
Taxable Income from property		<u>527 5</u>
	Total Income	Rs. <u>9 227.5</u>
Exempted Income -	Rs	
Provident Fund (by employee only)	252	
Insurance Premium	<u>400</u>	
	Rs <u>652</u>	

Illustration No 3—

Find out the total income of Mr Y from the following information.—

He gets a salary of Rs 600/- per month. He received Rs 500 interest from bank deposits, Rs 800 from Hindu undivided family as his share and Rs 500 from Registered Firm as his share of profit.

He held the following investments

3% Govt. Securities Rs. 10,000

2% Municipal Debentures Rs. 20,000

3% U. P. Govt. Loans Rs 30 000.

4% Improvement Trust Debentures Rs. 10 000

The Bank charges for collection of interest amounted to Rs. 150 He had two houses, which were constructed in 1953 One of them was let as Rs 200 per month and $\frac{1}{2}$ of the other house was let at Rs 25 per month. Remaining $\frac{3}{4}$ was used by him for his own residence He paid Rs. 300 as Municipal Taxes for both the houses. Municipal valuation of the first house was Rs. 2 000 and of the second house Rs. 1 000 His Income from Agriculture in India is Rs 400. He has a house attached to his agricultural plot, which is used for storing seeds and agricultural implements and other activities connected with Agriculture. The Municipal valuation of this house is Rs 2 500.

Find out his total income for the assessment year 1960 61.

Solution No. 3—

Statement of Total Income

	Rs.
Salary	7,200
Interest from securities	
3% Govt Securities	300
2% Municipal Debentures	400
3% U. P. Govt Loans	900
4% Improvement Trust Debentures	<u>400</u>
	2,000

Less

Collection charges	— 150	
Income from securities		1 850
Rental value of the house	2 400	
Less $\frac{1}{2}$ Municipal taxes	<u>100</u>	
Annual value of the house let	Rs 2 300	
Rental value of the rented portion of the house	300	
Less $\frac{1}{2}$ of proportionate Municipal taxes	<u>125</u>	
Annual value of Rented portion	Rs <u>287 5</u>	
Annual value of the residential portion in accordance with the portion let	862 5	
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	<u>431 25</u>	
	Rs <u>431 25</u>	
Total Annual value of both the houses —		
(Rs 2 300 + 287 5 + 431 25) =	Rs 3 018 75	
Less $\frac{1}{6}$ for repairs	<u>503 12</u>	2 515 63
Income from registered firm		500
Income from other sources		
Interest from bank deposits		<u>500</u>
Total Income		Rs. <u>12 565 63</u>

Illustration No 4—

Following is the profit and loss account of Mr Shyam Sunder Shukla Chartered Accountant for the year 1959 60

To	Rs.	By	Rs
Office salaries	5 000	Audit Fees	25 000
Depreciation on Furniture	500	Institute Fee	20 000
Income tax	800	Interest on Investment	3 400
Depreciation on Motor car	300	(gross)	
Bad debt	200		
Reserve for doubtful debts	150		
Miscellaneous Exp.	700		
Life Insurance Premium	900		
Net Profit	<u>39 850</u>		
Rs	<u>48 400</u>	Rs	<u>48 400</u>

Depreciation allowable on Furniture is Rs 400 and on Motor car Rs 200 Find out his total income for the assessment year 19 0 51

Solution No 4—

Net Profit as disclosed by Profit and Loss account	Rs	39 850
Add expenses disallowed	Rs	
Income tax	800	
Reserve for doubtful debts	150	
Life insurance Premium	900	
Excess depreciation on Furniture	100	
Motor car	<u>100</u>	<u>2 050</u>
		41 900
Less		
Interest on Investments		<u>3 400</u>
Add Income from profession		38 500
Interest on Investment (Gross)		3 400
Total Income	Rs.	<u>41 900</u>

Illustration No 5—

From the following particulars find out the total Income of Mr X (ordinary resident) for the year ending 31st March 1960

- (a) He and his wife are equal partners in a partnership business. He has contributed full capital of the firm. For the accounting year 1959-60 its assessable profits were Rs 30 000.
- (b) He is also employed at other place on a monthly salary of Rs 400/- and is a member of recognised provident fund. He contributes 12% of his salary towards his P.F. to which his employer contributes an equal amount. The interest on his P.F. amounted to Rs 250/—.
- (c) He has transferred his assets to his minor child without any consideration. Income from such assets is Rs. 3 000/.
- (d) He has made a benami transaction. The fact is that he is the real owner. Income from such transaction is Rs 4 000.
- (e) He has made a revocable transfer of assets to his wife. The income from such assets is Rs 2 400.
- (f) He received Rs 9 000 from his life policy on expiry of the period for which the policy was taken.

Solution No. 5—

	Rs.	Rs.
Salary	4,800	
Annual Accretion —		
Employee's Contribution to P. F in excess of 10% of his salary	96	
Interest in excess of $\frac{1}{2}$ of his salary and prescribed rate of 6% per annum is	<u>Nil</u>	4 896
Income from Salary		
Income from Business		
From firm		15 000
Income from other sources :—		
His wife's share of Profit of the firm	15 000	
Income from Assets transferred to his minor child	3,000	
Income from Benami Transaction	4 000	
Income from revocable transfer to his wife	<u>2,400</u>	<u>24 400</u>
Total Income		Rs <u>44 296</u>

QUESTIONS

- How are the following incomes treated in the assessment of an individual who is resident and ordinary resident? —
 - Share of income from undivided Hindu Family
 - Share of profit from unregistered firm

(Agra B Com. 1948 54)
- Briefly explain the various sources of income of an individual

सम्मिलित हिन्दू परिवार

(Joint Hindu Family)

हिन्दू लॉ के अनुसार सम्मिलित हिन्दू परिवार में वे सब व्यक्ति आते हैं जो एक ही पूर्वज की सन्तान होते हैं। इसमें उनकी परिणयाँ और अविवाहित लड़कियाँ भी शामिल हैं। आय कर अधिनियम में हिन्दू सम्मिलित परिवार का यह आशय नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार हिन्दू सम्मिलित परिवार का आशय उस परिवार से है (अ) जिसकी सम्पत्ति एक साथ हो, (ब) उस परिवार के सदस्यों में सहभागिता हो।

(अ) सम्पत्ति का एक साथ होना—इसका आशय उस सम्पत्ति से है जो पूर्वजों से प्राप्त होती है। या पूर्वजों से प्राप्त हुई सम्पत्ति की मदद से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति भी सम्मिलित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति मानी जाती है। यदि सम्मिलित हिन्दू परिवार के किसी सदस्य ने कोई सम्पत्ति पैदा की और सम्मिलित हिन्दू परिवार के सुपुत्र कर दिया है और उस पर अपना व्यक्तिगत अधिकार नहीं रखा है तो यह सम्पत्ति सम्मिलित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति मानी जायगी। सम्मिलित हिन्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति से प्राप्त हुई आय को भी इस सम्मिलित परिवार की आय माना जा सकता है, यदि यह आय सम्मिलित परिवार को बिना किसी प्रतिबन्ध के दे दी गई है।

(ब) उस परिवार के सदस्यों में सहभागिता का होना—सम्मिलित हिन्दू परिवार में दो या दो से अधिक वयस्क ऐसे होने चाहिए जो कि बँटवारे के अधिकारी हो और अन्य व्यक्ति ऐसे हो जिनका पालन पोषण करना हिन्दू सम्मिलित परिवार के कर्त्ता का मुख्य कर्त्तव्य हो। परिवार का सबसे बड़ा व उत्तरदायी व्यक्ति कर्त्ता (Head) कहा जाता है। परिवार की आय पर कर देने का दायित्व इसी पर होता है।

हिन्दू सम्मिलित परिवार मिताक्षरा व दयाभाग द्वारा भारतवर्ष में नियन्त्रित होता है।

हिन्दू सम्मिलित परिवार के विभाजन सम्बन्धी नियम—

- (१) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार में विभाजन होने के बाद भी सम्मिलित परिवार की तरह कर लगता है, जब तक यह विभाजन इनकम टैक्स अधिकारी को मान्य न हो।

- (२) जब सम्मिलित परिवार से कुछ सदस्य अलग हो जाते हैं तो उन पर व्यक्तिगत रूप से कर लगता है ।
- (३) यदि परिवार की कुछ सम्पत्तियों का विभाजन हुआ हो तो उन सम्पत्तियों की आय प्रत्येक सदस्य की निजी आय में जोड़ दी जायेगी ।

हिन्दू सम्मिलित परिवार मिताक्षरा और दयाभाग द्वारा नियंत्रित होता है । इन दोनों का सूक्ष्म विवरण नीचे किया जाता है :—

मिताक्षरा का नियम—

यह नियम बंगाल को छोड़ कर सारे भारत में लागू होता है । इसके अनुसार पुत्र अर्थात् पूर्वजों की सम्पत्ति में पैदा होते ही अधिकार प्राप्त कर लेता है । यदि किसी व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है तो उसे पूर्वजों की सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय पर व्यक्तिगत रूप से कर देना पड़ेगा । इस नियम के अनुसार विधवा व पुत्रियों को पिता की उपाजित की हुई सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है, उनके जीवन निर्वाह करने का भार सम्मिलित परिवार पर अवश्य रहता है । पिता की सम्पत्ति में केवल पुत्रों को ही अधिकार होता है । सूक्ष्म में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मिताक्षरा नियम के अनुसार स्त्रियाँ हिन्दू सम्मिलित परिवार की भागीदार नहीं होती हैं ।

दयाभाग नियम—

यह नियम केवल बंगाल में लागू होता है । इस नियम के अनुसार पुत्र को पिता की मृत्यु के बाद ही पूर्वजों की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है । पुत्र को न तो पिता की स्वयं उपाजित की हुई सम्पत्ति में और न पूर्वजों की सम्पत्ति में, पिता के जीवित रहते हुए, कोई अधिकार होता है, इसलिये पिता उसे जैसा चाहे प्रयोग करे, परन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात् पुत्रों को सारी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है । किसी ऐसे पिता की मृत्यु होने पर जिसके कोई पुत्र नहीं था, उसकी स्त्रियाँ और पुत्रियाँ उसकी सम्पत्ति की भागीदार बनती हैं । यदि पिता के पास पूर्वजों की सम्पत्ति ही और उसकी स्वयं की भी सम्पत्ति हो, परन्तु वह अकेला हो और सहभागिता का सदस्य न हो तो उस पर एक व्यक्ति की तरह कर लगाया जायेगा, परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों पर सम्मिलित हिन्दू परिवार की भाँति कर लगाया जाता है ।

हिन्दू सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण नियम—

(१) एक हिन्दू सम्मिलित परिवार के सदस्य की उस आय पर न तो कोई कर लगता है और न उसकी कुल आय में ही जोड़ी जाती है जोकि उसे हिन्दू सम्मिलित परिवार से उसके सदस्य होने के नाते प्राप्त हुई है ।

(२) हिन्दू सम्मिलित परिवार के सदस्य ने यदि किसी आय को स्वयं उपाजित किया है और इस आय को सम्मिलित परिवार की आय माने जाने के

उद्देश्य से परिवार में नहीं दिया है तो उसे इस धारा पर व्यक्ति की हैसियत से कर देना पड़ेगा ।

[Kalyanji Vithal Das Vs. C. I. T.]

(३) एक व्यापार करने वाले हिन्दू सम्मिलित परिवार का सदस्य यदि अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कोई व्यापार करता है तो इस व्यापार में हुये लाभ उसकी व्यक्तिगत आय माने जायेंगे, चाहे इस सदस्य ने भले ही हिन्दू सम्मिलित परिवार में इस व्यापार के लिए रकमा उधार लिया हो ।

[Sir Padampat Singhania Vs. C. I. T 1953]

[C I. T Vs Thaver Bros.]

(४) यदि सम्मिलित हिन्दू परिवार का कर्ता सम्मिलित हिन्दू परिवार की ओर से कितनी अन्य व्यक्ति-के साथ साभेदारी में साभेदार बनता है तो इस कर्ता को साभेदारी से मिलने वाली आय सम्मिलित परिवार की आय मानी जायेगी ।

[Dhanwatay Vs. C I. T. 1957]

[Kaniram Hazarimall Vs. C. I. T. 1955]

(५) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार के कर्ता ने एक कम्पनी के अंश लय किये और अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उस कम्पनी का संचालक बनना स्वीकार किया । संचालक के रूप में मिली हुई फीस को उसकी व्यक्तिगत आय माना गया, परन्तु आय कर अधिकारियों ने उसकी इस आय को सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय मानना चाहा, क्योंकि कर्ता ने कम्पनी के अंश सम्मिलित परिवार की आय से खरीदे थे । न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि चूंकि यह आय कर्ता ने अपने परिधम से उपाजित की है और सम्मिलित परिवार की संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुँचाया है । इसलिए इसे व्यक्तिगत आय माना गया ।

हिन्दू सम्मिलित परिवार का कर निर्धारण—

(१) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार की कुल आय पर एक व्यक्ति के अनुसार ही कर लगता है, परन्तु सम्मिलित हिन्दू परिवार यदि नीचे लिखी हुई शर्तों में से एक को भी पूरा कर दे और ६,००० रुपये तक वार्षिक आय हो तो कर नहीं देना पड़ता है :—

(अ) परिवार में दो में अधिक वयस्क ऐसे हो जो बँटवारे के अधिकारी हों ।

(ब) यदि दोनो वयस्क न हो तो दोनो आदमी बँटवारे के अधिकारी हो और एक ही आदमी के Lineal Descendants न हो ।

(२) इस परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य तथा उनकी स्त्री के जीवन बीमे पर जो प्रीमियम दिया जाता है तो उस पर आय-कर नहीं लगता है, परन्तु यह प्रीमियम सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय के २ या १६,००० रुपए से जो भी कम हो उसमें अधिक नहीं होना चाहिए ।

[धारा १५ (२)]

(३) यदि एक परिवार के सदस्य सार्वभारिकी के रूप में व्यापार करें तो उनकी आय सम्मिलित आय नहीं मानी जायेगी । इस व्यापार का लाभ उनकी व्यक्तिगत आय मानी जायेगी ।

(४) एक हिन्दू सम्मिलित परिवार में जो मिताक्षरा द्वारा नियन्त्रित होता है, यदि केवल एक ही पुरुष बचता है और उसके कोई पुत्र भी नहीं है, यद्यपि उसकी स्त्री व लड़कियाँ हैं तो उस पर एक व्यक्ति की तरह कर लगेगा ।

(५) यदि हिन्दू सम्मिलित परिवार की एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद में पूर्वजों की सब सम्पत्ति की मालिक बन जाती है, क्योंकि इस परिवार में अन्य व्यक्ति नहीं है तो इस सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली उस स्त्री की आय पर व्यक्तिगत रूप से कर लगेगा ।

(६) हिन्दू उत्तराधिकार नियम सन् १९५६ (Hindu Succession Act, 1956) के अनुसार लड़कियों को लड़कों के ही बराबर पूर्वजों की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ है ।

Illustration No 1—

Following are the incomes of a Joint Hindu family Find out its total income, assuming that the property was constructed in 1954

	Rs.
The head of the family receives as director's fees	5 000
Taxable Business Income	25 000
Municipal valuation of property	12 000
Municipal Taxes on property	2 000

Solution No 1—

	Rs	
Municipal valuation of property	12 000	
Less $\frac{1}{2}$ Municipal Tax	<u>1 000</u>	
Annual value of property	11 000	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	<u>1 833</u>	9 167
Income from Business		<u>25 000</u>
Total Income		Rs <u>34 167</u>

Note—Director's fees will be treated as personal income of the recipient

Illustration No 2—

From the following information find out the total income of a Joint Hindu Family assuming that property in this case was constructed in 1954 —

	Rs
Rental income from first house	25 000
Municipal valuation of residential house	10 000
Expenses incurred in criminal case	3 000
Income from Business	45,000
The Family paid Municipal Taxes for the first house	200

Solution No 2—

	Rs	Rs
Income from the first house	25 000	
Less $\frac{1}{2}$ of Municipal taxes	100	
Annual value of the first house	<u>24 900</u>	
Less $\frac{1}{4}$ for repairs	4 150	20 750
Annual value of residential house	10 000	
Deduct $\frac{1}{2}$ or Rs 1 800 whichever is less	<u>1 800</u>	
	<u>8 200</u>	
But since it is more than 10% of the total income only 10% will be taken	7 172 7	
Less $\frac{1}{4}$ for repairs nearest Rupee	<u>1 190</u>	5 977 7
Taxable Income of both the houses		<u>26 727 7</u>

Statement of the Total Income

Income from property	26 727 7
Business income	45 000
Total Income	Rs <u>71 727 7</u>

QUESTIONS

1. What is a Joint Hindu Family from Income tax point of view? Explain briefly the important rules of assessment regarding assessment of this family
2. Describe briefly the following from the point of view of Income tax

(a)	}	These parts relate to other topics
(b)		
(c)		
(d)		
- (e) Hindu Joint Family

अध्याय १४

करदाता (२)

(Assessee 2)

सामेदारी में सम्बन्धित नियम भारतीय सामेदारी अधिनियम सन् १९३२ में दिये हुए हैं। इसी अधिनियम में रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म के सम्बन्ध में विवरण दिया हुआ है, परन्तु प्राय कर अधिनियम के अनुसार एक रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म में अन्तर करने के लिए धारा '२६ ए' का प्रयोग आवश्यक है। जो फर्म इस धारा में दिए हुए नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड होती है उसे रजिस्टर्ड फर्म कहते हैं और जो इस धारा में दिये हुए नियमों के अनुसार रजिस्ट्री नहीं कराती है उसे Unregistered फर्म कहते हैं।

फर्म की रजिस्ट्री कराने के उद्देश्य—

प्राय-कर अधिनियम के अनुसार एक फर्म की रजिस्ट्री कराने में सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसकी आय पर नीची दर से कर लगाया जाता है, इसलिए यदि कोई फर्म इस रियायत में लाभ उठाना चाहती है तो वह धारा '२६ ए' के अनुसार रजिस्ट्री करानी है।

रजिस्ट्री कराने की शर्तें (Conditions for Registration)—

प्राय कर अधिनियम के अनुसार किसी फर्म की रजिस्ट्री कराने से पहले नीचे लिखी हुई शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है।—

(१) सामेदारी की स्थापना सामेदारी मलेख के अनुसार होनी चाहिये।

Padam Prashad Rattan Chand Vs. C. I. T., 1954 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि एक ऐसे फर्म के सामेदार को, जोकि सामेदारी मलेख की सयुक्त रूप से लिखते हैं कि वह पहले मौखिक प्रसविदे के अनुसार सामेदार थे और उन्हीं शर्तों के अनुसार कार्य करत थे, जो कि इस सलेख में लिखी हुई हैं, रजिस्ट्री कराने से नहीं रोका जा सकता है।

(२) यह आवश्यक है कि सामेदारी सच्ची होनी चाहिये, अर्थात् यह Existence में हो। यह निर्णय Khinji Walji & Co. Vs. C. I. T, 1954 के मामले में दिया गया था।

(३) सामेदारी मलेख में यह साफ-साफ दिया दिया जाना चाहिए कि सामेदार का सामेदारी में क्या भाग होगा।

(४) फर्म द्वारा आय कर अधिकारी के पास एक प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्री कराने के लिए देना चाहिए ।

रजिस्ट्री कराने की विधि (Procedure for Registration under the Income-tax Act)—

(१) धारा '२६ ए' के अनुसार फर्म द्वारा एक निश्चित फर्म (Prescribed Form) को आय कर अधिकारी के पास भेजना चाहिए । इस फर्म में यह अवश्य लिखना चाहिए कि साम्भेदारी की स्थापना साम्भेदारी सलेख के अन्दर हो गई है और प्रत्येक साम्भेदार का कितना भाग साम्भेदारी में है ।

(२) इस प्रार्थना पत्र पर अवयक्तों को छोड़कर बाकी सब साम्भेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

(३) यदि साम्भेदारी सस्था भारतीय साम्भेदारी अधिनियम सन् १९३२ के अनुसार या भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम सन् १९०८ के अनुमार पञ्जीकृत हो चुकी है तो इस फर्म को प्रार्थना पत्र गत वर्ष समाप्त होने के पहले देना चाहिए । यदि फर्म इन दोनों में से किसी अधिनियम के अनुमार रजिस्टर्ड नहीं है और रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना पत्र पहली बार दिया जा रहा है तो फर्म के बनने के ६ महीने के अन्दर या गत वर्ष के समाप्त होने के पहले में से जो भी कम हो उस समय के अन्दर प्रार्थना पत्र देना चाहिए ।

(४) आय कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अवधि के बाद दिये हुये प्रार्थना पत्र को भी स्वाकार कर सकता है, यदि उसे इस बात का विश्वास हो जाय कि कुछ आवश्यक कारणों के कारण फर्म निश्चित समय के अन्दर प्रार्थना पत्र नहीं दे सकी थी ।

(५) इस प्रार्थना-पत्र के साथ साम्भेदारी सलेख लगा देना चाहिए ।

(६) साम्भेदारी सलेख सहित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आय-कर अधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि साम्भेदारी सलेख में दिये हुए अधिकार और दायित्वों व नियमों के अनुसार वास्तव में कार्य होता है या इस सलेख को सिर्फ दिखावे के लिए ही जोड़ दिया गया है, ताकि कर के दायित्व में रियायत मिल जाय ।

(Sir Sunder Singh Majithia Vs. C. I. T, 1942)

(७) यदि प्रार्थना पत्र और साम्भेदारी सलेख दोनों से ही आय-कर अधिकारी सन्तुष्ट है और उसे इस बात का विश्वास है कि वास्तव में इस नाम की कोई फर्म कार्य कर रही है तो वह सलेख के नीचे (At the foot of the instrument) इस बात का प्रमाण पत्र लिख देगा कि रजिस्ट्री कर दी गई है ।

(८) यह रजिस्ट्री केवल १ वर्ष के लिए ही होती है ।

(९) आय कर नियमों में से ६ वें नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (Renewal of Registration) के लिए प्रार्थना पत्र सम्बन्धित करदेय वर्ष के ३० जून के पहले भेजना चाहिए ।

रजिस्ट्री के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत करना (Rejecting the application made for Registration)—

मद्रास हाई कोर्ट ने *Raju Chettiar & Bros. Vs. C. I. T.* के मामले में यह निर्णय दिया था कि यदि आय कर अधिकारी को यह पता लगता है कि नीचे लिखी बातों में से कोई भी बात गलत है तो वह रजिस्ट्री के लिए दिए हुए प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है :—

- (१) साभेदारी सच है या नहीं,
- (२) साभेदारी सलेख में लिखे हुए सभी साभेदार असली साभेदार हैं या नहीं,
- (३) प्रत्येक साभेदार का अंश उचित रूप से लिखा गया है या नहीं,
- (४) सलेख के अनुसार जो लाभ बाँटे जायेंगे वे क्या वास्तव में कोई विशेष व्यक्तियों के लाभ होंगे ।

यदि आय कर अधिकारी को ऊपर लिखे हुए मामलों के बारे में केवल सन्देह ही होता है, परन्तु यह साभेदारी वास्तव में सच्ची है तो इसके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

(Central Talkies circuit Matunga, In re)

आय कर अधिकारी रजिस्ट्री कराने के लिए दिए हुये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर सकता है, यदि उसे यह विश्वास है कि सलेख के अनुसार बनाई हुई साभेदारी कानून की दृष्टि में अवैध है या साभेदारी तो है, लेकिन कानून की दृष्टि में वह साभेदारी नहीं कही जा सकती ।

(*Hossen Kasam Dada Vs. C. I. T.*)

फर्म की रजिस्ट्री को रद्द करना (Cancellation of the Registration of Firm)—

यदि रजिस्ट्री करने के बाद आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि रजिस्ट्री कराने वाली शर्तों में से कोई शर्त गलत थी, या फर्म भूठी थी, जिसको कि वह रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र देते समय नहीं जान पाया था, तो वह दिये हुए रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है ।

यदि रजिस्ट्री कराने के लिए दी हुई आवश्यक शर्तों में से सब शर्तों को पूरा किया गया है, फिर भी आय कर अधिकारी अपने दिए हुए प्रमाण-पत्र को रद्द कर

सकता है, यदि करदाता ने कोई ऐसी भूल की हो जिसके कारण Best Judgment Assessment किया जाता हो । [धारा २३ (४)]

फर्म पर कर लगाना (Assessment of Firms)—

फर्म की करदेय आय निकालने के लिए नीचे लिखे हुए नियमों को ध्यान में रखना चाहिए :—

(१) फर्म के लाभ में से ऐसी कोई भी रकम नहीं काटी जा सकती है जो कि फर्म के साभेदार को दी गई हो, जैसे :—

- (अ) वेतन,
- (ब) ब्याज,
- (स) कमीशन,
- (द) अन्य प्रकार का पारिश्रमिक ।

[धारा १० (४) (b)]

(२) फर्म के लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में से उन व्ययों को हटा देना चाहिए जो कि धारा १० के अनुसार अस्वीकृत (Inadmissible) हैं ।

(३) उन व्ययों को फर्म के लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखना चाहिए जो कि धारा १० के अनुसार स्वीकृत हैं ।

(४) फर्म के लाभ-हानि खाते के क्रेडिट पक्ष से पूंजीगत प्राप्तियों को हटा देना चाहिए ।

(५) यदि कोई आय प्राप्ति छूट गई हो तो उसे फर्म के लाभ में जोड़ देना चाहिए ।

(६) यदि फर्म ने कोई दान दिये हो तो इन दोनों को लाभ-हानि खाते से हटा देना चाहिए ।

(७) यदि एक फर्म के साभेदार से कर बसूल नहीं किया जा सकता है तो यह कर फर्म से बसूल किया जाता है ।

(८) यदि फर्म के उपयोग में किसी साभेदार का मकान लाया जाता है तो जो किराया फर्म इस साभेदार को देती है उसे फर्म के लाभ में से घटा देना चाहिए ।

फर्म के लाभ-हानि खातों को धारा १० के अनुसार सुधार लेना चाहिए । इस प्रकार का सुधार करने के बाद प्राप्त हुए लाभ में साभेदार को मिली हुई सब रकमों को जोड़ देना चाहिए, चाहे वे किसी भी प्रकार उसे मिली हों ।

Illustration No. 1—

Following is the Profit and Loss account of a firm for the year ending 31st March 1960.

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs
General Expenses	3 000	Gross Profit	1,00 000
Office Salaries	2,000	Discount recd.	1 000
Subscription to Political Party	800	Other business Receipts	500
Interest —	Rs.	Commission recd.	50
X capital	1,000	Interest on Securities (gross)	3,000
Y capital	800		
Z capital	500		
	2,300		
Salary to Y	500		
Salary to Z	300		
Commission to X	200		
Bad debt Reserve	500		
Bad debt	100		
Depreciation (Allowable)	80		
Net Profit			
X 31,590			
Y 31,590			
Z 31,590			
	<u>94,770</u>		
	Rs. <u>1 04,550</u>		Rs. <u>1 04 550</u>

X, Y and Z are equal partners in the firm. Find out the taxable income of the firm for the assessment year 1960-61 and allocate it amongst the partners for income tax purposes.

Solution No. 1—

		Rs
Profit as disclosed by P. & L A/c.		94 770
Add —	Rs.	
Subscription to political Party	800	
Bad debt Reserve	500	
Interest on capitals of X, Y, Z,	2,300	
Partners Salaries (500Y + 300Z)	800	
Partner's Commission	<u>200</u>	4 600
		<u>99 370</u>
Less —	Rs.	Rs.
Interest on Securities	2 000	
Dividends	<u>1 000</u>	<u>3 000</u>
Firms Income from business		96 370
Interest from securities (gross)		3,000

Total Income of the firm	99 370
Less Interest Salaries and Commission to Partners (2 300+800+200)	3 300
Balance Divisible to Partners	Rs <u>96 070</u>

Distribution of Firm's Income amongst Y, Y, Z

Particulars	Y			Y			Z		
	Rs	a	p	Rs	a	p	Rs	a	p
Interest on Capital	1000	0	0	800	0	0	500	0	0
Salary	—	—	—	500	0	0	300	0	0
Commission	200	0	0	—	—	—	—	—	—
Profit ($\frac{1}{3}$ of 96 070 to each partner)	32023	5	4	32023	5	4	32023	5	4
Total	Rs	33273	5	33273	5	4	32823	5	4

Illustration No 2—

X, Y and Z are partners in a firm in which X gets a salary of Rs 2 000, Y Rs 1 000 and Z gets commission of Rs 700 according to their partnership deed. They share profit and loss in the ratio of $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{3}$ respectively. Interest on their capitals amounted to X Rs 500, Y Rs 800 and Z Rs 2 000. The firm suffered a loss of Rs 5 000 before providing for partners' salaries, commission and interest on capital for the year ending 31st March 1960. How will the income of the firm be allocated amongst the partners in the assessment year 1960-61?

Solution No 2—

	Rs
Firm's Loss	5,000
Add Inadmissible expenses	
Interest on capital	
X	500
Y	800
Z	2 000
Partner's Salary	3 300
X	2 000
Y	1 000
Partner's Commission (Z)	700
Loss of the firm	<u>Rs 12 000</u>

Particulars	X	Y	Z
Interest on Capital	Rs 500	Rs 800	Rs 2 000
Salary	2 000	1 000	
Commission			700
	2 500	1 800	2 700
Share of firm's loss	-4 000	-2 000	-6 000
	-1 500	- 200	-3,300

Illustration No 3—

L M and N are partners in a firm. They share profits in the ratio of $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{6}$. Firm's profit and loss account for the year ending 31st March 1960 is given below. Find out the taxable income of the firm for the assessment year 1960-61 and distribute it amongst L M and N.

Profit and Loss Account

Office salaries	Rs 2 000	Gross Profit	Rs 2 000
General Expenses	1 000	Sundry Receipts	600
Commission to L	500	Net Loss	2 000
Interest on capitals			
	Rs		
L	600		
M	200	800	
Salary to N	300		
	Rs 4 600		Rs 4 600

Solution No 3—

Loss as disclosed by profit and loss account		Rs 2 000
Less expenses disallowed	Rs	
Commission	500	
Interest on capital	800	
Partner's Salary	300	1 600
Loss of the firm		Rs 400

Particulars of Income	L	M	N
Commission	Rs 500	Rs	Rs
Salary			300
Interest on Capital	600	200	
	1 100	200	300
Share of firm's loss	- 333 33	- 333 33	-1 333 34
	+ 766 67	- 133 33	-1 033 34

रजिस्टर्ड फर्म (Registered Firm)—

आय-कर अधिनियम के अनुसार एक रजिस्टर्ड फर्म को अपनी आय-पर कर नहीं देना पड़ता था, परन्तु Finance Act, 1956 के अनुसार अब रजिस्टर्ड फर्म को अपनी आय पर कर देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में नीचे दिये हुए नियम महत्त्वपूर्ण हैं :—

- (१) यदि रजिस्टर्ड फर्म की आय ४०,००० रुपये से अधिक है तो इस फर्म को कर देना पड़ता है।
- (२) इस फर्म पर लगने वाले कर की दरें करदेय वर्ष सन् १९६०-६१ के लिए इस प्रकार हैं :—
 - (I) प्रथम ४०,००० रु० पर कुछ नहीं,
 - (II) अगले ३५,००० रु० पर ५%,
 - (III) अगले ७५,००० रु० पर ६%।
 - (IV) शेष पर ९%,
- (३) रजिस्टर्ड फर्म की आय प्रत्येक साझेदार में उसके लाभदायक वांटने के अनुपात में विभाजित की जाती है।
- (४) प्रत्येक साझेदार की अन्य आयों में इस फर्म से प्राप्त होने वाली आय जोड़ दी जाती है और इस जुड़ी हुई आय पर उसे कर देना पड़ता है।
- (५) प्रत्येक साझेदार को फर्म द्वारा दिये गये आय कर के अपने भाग पर अपनी व्यक्तिगत दरों पर छूट मिलती है।
- (६) यदि कोई साझेदार विदेशी है तो फर्म को उसके लाभ के भाग पर कर देना पड़ता है।
- (७) यदि आय-कर अधिकारी किसी साझेदार से कर वसूल नहीं कर पाता है तो वह कर भी फर्म से वसूल कर लिया जाता है।
- (८) यदि रजिस्टर्ड फर्म को कोई हानि हुई है तो सर्व प्रथम फर्म के लाभ में से पूरी की जाती है और यदि फर्म की आय हानि पूरी करने के लिए पर्याप्त न हो तो उसे साझेदारों में बाँट दिया जाता है और साझेदारों की अन्य आयों से अपलिखित कर दी जाती है। यदि साझेदारों की भी आयों में हानि को पूरा न किया जा सके तो साझेदार इसे अगली साल ले जायेंगे और ले जाये जाने वाले व्यापारिक हानि की तरह अपलिखित करेंगे।
- (९) कभी कभी रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार फर्म के लाभ को उस अनुपात में नहीं बाँटते हैं जिनमें कि लाभ बाँटना निश्चित किया गया था। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि आय कर बचा सकें। यदि ऐसा करने से किसी साझेदार की आय आय-कर की न्यूनतम सीमा से कम हो

जाय तो आय-कर अधिकारी धारा २८ (२) के अनुसार ऐसे साझेदार पर आर्थिक दण्ड लगा सकता है।

Illustration No. 4—

Lean, Thin and Strong are equal partners of a Registered Firm which made a profit of Rs. 60 000 from business for the year ending 31st March, 1960. Find out the taxable income of the Firm for the assessment year 1960-61 and also the position of partners in relation thereto when their other incomes are Rs. 8,000, Rs. 3,000 and Rs. 2,000 respectively.

Solution No. 4—

Tax on the firm's profit Rs 60,000 will be calculated as below —

On first	Rs. 40,000	Nil
On next	Rs. 20,000 @ 5%	1,000

Position of Partners

	Lean	Thin	Strong
	Rs.	Rs	Rs.
Profit of Registered Firm	20,000	20,000	20,000
Income from other sources	8 000	3 000	2,000
	Rs.		
	28,000	23,000	22 000

Lean will pay tax on Rs. 28,000 } All of them will get a
Thin will pay tax on Rs. 23 000 } rebate on Rs 333 3.
Strong will pay tax on Rs. 22,000 }

Note—The amount of Rs. 333'3 is arrived at by dividing Rs. 1,000 by 3, because all the partners are sharing profits equally.

अनरजिस्टर्ड फर्म (Unregistered Firm)—

आय-कर अधिनियम के अनुसार अनरजिस्टर्ड फर्म के सम्बन्ध में नीचे लिखे हुए नियम महत्वपूर्ण हैं :—

- (१) इस फर्म को अपनी आय पर एक व्यक्ति की तरह कर देना पड़ता है।
- (२) इस फर्म के लाभ को इसके साझेदारों में बाँट दिया जाता है और यह लाभ उनकी अन्य आयों के साथ जोड़ दिया जाता है।
- (३) प्रत्येक साझेदार को फर्म से प्राप्त हुये लाभ पर आय-कर तो नहीं देना पड़ता है, परन्तु उसकी करदेय आय की दर बढ़ जाती है, क्योंकि फर्म का लाभ उसकी करदेय आय में जोड़ दिया जाता है।
- (४) यदि फर्म की कुल आय कर लगने वाली न्यूनतम सीमा से कम है तो

इसके साभेदारों से फर्म से प्राप्त होने वाले लाभ पर कर ले लिया जायेगा। यह आय उनकी अन्य आय में जोड़ दी जायेगी।

- (५) यदि इस फर्म को कोई हानि हुई है तो इसे फर्म ही अपनी आय से पूरा करेगी, साभेदार नहीं। यदि उस वर्ष फर्म की हानि पूरी न हो सके तो फर्म उसे अगले वर्ष की आय से पूरा करेगी।

रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म में अन्तर

रजिस्टर्ड फर्म	अनरजिस्टर्ड फर्म
(१) यदि इसकी आय ४०,००० रु० से कम हो तो इसे अपनी आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता है।	(१) यदि इसकी आय कर देने की न्यूनतम सीमा से कम है तो इसे कर नहीं देना पड़ेगा।
(२) यदि इसकी आय ४०,००० रु० से अधिक है तो इसे कर देना पड़ता है। (Special rates से)	(२) यदि इसकी आय कर देने की न्यूनतम सीमा से अधिक है तो इसे एक व्यक्ति की तरह कर देना पड़ता है।
(३) इसके लाभ को इसके साभेदारों की अन्य आय में उनके लाभ बाँटने के अनुपात में जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक साभेदार को आय आयों के साथ फर्म के लाभ पर भी कर देना पड़ता है।	(३) इस फर्म के लाभ को साभेदारों की अन्य आय में कर की दर निर्धारित करने के लिए जोड़ दिया जाता है, परन्तु इस फर्म से मिले हुए लाभ पर साभेदारों को कर नहीं देना पड़ता है।
(४) इस फर्म की हानि को सर्व प्रथम फर्म की आय से पूरा किया जाता है और यदि फर्म की आय अपर्याप्त है तो इस हानि को इसके साभेदारों की अन्य आयों से पूरा किया जाता है। यदि साभेदारों की आय हानि पूरी करने के लिये अपर्याप्त है तो वे इसे अगले वर्ष ले जा सकते हैं।	(४) यह फर्म अपनी हानि को अपनी ही आय से पूरा कर सकती है, साभेदारों की आय से नहीं। यदि इस फर्म की आय हानि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तो फर्म इसे अगली साल ले जाकर अपनी ही आय से पूरा करेगी।
(५) यदि फर्म पर कर लग चुका है, तो प्रत्येक साभेदार को फर्म द्वारा दिये गये भाग पर के अपने भाग पर छूट मिलती है।	(५) यदि फर्म की आय कर देने की न्यूनतम सीमा से कम है तो इस आय पर इसके साभेदारों को अपनी अन्य आयों के साथ कर देना पड़ता है, परन्तु इन साभेदारों को कोई कर की छूट नहीं मिलती है।

(६) रजिस्टर्ड फर्म को वभी भी अन-रजिस्टर्ड फर्म की तरह से नहीं माना जाता है, परन्तु रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (renewal) का प्रायः पत्र हर वर्ष ३० जून के अन्दर देना चाहिए।

(६) अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड फर्म की तरह माना जा सकता है। ऐसा तब होता है, (अ) जबकि आय कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड मान कर कर लगाने से अधिक आय प्राप्त होगी। (ब) या अनरजिस्टर्ड फर्म रजिस्ट्री के लिये नियमानुसार आवेदन करे।

Illustration No. 5—

Good, Bad and Indifferent are equal partners of a firm. Their Profit and Loss A/c. for the year ending 31st March 1960 is given below —

Profit and Loss Account			
	Rs.		Rs.
Office Salaries	2,000	Gross Profit	600
Interest on capital		Net Loss	Rs.
Good	4,000	Good	3,400
Bad	1,500	Bad	3,400
Indifferent	<u>2,500</u>	Indifferent	<u>3 400</u> 10,200
	8 000		
Salaries			
Good	500		
Bad	<u>100</u>		600
Commission			
Indifferent	150		
Bad	<u>50</u>		200
	<u>Rs. 10 800</u>		<u>Rs 10 800</u>

After taking the following information into consideration, point out how the assessment would be made when (i) the firm is registered and (ii) when the firm is unregistered

Good's taxable Income from other sources was Rs. 4,000, Bad's income from other sources was Rs 750, and Indifferent had no other income.

Solution No 5—

Loss as disclosed by Profit & Loss A/c	Rs.
	10,200
Less —	Rs.
Interest on capital	8 000

Partner's salaries	600	
Partner's Commission	200	8,800
Loss of the firm from Income tax point of view		Rs. 1,400

Particulars of Income	Good	Bad	Indifferent
	Rs.	Rs	Rs.
Salary	500	100	
Commission		50	150
Interest on Capital	4,000	1,500	2,500
Share of firm's loss	-3 400	-3,400	-3 400
	Rs 1 100	-1 750	-750

Following will be the position of Good, Bad and Indifferent when the firm is registered —

Good	will have to pay income tax on Rs. 5,100 which is total of his other income Rs 4 000 and his share of firm's income Rs 1,100.
Bad	will set off his firm's loss of Rs. 1,750 only to the extent of Rs 750 out of his income from other sources Remaining loss of Rs 1 000 will be carried forward for next eight years by him In those years he will set it off either from firm's profit or in the absence of it, from his other business profits
Indifferent	will carry forward his loss to next eight years and will set it off either from the same firm's share of Profit or in the absence of it from his other business profits.

Following will be the position of all the partners of the firm when the firm is unregistered.

Firm	will carry forward its loss of Rs 1,400 to the next eight years and will set it off from its income
Good	His share of profit of Rs 1,100 will be added to his other income of Rs 4,000 for determination of tax
Bad	will not set off his share of firm's loss from his other income He will not pay any tax as his other income is less than minimum taxable limit
Indifferent	will not carry forward the firm's loss to next year

Illustration No 6—

A and B are partners of an unregistered firm. The net profit

for the year ending 31st March 1960 is Rs. 20 000 after allowing Rs 4 000 and Rs 5,000 salary for A and B respectively and Rs 2 000 and Rs 3,000 interest on their capital accounts Find out the firm's taxable profits and distribute it amongst A and B

Solution No 6—

Particulars of Income	A	B
Salary	4 000	5 000
Interest on capital	2 000	3 000
Profit	10 000	10 000
Rs	16 000	18 000

	Rs.
Profit as disclosed by P & L A/c	20 000
Add —	
Salary	Rs
A	4 000
B	5 000
	9 000
Interest on capital	
A	Rs
B	2 000
	3 000
5 000	5 000
Firm's taxable Profit	Rs 34 000

Illustration No 7—

Good and Intelligent are equal ordinary resident partners in a firm Its P & L A/c for the year ending 31st March 1960 is as follows —

Profit & Loss Account

	Rs		Rs
Office Expenses	1 500	Gross Profit	20 000
Rent	300	Bank Interest	550
Repairs	200		
Interest on Capital			
Good	800		
Intelligent	900		
	1 700		
Salary of Good	100		
Commission of Indifferent	50		
Sales tax	1 000		
Depreciation Reserve	1 500		
Bad Debts	200		
Advertising	4 500		
Subscription			
(a) Trade	300		
(b) Charity	200		
	500		
Net profit	9 000		
Rs	20 550	Rs.	20 550

After taking following information into consideration compute the taxable profit of the firm and allocate it amongst the partners. Advertising expenses include Rs 1,000 cost of permanent sign.

Solution No. 7—

		Rs
Profit as disclosed by P. & L A/c		9,000
Add inadmissible expenditures		
	Rs.	
Interest on Capital	1,700	
Depreciation Reserve	1,500	
Partner's Salary	100	
Advertisement (Capital Exp.)	1,000	
Charity	200	
Indifferent Commission	50	4,550
Firm's taxable Profit		Rs 13,550
Firms Taxable Profit		13,550
Less Interest, Salary and Commission to Partners, (1,700 + 100 + 50)		1,850
Balance divisible amongst partners		Rs. 11,700

	Good	Indifferent
	Rs.	Rs.
Commission	100	50
Salary	800	900
Interest on Capital	5,850	5,850
Profit ($\frac{1}{2}$ of 11,700 to each partner)	6,750	6,800
Rs.		

फर्म की समाप्ति (Dissolution of a firm)—

आय वर अधिनियम की धारा ४४ के अनुसार एक फर्म की समाप्ति (Dissolution) के सम्बन्ध में नीचे लिखे हुए नियम महत्वपूर्ण हैं :—

- (१) यदि फर्म का व्यापार, पेशा या व्यवसाय बन्द हो जाये तो उन सब लोगों पर जो कि इसकी समाप्ति के समय साझेदार थे, वर लगाया जायेगा ।
- (२) यदि फर्म पर वर लग चुका था और उसने अदा नहीं किया था, तो सब साझेदारों को भुगतान करना पड़ेगा ।
- (३) साझेदार फर्म पर कर लगाने या फर्म द्वारा कर भुगतान करने के दायित्वों में सम्मिलित व पृथक दोनों ही रूप से उत्तरदायी होने हैं ।

- (४) यदि फर्म के गत वर्ष के लाभ के प्रतिरिक्त पुराने वर्षों के लाभों पर कर लगना हो या कर देना हो तो उस दायित्व का भी भार सब साझेदारों पर है ।
- (५) इन प्रकार के कर लगाने (Assessment) पर भाय कर अधिनियम के अध्याय ४ में दिए हुये सब नियम लगेगे ।
- (६) धारा ४४ केवल उन्ही साझेदारियों पर लगती है जिन्होंने अपना व्यापार, पेशा या व्यवसाय सदैव के लिए बन्द कर दिया है । यदि साझेदारी को बदल कर कम्पनी बना ली जाये तो यह धारा नहीं लगेगी । ऐसी दशा में फर्म के कर देने का दायित्व कम्पनी पर आ जायेगा ।

फर्म के विधान में परिवर्तन (Change in the constitution of a firm)—

फर्म के विधान में परिवर्तन मुख्यतः तीन प्रकार से होता है :—

- (१) पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण करना ।
- (२) नये साझेदार का आना ।
- (३) साझेदार की मृत्यु ।

साझेदार का अवकाश ग्रहण करना और नये साझेदार का आना (Retirement of a Partner and admission of a Partner)—

- (१) यदि एक साझेदार फर्म को छोड़ देता है और दूसरा साझेदार उसके स्थान पर प्रवेश करता है तो भाय वर अधिकारी नये फर्म के नाम पर वर देय भाय निकालेगा, यद्यपि उस समय तक का कर भुगतान पुराने साझेदारों को करना पड़ेगा ।
- (२) इस दशा में यह ध्यान देने योग्य बात है कि अवकाश ग्रहण करने व प्रवेश होने की तागीखों को ठीक से देखा जाय और इन्हीं के अनुसार पुराने व नये साझेदारों पर कर लगाना चाहिए ।

साझेदार की मृत्यु (Death of a Partner)—

धारा २४ बी (Sec. 24-B) के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों पर उस भाय के लिए कर लगता है जिस पर कि मरने वाले को देना चाहिए था ।

इसलिए यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसने उत्तराधिकारियों के कर दायित्व वही होंगे जो कि उस साझेदार के थे ।

नोट—(१) यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से में फर्म की हानि आई थी तो इस हानि को साझेदार ही अपनी भाय से पूरा करेगा, फर्म नहीं ।

[धारा २४ (२) (e)]

(२) यदि कोई नया साझेदार आता है या पुराना साझेदार अत्रवान ग्रहण करता है या मर जाता है तो धारा २६ (१), धारा २४ (२) (e) और धारा २४ (B) के नियम महत्वपूर्ण माने जाते हैं ।

Illustration No. 8—

Following is the P and L account of a registered firm for the year ending 31st March 1960 —

P & L Account

	Rs		Rs
Commission to A	2 000	Gross Profit	29,500
Salary to B	1 000		
General Expenses	3 000		
Interest on capital			
	Rs		
A	2 500		
B	1 000		
C	2 000	5 500	
Net Profit	18 000		
	Rs	Rs	Rs
	29 500		29 500

B retires on 1st October 1959 and other partners A and C continue the business. Other incomes of the partners are —

A's income of Interest from Securities is Rs 25 000 (gross)

B's income of Interest from Securities is Rs 9 000 (gross)

C's income of Interest from securities is Rs 2 000 (gross)

Find out total income of the partners

Solution No. 8—

Net Profit as disclosed by P & L A/c.	Rs	18 000
Add	Rs	
Commission to A	2 000	
Salary to B	1 000	
Int on Capitals	5,5 0	8 500
Total Income of the firm	Rs	26 500

Particulars of Income	A	B	C
	Rs	Rs	Rs
Salary		1 000	
Commission	2 000		
Interest	2 500	1 000	2 000
Profit*	7,500*	3 000*	7 500*
Income from firm	12 000	5 000	9 500
Other Income —			
Interest on Securities	25 000	9 000	2 000
Total Income	Rs 37 000	14 000	11 500

*This profit is arrived at as follows —		Rs.	Rs
Total profit for the year			18 000
Profit upto 30th Sept, 1959		9 000	
(six months)		Rs,	
A's Share $\frac{1}{3}$	3,000		
B's Share $\frac{1}{3}$	3 000		
C's Share $\frac{1}{3}$	<u>3 000</u>		
	Rs. <u>9 000</u>		
Profit from 1st Oct. to 31st March		9 000	
A's Share $\frac{1}{2}$	4,500		
C's Share $\frac{1}{2}$	<u>4,500</u>		
	Rs <u>9 000</u>		
Thus A's profit (Rs 3,000 + 4,500)		7,500	
B's profit		3 000	
C's profit (Rs. 3 000 + 4,500)		<u>7 500</u>	
	Rs <u>18,000</u>		

Illustration No 9—

The Profit disclosed by a Profit & Loss account of a registered Firm for the year ended 31st March 1960, was Rs 45 000 before charging salaries of its partners X, Y and Z of Rs 4,000 Rs. 3 000 and Rs 2 000 respectively. X left the firm on 1st August 1959

Find out the total Income of partners assuming that they share Profits and Losses in the ratio of $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{6}$ respectively

Solution No. 9—

Firm's Taxable Profit	Rs.
	45,000

The profit to be allocated among the partners will be found out as follows —

Profit and Loss Account			
		Rs	
Partners Salary			Gross Profit
	Rs		45 000
X	4,000		
Y	3 000		
Z	<u>2 000</u>	9 000	
Net Profit		<u>36 000</u>	
	Rs. <u>45 000</u>		Rs. <u>45 000</u>

Allocation of Profit amongst the Partners

	X	Y	Z
	Rs.	Rs	Rs.
Profit upto 1st August 1959 [($\frac{1}{3}$ of Rs 36,000) = 12,000]	6,000	4,000	2,000
Profit from 1st Aug to 31st March [(36,000 - 12,000) = 24,000]		16,000	8,000
New profit sharing ratio — $Y = \frac{2}{3}$ $Z = \frac{1}{3}$			
Share of profit in the firm	6,000	20,000	10,000
Salary	4,000	3,000	2,000
Rs	10,000	23,000	12,000

Illustration No. 10—

The profit of a firm for the year ending 31st March 1960 was Rs 48,000 after charging interest on capitals of A, B and C as Rs. 2,000, Rs 1,000 and Rs. 3,000 respectively and Rs 1,000 salary paid to B

A, B and C who are partners of the firm, share profit and losses in the ratio of $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{6}$ respectively. On 1st Oct. 1959 A left the firm and X joined it on the same date as a new partner. He was given $\frac{1}{3}$ share of profit in the firm. Find out the total income of the firm for the assessment year 1960-61 and allocate it in amongst the partners.

Solution No. 10—

Profit as disclosed by Profit and Loss Account		Rs. 48,000
Add		
Interest on Capital .	Rs.	
A	2,000	
B	1,000	
C	3,000	6,000
Salary to B		1,000
Taxable Income of the firm		Rs. 55,000

Particulars of Income	A	B	C	X
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Interest	2,000	1,000	3,000	
Salary		1,000		
Profit of the firm :— (upto 1st Oct. 1959) $\frac{1}{2}$ of Rs. 48,000 i.e. 24,000 (Profit from 1st Oct. to 31st March) is Rs. 24,000 Profit sharing ratio's will be $B = \frac{4}{10}$ $C = \frac{3}{10}$ $X = \frac{1}{10}$	8,000	12,000	4,000	
		13,500	4,500	6,000
	Rs. 10,000	27,500	11,500	6,000

अन्य संस्थाएँ (Other Association of Persons)—

- (१) इन संस्थाओं पर उसी प्रकार कर लगता है जिस प्रकार व्यक्तियों पर।
- (२) इन संस्थाओं के प्रत्येक सदस्य पर सदस्य की आय में संस्था से प्राप्त होने वाला भाग जोड़ दिया जाता है।
- (३) इन संस्थाओं के सदस्यों की स्थिति कर लगाने के दृष्टिकोण से वही होती है जो कि अनरजिस्टर्ड फर्म की।

कम्पनी—

कम्पनी की परिभाषा भारतीय कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ की धारा २ (१०) व धारा ३ में दी हुई है, परन्तु आय-कर अधिनियम में कम्पनी की परिभाषा धारा २ (५-A) में दी हुई है, जो कि इस प्रकार है—

“कम्पनी का अर्थ है (1) एक भारतीय कम्पनी से या (11) उन संस्थाओं से जिन पर ३१ मार्च सन् १९४८ के वर्ष में कम्पनी की तरह कर लग चुका हो, चाहे उनकी रजिस्ट्री हुई हो या नहीं और चाहे वे भारतीय हो या विदेशी या जिन्हें सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आय-कर के लिए कम्पनी घोषित किया हो।”

कम्पनी का निवासी होना (Company's Residence)

निवासी कम्पनी (Resident Company)—

- एक कम्पनी शरदेय प्रदेश में किसी भी वर्ष निवासी कही जा सकती है, यदि—
- (घ) यह एक भारतीय कम्पनी है,
 - (ङ) उस वर्ष इसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतया शरदेय प्रदेश से ही होता है।

कम्पनी के निवासी होने की यह परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा ४-A (c) में दी हुई है।

साधारण निवासी कम्पनी (Ordinary Resident Company)—

जो कम्पनी निवासी होती है वही साधारण निवासी भी मानी जाती है। यह नियम आय-कर अधिनियम की धारा ४-B (c) में दिया हुआ है।

विदेशी कम्पनी (Non-resident Company)—

यदि कम्पनी का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश के बाहर से होता है तो वह कम्पनी विदेशी मानी जाती है। यह नियम आय-कर अधिनियम की किसी भी धारा में दिया हुआ नहीं है, परन्तु अनुमान द्वारा निकाला गया है व न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा प्राप्त किया गया है।

कम्पनी व अन्य करदाताओं में अन्तर

(Difference between Company and other Assesseees)

कम्पनी	अन्य कर-दाता
(१) कम्पनी की चाहे जितनी कम 'आय' हो, इसे आय कर व अधि-कर दोनों देने पड़ते हैं।	(१) अन्य कर-दाताओं को आय-कर व अधि कर तभी देने पड़ते हैं जबकि उनकी आय आय-कर देने की एक निश्चित न्यूनतम सीमा से अधिक हो।
(२) एक कम्पनी पर आय कर व अधि-कर लेने की दरें अन्य कर-दाताओं की कर की दरों से भिन्न हैं।	(२) आय-कर व अधि-कर के लिए दरों की एक तालिका दी हुई है, जोकि कम्पनी पर लगने वाले कर को दरों से भिन्न है।

कम्पनी का कर निर्धारण (Assessment of Companies)—

प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख अधिकारी को आय-कर अधिकारी के पास कम्पनी की आय का एक विवरण-पत्र भेजना पड़ता है। आय-कर कम्पनी के ऊपर लगता है और यह प्रशासकों की ओर से (on behalf of) आय-कर नहीं देती है। प्रशासकों को अपने मिलने वाले लाभों पर स्वयं कर देना पड़ता है। एक कम्पनी की आय कितनी ही कम क्यों न हो, परन्तु उस पर आय-कर लगेगा। एक कम्पनी द्वारा निर्गमित किये हुए बोनस भत्तों पर विशेष अधि-कर लगता है।

आय-कर अधिनियम की धारा २३-A—

जो कम्पनियाँ कुछ धनवान व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती हैं, प्रायः उनके मालिक कम्पनी के लाभ के बहुत कम भाग को लाभों के रूप में वितरण करते हैं, क्योंकि

वे लोग यह जानते हैं कि यदि उन्हें कम्पनी से अधिक लाभांश प्राप्त होगा तो उनको अधिक आय वर देना पड़ेगा । अतः आय-कर बचाने की दृष्टि से वे लोग कम लाभांश बाँटते हैं । इस प्रकार की मालिकों की चालाकी को समाप्त करने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा २३ A में निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं :—

यदि आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि एक कम्पनी द्वारा बाँटे हुए लाभांश उस लाभांश से कम है जो कि आय कर अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है तथा जिनका वर्णन भागे किया गया है तो ऐसी कम्पनी धारा २३ के अनुसार निर्धारित आय कर देने के अलावा यदि विनियोगी कम्पनी है तो ५०% अधि-कर जुमने के रूप में देगी और यदि ऐसी कम्पनी विनियोगी कम्पनी नहीं है तो निर्धारित आय-कर देने के अतिरिक्त ३०% अधि-कर जुमने के रूप में देगी । ये जुमने बिना बँटे हुए लाभ पर निकाले जाते हैं । परन्तु इस प्रकार के जुमने करने के लिए आय कर अधिकारी को 'इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर' से आज्ञा लेनी पड़ेगी ।

जो कम्पनियाँ नीचे लिखी हुई दरो से अपने लाभ में से लाभांश बाँटती हैं उन पर ऊपर लिखे हुए जुमने नहीं किए जाते हैं :—

- | | |
|---|-----|
| (अ) एक विनियोगी कम्पनी होने पर | ६०% |
| (ब) एक ऐसी भारतीय कम्पनी होने पर जो कि निर्माण कार्य या खानों का कार्य या बिजली बनाने व वितरण करने का कार्य या अन्य किसी शक्ति बनाने का कार्य करती हो । | ५०% |
| (स) एक ऐसी भारतीय कम्पनी जो कि अततः '(ब)' में बताए हुए कार्य करती है तो इस कार्य के लाभ पर | ३०% |
| परन्तु अन्य कार्य के लाभ पर :—यदि यह कम्पनी धारा २३-A sub clause (a) of clause (17) की शर्तें पूरी करती है | ६०% |
| (11) अन्य मामलों पर | ६५% |
| (द) अन्य कम्पनियाँ, जो ऊपर दिये हुए विवरण में नहीं आती हैं :— | |
| (1) यदि इनके एकत्रित किए हुए लाभ और सचय इनकी चुकता पूँजी से अधिक हो | ६०% |
| (11) अन्य कम्पनियों में | ६५% |

नीचे लिखी दशामो में आय-कर अधिकारी जुमने के रूप में अधिक नहीं लेंगे :—

- (1) जहाँ कम्पनी ने पिछले वर्षों में बहुत सी हानियाँ उठाईं हो या लाभ बहुत कम हुए हों और अधिक लाभांश बाँटना उचित प्रतीत न होता हो,
- (11) जहाँ अधिक लाभांश बाँटने से आय (Revenue) की हानि होगी ।

धारा २३ A उन कम्पनियों पर नहीं लगती है जिनमें 'पब्लिक वास्तव में दिलचस्पी रखती है।' या जो ऐसी कम्पनियों की शत प्रतिशत सहायक कम्पनियाँ हैं।

धारा २३-A Explanation 1 के अनुसार जो कम्पनी नीचे लिखी हुई शर्तों पूरी करती है वही ऐसी कम्पनी कही जायगी जिसमें 'पब्लिक वास्तव में दिलचस्पी रखती है' :-

(1) यह एक ऐसी कम्पनी है जिस पर कि सरकार का स्वामित्व है या जिसमें ४० प्रतिशत या इससे अधिक अंश सरकार के हैं।

(11) यदि यह कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक प्राइवेट कम्पनी नहीं है और यह धारा २३ A Explanation 1 के clause (b) में दी हुई सब शर्तों को पूरा करती है।

कम्पनी और आय-कर—

प्रत्येक कम्पनी के लिये आय-कर की दर कुल का २० प्रतिशत कर दी गई है।

अधि-कर (Super-tax)—

कम्पनी के लिए कुल आय पर सुपर टैक्स की दर ५५ प्रतिशत निश्चित की गई है, परन्तु नीचे लिखी परिस्थितियों में कम्पनी को छूट (Rebate) मिलेगी :-

(१) कुल आय के उस भाग पर ४५% जो कि एक भारतीय सहायक कम्पनी के लाभांश से सम्बन्धित है, कुल आय के उस भाग का ४०% जो कि किसी दूसरी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभांश से सम्बन्धित है जो कि १ अप्रैल सन् १९५६ या इसके बाद रजिस्टर्ड हुई है, और कुल आय के बाकी भाग पर ३५% की छूट उस कम्पनी को दी जायगी जो कि —

(अ) ३१ मार्च सन् १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने लाभों पर आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर देने के योग्य होगी, जिसमें आय कर अधिनियम की धारा १८ (३) के अनुसार इन लाभों में से भारतवर्ष के अन्दर लाभांश घोषित करने और भुगतान करने के लिये निर्धारित प्रबन्ध कर लिया है।

(ब) ऐसी कम्पनी है जिसका वर्णन आय-कर अधिनियम की धारा २३ A (६) में किया गया है और इसकी कुल आय २५,००० रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(२) कुल आय के उस भाग पर ४५% जो कि एक भारतीय सहायक कम्पनी के लाभांश से सम्बन्धित है, कुल आय के उस भाग का ३५% जो कि किसी दूसरी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभांश से सम्बन्धित है जो कि १ अप्रैल सन् १९५६ या इसके बाद रजिस्टर्ड हुई है और कुल आय के बाकी भाग पर ३०% की छूट उस कम्पनी का दी जायगी जो कि ऊपर न० १ के अन्तर्गत दी हुई दो शर्तों में से

पहली शर्त जो (अ) के अन्तर्गत दी हुई है, को पूरा करती है और (ब) वाली शर्त नहीं पूरा करती।

(३) कुल आय के उस भाग पर ४५% जो कि एक भारतीय सहायक कम्पनी के लाभांश से सम्बन्धित है, कुल आय के उस भाग का २२% जो कि किसी दूसरी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभांश से सम्बन्धित है जो कि १ अप्रैल सन् १९५६ या इसके बाद रजिस्टर्ड हुई है, और कुल आय के बाकी भाग पर १२% की छूट ऐसी कम्पनी को दी जायगी जिह ऊपर समझायी हुई (१) और (२) के अन्तर्गत कोई छूट नहीं मिलती।

घाटे की पूर्ति (Set-off Losses)—

यदि एक कम्पनी वर्ष व्यापार करती है तो वह एक व्यापार की हानि को दूसरे व्यापार के लाभ से पूरा कर सकती है। यदि दूसरे व्यापार का लाभ उस हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो तो हानि अगले वर्ष ले जाई जाती है।

यदि एक निवासी कम्पनी को विदेशी व्यापार में कुछ हानि हुई है तो उस हानि को भारत के व्यापार की आय से पूरा किया जा सकता है।

जो कम्पनी एक ही व्यापार करती है उसे यदि हानि हो तो वह अपनी हानि को अगले वर्ष की आय से पूरा कर सकती है।

आय-कर से सम्बन्धित कम्पनी के कर्त्तव्य—

(१) लाभांश के बारे में सूचना देना—एक कम्पनी के मुख्य अधिकारी को प्रति वर्ष १५ जून को या उसके पहले आय कर अधिकारी के पास एक विवरण भेजना चाहिए, जिसमें उन अदाधारियों के नाम व पते लिखना चाहिए जिन्हें इस अधिनियम में निर्दिष्ट की हुई रकम से अधिक लाभांश गत वर्ष दिया गया है। यह विवरण एक निर्दिष्ट फार्म (Prescribed Form) पर होना चाहिए। इन अदाधारियों को कितना लाभांश दिया गया है, इसका भी उल्लेख उसी फार्म पर होना चाहिए।

[धारा १६ A]

(२) प्रत्येक कम्पनी का मुख्य अधिकारी प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च के बाद ३० दिन के अन्दर आय-कर अधिकारी के पास उन सब लोगों के नाम व पते भेजता है जिनका वेतन आय-कर लगने योग्य हो।

[धारा २१]

(३) प्रत्येक कम्पनी का मुख्य अधिकारी कम्पनी की कुल आय का विवरण आय कर अधिकारी के पास भेजता है।

धारा ४६ B B—

(१) यदि एक भारतीय कम्पनी ने या एम्बो कम्पनी ने जिसने भारत के अन्दर लाभांश का घोषित करने और भुगतान करने का निर्धारित प्रवन्ध किया है। अपनी उम गत वर्ष से सम्बन्धित जो कि ३१ मार्च सन् १९६० से कुछ होनी वाली करदय वर्ष से पहले आयी है, किसी एस लाभांश का पूर्णतया या अंशतः, जो कि

अपने ऐसे लाभ में से दिए गये हैं जिस पर कि १ अप्रैल सन् १९६० के पहले करदेय वर्ष में आय-कर लग चुका है, चुगतान करती है और धारा १८ के अनुसार आय-कर काटती है तो ऐसी कम्पनी को उस आय-कर पर क्रेडिट दिया जायगा, जो कि इसके द्वारा उस गत वर्ष के लाभ-हानि पर देय है, जिसमें लाभान का चुगतान किया जाता है।

(२) उप धारा १ के अनुसार आय कर की जितनी रकम की क्रेडिट दिया जायगा वह उप धारा १ में समझाये गये लाभान के १०% के बराबर होनी चाहिए।

यह धारा वित्त अधिनियम सन् १९६० द्वारा जोड़ी गई है।

कम्पनी और वित्त अधिनियम सन् १९६०—

(१) कम्पनियों पर आय-कर की दर २० प्रतिशत कर दी गई है, जबकि अभी तक आय-कर व सरचार्ज मिला कर ३१.५ प्रतिशत थी।

(२) जिन भारतीय कम्पनियों की आय २५,००० रु० से अधिक है, उन पर सुपर टैक्स की दर २५ प्रतिशत कर दी गई है, इसलिए इन कम्पनियों पर आय कर व सुपर टैक्स मिलाकर ४५ प्रतिशत होता है, जबकि इस समय तक ये दरें ५१.५ प्रतिशत थीं।

(३) विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं पर आय-कर व सुपर टैक्स की दर ६३ प्रतिशत कर दी गई है, जबकि अभी तक यह दर ६१.५ प्रतिशत थी।

(४) मूलधारी कम्पनियों के लिए, चाहे वे भारतीय हो अथवा विदेशी, अपनी सहायक भारतीय कम्पनियों से प्राप्त होने वाले लाभान पर सुपर टैक्स की दर १० प्रतिशत है और यही दर अब तक थी।

(५) एक भारतीय कम्पनी से, जो कि सहायक कम्पनी नहीं है और १ अप्रैल सन् १९६० या इसके बाद बनी है, किसी कम्पनी द्वारा प्राप्त होने वाले लाभान पर सुपर टैक्स की दर, यदि वह भारतीय कम्पनी हो, ५ प्रतिशत से और यदि वह विदेशी कम्पनी है तो १० प्रतिशत तक कम कर दी गई है।

(६) नकद प्राप्त हुए प्रीमियम में से निगमित हुए बोनस अथवा सुपर टैक्स के लिए इन्हें बोनस अंशों की तरह प्रयोग किए जायेंगे। भारतीय कम्पनियों को दिए जाने वाले प्रीमियमों के अथवा व लाभान पर उद्गम के स्थान पर वाटे जाने वाले सुपर टैक्स की दर २५ प्रतिशत से घटा कर १० प्रतिशत कर दी गई है। इस प्रकार इनकम-टैक्स और सुपर टैक्स दोनों की मिली हुई दर ५० प्रतिशत से घटा कर ३० प्रतिशत कर दी गई है।

(७) एक भारतीय कम्पनी द्वारा, जो कि सहायक कम्पनी नहीं है और १ अप्रैल सन् १९५६ को या इसके बाद स्थापित हुई है, एक विदेशी कम्पनी को दिए जाने वाले लाभान पर वाटे जाने वाले सुपर टैक्स की दर ४.५% से घटा कर ३.३ प्रतिशत कर दी गई है।

(८) भारत क जीवन बीमा निगम के लिये सुपर टैक्स की दर २२ ५ प्रति शत पर स्थिर कर दी गई है । ताकि आय कर व सुपर टैक्स की दर मिलाकर ४२ ५ प्रतिशत हो जाय, जैसी कि अभी तक रही है ।

स्थानीय सरकार (Local Authorities)—

स्थानीय सरकार को उस आय पर कर देना पड़ता है जोकि उसने अपने क्षेत्र के बाहर से प्राप्त की हो, जैसे—यदि एक म्यूनिसिपैलिटी अपने क्षेत्र के बाहर कोई आय प्राप्त करे तो वह चाहे जितनी कम कचो न हो, उसे उस पर कर देना पडगा । स्थानीय सरकार की कुल आय पर ३०% आय कर लगता है और १६% सर चाज लगता है ।

यहा यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि स्थानीय सरकार अपने क्षेत्र न कोई आय प्राप्त करती है तो उस आय पर कोई वर नहीं लगेगा ।

QUESTIONS

- 1 (a) State briefly the difference between registered firm and unregistered firm
(Agra B Com 1949 50 52 56 58)
- (b) Explain the procedure of registration of firm from Income tax point of view
- 2 What important changes have been introduced in Company Taxation by Finance Act 1960
- 3 Differentiate between —
(a) Losses of Regd firm and Unregd firm
(b) Assessment of Regd firm and Unregd firm
(Raj B Com 1956)
- 4 Explain any two of the following terms —
(a) }
(b) } These parts do not relate to this chapter
(c) }
- (d) Assessment of a registered firm (Raj B Com 1960)

कर निर्धारण करने की विधि तथा अपील

(Assessment Procedure and Appeal)

साधारण नोटिस (General Notice)—

प्रति वर्ष १ अप्रैल व १ मई के बीच में आय कर अधिकारी एक साधारण नोटिस उन व्यक्तियों के लिये अखबारों में छपाता है जिनकी गत वर्ष की आय करदेय हो। इन व्यक्तियों को अपनी आमदनी के नक्शों को ६० दिन के अन्दर आय-कर अधिकारी के पास भेजना चाहिए।

व्यक्तिगत नोटिस (Individual Notice)—

धारा २२ (२) के अनुसार आय-कर अधिकारी व्यक्तिगत नोटिस उन व्यक्तियों के पास भेजता है जिनके बारे में वह यह समझता है कि उनकी आय करदेय हो गई है। इस नोटिस के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर प्रत्येक करदाता को अपनी आय का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास भेज देना चाहिए।

धारा ३४—

यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस नहीं मिला है और यदि वह साधारण नोटिस के अनुसार अपनी आमदनी का नक्शा आय कर अधिकारी के पास नहीं भेजता है, तो भी उस पर आय-कर अधिनियम की धारा ३४ के अनुसार कर लग सकता है।

हानि का विवरण—

यदि किसी व्यापारी को हानि हुई है और उसे आमदनी का नक्शा देने के लिये व्यक्तिगत नोटिस नहीं मिला है तो भी उसे अपनी आमदनी का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास भेज देना चाहिए, ताकि उसे भविष्य में अपनी हानि को प्रतिसाद करने का अधिकार बना रहे।

ऊपर दिए हुए साधारण नोटिस और व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार आमदनी का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास भेजने की अवधि ६० दिन व ३० दिन है। यदि आय-कर अधिकारी चाहे तो इन अवधियों को बढ़ा सकता है।

(१) यदि साधारण नोटिस के अनुसार ६० दिन की अवधि पूरी हो गई है।

(२) व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार ३० दिन की अवधि पूरी हो गई है और फिर भी करदाताओं ने अपनी आमदनी का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास नहीं भेजा है और आय-कर अधिकारी ने इन नक्शों के भेजने

की अवधि को बढ़ाया भी नहीं है तो आय कर अधिकारी उन पर जुर्माना कर सकता है, जो कि उनके द्वारा दिये जाने वाले आय कर के १½ गुने से अधिक न हो।

कर निर्धारण की विधियाँ (Methods of Assessment)—

- (१) नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment) ;
- (२) प्रस्थायी कर निर्धारण (Provisional Assessment) ;
- (३) अभावधारण कर निर्धारण (Emergency Assessment) ।
- (४) अतिरिक्त कर निर्धारण (Additional Assessment) ।
- (५) प्रतिनिधियों पर कर निर्धारण (Representative Assessment) ।

नियमित कर निर्धारण—

आय कर अधिनियम की धारा २३ में इसके सम्बन्ध में नियम दिये हुए हैं—

(१) यदि करदाता द्वारा दिए हुए आयदानी के नक्को को देखकर आय-कर अधिकारी को यह संतोष हो जाता है कि करदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया आयदानी का विवरण सन्तोषजनक है तो वह इसी के आधार पर कर निर्धारित कर देता है। इस प्रकार के निर्धारित विषय हुए कर को 'विवरण के आधार पर निर्धारित' (On the basis of Return) किया हुआ कर कहते हैं।

(२) परन्तु यदि आय कर अधिकारी करदाता द्वारा प्रस्तुत किए गये आयदानी के नक्को से सन्तुष्ट नहीं है तो वह करदाता से उसकी असली आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रश्न पूछता है और जिन बातों पर शङ्का होती है उनक लिए सबूत माँगता है। करदाता का यह कर्तव्य है कि वह उचित सबूतों के द्वारा आय कर अधिकारी को अपनी सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराये। आय कर अधिकारी उसके वही खातों से सम्बन्धित प्रपत्रों (Documents) और प्रमाणों (Vouchers) को भी माँग सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति क अनुसार भिन्न भिन्न लेखों, प्रपत्रों और प्रमाणों की मदद से करदाता की सही आय का ज्ञान आय कर अधिकारी प्राप्त करता है और इसी के आधार पर कर लगाता है। इस प्रकार लगाय हुए कर को 'सबूत के आधार पर' (On the basis of Evidence) लगाया हुआ कर कहते हैं।

(३) जब सबूत के आधार पर कर लगाया जाता है तो आवश्यकता पडने पर आय कर अधिकारी करदाता को भी जुला सकता है। यह अधिकार धारा ३७ में दिया हुआ है।

(४) आय कर अधिकारी गत वर्ष से पहले ३ वर्ष तक के खाते माँग सकता है और इनसे अधिक वर्ष के खाते नहीं माँग सकता है, परन्तु जहाँ तक पत्रों व प्रमाणों का प्रश्न है, इस पर तीन वर्ष की अवधि लागू नहीं होती है।

(५) धारा २३ (२) के अनुसार आय कर अधिकारी को सबूत (Evidence) के आधार पर आय-कर लगाने का अधिकार है ।

उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण (Best Judgement Assessment) —

नीचे लिखी तीन दशाओं में आय कर अधिकारी अपने निर्णय के अनुसार कर निर्धारण करता है :—

- (१) यदि व्यक्तिगत करदाता धारा २२ (२) के अनुसार एक निश्चित समय में अन्दर अपनी आमदनी का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास नहीं भेजता है ।
- (२) धारा २२ (४) के अनुसार आय कर अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर अपने खाते, प्रपत्र (Documents) व प्रमाणक (Vouchers) को प्रस्तुत नहीं करता है ।
- (३) धारा २३ (२) के अनुसार आय कर अधिकारी को सन्तुष्ट करने के लिए उसके द्वारा माँगे जाने पर सबूत पेश नहीं करता है ।

सूक्ष्म में, इस प्रकार समझना चाहिए कि यदि आय-कर अधिकारी के पास आमदनी का नक्शा दाखिल नहीं किया जाता है और यदि किया जाता है, तो आय-कर अधिकारी उसमें सन्तुष्ट न होने पर उसके खाते व प्रपत्र माँगता है, परन्तु करदाता इन्हें उसके पास नहीं भेजता है और यदि आय कर अधिकारी सबूत देने के लिए कहता है, तो करदाता कोई परवाह नहीं करता है । ऐसी दशाओं में बाध्य होकर आय कर अधिकारी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करके एक-पक्षीय (Ex-party) फैसला देकर कर निश्चित करता है । इस प्रकार की कर निश्चित करने की विधि को 'उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण' (Best Judgement Assessment) कहते हैं ।

इस प्रथा की मुख्य बुराई यह है कि इसमें करदाता का नुकसान हो सकता है । जितनी उसकी आय होती है उससे अधिक पर ही कर लग जाता है और जितना उसे कर वास्तव में देना पड़ता है उसके डेढ़ गुने तक जुर्माना देना पड़ता है, परन्तु दूसरे दृष्टिकोण से यह कर निर्धारण की नीति उचित भी है, क्योंकि जब करदाता आय-कर अधिकारी के साथ सहकारिता न करने पर उतारू हो जाता है तो आय-कर अधिकारी के पास एक पक्षीय फैसला देने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं बचता है । उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण के विरुद्ध उपाय (Remedies against Best Judgement Assessment) —

- (१) धारा २७ के अनुसार करदाता उसी आय-कर अधिकारी से जिसने कि इस प्रकार कर लगाया है, यह प्रार्थना कर सकता है कि वह अपने दिये हुए निर्णय को रद्द कर दे और ऐसा करने के लिये उसके सामने

उचित व सन्तोषजनक कारणों को रखे। यह कारण सिर्फ इस बात का होना चाहिये कि जिन कारणों से बाध्य हो कर अधिकारी ने एक-पक्षीय फैसला किया उसको बदलावा को न पूरा करने के क्या कारण थे ? सिर्फ इस बात से कि कर अधिक लग गया है, यह फैसला रद्द नहीं हो सकता। यदि आय कर अधिकारी बदलावा के द्वारा दिये गये कारणों में सन्तुष्ट होता है, तो वह अपने निर्णय को रद्द कर देता है और फिर से कर निर्धारण करता है।

- (२) यदि आय कर अधिकारी बदलावा के प्रार्थना करने पर भी अपने दिये दूये निर्णय को रद्द नहीं करता है तो बदलावा इस निर्णय के विरुद्ध धारा ३० के अनुसार Appellate Assistant Commissioner के यहाँ अपील कर सकता है।

Pratap Chand Gangauli Vs. C. I. T. के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि यदि धारा ३० के अन्तर्गत कोई अपील की जाय तो Appellate Assistant Commissioner को इस कर निर्धारण के उचित व अनुचित होने पर ध्यान न देकर यह देखना आवश्यक है कि क्या कर निर्धारण फिर से शुरू किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि Notice of Demand प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर ही यह अपील होनी चाहिए।

अस्थायी कर निर्धारण (Provisional Assessment)—

धारा २३—B के अनुसार—

- (१) आय कर अधिकारी धारा २२ के अन्तर्गत प्राप्त हुए विवरणों के बाद किसी भी समन बदलावा के लिये उसके विवरण, भातों और प्रपत्रों के आधार पर अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है।
- (२) धारा २३—B के अनुसार आय-कर अधिकारी एक ऐसे सामंदाज की आय पर कर निर्धारण कर सकता है जिसने अपनी निजी आय का नक्का आय-कर अधिनियम के पास न भेजा हो, यद्यपि उस फर्म की आय का नक्का आय कर अधिकारी के पास पहुँच गया हो।
- (३) धारा २३—B (४) के अनुसार अस्थायी कर निर्धारण के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है।
- (४) धारा १८ या १८—A के अनुसार दिया गया आय कर अस्थायी कर निर्धारण के लिये दिया हुआ माना जाता है।
- (५) धारा २३—B (३) के अनुसार एक अनरजिस्टर्ड फर्म पर अस्थायी कर निर्धारण किया जा सकता है, यदि यह फर्म केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट की हुई बातों को पूरा नहीं करती है।
- (६) निर्धारित किया हुआ अस्थायी कर बदलावा द्वारा अवश्य ही निर्दिष्ट

समय के अन्दर भुगतान कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर कर के बराबर जुर्माना किया जा सकता है।

- (७) अस्थायी कर पर दी हुई रकम नियमित कर निर्धारण के समय समायोजित (Adjust) कर दी जाती है।

असाधारण कर निर्धारण (Emergency Assessment)—

- (१) 'गत वर्ष' की परिभाषा समझाते समय यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक कर-दाता को अपनी गत वर्ष की आय पर वर्तमान वर्ष में कर देना पड़ता है, परन्तु धारा २४—A के अनुसार कर-दाता की वर्तमान वर्ष की आय पर वर्तमान वर्ष में ही कर देना पड़ना है।
- (२) यदि प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष की आय पर ही कर लगाया जाय तो कुछ व्यक्ति कर देने से बच सकते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति भारतवर्ष में आय कर पैदा करने के बाद उसी वर्ष हमेशा के लिये विदेश चला जाय तो वह अपने को कर देने से बचा सकता था। इस प्रकार के कर भ्रष्टवचन (Tax Evasion) को रोकने के लिए आय-कर अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि उमे इस बात का विश्वास हो जाय कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए भारत छोड़ कर जा रहा है तो वह ऐसे व्यक्ति से अपनी आमदनी का नक्शा सात दिन के अन्दर दाखिल करने के लिए कहे।
- (३) यह नक्शा प्राप्त हो जाने के पश्चात् या यदि नक्शा प्राप्त न हो तो सात दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आय कर अधिकारी उस व्यक्ति पर कर निर्धारण कर सकता है।
- (४) कोई व्यक्ति बिना कर दिये हुए भारत से बाहर न जा सके, इसलिए धारा ४६—A के अनुसार उमे आय-कर अधिकारी से कर भुगतान का प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate) लेना पड़ता है। यदि आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो गया है कि विदेश जाने वाले व्यक्ति की आय कर देने योग्य नहीं है या कर देने योग्य है और उसने कर दे दिया है या कर देने योग्य है, परन्तु वह व्यक्ति शीघ्र ही भारत वापस आ जायेगा तो उसे 'कर-मुक्त प्रमाण पत्र' या 'कर भुगतान का प्रमाण-पत्र' दे सकता है।

अतिरिक्त कर निर्धारण (Additional Assessment)—

धारा ३४ के अनुसार यदि आय-कर अधिकारी को इस बात का विश्वास है कि मूल से करदाता को किसी वर्ष की आय पर कर नहीं लगाया गया है या यदि लगाया गया है तो उचित दर से कम पर लगाया गया है या करदाता ने उचित छूट से

अधिक छूट ले ली है या अधिक हानि या ह्रास को काटा गया है तो वह किसी भी समय फिर से कर निर्धारण कर सकता है ।

यदि आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि करदाता की भूल के कारण नहीं बल्कि अन्य किसी कारण से पिछले वर्षों की आयों पर कम कर लगा है या कर लगने में छूट गया है तो वह उस वर्ष की समाप्ति से ४ वर्ष के अन्दर किसी भी समय करदाता के ऊपर नोटिस दे सकता है कि वह धारा २२ (२) के अनुसार अपनी आमदनी का नक्का पेटा करे और उसके ऊपर फिर से कर लगा सकता है । इस प्रकार के कर निर्धारण को 'अतिरिक्त कर निर्धारण' कहते हैं । यह कर उसी दर पर लगाया जाएगा जो दर उस समय लगाई जाती है जिस समय कि आय कर लगने से बच गई थी ।

नीचे लिखी हुई दशाओं में आय कर अधिकारी 'अतिरिक्त आय-कर' के लिये नोटिस निर्गमन नहीं कर सकता है :—

- (१) ३१ मार्च सन् १९३६ के पहले की किसी वर्ष के लिए ।
- (२) उस वर्ष के बाद ८ साल समाप्त हो जाने पर, यदि आय १ लाख रुपये से अधिक नहीं है ।
- (३) अन्य किसी वर्ष के लिए, जिसे कि आय-कर अधिकारी स्वयं उचित समझे ।
- (४) यदि धारा ४३ के अनुसार करदाता विदेशी व्यक्ति का एजेंट है तो उस वर्ष के बाद दो साल समाप्त हो जाने पर अतिरिक्त कर किसी भी वर्ष की आय पर निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

जैसे कमाओ वैसे ही चुकाओ (Pay as You earn)—

प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष के अन्त में इकट्ठा आय-कर देने में कठिनाई, असुविधा व भार अनुभव होता है, अतः सरकार की ओर से वेतन को छोड़कर बाकी आयों पर 'जैसे कमाओ वैसे ही चुकाओ' वाली विधि प्रयोग की जा सकती है । इस विधि के अनुसार जैसे जैसे आय पैदा होती जाती है वैसे-वैसे उसी समय पर कर भी दिया जाता है, ताकि वर्ष के अन्त में इकट्ठा कर न देना पड़े । वास्तव में यह कर समय से पहले दिया जाता है । इसलिए इसे 'कर का अग्रिम भुगतान' (Advance Payment of Tax) भी कहते हैं । यद्यपि वेतन को छोड़कर बाकी सभी आयों पर आय-कर का अग्रिम भुगतान होगा, परन्तु जिन जिन आयों पर धारा १८ के अनुसार उद्गम पर कर काट लिया गया होगा उन पर कटे हुए आय-कर का क्रेडिट दिया जायेगा ।

इस सिद्धान्त के नियम (धारा १८-A के अनुसार)—

- (१) यह कर देने का दायित्व उसी समय घाता है जबकि करदाता की आय पिछले वर्ष में न्यूनतम करदेय आय से (२,५००) रुपये अधिक रही हो ।

- (२) ऊपर दिए हुये न० १ की परिस्थिति में आय-कर अधिकारी करदाता के पास तिमाही कर अदा करने के लिए नोटिस भेजते हैं । इस नोटिस के अनुसार १५ जून, १५ मितम्बर, १५ दिसम्बर और १५ मार्च को प्रति वर्ष कर देना पड़ता है ।
- (३) इसमें वर्तमान वर्ष की दर से आय कर लगता है ।
- (४) कर की दर निश्चित करने के लिए करदाता की वही आय मानी जाती है जो कि पिछले वर्ष थी ।
- (५) ऊपर दो हुई तिथियों पर कर देना आवश्यक है । इन किस्तों के भुगतान के लिए अवधि बढ़ाई नहीं जाती है, केवल कमीशन के लिए अवधि बढ़ सकती है, क्योंकि इसका भुगतान एक विशेष प्रकार की निश्चित तिथियों पर होता है और ये तिथियाँ प्रत्येक कम्पनी में अलग अलग हो सकती हैं ।
- (६) यदि करदाता का विश्वास है कि उसकी कुल आय उस आय से कम होगी जिसे आय कर विभाग ने निश्चित किया है तो वह अपने अनुमान के आधार पर कर अदा कर सकता है ।
- (७) यदि करदाता अपनी कुल आय के अनुमान के आधार पर कर देता है तो भूल के लिए २० प्रतिशत की Margin दी जाती है । यदि नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment) के समय यह पाया गया कि करदाता ने जिस अनुमानित आय पर कर दिया था वह कर असली आय पर दिये जाने वाले कर के ८० प्रतिशत से कम है तो ८० प्रतिशत से जितना कर कम है, इस अन्तर की रकम पर ४ प्रतिशत से ब्याज लगाया जायगा । यह ब्याज उस आर्थिक वर्ष की १ जनवरी से, जिसमें कि अग्रिम (Advance) कर दिया था, नियमित कर निर्धारण की तारीख तक का लगाया जायगा और यदि आय कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि यह भूल जान बूझकर की गई थी तो वह उस पर जितना कम कर दिया है उसके १२ गुने के बराबर तक जुर्माना भी कर सकता है, इसलिए करदाता को यह अधिकार है कि वह १५ मार्च के पहले सभी भी अपने अनुमान को दुहरा सकता है ।

जहाँ करदाता, जो कि निवासी है, को धारा १८ A (१) के अनुसार अग्रिम कर देना पड़ता है और करदाता धारा १८ A (२) के अनुसार अपनी आय का अनुमान लगाता है तो उसे अपने अनुमान में लाभान की रकम को भी शामिल करना चाहिये । यदि करदाता ने लाभान की रकम को अपने अनुमान में शामिल नहीं किया है और उसके द्वारा भुगतान किया हुआ कर नियमानुसार लगने वाले कर के ८० प्रतिशत से

कम है तो करदाता को अपनी लाभांश की आय पर जुमाने के रूप में धारा १८ A (6) के अनुसार ब्याज देना पड़ेगा ।

[C. I. T. Bombay city V. Purshottamdas Thakurdas
July 3, 1959]

- (८) यदि किसी ऐसे करदाता ने अप्रिम कर नहीं दिया था, जिसकी कुल आय ऐसे कर देने की निश्चित सीमा से अधिक थी तो उसकी आय के कर पर भी ४% ब्याज लिया जावेगा और जुर्माना भी किया जायेगा ।
- (९) यदि अप्रिम दिया हुआ कर वर्ष के अन्त में निकाले हुए कर की तुलना में अधिक है तो केन्द्रीय सरकार ४% ब्याज इस अधिक रकम पर देती है ।
- (१०) यह योजना सन् १९४४ में मुद्रा स्फीति (Inflation) को रोकने के लिए शुरू की गई थी ।

Postponement of Advance Payment of Tax—

धारा १८-A (4) के अनुसार यदि कोई आय करदाता कमीशन के रूप में प्राप्त करता है तो इस आय पर कर भविष्य के लिए टाला जा सकता है, परन्तु जिस तारीख पर कमीशन प्राप्त हो उस तारीख के १५ दिन के अंदर यदि कर अदा नहीं किया गया है तो इस कर पर ६% ब्याज लिया जाएगा । यह कर टालने की सूचना करदाता को आय कर अधिकारी को अवश्य देनी चाहिये ।

प्रतिनिधियों पर कर निर्धारण (Representative Assessment)—

आय-कर अधिनियम की धारा ४० और धारा ४१ में इस प्रकार के कर निर्धारण का विवरण दिया हुआ है । इसका अर्थ यह है कि कर अदाय उस व्यक्ति पर लगाने के, जिसे कि आय प्राप्त हुई है उसके प्रतिनिधियों पर लगाया जाता है जैसे—सरक्षक (Guardians), प्रत्यागी (Trustees) आदि ।

अवयस्क की आय पर कर निर्धारण (Assessment on minors income)—

धारा ४० के अनुसार अवयस्क पर कर लिया जा सकता है, यदि अवयस्क का कोई सरक्षक है, जिसे कि अवयस्क की आय प्राप्त करने का अधिकार है तो उसके ऊपर उसी प्रकार कर लगाया जाएगा जिस प्रकार कि अवयस्क पर दयस्क हो जाने के बाद उसके द्वारा प्राप्त की हुई आय पर लगाया जाता है ।

यही नियम पागल व्यक्तियों के सरक्षकों के ऊपर भी लगता है ।

कर निर्धारण का स्थान (Place of Assessment)—

धारा ६४ के अनुसार—

- (१) कर निर्धारण का अधिकार उस स्थान के आय-कर अधिकारी को होता है, जहाँ करदाता निवास करदाता है ।

- (२) यदि कोई करदाता एक स्थान पर रहता है और दूसरे स्थान पर व्यापार करता है तो जिस स्थान पर व्यापार करता है उस स्थान का आय कर अधिकारी उस पर कर लगायेगा ।
- (३) यदि एक करदाता भिन्न-भिन्न स्थानों पर व्यापार करता है तो वहाँ का आय-कर अधिकारी वर लगायेगा, जहाँ कि करदाता का मुख्य व्यापार होता है ।

कर वसूली की सूचना और कर की वसूली (Notice of Demand & Recovery of tax)—

आय-कर निर्धारण करने की विधियाँ पीछे समझाई जा चुकी हैं । उन विधियों में से किसी भी प्रकार को निर्धारित कर लेने के बाद आय-कर अधिकारी कर वसूल करने की सूचना करदाता के पाम भेजता है । यह सूचना किसी (अ) कर, (ब) जुर्माना या (स) ब्याज, जो कि आय कर अधिनियम के अन्दर लगाये गए हैं, को वसूल करने के लिए दी जाती है । आय-कर अधिकारी को इस सूचना देने का अधिकार धारा २६ के अनुसार प्राप्त हुआ है । इस नोटिस के साथ उस आय कर अधिकारी की आज्ञा की नकल भेजी जाती है, जिसके अनुसार कर निर्धारण किया गया था ।

करदाता का यह कर्तव्य है कि वह इस नोटिस में लिखी हुई अवधि के अन्दर किसी सरकारी खजाने में कर जमा कर दे ।


यदि करदाता कुछ कारणवश इस सूचना में दी हुई अवधि के अन्दर भुगतान नहीं कर पाता है तो वह आय-कर अधिकारी से प्रार्थना करके इस अवधि को बढ़ावा सकता है, परन्तु यदि कोई करदाता जान बूझकर निश्चित अवधि के अन्दर कर का भुगतान नहीं करता है तो आय कर अधिकारी धारा ४६ के अनुसार उस पर जुर्माना कर सकता है, परन्तु यह जुर्माना अधिक से अधिक कर की रकम के बराबर हो सकता है ।

यदि आय कर अधिकारी के पूरे प्रयत्न किये जाने पर भी करदाता कर का भुगतान नहीं करता है । तो वह नीचे लिखी हुई विधियों को अपना सकता है :—


- (१) यदि करदाता का बैंक में खाता है तो वह उस खाते पर कब्जा कर सकता है और उस रकम के द्वारा कर वसूल कर सकता है ।
- (२) यदि करदाता कहीं नौकर है तो आय-कर अधिकारी उसके मालिक से वेतन में से आय-कर भुगतान करने के लिए कह सकता है ।
- (३) यदि किसी के पास करदाता का खया जमा है तो उससे आय-कर अधिकारी कर वसूल कर सकता है ।
- (४) यदि ऊपर दी हुई तीनों विधियों से कर वसूल न हो या पूरा कर वसूल न हो तो वह जिलाधीश को सूचना दे सकता है कि वह इस करदाता से कर की रकम मालयुजारी (Land Revenue) की तरह वसूल करे । [धारा ४६ (२)]
- (५) जिलाधीश के मागने पर भी यदि करदाता आय-कर की रकम नहीं देता है तो उसकी सम्पत्ति नीलाम की जायगी और जैसे भी सरकारी लगान की वसूली होती है वैसे ही कर वसूल किया जायगा ।

कर निर्धारण की विधि को भली भाँति समझने के लिए नीचे बने हुए चार्ट को देखिए .—

Assessment Procedure at a Glance



If assessee does not pay



Note—If I T. O is satisfied with returns, accounts & evidence he may pass assessment order and then issue demand notice

मृतक की आय पर कर निर्धारण (Assessment of the Deceased)—
यदि कोई व्यक्ति आय पैदा करने के बाद बिना भाव-कर का भुगतान किए

हुए मर गया है तो धारा २४-B के अनुसार उसकी आय पर कर भुगतान करने का दायित्व उसके उत्तराधिकारियों पर होता है, परन्तु यह कर उस मरे व्यक्ति की सम्पत्ति में से वमूल किया जाता है। यदि उसकी पूरी सम्पत्ति प्रयोग करने पर भी कर का भुगतान नहीं होता है तो उत्तराधिकारी अपनी सम्पत्ति में से कुछ भी नहीं देगा।

यदि करदाता नोटिस छपने के पहिले ही मर जाता है, तो उसके उत्तराधि-कारियों को नोटिस दिया जायगा और वे सब कार्यवाहियाँ, जो कि मरे हुए करदाता पर मरने के पहिले होती, अब उसके उत्तराधिकारियों पर होगी, परन्तु उत्तराधिकारियों पर मृत करदाता की गलतियों का जुर्माना नहीं हो सकता है।

उद्गम पर कर काटना (Deduction of Tax at Source)—

(१) कोई भी व्यक्ति जिसका दायित्व वेतन देने का है, आय-कर और अधि कर वेतन देने के पहिले उसमें से काटेगा। निवासी कर्मचारियों के वेतन में से आय-कर और अधि-कर उस दर पर काटा जायगा जो कर्मचारी की वेतन शीर्षक के अन्दर आने वाली अनुमानित आय पर लगती हो। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि वेतन देने वाला निवासी कर्मचारी की आय में से उस दर पर कर नहीं काटता है जोकि उसकी कुल आय पर लगती हो।

विदेशी कर्मचारियों के वेतन शीर्षक में आने वाली अनुमानित आय पर निर्धारित दर (Prescribed Rates) पर उद्गम स्थान पर कर काटा जायेगा। [धारा १८]

(२) कोई भी व्यक्ति, जिसे करदाता को प्रतिभूतियों पर ध्याज देना है, कर काटने के बाद ही ध्याज देगा। यह कर निर्धारित दरों पर काटा जाता है।

(३) लाभांश देने के पहिले भी लाभांश पर कर निर्धारित दरों से काट लिया जाता है।

(४) विदेशी की आय पर भी कर पहिले ही काट लिया जाता है।

(५) कर काटने वाले का यह दायित्व है कि वह इस कर को सरकारी खजाने में कर काटने के बाद एक निश्चित समय के अन्दर जमा कर दे। [धारा १८ (६)]

(६) यदि उद्गम पर कटा हुआ कर निश्चित अवधि के अन्दर किसी सरकारी खजाने में जमा नहीं किया जाता है या जहाँ उद्गम पर कर काटना चाहिए वहाँ काटा ही नहीं जाता है तो उस पर इन अपराध के लिए मुद्दमा भी चलाया जा सकता है और वह कर काटने वाले को ही देना पड़ता है। [धारा १८ (७)]

आय-कर अधिनियम की धारा १८ के अनुसार कर काटने की निर्धारित दरें—

आय-कर अधिनियम की धारा १८ के अनुसार जिन निर्धारित दरों पर उद्यम के स्थान पर कर काटा जाता है। उनकी सूची नीचे दी हुई है :—

आय-कर की दर	सर चार्ज का दर		सुपर टैक्स	
	मूल्यन के लिये सर चार्ज	स्पेशल सर चार्ज	सुपर-टैक्स की दर	अधि-कर की दर

(१) कम्पनी को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों को दशांशों में—

(अ) प्रत्येक दशा में कुल आय पर (केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित की हुई कर मुक्त प्रतिभूतियों के व्याज को छोड़ कर) और

(ब) यदि व्यक्ति विदेशी है तो उसकी कुल आय पर।

सुपर टैक्स और इसका सर चार्ज आय-कर अधिनियम की धारा १७ (१) (b) के अनुसार निकाला जायेगा।

आय-कर की दर	सुपर-टैक्स की दर
-------------	------------------

(२) एक कम्पनी की दशा में—

(अ) प्रत्येक दशा में—

(i) कुल आय पर (केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित की हुई कर मुक्त प्रतिभूतियों के व्याज को छोड़ कर) और

(ii) कुल आय पर (आय-कर अधिनियम की धारा ५६ A में वर्णित की हुई भारतीय कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश को छोड़कर) और;

(व) इसके अतिरिक्त जहाँ कि कम्पनी न तो एक भारतीय कम्पनी है और न ऐसी कम्पनी है जिसमें भारत के अन्दर लाभांश की घोषणा करने के लिए निर्धारित प्रवन्ध कर लिया है—

(1) लाभांश से आय पर (इसको सहायक भारतीय कम्पनी या ऐसी कम्पनी, जिसका वर्णन आय कर अधिनियम की धारा ५६ A में किया गया है, के द्वारा दिये जाने वाले लाभांश को छोड़ कर)—

(अ) १ अप्रैल सन् १९५६ या इसके बाद बनी हुई कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले लाभांश पर, २३%

(ब) अन्य लाभांश पर। ३३%

(11) लाभांश की आय को छोड़कर अन्य आय पर। ३३%

कर भुगतान-प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate)—

धारा ५६ A के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि विदेश जा रहा है, कर चुकाने का प्रमाण-पत्र आय-कर अधिकारी से लेना आवश्यक है। यदि उस व्यक्ति की आय करदेय आय से कम है तो उसे छूट का प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) लेना पड़ता है और यदि उसको आय करदेय है तो कर भुगतान करने के बाद एक 'कर भुगतान प्रमाण पत्र' लेना पड़ना है। कर भुगतान प्रमाण-पत्र का आशय यह है कि इस व्यक्ति ने कर भुगतान कर दिया है। जब से यह प्रमाण-पत्र शुरू हुआ है, लोग कर बचाकर बाहर भाग नहीं सकते हैं।

कर निर्धारण को रद्द करना (Cancellation of Assessment)—

आय-कर अधिकारी नीचे लिखी हुई दशाओं में अपने लगाये हुए कर को रद्द कर सकता है :—

(१) यदि करदाता आय कर अधिकारी को यह विश्वास करवा दे कि उसने धारा २४ (४) या धारा २३ (२) के अनुसार दिये हुए नोटिस को प्राप्त नहीं किया था।

(२) उसे नोटिस तो मिला, परन्तु वह कुछ आवश्यक कारणों की वजह से उसकी तामील न कर सका और ये कारण उसकी सक्ति के बाहर थे।

आय कर अधिकारी को जब पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि उसरी आज्ञाओं का उल्लंघन करदाता ने जान-बूझकर नहीं किया था और वह निर्दोष है तो वह अपना दिया हुआ न्याय रद्द कर सकता है तथा नई सूचनाओं के आधार पर फिर से कर निर्धारण कर सकता है।

आ०क०वि०सा० (१ः)

बन्द हुए व्यापार पर कर लगाना (Assessment of Discontinued Business)—

आय-कर अधिनियम की धारा २५ में इस सम्बन्ध में नियम दिये हुये हैं—

- (१) यदि कोई व्यापार साल के बीच में बन्द हो जाता है तो उस व्यापार की वर्तमान वर्ष की आय पर वर्तमान वर्ष में ही आय-कर लग सकता है । शर्त यह है कि व्यापार सदैव के लिये बन्द हुआ हो ।
- (२) पिछले वर्ष के अन्त से व्यापार के समाप्त होने तक की बीच की अवधि में प्राप्त हुये घन पर आय-कर लगता है ।
- (३) गत वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय दोनों पर वर्तमान वर्ष में ही आय कर लग जाता है ।
- (४) जो व्यक्ति व्यापार बन्द कर रहा हो उसका यह कर्तव्य है कि वह आय-कर अधिकारी को अपने व्यापार बन्द होने के १५ दिन के अन्दर सूचना दे दे, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो आय-कर अधिकारी उस पर जुर्माना कर सकता है, परन्तु यह जुर्माना कर की रकम से अधिक नहीं होना चाहिये ।

अपील—

आय-कर अधिकारी द्वारा दिये हुए निर्णय से यदि करदाता सन्तुष्ट नहीं है, तो वह उसकी आज्ञा के विरोध में अपील कर सकता है । नीचे अपील की विधि समझाई गई है :

अपैलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner)—

(अ) धारा ३० के अनुसार—अपील आय कर अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध ३० दिन के अन्दर अपैलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास करनी चाहिए ।

(ब) अपील एक निश्चित फार्म पर और निश्चित विधि के अनुसार करनी चाहिए । [धारा ३० ()]

(स) अपैलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपील सुनने के लिए एक तारीख व स्थान निश्चित करता है और इसकी सूचना Call Notice द्वारा देता है ।

[धारा ३१ (१)]

(द) अपील सुनते समय वह जो जांच करना चाह, कर सकता है या अधिकारी द्वारा जांच करा सकता है । [धारा ३१ (२)]

(य) अपैलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर आय कर अधिकारी की आज्ञा को जैसा का तैसा रहने दे सकता है या उसके द्वारा लगाये हुए कर को घटा या बढ़ा सकता है ।

[धारा ३१ (३) (घ)]

(र) आय-कर अधिकारी की आज्ञा को रद्द कर सकता है, फिर से वर

निर्धारण की आज्ञा पास कर सकता है। ऐसी दशा में आय-कर अधिकारी को फिर से कर निर्धारण करना पड़ता है। [धारा ३१ (३) (b)]

(ल) अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर की आज्ञा को नकल करवाता व कमिश्नर के पास भेज दी जाती है। [धारा ३१ (५)]

कमिश्नर द्वारा कर निर्धारण को दुहराना (Revision by Commissioner)—

धारा ३३—A (१) के अनुसार कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह आय-कर अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय से सम्बन्धित विवरण को प्राप्त कर सकता है और यदि उचित समझे तो फिर से जांच कर सकता है और अपनी इच्छानुसार उचित आर्डर पास कर सकता है।

कोई करदाता आय-कर अधिकारी के द्वारा दिये गए निर्णय के प्राप्त करने के १ वर्ष के अन्दर कमिश्नर के पास दुहराने का प्रार्थना-पत्र दे सकता है। इस प्रार्थना-पत्र के साथ २५ रुपये फीस देना जरूरी है। कमिश्नर यदि इस प्रार्थना से सन्तुष्ट होता है तो वह आय-कर अधिकारी से इस मामले में पूरा विवरण प्राप्त कर फिर से जांच करता है और अपना निर्णय देता है। [धारा ३३-A (२)]

कमिश्नर नीचे दी हुई परिस्थितियों में आर्डर को दुहरा नहीं सकता है—

(१) यदि आर्डर के विरुद्ध अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर के यहाँ या अपैलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ अपील की जा सकती है और यह अपील करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है। [धारा ३३-A (1) (a)]

(२) यदि इस आर्डर के विरुद्ध अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील कर दी गई है और यह अपील विचारधीन (Pending) पड़ी हुई है। [धारा ३३-A (१) (b)]

(३) आर्डर १ साल से अधिक पुराना हो गया है।

[धारा ३३-A (१) (c)]

कमिश्नर वा दिया हुआ निर्णय अन्तिम निर्णय होता है, परन्तु कमिश्नर कोई ऐसा आर्डर पास नहीं कर सकता है जो कि करदाता के अहित में हो।

परन्तु धारा ३३-B के अनुसार कमिश्नर करदाता की वृहत् को सुनने के बाद यदि उचित समझे तो कर बढ़ाने का भी आर्डर पास कर सकता है। यदि करदाता इस निर्णय से असन्तुष्ट हो तो इस निर्णय को प्राप्त करने के ६० दिन के अन्दर अपैलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, परन्तु अपील एक उचित फार्म पर उचित विधि से और १०० रुपये की फीस के साथ करनी चाहिए।

[धारा ३३-B (4)]

अपैलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)—

(अ) यदि आय-कर अधिकारी अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर के दिए हुए

आर्डर से सन्तुष्ट नहीं है जो वह इन आर्डर के पाने के ६० दिन के अन्दर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के यहाँ अपील कर सकता है।

[धारा ३३ (१)]

(ब) कमिश्नर अपने आर्डर के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्रायः कर अधिकारी को भी दे सकता है और उसे भी यह अपील ६० दिन के अन्दर करनी पड़ेगी।

[धारा ३३ (२)]

(स) ट्रिब्यूनल इस अपील को ६० दिन के बाद भी स्वीकार कर सकता है, यदि उसे इस बात का विश्वास करा दिया जाय कि यह देर विवशता के कारण हुई है।

[धारा ३३ (२ A)]

(द) अपील निश्चित फार्म पर और निश्चित विधि के अनुसार करनी चाहिए। करदाता को प्रत्येक अपील के साथ १०० रुपये जमा करना आवश्यक है, परन्तु यदि आय-कर अधिकारी अपील करेगा तो उसे १०० रु० जमा नहीं करने पड़ेंगे।

[धारा ३३ (ब)]

(घ) अपीलेंट ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों की वहुस मुनने के बाद जो उचित समझेगा वही निर्णय देगा और इस निर्णय को करदाता व कमिश्नर के पास भेज देगा।

[धारा ३३ (ग)]

(र) धारा ६६ में दिए हुए नियमों को छोड़कर बाकी सब मामलों पर अपीलेंट ट्रिब्यूनल द्वारा दिया हुआ निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता है, अर्थात् तथ्य के विषय (Point of Fact) पर इन अज्ञानत का निर्णय अन्तिम होता है, परन्तु कानून के प्रश्न (Question of law) पर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।

[धारा ३३ (द)]

हाई कोर्ट (High Court)—

(अ) अपीलेंट ट्रिब्यूनल की आज्ञा प्राप्त करने के ६० दिन के अन्दर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह अपील एक निश्चित फार्म पर होनी चाहिए। करदाता को अपने प्रार्थना पत्र के साथ १०० रुपये फीस भी देनी पड़ेगी। करदाता या कमिश्नर, दोनों में से जो भी असन्तुष्ट हो, अपीलेंट ट्रिब्यूनल की आज्ञा से हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अपीलेंट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में जाने वाली अपील के प्रार्थना-पत्र पाने के ६० दिन के अन्दर हाई कोर्ट को विवरण भेज देता है, परन्तु ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि वह इस अपील को हाई कोर्ट में भेजने से मना कर दे।

[धारा ३६ (१)]

(ब) यदि ट्रिब्यूनल को यह विश्वास है कि कानून का विरोध नहीं हुआ है तो वह अपील हाई कोर्ट भेजने से मना करता है। इन मना करने की सूचना प्राप्त करने के ६ महीने के अन्दर करदाता या कमिश्नर हाई कोर्ट में अपील के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। यदि हाई कोर्ट को यह विश्वास हो जाय कि यह मामला वास्तव में

अपील के योग्य है तो वह ट्रिब्यूनल को इस मामले की कार्यवाही भेजने के लिए बाध्य कर सकता है। [धारा ६६ (२)]

(स) इस मामले की सुनवाई करने समय हाई कोर्ट यह निश्चय करेगा कि क्या वास्तव में कोई कानूनी विरोध हुआ है। वह अपना निर्णय अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास भेजता है। यह ट्रिब्यूनल इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए नया फैसला देता है। [धारा ६६ (५)]

(द) अपील किये जाने पर भी आय-कर देना आवश्यक है। कोई व्यक्ति इस कारण कि अपील की गई, अपने को आय कर देने से फौमले के समय तक बचा नहीं सकता है। यदि फौमले में कर की कुछ कम रकम लगाई जायेगी तो अधिक दिया हुआ रुपया ट्वात्र सहित वापिस कर दिया जाता है। [धारा ६६ (७)]

(य) धारा ६६ के अन्तर्गत जो अपील हाई-कोर्ट में की जाती है उस अपील को हाई कोर्ट ने कम से कम दो जज सुनते हैं। [धारा ६६ A]

सुप्रीम कोर्ट—

हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। यह अपील केवल कानूनी प्रश्न पर ही होनी है। [धारा ६६-A (२)]

कानून के प्रश्न पर इस कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता है।

जुर्माने (Penalties)—

आय-कर अधिनियम की कई धाराओं में जुर्माने का वर्णन आया है, जिनमें से कुछ धाराएँ नीचे दी जाती हैं :—

(१) यदि कोई व्यापार वर्तमान वर्ष में सदैव के लिए बन्द कर दिया जाता है तो उस व्यापार के मालिक का यह कर्तव्य है कि वह बन्द करने के १५ दिन के अन्दर आय कर अधिकारी को व्यापार बन्द करने की सूचना दे दे, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर उस व्यापार की करदेय आय के बराबर जुर्माना किया जा सकता है। [धारा २५ (२)]

(२) आय-कर अधिकारी या अपीलेंट अगिस्टेन्ट कमिश्नर को यदि यह विश्वास हो जाय कि किसी व्यक्ति ने (अ) बिना उचित कारण के अपनी आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है, (ब) या धारा २२ (४) या धारा २३ (२) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस का बिना किसी उचित कारण के पालन नहीं किया है या (स) अपनी आय के विवरणों को छिपाया है या जान-बूझकर आय का गलत विवरण दिया है, तो उस व्यक्ति पर कर-देय रकम के ड्योडे तक जुर्माना किया जा सकता है। [धारा २८ (१)]

(१) यदि किसी करदाता ने प्रतिभूतियों के ब्याज पर दिये जाने वाले कर

को बचाने के लिये Bond Washing के सौदे किये हैं और आय-कर अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये हैं, परन्तु यह व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो उसके ऊपर प्रति दिन ढेर के लिये ५०० रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

[धारा ४४-E (6)]

(४) धारा ४४-F के अनुसार यदि करदाता ने कर बचाने के लिये Cum-Dividend बिक्री की है और आय-कर अधिकारी द्वारा इसकी सूचना माँगने पर उत्तर नहीं दिया है तो प्रत्येक दिन के लिये ५०० रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

[धारा ४४-F (५)]

(५) यदि कोई करदाता निश्चित अवधि के अन्दर आय-कर का भुगतान नहीं करता है तो आय-कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह करदेय रकम के बराबर तक जुर्माना कर सकता है।

[धारा ४६ (१)]

(६) यदि कोई व्यक्ति बिना किन्हीं उचित कारणों के (अ) धारा १८ या ४६ (५) के अनुसार उद्गम के स्थान पर कर नहीं काटता है और यदि काटता है तो उसका भुगतान नहीं करता है। (ब) धारा १८ (६) और धारा २० के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। (स) धारा १६-A, धारा २०-A, धारा २१, धारा २२ (२) और धारा ३८ के अनुसार निश्चित समय के अन्दर विवरण नहीं भेजे हैं या (द) धारा २२ (४) के अन्तर्गत दिए हुये नोटिस के अनुसार सातों और विपत्रों को निश्चित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया है। (य) धारा ३६ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने खातों की जाँच या नकल करने से रोकता है तो उस पर मजिस्ट्रेट के सामने मुकद्दमा चलाया जा सकता है और प्रति दिन के लिये १० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

[धारा ५१]

(७) यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर गलत विवरण देता है तो उस पर मजिस्ट्रेट के सामने मुकद्दमा चलाया जा सकता है और ६ महीने तक की सजा या १,००० रुपये तक जुर्माना या दोनों किया जा सकता है।

[धारा ५२]

कर की वापसी (Refund)—

यदि किसी व्यक्ति, हिन्दू सम्मिलित परिवार, कम्पनी, स्थानीय सरकार, फर्म या अन्य व्यक्तियों की सस्थाएँ या किसी फर्म का साझेदार या किसी सस्था का सदस्य आय कर अधिकारी को या किसी ऐसे अधिकारी को जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, इस बात का विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा दिया हुआ कर उस कर से ज्यादा है जो कि वास्तव में आय-कर अधिनियम के अनुसार उसे देना चाहिए तो उससे ली हुई अधिव कर की रकम वापिस कर दी जावेगी।

[धारा ४८ (१) (२)]

कर निर्धारण वर्ष के अन्त से चार वर्षों के अन्दर कर वापसी का प्रमाण-पत्र देना चाहिये। इसके बाद दिये हुए प्रमाण पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

[धारा ५०]

नीचे लिखी हुई दशाओं में करदाता कर वापसी की प्रार्थना कर सकता है:—

- (१) जब कि वेतन या प्रतिभूतियों के व्यय या करदाता की कुल आय पर लगने वाले कर से अधिक कर लिया गया हो ।
- (२) यदि लाभों पर ऊँची दर से कर काटा गया हो ।
- (३) यदि विदेशियों को किये गये भुगतानों पर अधिक से अधिक दर पर आय-कर काटा गया हो, परन्तु वास्तव में उसकी आय पर कम दर से कर लगा हो ।
- (४) यदि एक रकम पर दो बार कर लग चुका हो ।
- (५) यदि आय-कर अधिकारियों की किसी भूल के कारण अधिक कर लग चुका हो ।
- (६) यदि किसी अपील करने से कर कम हो जाय, जबकि पहले अधिक कर दिया जा चुका हो ।
- (७) यदि करदाता के प्रार्थना करने पर भी अधिक दिया हुआ कर वापस नहीं किया जाता है तो इसकी अपील अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ और उसके भी मना करने पर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में की जा सकती है ।

भूल सुधार (Rectification of Mistake)—

कमिश्नर या अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर या आय कर अधिकारी अपने दिए हुए निर्णय के चार वर्ष के अन्दर अपनी भूल सुधार सकते हैं, जो कि उन्हें स्वयं प्रतीत हुई हो या करदाता द्वारा उनके सामने लाई गई हो । [धारा ३५ (१)]

यदि इस भूल सुधार के कारण करदाता पर लगाया गया कर कम हो जाता है तो आय-कर अधिकारी इस कर को वापिस करता है । [धारा ३५ (३)]

यदि इस भूल सुधार के कारण करदाता पर कर बट जाता है तो आय-कर अधिकारी इस घटे हुए कर को वसूल करता है । [धारा ३५ (४)]

करदाता के प्रतिनिधि (Authorised Representatives of Assessee)—

कोई भी करदाता अपने प्रतिनिधि को आय-कर अधिकारी के सामने अपनी ओर से पेश कर सकता है, परन्तु यदि कोई त्रिवरण करदाता को कसम (Oath) पर देना है तो उसे स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा । [धारा ६१ (१)]

करदाता के प्रतिनिधि, जो कि उसकी ओर से आय-कर अधिकारी के सामने जा सकते हैं :—

(१) उसका सम्बन्धी ।

(२) करदाता द्वारा नियमित रूप से रखा गया नौकर, जैसे अनुसूचित बैंक ।

(३) उसका वकील ।

(४) अंकेशक ।

(५) इनकम-टैक्स प्रेजिडेशनर, जो कि अयोग्य घोषित न किया गया हो ।

[धारा ६१ (२)]

नोट यह आवश्यक है कि ऊपर दिये हुए व्यक्तियों में से प्रत्येक को करदाता का लिखित अधिकार मिलना चाहिए । यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने दुरे चाल चलन के लिए सजा पाया हुआ हो या सरकारी नोकरी से निवाला हुआ हो तो वह करदाता के प्रतिनिधि का कार्य नहीं कर सकता है ।

[धारा ६१ (३)]

आय-कर सूचना को गुप्त रखना—

आय कर अधिकारियों व इस विभाग के कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे करदाता द्वारा दी हुई सभी सूचनाओं को गुप्त रखें । [धारा ५४ (१) (२)]

यदि कोई सरकारी नौकर करदाता के धामदनी के नक्शे, खाते, प्रपत्रों व अन्य बातों की सूचना बाहरी व्यक्तियों को देता है तो उसे ६ महीने तक की सजा और जुर्माना किया जा सकता है । [धारा ५४ (२)]

सूचना देने का उत्तरदायित्व—

प्रत्येक कम्पनी के मुख्य कर्मचारी को प्रति वर्ष १५ जून या उसके पहले उन अगुवाओं के नाम व पते की सूचना आय-कर अधिकारी के पास भेजनी चाहिए जिनको कि एक निश्चित दर से अधिक लाभश पिछले वर्ष में दिया गया था ।

[धारा १९-A]

ऐसे व्यक्ति को जिसे प्रतिभूतियों के ब्याज को छोड़कर अन्य प्रकार का ब्याज देना है, प्रत्येक वर्ष की १५ जून को या इसके पहले आय-कर अधिकारी के पास उन लोगों के नाम व पते भेजने चाहिए, जिन्हें गत वर्ष में ४०० रुपये से अधिक ब्याज दिया हो ।

[धारा २०-A]

किसी व्यापार के मालिक को व्यापार समाप्त कर देने की सूचना ऐसा करने के १५ दिन के अन्दर धाय कर अधिकारी को अवश्य देनी चाहिए। [धारा २५ (२)]

धाय-कर अधिकारी या असिस्टेन्ट कमिश्नर किसी फर्म या सम्मिलित हिन्दू परिवार से फर्म के साझेदारों के नाम और परिवार के कर्त्ता व वयस्क सदस्यों के नाम व पते पूछ सकता है। [धारा ३८ (२)]

प्रन्यासियों, सरक्षकों व अभिकर्त्ताओं से उन व्यक्तियों के नाम व पते पूछ सकते हैं जिनके कि वह प्रन्यासी, सरक्षक या अभिकर्त्ता हो। [धारा ३८ (२)]

करदाता से उन सब व्यक्तियों के नाम व पते पूछ सकता है जिन्हें उसने किसी वर्ष ४०० रुपये से अधिक किराया, ब्याज, कमीशन, अधिकार शुल्क या दन्नाती दी है। [धारा ३८ (३)]

किसी स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज के प्रबन्ध से सम्बन्धित दलाल, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्तियों से उन व्यक्तियों के नाम व पते पूछ सकता है जिनको कि बिक्री, विनिमय या पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण में उन्होंने या एक्सचेंज ने कोई रकम भुगतान की हो या उनसे कोई रकम उहोने या एक्सचेंज ने प्राप्त की हो।

[धारा ३८ (४)]


बैंकिंग कम्पनी या इसके किसी अफसर से उन बातों की सूचना ले सकता है जिनकी आवश्यकता धाय-कर या असिस्टेन्ट कमिश्नर को हो। यह नियम Finance Act, 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। [धारा ३८ (५)]

धाय कर अधिकारी व असिस्टेन्ट कमिश्नर व अन्य किसी व्यक्ति को, जिसे धाय कर अधिकारी ने या असिस्टेन्ट कमिश्नर ने लिखित आज्ञा देकर नियुक्त किया हो, यह अधिकार है कि वे किसी भी कम्पनी के असाधारियों के रजिस्टर या बन्धक के रजिस्टर (Mortgage Register) या ऋण पत्रों के रजिस्ट्रों की नकलें ले सकते हैं। [धारा ३९]

प्रतिभूतियों के मालिक और असों के मालिक को वह सूचना देनी पड़ती है जो कि धाय कर अधिकारी ने उनसे पूछी हो। [धारा ४४-E, F]

दलालों व एजेन्टों को उन लोगों के नाम व पते बताने पड़ने हैं जो कोई सम्पत्ति के क्रय या विभ्रय से सम्बन्धित होते हैं।

Appeal Procedure at a Glance



QUESTIONS

- 1 Write a short essay on 'Deduction of Tax at Source'
(Agra, B. Com 1944, 48 Raj, B Com, 1952)
 - 2 Explain Refund of Tax (Agra, B Com, 1945, 46)
 3. Section 18 A of the Indian Income tax Act introduced by the Indian Income-tax Amendment Act 1944 provides for advance payment of Income-tax by laying down 'Pay as you earn scheme' discuss briefly the salient features of this scheme.
(Alld, B Com., 1953 Raj B Com, 1951 Agra B Com, 1947)
- Note :- Answer this question after taking into consideration the changes introduced by Finance Act, 1960
- 4 Write short notes on any three of the following --

(a) }	These parts relate to other topics
(b) }	
(c) }	
(d) }	
(e) Best Judgement Assessment	

(Alld. B Com. 1953, 55, Agra, B. Com. 1949)
 5. Write note on 'pay as you earn scheme'
(Agra, B. Com, 1951)
 6. (a) What is a provisional assessment and on what basis is it made?
(b) These parts relate to other topics.
(c) " " " " " "
(Raj, B Com, 1950, Agra, M Com, 1960)
 - 7 What is best judgement assessment? What are the circumstances under which it can be made? State the remedies open to aggrieved party in such a case
(Alld., B Com, 1959)
 8. How is Income tax assessment in case of a discontinued business
(Raj, B Com, 1953)
 9. Explain briefly the assessment procedure of Income-tax.
 10. Explain briefly the appeal procedure under Income tax Act.
-

अध्याय १६ कर निर्धारण (Computation of tax)

भारतीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष एक अधिनियम (Finance Act) पास किया जाता है। इस एक्ट में वे दरें निर्दिष्ट की जाती हैं जिनके अनुसार करदाता की गत वर्ष की आय पर कर लगा जाता है। यह एक्ट प्रति वर्ष के शुरू में पास कर लिया जाता है, परन्तु यदि इस एक्ट के पास करने में देर हो जाय तो कर पिछले वर्षों की दरों से या उन दरों में जोकि फाइनेंस बिल में दी हुई हों, लगा जाता है। इन दोनों दरों में से वही दरें प्रयोग की जाएंगी जोकि करदाता के पक्ष में पडती हों।

कर लेने की विधियाँ (Methods of Taxation)—

- (१) आय के अनुसार कर निर्धारण (Step system of taxation)।
- (२) विभाग के अनुसार कर निर्धारण (Slab system of taxation)।

आय के अनुसार कर निर्धारण (Step system of taxation)—

१ अप्रैल सन् १९३६ के पहले इसी प्रथा के अनुसार कर लगा जाता था। यह इस प्रकार थी :—

आय को भिन्न-भिन्न विभागों में बाँटा जाता था। प्रत्येक विभाग के लिए दरें निर्दिष्ट थीं। प्रत्येक आगे वाले विभाग पर लगने वाली दर पीछे वाले विभाग की दर से बड़ी होती थी। जिस व्यक्ति की आय जिस विभाग में पडती थी उसी विभाग की दर के अनुसार पूरी आय पर कर देना पडता था। नीचे दिए हुए उदाहरण से यह प्रथा स्पष्ट हो जायेगी :—

माना कि दरें इस प्रकार थी :—

	आय-कर
आय के प्रथम	१,५०० रुपए पर.....कुछ नहीं
इसके पश्चात् के	३,५०० रुपए पर..... ६ पाई प्रति रुपया
" "	२,५०० रुपए पर..... १ आना ६ पाई प्रति रुपया
" "	२,५०० रुपए पर..... २ आना ६ पाई प्रति रुपया

अब माना कि एक व्यक्ति की आय ७,५०१ रुपये है तो इसे इस आय पर २ आना ६ पाई प्रति रुपए के हिसाब में कर देना पडेगा और यदि उसकी आय ७,५०० रुपये है तो उसे १ आना ६ पाई प्रति रुपए के हिसाब से कुल आय पर कर देना

पड़ेगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति की आय जैसे ही एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पहुँचती है तो उसकी कुल आय पर अगली श्रेणी वाली दर से कर लगने लगता है।

इस प्रणाली के दोष—

(१) उन व्यक्तियों को बहुत हानि होती है जिनकी आय एक श्रेणी से थोड़ी ही बड़ी होती है, जैसे ऊपर दिए हुए उदाहरण में। यदि एक व्यक्ति की आय ७,५०० रु० से केवल एक रुपया अधिक है तो उसे २ आना ६ पाई प्रति रुपया की दर से कुल आय पर कर देना पड़ेगा और वह व्यक्ति जिसकी आय इससे कुल १ रुपया कम है, १ आना ६ पाई प्रति रुपए के हिसाब से कर देगा। इन दोनों की आय में केवल १ रुपए का ही अन्तर है, परन्तु कर में काफी अन्तर हो जायेगा।

(२) यह प्रथा बराबर त्याग (Equal Sacrifice) की प्रथा नहीं थी। एक ही दर से कुल आय पर कर लगने के कारण रईस व कम रईस के त्याग में विशेष अन्तर नहीं रहता था।

इस प्रथा को १ अप्रैल सन् १९३६ से बन्द कर दिया गया है और इसी तारीख से कर स्लैब प्रथा के अनुसार निकाला जाता है।

विभाग के अनुसार कर निर्धारण (Slab System of Taxation)—

इस प्रथा के अनुसार आय को छोटे-छोटे विभागों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक विभाग के लिए एक दर निश्चित है और जो आय जिस विभाग में आती है उस पर उसी विभाग में लगने वाली दर से कर लगाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है।

Difference between Step System & Slab System—

दोनों प्रणालियों में मुख्य अन्तर यह है कि Step System में कुल आय पर उस दर से कर लगाया जाता था जो कि आय के आखिरी विभाग पर लगती थी, परन्तु Slab System में कुल आय पर एक दर से कर नहीं लगता है। इसमें जो आय जिस विभाग में पड़ती है उस पर उसी विभाग में लगने वाली दर से कर निकाला जाता है और भिन्न भिन्न विभागों के निकले हुए करों को जोड़ लिया जाता है।

नीचे Slab System की दरें Finance Act, 1960 के अनुसार दी हुई हैं। अन्त में अङ्गरेजी में दिए हुए फाइनेन्स एक्ट को भी देखिए।

आय की दरें (Income Tax Rates)—

(१) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिए, जिसके कि एक बच्चा है व सम्मिलित

हिन्दू परिवार के लिए, जिसमें एक minor coparcener है और उनकी कुल आय २०,००० रुपये से अधिक नहीं है :—

आय के विभाग	दर
आय के प्रथम ३,३०० रुपये पर	कुछ नहीं
इसके पश्चात् १,७०० रुपये पर	३%
” ” २,५०० रुपये पर	६%
” ” २,५०० रुपये पर	६%
” ” २,५०० रुपये पर	११%
” ” २,५०० रुपये पर	१४%
” ” ५,००० रुपये पर	१८%

(२) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिए, जिसके २ या २ से अधिक बच्चे हों, और उस हिन्दू सम्मिलित परिवार के लिए जिसमें एक से अधिक minor coparcener हैं और उनकी कुल आय २०,००० रुपये से अधिक नहीं है :—

आय के विभाग	दर
आय के प्रथम ३,६०० रुपये पर	कुछ नहीं
इसके पश्चात् १,४०० रुपये पर	३%
” ” २,५०० रुपये पर	६%
” ” २,५०० रुपये पर	६%
” ” २,५०० रुपये पर	११%
” ” २,५०० रुपये पर	१४%
” ” ५,००० रुपये पर	१८%

(३) प्रत्येक ऐसे विवाहित व्यक्ति के लिए जिसके कोई बच्चा न हो और उस सम्मिलित हिन्दू परिवार के लिए जिसमें कोई minor coparcener नहीं है और उनकी कुल आय २०,००० रुपये से अधिक न हो :—

आय के विभाग	दर
आय के प्रथम ३,००० रुपये पर	कुछ नहीं
इसके पश्चात् २,००० रुपये पर	३%
” ” २,५०० रुपये पर	६%
” ” २,५०० रुपये पर	६%
” ” २,५०० रुपये पर	११%
” ” २,५०० रुपये पर	१४%
” ” ५,००० रुपये पर	१८%

(४) प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति और विवाहित व्यक्ति और सम्मिलित हिन्दू परिवार, जिसकी आय २०,००० रुपये से अधिक है, अनरजिस्टर्ड फर्म तथा अन्य व्यक्तियों के सभ के लिये आय की दरें :—

आय के विभाग	दरें
आय के प्रथम १,००० रुपये पर	कुछ नहीं
इसके पश्चात् ४,००० रुपये पर	३%
" " २,५०० रुपये पर	६%
" " २,५०० रुपये पर	६%
" " २,५०० रुपये पर	११%
" " २,५०० रुपये पर	१४%
" " ५,००० रुपये पर	१८%
" " नेप आय पर	२५%

ऊपर के करों के सम्बन्ध में शर्तें—

(१) किसी दत्ता में आय-कर की रकम उस रकम के आधे से अधिक नहीं होगी, जो कि न्यूनतम छूट सीमा (Minimum exemption limit) और असली रकम का अन्तर है ।

(२) किसी भी सम्मिलित हिन्दू परिवार की यदि ६,००० रुपये तक आय होगी तो उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा, परन्तु इस सीमा के लिये भी दो शर्तें हैं—

(अ) उस परिवार में कम से कम दो व्यक्ति १८ वर्ष या इससे अधिक के हों, जो कि बँटवारा कराने का अधिकार रखते हों, और

(ब) इसमें कम से कम दो व्यक्ति बँटवारे का अधिकार रखने वाले ऐसे हों, जो कि एक दूसरे के वंशज (Lineally descendent) न हों और जो कि परिवार के किसी भी जीवित सदस्य के वंशज न हों ।

ऊपर समझाये हुये सम्मिलित हिन्दू परिवार को छोड़कर अन्य मामलों में आय-कर ३,००० रुपये तक की आय पर नहीं लगता है ।

(३) विधवा स्त्री व उन पुरुषों की गणना जिनकी स्त्रियाँ मर चुकी हैं, विवाहित पुरुषों की भाँति की जावेगी ।

Surcharge on Income tax—

(१) आय-कर की रकम का ५ प्रतिशत ।

(२) कुल आय पर निकाले गये आय-कर व कुल उपाजित आय, जो कि कुल आय में शामिल है, पर निकाले गये आय कर के अन्तर का २५ प्रतिशत ।

(३) यदि कुल आय में शामिल हुई उपाजित आय १,००,००० रुपये से अधिक हो तो इस आय पर निकाले हुए आय-कर व १,००,००० रुपये पर निकाले हुए आय कर के अन्तर का ५ प्रतिशत ।

(४) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार, जिसे पहिले समझाया जा चुका है, की

आय यदि १५,००० रुपये से कम होगी तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा ।

(५) अन्य मामलों में यदि ७,५०० रुपये से कम आय होगी तो सरचार्ज नहीं लगेगा ।

(६) वित्त-अधिनियम सन् १९६० के अनुसार यदि किसी करदाता की आय में साधारण असौ का लाभालाभ शामिल है तो विशेष सरचार्ज (Special Sur-charge) तब तक नहीं लगेगा जब तक कि करदाता की कुल आय उस रकम से अधिक न हो जो कि ७,५०० रु० में १,५०० रु० या लाभालाभ की रकम में से जो भी कम हो, जोड़कर आने वाली रकम से अधिक न हो ।

प्रत्येक रजिस्टर्ड फर्म में आय-कर की दरें इस प्रकार होंगी :—

आय के विभाग	दरें
आय के प्रथम ४०,००० रुपए पर	कुछ नहीं
इसके पश्चात् के ३५,००० रुपए पर	५%
" " " ७५,००० रुपये पर	६%
" " की शेष आय पर	९%

अधि-कर—

प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू सम्मिलित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म और अन्य संस्थाओं में अधि-कर की दरें इस प्रकार होंगी :—

आय के विभाग	दरें
कुल आय के प्रथम २०,००० रुपए पर	कुछ नहीं
इसके पश्चात् के ५,००० रुपए पर	५%
" " " ५,००० रुपए पर	१५%
" " " १०,००० रुपए पर	२०%
" " " १०,००० रुपए पर	३०%
" " " १०,००० रुपए पर	३५%
" " " १०,००० रुपए पर	४०%
" " की शेष आय पर	४५%

अधि-कर पर सर चार्ज (Surcharge on Super-tax)—

(१) अधि-कर का ५ प्रतिशत ।

(२) कुल आय पर निकाले गये अधि कर व कुल उपार्जित आय, जोकि कुल आय में शामिल है, पर निकाले गये अधि-कर के अन्तर का १५ प्रतिशत ।

(३) यदि कुल आय में शामिल हुईं उपार्जित आय १,००,००० रुपए से

अधिक हो तो इस आय पर निकाले हुए अधि-कर व १,००,००० रुपए पर निकाले हुए अधि-कर के अन्तर का ५ प्रतिशत ।

(४) स्थानीय सरकार के लिये अधि कर की दर कुल आय का १६ प्रतिशत होगी ।

(५) प्रत्येक सस्था में, जो आय कर अधिनियम की धारा २ (५ B) के अनुसार सहकारी समितियाँ हैं, अधि-कर की दर इस प्रकार होगी :—

कुल आय के प्रथम २५,००० रुपये पर..... कुछ नहीं ।

इसके पश्चात् शेष बाकी पर . . . १६% ।

इन दरों के अनुसार अधि कर निकाल कर इसका १२½ प्रतिशत से सर चार्ज निकाला जायेगा ।

(६) प्रत्येक कम्पनी में सुपर टैक्स की दर बीमा कम्पनी को छोड़कर ५५% होगी, परन्तु इसके ऊपर छूट दी जाती है । छूट से सम्बन्धित नियमों को कम्पनी के विवरण में समझाया जा चुका है ।

नोट—दरों के विस्तृत विवरण के लिये परिशिष्ट में दिये हुए Finance Act, 1960 को देखिये ।

करदाता द्वारा देय कर निकालने की विधि—

एक करदाता द्वारा देय कर निकालने के लिए निम्नलिखित रीतियाँ अपनानी चाहिए :—

(१) करदाता की कुल आय धारा ७, ८, ९, १० और १२ के अनुसार निकालनी चाहिए । इन सब धारामों का वर्णन वेतन, प्रतिभूतियों से व्याज, सम्पत्ति से आय, व्यापार, पेशा व व्यवसाय से आय व अन्य साधनों से आय वाले शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा चुका है ।

(२) यदि करदाता विदेशी है तो उसकी कुल ससारा की आय भी निकालनी चाहिये ।

(३) करदाता की कुल आय का लेखा करते समय जिन आयों पर सद्गम के स्थान पर कर काटे गये हों उन करों का भी लेखा करना चाहिए ।

(४) करदाता की कुल आय पर आय-कर व अधि-कर निर्धारित दरों के अनुसार निकालना चाहिए । इन दरों की सूची इसी अध्याय में दी हुई है ।

(५) इस प्रकार निकाले हुये आय-कर व अधि-कर में कुल आय का भाग देने से आय-कर की औसत दर निकाली जा सकती है ।

(६) यदि करदाता की कुल आय इतनी अधिक हो कि जिस पर सुपर टैक्स लग सकता है तो इस आय पर सुपर टैक्स और इस पर सर चार्ज निकालना चाहिए ।

(७) ऊपर बताई हुई विधि के अनुसार निकाले हुए आय-कर व अधि-कर में सुपर टैक्स व उसके अधि कर को जोड़ देना चाहिए । इस प्रकार जोड़ने से निकाला भा०क०वि०सा० (१०)

हुआ कर ही करदाता के कुल कर की रकम होगी, परन्तु इस रकम में से कुछ रकम घटाने के बाद, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है, जो कर की रकम बचेगी उसमें, यदि करदाता पर भाय-कर अधिकारियों द्वारा कोई आर्थिक दण्ड लगाया गया है तो, इन आर्थिक दण्डों को जोड़ दिया जायगा और इस प्रकार निकाली हुई कर की रकम ही करदाता द्वारा देय होगी।

श्राय-कर और सुपर-टैक्स में से घटने वाली रकमें (Deductions from Income-tax and Super-tax)—

(1) उद्गम के स्थान पर काटा हुआ कर।

(11) धारा १८ (A) के अनुसार मग्रिम दिया हुआ कर।

(111) कुछ भाय भाय-कर अधिनियम के अनुसार करमुक्त हैं, परन्तु कुल भाय में जोड़ी जाती हैं। इनका वर्णन अध्याय ३ में किया जा चुका है। यदि इस प्रकार की भायों में से कोई भी भाय करदाता की कुल भाय निकालते समय उसकी भायों में जोड़ी गई है तो उन पर भाय-कर की औसत दर से निकाला हुआ कर कुल कर में से घटाया जायेगा।

(1V) यदि किसी करदाता ने विदेश में अपनी विदेशी भाय पर भाय-कर का भुगतान कर दिया है तो इसे दोहरे कर को छूट मिलेगी।

Illustration No. 1—

Earned income of Mr. X, who is married and has more than one child is Rs. 10,000, and unearned income is Rs. 5,000 for the year 1959-60. Find out the amount of tax payable by Mr. X for the assessment year 1960-61.

Solution No. 1—

	Rs.
Income-tax on Rs. 15,000	1,042*
Add : Surcharge	
Income-tax on Rs. 10,000 earned income Rs.	
(as if it is the total income)	417*
Surcharge thereon @ 5%	20 85
Income-tax on Rs. 15,000 is	1,042
Less : Income-tax on earned income	417
Rs	<u>625</u>
Surcharge @ 20% on Rs 625.	<u>125</u>
Gross Income tax and Surcharge	Rs. <u>1,187 85</u>

*Income-tax on Rs. 15,000, and Rs. 10,000—
Rs.

On first Rs. 3,600.....@... Nil...Nil	} Rs. 417 on 10,000†
On Next „ 1,400.....@...3%... 42	
„ „ „ 2,500.....@...6%...150	
„ „ „ 2,500.....@...9%...225	
„ „ „ 2,500.....@...11%...275	
„ „ „ 2,500.....@...14%...350	
	<u>Rs. 1,042</u>

Illustration No. 2—

Earned income of Mr. Y, who is unmarried, is Rs. 7,000 and his unearned income is Rs. 4,500 in the year 1959—60. Find out the amount of tax payable by him in the assessment year 1960-61.

Solution No. 2—

Total Income of Mr. Y

Earned Income		Rs.	7,000
Unearned Income			4 500
Total Income		Rs.	<u>11,500</u>
Income-tax on Rs. 11,500			660*
Add : Surcharge :	Rs.		
Income-tax on Rs. 7,000 earned income (as if it is the total income)	240†		
Surcharge thereon @ 5%			12
Income-tax on Rs. 11,500 is	660		
Less : Income-tax on earned income	<u>240</u>		
	Rs.	<u>420</u>	
Surcharge @ 20% on Rs. 420			84
Gross Income-tax and Surcharge		Rs.	<u>756</u>
*Income-tax on Rs. 11,500—	Rs.		
On first Rs. 1,000.....@.....	Nil		
On next Rs. 4,000.....@.....3%	120		
„ „ Rs. 2,500.....@.....6%	150		
„ „ Rs. 2,500.....@.....9%	225		
„ „ Rs. 1,500@.....11%	165		
Rs. <u>11,500</u>	Rs.	<u>660</u>	
† Income-tax on Rs. 7,000—	Rs.		
On first Rs. 1,000.....@.....	Nil		
On next Rs. 4,000.....@.....3%	120		
„ „ Rs. 2,000.....@.....6%	120		
„ „ Rs. <u>7,000</u>	Rs.	<u>240</u>	

Illustration No. 3—

Earned income of Mr. Z. who is married and has only one child, is Rs 12,000 and his unearned income is Rs 6400 for the year 1959 60. Find out the amount of tax payable by him for the assessment year 1960 61

Solution No. 3—

	Rs.
Earned Income	12,000
Unearned Income	6 400
	Rs 18 400
Income-tax on Rs 18,400 is	1,663*
Add Surcharge :	
Income-tax on Rs 12,000 earned income Rs.	646†
(as if it is the total income)	
Surcharge thereon @ 5%	32 30
Income tax on Rs. 18,400 is	1,663
Less . Income-tax on earned income	646
	Rs. 1 017

Surcharge @ 20% on Rs. 1,017	203.40
Gross Income-tax and Surcharge	Rs. 1,898 70

*Income-tax on Rs. 18,400—			Rs.
On the first Rs 3,300	@	Nil	
On the next ,, 1,700	@	3%	51
„ „ „ „ 2,500	@	6%	150
„ „ „ „ 2,500	@	9%	225
„ „ „ „ 2,500	@	11%	275
„ „ „ „ 2,500	@	14%	350
„ „ „ „ 3 400	@	18%	612
Rs. 18,400			Rs. 1,663

†Income tax on Rs. 12,000 :—			Rs.
On the first Rs. 3,300	@	Nil	
On the next ,, 1,700	@	3%	51
„ „ „ „ 2,500	@	6%	150
„ „ „ „ 2,500	@	9%	225
„ „ „ „ 2,000	@	11%	220
Rs. 12,000			Rs 646

Illustration No. 4—

Following are incomes of Mr A for the year ending at 31st. March, 1960. - -

	Rs
Salary	12 000
Bonus commission etc	3 000
Annual value of Rented property	3 000
Interest on Deposit with Bank	2,500

Mr X is married and has more than one child. The tax deducted from salary by the employer is Rs 985. He is member of Statutory Provident Fund. He contributes Rs 1 500 as subscription towards his fund and life insurance premium paid by him is Rs 3 500. The employer has deducted the tax without taking into consideration the life insurance premium paid by the employee. Find out total income of Mr X and the amount of tax payable by him in the assessment year 1960-61.

Solution No 4—

		Rs
Salary		12 000
Bonus commission etc.		3 000
	Rs	
Annual value of property	3 000	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	<u>500</u>	
Taxable Income from Property		2 500
Interest on bank deposit		<u>2 500</u>
Total Income of Mr X		Rs <u>20 000</u>
		Rs.
Income tax on Rs 20 000 total income		1 942*
Add Sur charge	Rs	
Income tax on Rs 15 000 earned income (as if it is the total income)	1 042	
Sur charge thereon @ 5%		52 10
Income tax on Rs 20 000 is	1 942	
Less Income tax on earned income (as above)	<u>1 042</u>	
	Rs 900	
Sur charge on Rs. 900 @ 20%		180
Gross Income tax and Sur charge		Rs <u>2 174 10</u>
Less Tax paid at Source		
	Rs	
on Salaries	<u>985</u>	<u>985</u>
		Rs <u>1 189 10</u>

Less :

Relief on account of P. F. and Insurance

Premium which is Rs 1,500 + Rs. 3,500 i.e.

Rs. 5,000 at the average rate $\left(\text{Rs } \frac{2,174 \cdot 10}{20,000} \right)$ is $\left(\frac{2,174 \cdot 10 \times 5,000}{20,000} \right)$ 543 52

Tax payable

Rs. 645 58

Income-tax on Rs 20,000 and Rs. 15000 :—

			Rs.	
On the first	Rs. 3,600	@	Nil	} 1,042 on 15 000*
On the next	" 1,400	@ 3%	42	
" " "	" 2,500	@ 6%	150	
" " "	" 2,500	@ 9%	225	
" " "	" 2,500	@ 11%	275	
" " "	" 2,500	@ 14%	350	
" " "	" 5,000	@ 18%	900	
	Rs. <u>20,000</u>		Rs. <u>1,942</u>	

Illustration No. 5—

A derives income from the following sources :

	Rs.
Salary per annum	6,000
Business (Earned income)	8,000
Property (Rents)	3,000
Interest on Tax free Govt. Securities	500
	Rs <u>17,500</u>

He has paid Rs. 600 as his contribution to a recognised provident fund and his employer contributes the same amount towards it. He has also taken a policy of Rs. 25,000 on which he pays an annual premium of Rs 1,800.

Work out his total income and tax thereon assuming that he is a married individual with more than one dependent and tax deducted at source out of salary is Rs. 102.

Solution No. 5—

	Rs.	Tax deducted at source
Salary	6,000	Rs 102
Business	8,000	
Property	3,000	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	<u>500</u>	
	2,500	

Interest on tax free Govt. Securities			Rs.	<u>500</u>
	Total Income	Rs.		<u>17,000</u>

Exempted Income :

Provident fund contribution				600
Insurance Premium				1,800
Interest on Tax free Govt. Securities				<u>500</u>
		Rs.		<u>2,900</u>

Tax on Rs 1700—

First	Rs 3,600	Nil	Nil
Next	Rs 1,400	3%	42
Next	Rs 2,500	6%	150
Next	Rs. 2,500	9%	225
Next	Rs 2,500	11%	275
Next	Rs 2,500	14%	350
Balance	Rs <u>2,000</u>	18%	<u>360</u>
	Rs <u>17,000</u>	Rs.	<u>1,402</u>

Income-tax on Rs. 17,000

Rs.
1,402

Add Surcharge

Rs

Income-tax on Rs 14 000 earned
income (as if it is the total income)

902

Surcharge thereon @ 5%

45 10

Income tax on Rs 17 000 is

1,402

Less Income-tax on earned
income (as above)902Rs 500

Surcharge @ 20%

100

Gross Income tax and Surcharge

1,547 10

Less tax deducted at source
on Salaries102

1,445 10

Less relief on account of P F.,

Insurance Premium and interest on
tax free Govt. securities at the averagerate $\left(\frac{1,547\ 10}{17,000} \times 2,900 \right)$ 263 92

Tax payable

Rs 1,181 18

Illustration No 6—

Ram Babu Agnihotri is director and is unmarried. He gets Rs 20 000 as director's fee. He has two houses. Taxable income from these two houses amounts to Rs 12 000. These are the incomes of Mr Agnihotri for the year ending 31st March 1960. Find out the amount of Income-tax and Super tax payable by him in the assessment year 1960-61.

Solution No 6—

Ram Babu Agnihotri's Assessment
(1960 61)

	Tax
	Rs
Income tax on Rs 32 000	5 020
Add Surchage	Rs.
Income-tax on Rs. 20,000 earned income (as if it is the total income) 2,020*	
Surchage thereon @ 5%	101
Income tax on total income of Rs. 32 000 is	5 020
Less Income-tax on earned income (as above)	2 020
	Rs 3 000
Surchage on Rs 3 000 @ 20%	600
	Rs. <u>5 721</u>
Super tax on Rs 20 000 which is earned income	Nil
Super-tax on Rs 12,000 which is unearned income	1 400
Surchage @ 20%	280
Super-tax	Rs <u>1 680</u>
Total tax payable by Mr. Agnihotri (Rs 5,721+1,680)	Rs. <u>7 401</u>

Tax on Rs. 20,000 will be calculated as below

		Rs.
On first	Rs. 1 000	Nil
On next	„ 4,000	3% 120
On next	„ 2,500	6% 150
On next	„ 2 500	9% 225
On next	„ 2,500	11% 275
On next	„ 2,500	14% 350
On next	„ 5 000	18% 900
	Rs <u>20,000</u>	Rs <u>2 020</u>

Note :—If an assessee has earned and unearned income both then unearned income will be long to that slab where earned income finishes and if necessary it may be treated to belong to higher slab.

Illustration No. 7—

Total income of an assessee is Rs. 28,266. He received Rs. 27,000 as capital gains. Calculate capital gains tax only.

Solution No 7—

Calculation of capital Gains Tax :—

Capital gains tax on Rs 27,000 will be levied at the average rate applicable to total income + $\frac{1}{3}$ rd of capital gains i.e. Rs. 28,266 + Rs. 9,000 = Rs. 37,266. Tax on Rs. 37,266 will be calculated as under :—

			Rs.
On the first	1,000		Nil
On the next	4,000 @ of	3%	120'00
On the next	2,500 @ of	6%	150'00
On the next	2,500 @ of	9%	225'00
On the next	2,500 @ of	11%	275'00
On the next	2,500 @ of	14%	350'00
On the next	5 000 @ of	18%	900'00
On the next	17,266 @ of	25%	<u>4,316'50</u>
			Rs. 6 336'50

Total tax on Rs. 37,266 is

Average rate will, therefore, be

$$\frac{6,336'50 \times 100}{37,266} = 17'19\%$$

Capital Gains tax on Rs. 27,000/- @ 17'19% = Rs. 4,641'30.

QUESTIONS

1. Distinguish between :—

(a) This part relates to other topic.

(b) Slab System and Step System of taxation

(All., B. Com, 1954, Raj., B. Com, 1954)

2. What are the rates of Income-tax for married individual who has two dependents?

अध्याय १७

व्यय-कर, सन् १९५७

(Expenditure-Tax, 1957)

यह अधिनियम आज तक भारत के अतिरिक्त दुनिया के किसी अन्य देश में पास नहीं किया गया है। इस अधिनियम में कुल ४१ धाराएँ हैं और साठ Chapters हैं। राष्ट्रपति ने १७ दिसम्बर सन् १९५७ को इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति दी दी। यह अधिनियम १ अप्रैल सन् १९५८ से लागू हुआ है।

व्यय-कर नीचे लिखे हुए करदाताओं से लिया जाता है :—

(१) व्यक्ति (Individual), या

(२) हिन्दू सम्मिलित परिवार (Hindu undivided Family)।

परन्तु व्यय-कर उन करदाताओं से लिया जाता है जिनकी वसुधायुक्त संपत्तियों से प्राप्त हुई कुल आय में से इस आय पर दिये हुए करों (आय-कर व अधि-कर) की रकम घटाकर बचने वाली आय ३६,००० रु० से अधिक होती है और रूप के व्यय, धारा ५ व ६ में बताई हुई छूटों व घटाने योग्य रकमों को छोड़ कर, ३०,००० रु० से अधिक हों।

व्यय-कर अधिनियम का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर अधिनियम से है।
करदेय व्यय (Taxable Expenditure)—

धारा २ (०) के अनुसार करदेय व्यय का अर्थान्वय करदाता के उस कुल व्यय से है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत करदेय है।

करदेय व्यय में शामिल होने वाली रकमें (Amounts to be included in Taxable Expenditure)—

धारा ४ के अनुसार नीचे लिखे हुए व्यय करदाता के कुल व्यय को गणना करने के लिए उसमें शामिल किये गये हैं।

करदाता को छोड़कर, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा, करदाता के लिए या उसके आश्रितों के लिए किया हुआ ऐसा व्यय जिसे यदि वह व्यक्ति न करता तो करदाता को करना पड़ता। यह व्यय करदाता के हाथ में १,००० रुपये तक करदेय है।

यदि करदाता के आश्रित ने कोई व्यय करदाता के लान के लिए या उसके अन्य आश्रितों के लान के लिए करदाता द्वारा दिये हुए उस उपहार (दान) या अन्य प्रकार से मिली हुई रकम से किया है तो यह व्यय भी करदाता के व्यय में शामिल किया जायगा।

नीचे लिखे हुए व्यय करमुक्त हैं और करदाता के करदेय व्यय में शामिल नहीं किये जाते हैं (Following expenditures are exempted from tax and are not included in the taxable expenditure of an assessee) —

- (१) करदाता द्वारा अपने व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लिए किया हुआ व्यय, चाहे वह आय व्यय हो या पूँजी व्यय ।
- (२) करदाता द्वारा अपनी नौकरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किये हुए व्यय या उसकी ओर से इसी काम के लिए उसके मालिक द्वारा किये हुए व्यय ।
- (३) सरकार द्वारा दिये हुए कर्तव्यों के निवाहने में करदाता द्वारा किये हुए व्यय ।
- (४) आय-कर विधान में करदाताओं को धर जाने के लिए मिला हुआ यात्रा व्यय, जिसे कि करदाता ने व्यय किया है, परन्तु यह ₹,५०० रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।
- (५) किसी भव्य सम्पत्ति के बनाने या मरम्मत के लिए करदाता द्वारा किया हुआ व्यय ।
- (६) करदाता द्वारा ऋणों, भण्डों, प्रतिभूतियों या अन्य विनियोगों में किया गया व्यय ।
- (७) भारतवर्ष में किसी कुटीर उद्योग की वस्तुओं के क्रय करने में या चित्र-कला के किसी काम पर, यदि इस प्रकार की किसी वस्तु की कीमत ₹,००० रु० से अधिक है, और किताबों आदि के क्रय करने में करदाता द्वारा किया हुआ व्यय ।
- (८) यदि कोई करदाता फर्म या सघ से लाभ प्राप्त करने के लिए फर्म में पूँजी लगाता है तो यह पूँजी व्यय ।
- (९) करदाता द्वारा एक ऋण और उसके ब्याज के भुगतान के लिए किया जाने वाला व्यय, परन्तु यह ऋण ऐसे व्यय के लिए न लिया गया हो जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत करदेय है ।
- (१०) करदाता द्वारा दूसरे भादमी के लाभ के लिए दिया हुआ उपहार, दान या अन्य प्रकार का व्यय ।
- (११) करदाता द्वारा अपने जीवन व अपने आश्रितों के जीवन बीमा पर या अपने आश्रितों की शिक्षा व शादी के बीमा पर या अपने स्वास्थ्य के बीमा पर या अपनी सम्पत्ति की भाग व अन्य प्रकार की हानि से बचाने के बीमा पर दिया हुआ खर्च ।
- (१२) जानवरों के क्रय करने में व उनकी सुरक्षा में किया हुआ व्यय ।

- (१३) किसी धार्मिक व पुण्य कार्य के लिये किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय देश के बाहर नहीं किया जाना चाहिए ।
- (१४) मनोरंजन के लिए मिले हुए भत्तों, जो कि प्रायः-कर से मुक्त हैं, में से किया हुआ व्यय ।
- (१५) यदि करदाता विदेशी है तो उसके द्वारा देश के बाहर किया हुआ व्यय ।
- (१६) प्रसारित प्रोवॉइन्ट फण्ड या नुनरएनुएन्स फण्ड में दिया हुआ अदान ।
- (१७) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये हुये Privy Purse में से अपने किसी व्यय का छोड़कर अपने कर्मचारियों को दिये हुए वेतन या पेंशन आदि के रूप में किये हुए व्यय ।
- (१८) करदाता द्वारा या उसके किसी अधिकृत द्वारा यदि करदाता हिन्दू सम्मिलित परिवार है तो उसके किसी सदस्य द्वारा उसका या सुनिधि-पैलियो या अन्य किसी स्थानीय सरकार के चुनाव के सम्बन्ध में भारत में किया हुआ व्यय । यदि करदाता स्वयं इस चुनाव में उम्मीदवार हो । परन्तु यह व्यय कानून द्वारा निश्चित व्यय से अधिक नहीं होना चाहिये ।

करद्वेष्य व्यय में से घटाने योग्य शक्यों (Deductions to be made in Computing the taxable expenditure)—

धारा ६ क अनुसार करद्वेष्य व्यय निकालने के लिए नीचे लिखे हुए व्यय व छूटें घटाई जायेंगी :—

- (१) सरकार या स्थानीय सरकार को दिया हुआ कर, परन्तु इस कर में नीचे लिखे हुए कर शामिल नहीं हैं :—
- (I) करदाता या उसके अधिकृत द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी वच सम्पत्ति पर दिया हुआ कर ।
- (II) करदाता द्वारा अपने या अपने किसी अधिकृत के प्रयोग के लिए आयान की हुई वस्तुओं पर दिये हुए कर ।
- (III) करदाता द्वारा स्थानीय सरकार को अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिये हुए कर ।
- (२) करदाता द्वारा अपने किसी दीवानी या फौजदारी के मामले में किया हुआ व्यय ।
- (३) करदाता द्वारा अपनी व अपने अधिकृत की शारी में किया हुआ व्यय । यदि करदाता सम्मिलित हिन्दू परिवार है तो इस परिवार के कर्ता अथवा उसके किसी सदस्य की शारी में किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय ५,००० रुपए से अधिक शारी में अधिक नहीं होना चाहिए ।

- (४) करदाता द्वारा अपने या अपने आश्रितों के प्रयोग के लिए ऋण किये हुए सोना, चाँदी, कीमती जवाहरात, फर्नीचर, मोटर कार या अन्य घर के सामानों पर किये हुए पंजी व्यय का ४/५ भाग ।
- (५) करदाता द्वारा अपने माँ-बाप के निर्वाह के लिए किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय ४,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (६) करदाता द्वारा अपनी या अपने आश्रितों की या माँ-बाप की दवाई में किया हुआ व्यय । अगर करदाता हिन्दू सम्मिलित परिवार है तो इसके कर्ता व इसके सदस्य की दवाई में किया हुआ व्यय, परन्तु यदि करदाता व्यक्ति है या सम्मिलित हिन्दू परिवार है, जिसमें कर्ता उसकी स्त्री और बच्चे हैं तो यह व्यय ५,००० रु० से अधिक नहीं होना चाहिए और अन्य प्रकार के हिन्दू सम्मिलित परिवारों में यह व्यय १०,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (७) करदाता द्वारा अपनी शिक्षा व अपने आश्रितों की शिक्षा पर किया हुआ विदेश में व्यय और यदि करदाता सम्मिलित हिन्दू परिवार है तो इसके किसी सदस्य की शिक्षा पर किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय ८,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (८) प्रत्येक व्यक्ति को ३०,००० रुपये की आधार छूट (Basic Allowance) दी गई है और प्रत्येक हिन्दू परिवार, कर्ता, उसकी स्त्री और बच्चे के लिये भी ३०,००० रुपये की छूट दी गई है, और इस कुटुम्ब के प्रत्येक अतिरिक्त (Additional) सदस्य पर तीन हजार रुपये की छूट है, परन्तु सम्मिलित हिन्दू परिवार की कुल आधार छूट मिलकर ६०,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

व्यय कर की दरें (Rates of Expenditure tax)—

एक व्यक्ति व सम्मिलित हिन्दू परिवार के वार्षिक व्यय पर लगने वाली दरें—

- | | |
|--|------|
| (1) जो व्यय १०,००० रु० से अधिक नहीं है | १०% |
| (II) जो व्यय १०,००० रु० से अधिक है, परन्तु २०,००० रु० से अधिक नहीं है | २०% |
| (III) जो व्यय २०,००० रु० से अधिक है, परन्तु ३०,००० रु० से अधिक नहीं है | ३०% |
| (IV) जो व्यय ३०,००० रु० से अधिक है, परन्तु ४०,००० रु० से अधिक नहीं है | ४०% |
| (V) जो व्यय ४०,००० रु० से अधिक है, परन्तु ५०,००० रु० से अधिक नहीं है | ५०% |
| (VI) जो व्यय ५०,००० रु० से अधिक है | १००% |

महत्त्वपूर्ण नियम—

व्यय कर छठी पर लगता है जिसकी उस वर्ष की कुल आय आय-कर व अधि कर को छोड़कर ३६,००० रु० से अधिक हो और उसका स्वयं का व्यय घाटा १ में दिये हुए करमुक्त व्ययों को छोड़कर ३०,००० रुपये से अधिक हो। अर्थात् ३०,००० रुपये तक के व्यय पर व्यय-कर नहीं लगता है।

व्यय-कर का स्पष्टीकरण—

Example 1. If the income of Mr. X from all sources, whether subject to income tax or not, is Rs. 80,000 and income tax and super-tax thereon is Rs. 35,000. The balance income after payment of taxes as stated above is Rs. 45,000. If the personal expenditure of the assessee is Rs. 29,000, what will be the expenditure-tax payable by him?

Solution 1. Mr. X will not pay any expenditure tax, because his personal expenditure is only Rs. 29,000, while the basic allowance allowed as deduction according to section 6 is Rs. 30,000.

Example 2. If the income of Mr. X after payment of income-tax and super tax is Rs. 35,000 and the personal expenditure is Rs. 60,000. What will be expenditure tax payable by Mr. X?

Solution 2. Mr. X will not pay any expenditure tax, because his income is less than Rs. 36,000 and for levying of expenditure-tax, the income of assessee must be more than Rs. 36,000.

Example 3. If the income of Mr. X after payment of tax is Rs. 37,000 and the personal expenditure is Rs. 60,000 (after deducting exemptions and deductions, if any). What will be the amount of expenditure-tax payable by Mr. X?

Solution 3.

	Rs.	Rs.
Expenditure	60,000	
Less Basic Allowance	30,000	30,000
(i) on first Rs. 10,000 @ 10%	1,000	
(ii) on next Rs. 10,000 @ 20%	2,000	
(iii) on next Rs. 10,000 @ 40%	4,000	
Expenditure-tax payable by Mr. X	<u>Rs. 7,000</u>	

Example 4. Mr. K. Lal had an income of Rs. 80,000 in the previous year ended 31st March, 1959. His expenditure for the same year was Rs. 54,000. It included the following expenditures:—

- (a) Rs. 4,000 given in the marriage of his daughter by way of gift.

(b) Rs 4,000 paid as premium for the insurance of his life

Find out the amount of Expenditure tax payable by Mr. K. Lal for the assessment year 1959-60.

Solution 4

Assessment Year 1959 60

	Rs	
Total Expenditure		54,000
Deductions	Rs	
Basic Allowance	30,000	30 000
		24 000
Less Exemptions		
(a) Gift in daughter's marriage	4,000	
(b) His Life Insurance Premium	4 000	8,000
Taxable Expenditure		Rs <u>16 000</u>

(Method of Calculation of Tax)

	Rs.
(i) on First Rs 10,000 @ 10%	1,000
(ii) on the next Rs 6,000 @ 20%	1,200
Tax payable by Mr K. Lal on his expenditure	Rs <u>2 200</u>

अध्याय १८

धन-कर अधिनियम, सन् १९५७

(Wealth-tax Act, 1957)

इस अधिनियम में कुल ४६ धाराएँ हैं और ८ Chapters हैं। राष्ट्रपति ने १२ सितम्बर सन् १९५७ को इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति दी थी, परन्तु धन-कर १ अप्रैल सन् १९५७ से प्रारम्भ होने वाली साल से लेकर प्रत्येक वर्ष के धन पर लगाया जाता है। यह कर व्यक्तियों, सम्मिलित हिन्दू परिवारों और कम्पनियों के शुद्ध धन (Net Wealth) पर लगता है।

शुद्ध-धन (Net Wealth)—

इस अधिनियम की धारा २ (M) के अनुसार Net Wealth का अर्थ यह है :—

मूल्यांकन तिथि पर एक करदाता की सब सम्पत्तियों का मूल्य (वे चाहे जहाँ स्थित हों) उसके उस तिथि तक के सब ऋणों के मूल्य से जितना अधिक हो उसे शुद्ध धन कहते हैं, परन्तु उसके ऋणों में धारा ६ में दिये हुए ऋण व ऐसे ऋण जो कि या तो सुरक्षित (Secured) हैं या ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में लिए गए हैं जिनके ऊपर इस अधिनियम के अनुसार कर नहीं देना है, शामिल नहीं किये जायेंगे।

Net Wealth to include certain assets—

धन-कर अधिनियम को धारा ४ के अनुसार—

(१) एक व्यक्ति का असली धन निकालने के लिये नीची लिखी हुई सम्पत्तियों को ध्यान में रखा जाएगा :—

(अ) उन सब सम्पत्तियों का मूल्य जो कि मूल्यांकन के दिन निम्नलिखित के पास हैं :—

(1) वे सम्पत्तियाँ जिन्हें उसने अपने छोटे बच्चों को बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित किया है या उसे अलग रहने के लिए नहीं दिया है।

(11) वे सम्पत्तियाँ जिन्हें उसने अपने अव्यक्त बच्चों को, विवाहित लड़कियों को छोड़ कर, बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित किया है।

(111) एक व्यक्ति या व्यक्तियों के सब के पास की ऐसी सम्पत्तियाँ, जिन्हें उसने बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित किया है।

(१४) एक व्यक्ति या व्यक्तियों के सध की सम्पत्तियाँ, जिन्हें उसने खटन करने योग्य हस्तान्तरण (Revocable Transfer) के अन्तर्गत हस्तांतरित किया है ।

(ब) यदि करदाता किसी फर्म का साभेदार है या व्यक्तियों के सध का सदस्य है तो उस फर्म व उस सध में उसका जितना हित है उसका मूल्य ।

(२) ऊपर दी हुई उपधारा १ (ब) में बताए हुए व्यक्ति के हित का मूल्यांकन करते समय बोर्ड उस समय के प्रचलित उन सब नियमों को ध्यान में रखेगा जोकि साभेदारों में व सध के सदस्यों में हिताब्ज करते समय ध्यान में रखे जाते हैं ।

(३) यदि ऊपर दी हुई उपधारा १ (अ) की सम्पत्तियों के मूल्यांकन को करदाता के असली धन में सम्मिलित किया जाता है तो इस कीमत में से उन समस्त ऋणों को घटाया जाएगा जो कि करदाता द्वारा सम्पत्तियों के मूल्यांकन करते समय देय (Owing) थे ।

(४) उन सम्पत्तियों का मूल्यांकन जो पहली अप्रैल सन् १९५६ के पूर्व हस्तान्तरित की गई थी, करदाता के असली धन में शामिल नहीं होगी ।

(५) यदि करदाता ने सम्पत्ति का Irrevocable Transfer किया है तो यह सम्पत्ति उस समय उसके असली धन में शामिल की जायगी, जब कि यह हस्तान्तरण खटन करने योग्य होगा ।

ऐसी सम्पत्तियाँ जिन पर न तो धन-कर ही लगता है और न वे असली धन में ही शामिल की जाती हैं (Assets which are neither taxable under Wealth-tax nor included in net wealth of the assessee)—

धन कर अधिनियम की धारा ५ के अनुमार नीचे लिखी हुई सम्पत्तियों पर न तो धन-कर ही लगता है और न वे सम्पत्तियाँ करदाता के असली धन में ही शामिल की जाती हैं :—

(१) ऐसी सम्पत्ति जोकि करदाता के पास किसी प्रत्यास (Trust) है या अन्य वैधानिक दायित्वों के अन्दर किसी धार्मिक या पुण्य कार्यों के लिए रखी जाती है ।

(२) किसी ऐसे सम्मिलित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में करदाता का हित जिसका कि वह सदस्य है ।

(३) ऐसी एक इमारत (building) जो कि भारतीय सध में मिली हुई रियासतों के राजा के अधिकार में उसके रहने के लिए है और जिसे केन्द्रीय सरकार ने उसका Official Residence घोषित कर दिया है ।

(४) एक घर, जोकि पूर्णतया करदाता द्वारा अपने रहने के लिये प्रयोग किया जाता है और एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहा की आवादी दस हजार से अधिक नहीं है और जोकि किसी ऐसे स्थान से ५ मील से अधिक दूर है, जहा के लिए एक म्युनिसिपैलिटी है और जहाँ की आवादी १० हजार से अधिक है ।

(५) करदाता के पेटेन्ट व कॉपीराइट के अधिकार, परन्तु शर्त यह है कि इन्हें करदाता व्यापार, पेसा या व्यवसाय की सम्पत्ति की तरह न रखता हो ।

(६) करदाता द्वारा उसकी ऐसी बीमा पॉलिसी में हित (Interest) जिनका कि रुपया अभी करदाता को देय (Due and Payable) नहीं हुआ है ।

(७) करदाता द्वारा अपने मालिक से पुरानी सेवाओं के उपलक्ष में पेन्शन व Life Annuity प्राप्त करने का अधिकार ।

(८) फर्नीचर, घर के वर्तन, पहनने के कपड़े व अन्य वस्तुएँ, जोकि करदाता के घरेलू प्रयोग में आती हैं ।

(९) करदाता द्वारा खेती की उपज पैदा करने में प्रयोग करने वाले औजार (Tools and Implements) । यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि औजारों में प्लांट और मशीन शामिल नहीं हैं ।

(१०) वे सब औजार जोकि करदाता को अपने पेसा या व्यवसाय को चलाते में मदद करते हैं और जिनका मूल्यांकन २० हजार रुपये से अधिक नहीं है ।

(११) वैज्ञानिक खोज के लिए करदाता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार (Instruments and Apparatus) ।

(१२) करदाता की पुस्तकें Manuscripts, Scientific Art Collections इत्यादि, जिन्हें कि वह बिक्री के लिए नहीं रखता है ।

(१३) करदाता के Paintings, Photographs, Prints, Drawings, जिन्हें कि वह बिक्री के लिए नहीं रखता है, परन्तु इसमें Jewellery शामिल नहीं है ।

(१४) किसी शासक (Ruler) के अधिकार वाली jewellery, परन्तु यह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति न हो और जिसे इस अधिनियम के शुरु होने के पूर्व केन्द्रीय सरकार ने उसके Heirloom की तरह मान लिया हो या यदि इस प्रकार की मान्यता दी गई हो तो प्रथम बार घन-कर लगते समय बोर्ड द्वारा इस प्रकार की मान्यता दी गई हो ।

(१५) करदाता की ज्वैलरी (Jewellery), परन्तु यह मूल्य में २५,००० रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए ।

(१६) उसके दस-वर्षीय ट्रजरी सेविंग्स सर्टीफिकेट्स, १५-वर्षीय एन्व्यूटी सर्टीफिकेट्स, उसकी डाकखाने के सेविंग्स बैंक में भरा रकम, पोस्ट ऑफिस सैंस सर्टीफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट्स इत्यादि ।

(१७) करदाता के कुल प्रॉवीडेंट फण्ड की रकम, यदि उनका प्रॉवीडेंट फण्ड सन् १९२५ के अनुसार है या Recognised Provident Fund है ।

(१८) यदि करदाता ने कोई सम्पत्ति सरकार से बहादुरी के इनाम में पाई है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने मान्यता दी है ।

(१६) यदि करदाता कम्पनी है तो ऐसे करदाता द्वारा उन अशो (Shares) का मूल्य जो कि वह दूसरी कम्पनी में लिए हुए है ।

(२०) करदाता द्वारा लिए हुए ऐसी कम्पनी के अशो का मूल्य जिनका बर्णन धारा ४५ (D) में किया गया है ।

(२१) यदि एक कम्पनी धारा ४५ (D) के अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए भारत में शुरू हुई है तो इस कम्पनी के असली धन का वह भाग जोकि इस विधान के शुरू होने के बाद कम्पनी के नए हिस्से पर प्रयोग किया गया है ।

(२२) यदि करदाता ने कोई रकम केन्द्रीय सरकार पर जमा की है या सरकार या स्थानीय सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों में लगाई है जिन्हें केन्द्रीय सरकार कर-मुक्त घोषित करती है तो इन पर धन कर नहीं लगेगा ।

Exclusion of Assets and debts outside India—

धारा ६ के अनुसार एक व्यक्ति या सम्मिलित हिन्दू परिवार, जोकि भारत का निवासी नहीं है या निवासी है, परन्तु साधारण निवासी नहीं है या एक कम्पनी जोकि भारत की निवासी नहीं है, के असली धन को निकालते समय उसकी विदेशों में स्थित सम्पत्ति व कर्जों (Debts) को ध्यान में नहीं लाया जाएगा । भारत की ऐसी सम्पत्तियों के मूल्य को भी ध्यान में नहीं लिया जाएगा जोकि किसी ऐसे ऋण के कारण है जिस पर दिया जाने वाला व्याज आय कर की धारा ४ (३) के अनुसार करदाता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है ।

How to determine the Value of Assets—

धारा ७ के अनुसार नकदी को छोड़ कर किसी भी सम्पत्ति का मूल्याङ्कन उस मूल्य पर किया जाएगा जो धन कर अधिकारियों के दृष्टिकोण से खुले बाजार में यदि वह Asset बेचा जाए तो प्राप्त किया जाएगा । सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उन नियमों को बनाया है जिनके आधार पर धन कर लगाने के लिये सम्पत्तियों का मूल्याङ्कन किया जाता है ।

Wealth tax Authorities—

Wealth tax Officers—प्रत्येक आय कर अधिकारी ही धन-कर अधिकारी का कार्य करता है । इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी होते हैं, जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं :—

Appellate Assistant Commissioners of Wealth-tax, Inspecting Assistant Commissioners of Wealth-tax, Wealth tax Officers to be subordinate to the Commissioner of Wealth-tax and the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax, Wealth tax Authorities to follow orders, etc., of the Board

इन सब अधिकारियों का विस्तृत बर्णन धन कर अधिनियम की धारा ६, १०, ११, १२ और १३ में किया गया है ।

Exempted Companies—

वित्त अधिनियम सन् १९६० की धारा १३ के अनुसार एक कम्पनी के शुद्ध धन पर १ अप्रैल सन् १९६० से कोई धन कर नहीं लगेगा ।

विदेशियों को छूट (Relief to Foreigners)—

जितना धन कर एक व्यक्ति को धन कर अधिनियम के अनुसार देना होता है उसका आधा धन कर एक विदेशी से भारतीय सम्पत्ति पर लिया जाता है, भगर वह नीचे लिखी हुई दोनों शर्तें पूरी करे .—

(अ) वह भारत का नागरिक न हो, और

(ब) वह भारत का निवासी न हो ।

धन-कर की दरें (Rates of Wealth tax)—

(अ) प्रत्येक व्यक्ति के लिए—	कर की दरें
(1) असली धन के प्रथम दो लाख रुपये पर	कुछ नहीं
(II) असली धन के अगले दस लाख रुपये पर	१%
(III) असली धन के अगले दस लाख रुपये पर	१३%
(IV) असली धन के शेष पर	२%
(ब) प्रत्येक सम्मिलित हिन्दू परिवार के लिए—	
(1) असली धन के प्रथम चार लाख रुपये पर	कुछ नहीं
(II) असली धन के अगले नौ लाख रुपये पर	१%
(III) असली धन के अगले दस लाख रुपये पर	१३%
(IV) असली धन के शेष पर	२%

नियम १—यदि कोई ऐसी सम्पत्ति वरदाता के Net wealth में शामिल है जिस पर धारा ५ (२) के अनुसार धन कर नहीं लगता है तो इस Net wealth पर जो धन कर लगेगा उसका कुल धन कर के साथ वही अनुपात होगा जाकि कर न लगने वाली सम्पत्ति के साथ होता है ।

नियम २—कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं की Net wealth में यदि ऐसी कम्पनी के अंशों का मूल्य शामिल है जोकि कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ की धारा ३ में समझाई गई है तो वरदाता द्वारा अपनी Net wealth पर दिया जाने वाला धन कर उस रकम से कम कर दिया जाएगा, जिससे कि निर्भाकित का जोड़, Net wealth में शामिल अंशों के मूल्य पर २ प्रतिशत की दर से निकाली हुई रकम से कम होता है —

(अ) कि वरदाता द्वारा दिया जाने वाला धन कर का वह भाग जोकि कुल धन कर के साथ वही अनुपात रखता है जो कि ऊपर समझाई हुई Net wealth में शामिल अंशों का मूल्य उसके कुल Net wealth के साथ रखता है ।

(ब) उसी करदेय वर्ष में कम्पनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले धन कर का

वह भाग जोकि कुल कर के साथ वही अनुपात रखता है जोकि करदाता के Assessment में शामिल अगो की Paid up value का कम्पनी की कुल अगस पूँजी की Paid up value के साथ है ।

नियम ३—यदि करदाता एक ऐसा व्यक्ति है जो कि न तो भारत का नागरिक ही है, न भारत का निवासी ही तो उसे एक भारतीय निवासी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले धन-कर की तुलना में ५० प्रतिशत ही धन-कर देना पड़ेगा ।

नियम ४—भारत के एक नागरिक, व्यक्ति व सम्मिलित हिन्दू परिवार के Net wealth में यदि कोई ऐसी सम्पत्ति शामिल है जोकि भारत के बाहर स्थित है, तो कुल Net wealth पर दिया जाने वाला कर उतने रूपों से कम कर दिया जायगा जितना कि विदेशी सम्पत्ति पर कुल सम्पत्ति पर कर का अनुपातिक कर है ।

धन-कर का निर्धारण (Wealth-tax Assessment Procedure)—

यदि किसी व्यक्ति का शुद्ध धन ग्यूनतम करदेय रकम से अधिक हो तो उसे करदेय वर्ष में ३० जून के पहले इस धन का विवरण आय-कर अधिकारी, जोकि धन-कर अधिकारी भी होता है, के पास भेजना चाहिए । यदि धन-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि एक व्यक्ति का शुद्ध धन धन-कर लगने योग्य है तो वह अपनी ओर से ऐसे व्यक्ति को धन का विवरण देने के लिए नोटिस देता है । इस नोटिस के प्राप्त होने पर एक निश्चित समय के अन्दर आमतौर से ३५ दिन के बाद उस व्यक्ति को अपने धन का विवरण धन कर अधिकारी के पास भेज देना चाहिए । धन का विवरण धन कर अधिकारी के पास न पहुँचाने पर धन-कर अधिकारी अपनी इच्छानुसार कर लगाता है और कर की रकम के डेढ गुने तक जुर्माना कर सकता है ।

जब धन का विवरण आय-कर अधिकारी के पास भेज दिया जाता है तब यह अधिकारी इस धन से सम्बन्धित लेखे या प्रमाण देने के लिए नोटिस देता है । करदाता द्वारा दिए हुए विवरणों और प्रमाणों के आधार पर धन-कर अधिकारी कर निर्धारण करता है । तत्पश्चात् एक नोटिस, जिसे माग-पत्र (Demand Notice) कहते हैं, करदाता के पास धन कर की रकम जमा करने के लिये भेजा जाता है । कितने समय के अन्दर यह रकम जमा होनी चाहिए, यह नोटिस में दिया रहता है । जब करदाता धन-कर की रकम जमा कर देता है तो धन-कर की कार्यवाही समाप्त हो जाती है ।

धन-कर की अपील—

यदि करदाता धन-कर अधिकारी द्वारा किये हुए कर निर्धारण से असन्तुष्ट है तो वह अपैलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकता है । यदि इस कमिश्नर के निर्णय से सन्तोप नहीं है तो अपील अपैलेट ट्रिब्यूनल में की जा सकती है । इस ट्रिब्यूनल का दिया हुआ निर्णय तथ्य के विषय (Point of Fact) पर अन्तिम

निरणय माना जाता है। परन्तु कानून के विषय पर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।

अपेलेट ट्रिब्यूनल की आज्ञा प्राप्त करने के बाद कानून के प्रश्न पर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह अपील एक निरिक्त फार्म पर होनी चाहिए।

हाई कोर्ट में दिए हुए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट का प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है। यह अपील केवल कानूनी प्रश्न पर ही होती है। कानून के प्रश्न पर इस कोर्ट द्वारा दिया हुआ निरणय अन्तिम निरणय माना जाता है।

Illustration 1. Mr Surendra Bahadur Shukla, a resident in the taxable territories, had the following assets and liabilities on the valuation date 31st March 1960. Find out the amount of wealth-tax payable by him.

	Rs.
Capital in business as on 31-3-1960	80,000
Savings account with Bank of India, Joint with his wife	10,000
Agricultural land in Bombay State	40,000
Value of property transferred in the name of minor children on 15-10-1953	10,000
Value of property transferred in the name of minor children 15-10-1956	20,000
House property (market value)	30,000
Shares in joint stock companies registered in India (market value)	1,25,000
Government securities (market value)	12,000
Interest accrued upto 31-3-1960 on Government securities	200
Jewellery & ornaments	30,000
Motor car for personal use (market value)	7,000
National savings certificates (Purchased before 1st Oct 1959)	40,000
Cash in house	300
Shares in sterling companies (market value)	18,700
Amount advanced on mortgage Rs 54,300	
Interest accrued	300
Household goods	2,000
Interest in Joint Hindu family	20,000
Policy on his wife maturing on death	25,000
	5,24,500

<i>Less</i> Debts and outstanding expenses		
	Rs	
Grocer s bill	500	
Rent outstanding	250	
Taxes—Income Tax		
Municipal Tax etc	<u>4 750</u>	
		<u>5 500</u>
		5 19 000
<i>Less</i> Value of property not liable & exempt		
	Rs	
Agricultural lands	40 000	
Transferred to minor		
children prior to 31 3 1956	10 000	
Jewellery and ornaments	25 000	
Motor car for personal use	7 000	
National savings certificates	40 000	
Household goods	2 000	
Interest in Jt Hindu family	20 000	
Policy money not matured	<u>25 000</u>	
		<u>1,69 000</u>
Net Wealth		<u>3 50 000</u>
Wealth tax on the first Rs 2 00 000		Nil
Wealth tax on the next 1 50 000 @ 1%		<u>1 500</u>
Wealth tax		Rs <u>1 500</u>
Rebate on assets situated outside India viz shares in sterling companies in terms of Rule 4 of the Schedule		
Total wealth	Assets outside India	Wealth tax
Rs 3 50 000	Rs 18 700	Rs 1 500
Proportionate wealth tax on assets situated outside India	} = $\frac{\text{Rs } 1\,500 \times \text{Rs } 18\,700}{\text{Rs } 3,50\,000}$	
	= Rs 80 (Approximately)	
Wealth tax		Rs 1 500
<i>Less</i> Rebate @ 50% of Rs 80/		Rs <u>40</u>
Balance wealth tax payable		<u>Rs 1 460</u>

Notes

- 1 Agricultural lands are outside the scope of wealth tax and hence excluded
- 2 Any amount transferred to wife or minor children prior to 1-4-56 is exempt
- 3 Jewellery and ornaments upto Rs 25,000 is exempted and

only the excess over Rs. 25,000 is to be included in the net wealth.

4. National savings certificates, household goods and interest in Jt. Hindu family etc. are exempt.
 5. Insurance premiums paid, but the policy amount not due for payment, are exempt.
-

अध्याय १६

उपहार-कर अधिनियम सन् १९५८

(The Gift tax Act, 1958)

यह एक्ट जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सारे भारत पर १ अप्रैल सन् १९५८ से लागू हुआ है। निम्नांकित पर यह कर लगता है :—

- (१) व्यक्तियों पर,
 - (२) हिन्दू सम्मिलित परिवारों पर,
 - (३) कम्पनियों पर,
 - (४) फर्म और अन्य व्यक्तियों के सगठनों पर।
- परन्तु निम्नांकित पर यह कर नहीं लगता है :—

- (१) सरकारी कम्पनियाँ,
- (२) केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये हुए कॉर्पोरेशन,
- (३) ऐसी पब्लिक कम्पनियाँ जो ६ या ६ से अधिक व्यक्तियों के नियन्त्रण में हैं और जिनके अधिकांश अथवा उन व्यक्तियों के पास हैं।
- (४) ऊपर नम्बर ३ में समझाई हुई कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ (Subsidiary Companies)।
- (५) प्रमाणित पुण्यार्थ सत्यायें या अधिभोग (Recognised Charitable Institutions or funds)।

ऊपर दी हुई सूची के नम्बर ३ में पब्लिक कम्पनियाँ कर देने से मुक्त हैं। प्राइवेट कम्पनियाँ मुक्त नहीं हैं।

इस अधिनियम में उपहार (Gift) को परिभाषा इस प्रकार है—एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को किसी विद्यमान (Existing) चल या अचल सम्पत्ति को ऐच्छिक (Voluntarily) और बिना प्रतिफल के हस्तान्तरण करना। उपहार में उन सम्पत्तियों को भी शामिल किया गया है जो इस एक्ट की धारा ४ में समझाई गई हैं। इसके अनुसार उन सम्पत्तियों का हस्तान्तरण भी उपहार में आता है जोकि केवल नाम मात्र प्रतिफल लेकर हस्तान्तरित की जाती हैं। किसी पर श्रद्धा छोड़ देना भी इसमें शामिल है। सरासन यह है कि उपहार की परिभाषा बहुत विस्तृत है और इसमें बहुत सी वस्तुएँ शामिल हैं, जहाँ सम्पत्ति अर्थात् मूल्य पर दूसरे को लाभ पहुँचाने के लिए हस्तान्तरित की जाती है। इस हस्तान्तरण को आंशिक उपहार (Partial Gift)

कहा जाता है; परन्तु जितना प्रतिफल इस हस्तान्तरण में सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने वाले को मिलता है उसे कर के लिए छोड़ दिया जाता है।

ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जहाँ बिना सम्पत्ति का हस्तान्तरण किये दूसरे व्यक्तियों को सम्पत्ति में लाभ पहुँचाया जाता है, उन्हें भी उपहारों में शामिल किया गया है।

नीचे लिखे हुए उपहारों पर कर नहीं लगता है :-

- (१) भारतवर्ष के बाहर स्थित अचल सम्पत्ति का उपहार।
- (२) भारत के बाहर स्थित चल सम्पत्ति का उपहार, यदि उपहार देने वाला भारत का नागरिक नहीं है।
- (३) ऐसे सेविंग सर्टीफिकेट का उपहार जिन्हे उपहार मुक्त-कर (Gift tax free) घोषित किया गया है।
- (४) सरकार या स्थानीय सरकारों को दिए हुए उपहार,
- (५) प्रमाणित पुण्यार्थ सस्थाओं और कोषों में दिए हुए उपहार।
- (६) किसी भी पुण्यार्थ कार्य के लिए दिया हुआ उपहार, जोकि ₹०० रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (७) आश्रित स्त्रियों की शादी में दिया हुआ उपहार, परन्तु यह ₹०,००० रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (८) स्त्री (Wife) को दिए हुए उपहार इस कर से मुक्त हैं। यदि ये धन एक लाख रुपये से अधिक के नहीं हैं, परन्तु यदि स्त्री इस उपहार में से किसी को उपहार देती है तो यह उपहार उसके पति के द्वारा दिया हुआ माना जायेगा और इसे करदेय उपहार में जोड़ लिया जायगा।

Illustration No. 1—

Mr. A makes a gift of Rs. 80,000 to his wife on 1st May 1959 and of this amount his wife makes a gift of Rs. 40,000 to her son on 1st October 1959. Find out the amount of gift on which tax will be levied.

Solution No. 1—

Gift by husband to his wife is exempted upto Rs. 1,00,000. Therefore no tax is payable on 1-5-59. But out of this gift wife has gifted to her son Rs. 40,000 on 1-10-1959. This gift will be treated taxable gift.

- (६) अपने आश्रितों को उपहार रूप में दी हुई बीमा पॉलिसी, जिसकी अधिक से अधिक रकम प्रत्येक दान लेने वाले के लिए ₹०,००० रु० है।
- (१०) एक इच्छा पत्र (Will) के अन्तर्गत दिया हुआ उपहार।
- (११) ऐसे उपहार जो मृत्यु के समय दिए जाते हैं।

- (१२) करदाता के बच्चों की शिक्षा के लिये दिये हुये उपहार, परन्तु इनकी राशि उचित होनी चाहिये ।
- (१३) मालिक द्वारा नौकर को उपहार के रूप में दिये हुये बोनस या पेन्शन की उचित रकम ।
- (१४) किसी व्यापार, पेशा या व्यवसाय करते समय दिये हुए उचित उपहार ।
- (१५) किसी ऐसे व्यक्ति को दिये गये उपहार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भूदान या सम्पत्तिदान का अधिकारी (incharge) हो ।

आधार छूट की सीमा (Basic Exemption Limit)—

उपहार-कर के लिये आधार छूट की सीमा (Basic exemption limit) १०,००० रु० है, अर्थात् यदि एक व्यक्ति ने गत वर्ष में १०,००० रुपये तक उपहार दिया है तो उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा, परन्तु यदि एक व्यक्ति दूसरे को एक साल में ३,००० रु० से अधिक उपहार देता है और उसके कुल उपहार मिलाकर ५,००० रु० से अधिक हो जाते हैं तो उसे अधिक उपहारों पर कर देना पड़ेगा, अर्थात् ऐसे मामलों में आधार छूट की सीमा ५,००० रुपये है ।

Illustration No. 2—

If A gives a gift of Rs 5,000 to his son and of Rs 2,500 each to his two daughters. What will be the basic exemption limit and on what amount he will have to pay Gift tax

Solution No. 2—

There is a basic exemption given upto Rs. 10,000, but if the value of taxable gifts of one donee exceeds Rs. 3,000, then this limit is reduced to Rs. 5,000. In this example as A has given a gift of Rs 5,000 to his son hence the basic exemption is Rs 5,000. He will have to pay a tax on remaining Rs 5,000 (Rs. 2,500 to each of his two daughters)

उपहारों का मूल्यांकन (Valuation of Gifts)—

धन-कर (Wealth tax) के अनुसार उपहार-कर में भी उपहारों का मूल्यांकन नकद उपहारों को छोड़ कर, उपहार देने की तारीख की बाजार कीमत (Market Rate) पर किया जाता है । इस अधिनियम की धारा ६ में उपहारों के बाजार कीमत के सम्बन्ध में नीचे लिखी बातें जुड़ी हैं—

उपहारों का मूल्यांकन उस मूल्य पर किया जावेगा जिसे उपहार-कर अधिकारी उपहार की तिथि का बाजार मूल्य समझता है ।

कर की दर (Rate of Tax)—

	कर की दर	
(१) प्रथम करदेय उपहारों के	५०,००० रु० पर	४%

(२) अगले करदेय उपहारों के	५०,००० रु० पर	६%
(३) अगले करदेय उपहारों के	५०,००० रु० पर	८%
(४) अगले करदेय उपहारों के	५०,००० रु० पर	१०%
(५) अगले करदेय उपहारों के	१,००,००० रु० पर	१२%
(६) अगले करदेय उपहारों के	२,००,००० रु० पर	१४%
(७) अगले करदेय उपहारों के	५,००,००० रु० पर	२०%
(८) अगले करदेय उपहारों के	१०,००,००० रु० पर	२५%
(९) अगले करदेय उपहारों के	१०,००,००० रु० पर	३०%
(१०) अगले करदेय उपहारों के	२०,००,००० रु० पर	३५%
(११) करदेय उपहारों की शेष रकम पर		४०%

महत्त्वपूर्ण नियम—

उपहार-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाने वाले कुल उपहारों का मूल्य यदि १०,०००) रु० या इससे कम है तो इस रकम पर उपहार कर नहीं लगेगा। यदि उपहार की रकम १०,०००) रुपये से अधिक है तो करदेय उपहार की रकम निकालने से पहले उपहार कर अधिनियम की धारा ५ (२) के अनुसार १०,०००) रुपये की छूट घटाई जायगी। उदाहरण के लिए—यदि करदेय उपहारों की कुल रकम ४५,०००) रुपये है तो पहले १०,०००) छूट को घटा कर ३५,०००) रुपये पर ४ प्रतिशत से १,४००) उपहार कर होगा।

उपहार कर अधिकारी (Gift-tax authorities)—

उपहार-कर लगाने व वसूल करने के अधिकारी आय कर अधिकारी हैं। इस कर लगाने के तरीके, अपील करने, वसूल करने आदि के तरीके लगभग वैसे ही हैं, जैसे कि घन-कर व ध्वज कर के हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गत वर्ष में उपहार दिया है, करदेय वर्ष में ३० जून के पहिले गिफ्ट टैक्स अफसर के पास एक विवरण (Return) देना पड़ता है।

Rebate on Advance Payment of Gift-tax—

इस अधिनियम के अनुसार यदि एक मनुष्य करदेय उपहार देने के बाद १५ दिन के अन्दर निर्दिष्ट दरों पर उपहार कर सरकार को दे देता है तो उस व्यक्ति को Regular Assessment के समय कर के रूप में दी हुई रकम का क्रेडिट तो दिया ही जायेगा पर अग्रिम दी हुई रकम पर १०% की छूट और मिलेगी। यह छूट उसी समय मिलेगी जबकि अग्रिम कर नीचे लिखे हुए दरों पर दिया जाय—

५०,०००) रुपये के उपहार तक	४%
५०,०००) रुपये से २,००,०००) रुपये तक	८%
शेष रकमों पर	१५%

Illustration No. 3—

Mr X transfers on 1 9 59 his immovable property to his son 'B' for Rs. 60,000 and receives the amount from his son. He also transfers on the same date certain moveable property to his son 'A' for an agreed value of Rs. 50,000 but does not receive the said amount from 'A'. The Gift tax Officer while making assessment finds that the market value of the immovable property to his son 'B' is Rs. 90,000 and is also of the opinion that the moveable property transferred to his son 'A' for Rs. 50,000 is not likely to be received by him. Find out the taxable gift, if any.

Solution No. 3—

As in the Gift-tax Officer's opinion market value of the property given to 'X' is Rs. 90,000, while actually it is transferred for Rs. 60,000. Rs. 30,000 is taxable gift in the first case. In the case of his second son, full amount of Rs. 50,000 is taxable gift. Therefore total taxable gift is Rs. 80,000 (Rs. 30,000 + Rs. 50,000).

Illustration No. 4—

Mr A has made certain investments out of his own capital on 1-5-1959 but for the sake of convenience, the investments are in joint names of himself and his son B. On selling, part of the investments on 1-1-1960, the proceeds to the extent of Rs. 20,000 is appropriated by the son 'B' and deposited in his own Bank account. What will be the position from Gift tax point of view?

Solution No. 4—

The sale proceeds to the extent of Rs. 20,000 which is appropriated by B will be treated as gift made by A to B and will be included in the taxable gifts made by A.

Illustration No. 5—

Mr. A makes the following gifts from 1-4-1959 to 31-3-60 —

- (a) Rs. 10,000 in saving certificates to be declared as Gift-tax free by the Central Govt.
- (b) Rs. 15,000 as donation to institution for charitable purposes within the meaning of sec. 15 (B) of Income tax Act, 1922.
- (c) Rs. 5,000 as donation to charitable institutions not within the meaning of Sec. 15 (B) of the I T. Act, 1922.
- (d) Rs. 10,000 as gift to his three sons and two daughters each receiving Rs. 2,000.

Are the above gifts liable to taxation under Gift-Tax Act of 1958 ? If so, what is the amount of tax which Mr. X will pay under Gift tax Act ?

Solution No. 5—

Rs. 5,000 donation to charitable institution not within the meaning of 15 (B) of I. T Act, 1922 and Rs. 10,000 as gifts to his three sons and two daughters each receiving Rs. 2,000 are liable to tax under Gift-Tax Act.

Mr. X will, therefore, be required to pay gift tax on Rs 5 000 only though this total taxable gift is Rs. 15 000 This is so because he is entitled to claim statutory reduction of Rs. 10,000,

The amount of tax on Rs- 5,000 @ 4% will be Rs 200

क्रियात्मक प्रश्न (Practical Questions)

* All the Questions in this part have been answered as per the Income-tax Law up to-date, and as modified by the Finance Act, 1960

1 An employee is in receipt of a salary of Rs 600 per month, 8 per cent of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes 12 per cent. He is provided with a rent free house by the employer, the rental value of the house being Rs 600 per annum, and he also received from the employer Rs 1,200 as bonus. The amount of interest credited to his provident fund account for the year at 5 per cent per annum is Rs 450. He paid Rs 2,000 as life insurance premium. Ascertain his total income and exempted income for the assessment year 1959-60 if the provident fund in question is

- (a) a provident fund to which the Provident Funds Act 1925, applies,
- (b) a recognised provident fund, or
- (c) an unrecognised provident fund

(Agra, B Com., 1960)

(See also Illustration No. 4 of VI Chapter)

Note—In this question 1959-60 has been treated as 1960-61 for the sake of solution

Solution No. 1—

- (a) When the Provident Fund is such to which the Provident Funds Act of 1925 applies

	Rs
Salary	7 200
House Allowance	600
Bonus	<u>1,200</u>
	Total Income <u>Rs 9 000</u>
Exempted Income	
P. F. Contribution	Rs.
(By employee only)	576
Life Insurance Premium	1 674
	Rs. <u>2,250</u>

Note—(i) Full premium of Rs 2 000 will not be exempted because employee's contribution to P. F plus insurance premium should not be more than $\frac{1}{4}$ of the total income or Rs 8,000 whichever is less

(ii) Full house allowance has been taken into consideration as per sub rule (ii) of clause (a) of sub rule (i) of Rule 24 A (It has been explained in the VI Chapter dealing with salary)

(b) When the P. F is a Recognised P. F

	Rs
Salary	7,200
House Allowance	600
Bonus	1 200
Employer's Contribution to P. F (in excess of 10 per cent of his salary of Rs 7,200) is	Rs 144
Interest credited to P. F in excess of $\frac{1}{4}$ of his salary and prescribed rate of 6 per cent per annum is	Nil
Total Income	Rs <u>9 144</u>
Exempted Income	

	Rs.
P. F Contribution by employee only	576
Life Insurance Premium	1 710
	Rs <u>2 286</u>

Note—P. F by employee and premium are limited to $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 8 000 whichever is less

(c) When the P. F is unrecognised P. F

	Rs.
Salary	7,200
House Allowance	600
Bonus	1,200
Total Income	Rs <u>9 000</u>
Exempted Income	
	Rs
Life Insurance Premium	<u>2 000</u>

2. The profit and Loss Account for 1957 of a firm consisting of three partners A, B and C (with shares 4, 3 and 1) showed a net loss of Rs. 16,000 after charging the following items —

Interest on Capital A—Rs 3,000, B—Rs 2,000, C's salary Rs 3,000

A's taxable income from other sources is Rs. 5,000, while B and C have no other income. Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered, (b) when it is unregistered.

(Agra University, B. Com, 1959)

(See also Question No 27)

Note—In this question 1957 has been treated as 1959 for the sake of solution

Solution No 2—

Loss		Rs
as per P & L A/c.		16 000
Less	Rs	
Interest on Capital		
A	3,000	Rs.
B	<u>2 000</u>	5 000
C's salary		<u>3 000</u>
		8 000
		Rs 8 000

Allocation of firms income amongst the Partners

	A	B	C
	Rs	Rs.	Rs
Interest on Capital	3 000	2 000	Nil
Salary			3 000
Share of firm's loss	-8,000	-6 000	-2 000
	Rs -5 000	-4 000	+1 000

When the firm is registered—

A can set off his share of firms loss of Rs 5 000/- against his income of Rs 5 000/- which is from other sources. He will not pay any tax as his income becomes zero after writing off his share of firms loss. As B has no other income, he can carry forward his share of Rs 4,000 in order to set it off against his share of future profit of the firm or against any other business profit, but maximum limit for this carry forward is eight years.

C's income is only Rs 1,000/- hence he is not liable to tax.

When the firm is Unregistered—

Unregistered firm itself will carry forward its loss to future years in order to set it off from future income, but maximum limit

for this carry forward is eight years. A will pay tax on Rs 5 000 because he is not allowed to set off his share of firm's loss from his other income.

B cannot carry forward his share of firm's loss to future years.

C is not liable to pay tax as his total income is only Rs 1 000 which is below the minimum exemption limit.

3. A professor in a college gets a salary of Rs 800 per month. He contributes one anna per rupee of his salary to a recognized provident fund to which the college also contributes an equal amount. The interest on his provident fund account for the year ended 31st March 1958 (at 5 per cent per annum) amounted to Rs 672.

He is also the owner of two houses: one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his own residence and the other (municipal valuation Rs 1 000) let at Rs 100 per month. His expenses for the two houses were —

Municipal taxes Rs 180 Land revenue for the house let Rs 40 Interest on loan taken to repair the residential house Rs 200 Fire Insurance premium Rs 120 Cost of extension of electric fittings in his residence Rs 250

Ascertain his taxable income from the property, his total income and the amount exempt from income tax for the previous year ending 31st March 1958. Assume that the house let remained vacant for two months and that he paid Rs 850 as premium of his life policy for Rs 8 000.

(Agra University B Com 1959)

(See also question No 24)

Note—In this question 31st March 1958 has been treated as 31st March 1960 for the sake of solution and it has been assumed that both the houses were constructed after 1st April 1950.

Solution No 3—

Salary		Rs	9 600
Annual accretion			Nil
{ Annual Rental Value of the	Rs		
{ second house	1 200		
{ Less $\frac{1}{2}$ Municipal tax	50		
{ Annual Value	Rs	<u>1 150</u>	

Annual Value of Residential house calculated on the basis of the house let

$$\text{Rs } \left(\frac{1200}{1000} \times 800 \right) = 960$$

Less $\frac{1}{2}$ Municipal tax

Rs 40

920

Less $\frac{1}{2}$ Statutory Allowance

460

Annual Value

Rs. 460

Annual Value of both the houses

$$(\text{Rs } 1150 + \text{Rs } 460) = \text{Rs } 1610$$

Less

Rs

$\frac{1}{2}$ for repairs

268 33

Land revenue for the house let

40

Int on loan taken to repair the residential house

200

Fire Insurance Premium

120

Vacancy Allowance

191 67

820

e least a n
benefit of
annual val

Taxable Income from Property

Total Income

790

Rs 10 390

Exempted Income

Employee's P F

Rs

Contribution

600

Insurance Premium

800

Rs 1 400

Note—(i) Cost of electric fittings in his residence is not allowed as deduction under Income-tax Act because it is treated as capital expenditure

(ii) Insurance Premium is exempted only up to the 10% of the policy amount hence only Rs 800 has been treated as exempted premium

4 From the following informations calculate the total income and exempted income of an individual for the assessment year 1960-61.

(a) Salary after deduction of provident fund contribution and income tax Rs. 14,200

(b) Income tax deducted from salary, Rs 2 000

(c) His contribution to recognised provident fund, Rs 1 800

- (d) Employer's contribution to his provident fund Rs. 1 800
- (e) Interest at 9 per cent per annum credited to provident fund Rs 1 200
- (f) Dividends received Rs 4 400 income tax deducted at source being Rs 1 885 71
- (g) Life Insurance premium paid Rs. 1 800
- (Agra B Com 1908 adapted)

Solution No 4—

Salary

	Rs.	Rs.
Net salary after deduction of provident fund & Income tax	14 200	
Add		
Income tax	2 000	
Provident fund	<u>1 800</u>	
Total Salary		18 000

Annual accretion

(in view of the fact that salary is Rs 18 000 where of its 10% comes to 1 800 employer has contributed to that extent)

Interest on provident fund in excess of 6%

(1 200—800)

400
18 400

Dividend

Rs (4 400+1 885 71)

Total Income Rs 2 4685 71

Exempted income

Provident fund contribution by employee	Rs 1 800
Life Insurance Premium paid	<u>1 800</u>
	<u>Rs 3 600</u>

5 Shri Murli Manohar owns two bungalows one of which is let at Rs 120 per month and the other is occupied by him for his residence, the annual value of the same being Rs 960—He has paid Rs. 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 150 in respect of the second. The municipal taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted

to Rs. 150 and Rs. 120 respectively, and he spent Rs. 300 on whitewashing and petty repairs in respect of both the bungalows.

You are required to find out his taxable income from property, assuming that both of these bungalows were constructed after 1st April, 1930

(Agra, B Com. 1938 adapted)
[See also question No 12]

Solution No. 5—

	Rs	
Annual rental value	1,440	
Less $\frac{1}{2}$ Municipal tax	<u>75</u>	
Annual value of the rented Bangalow	1,365	
Less	Rs	
$\frac{1}{2}$ for repairs	227 5	
Ground rent and Insurance charges	<u>200</u>	427 5
Taxable income of the rented Bangalow		Rs. 937 5
Annual value of residential house	960*	
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	<u>480</u>	
	480	

But this should not exceed 10% of
the total income

hence —

$$\left[(937.5 - 150) \times \frac{1}{10} \times \frac{12}{11} \right] = 85.9$$

Less			
Repairs $\frac{1}{2}$	14 3		
Ground rent and			
Insurance	<u>150</u>	<u>164 3</u>	<u>-78 4</u>
Taxable income from property			Rs. <u>859 1</u>

* As the annual value of the residential house is given, half of municipal taxes should not be deducted. Had the municipal valuation of residential house been given, half of municipal taxes would have been deducted. It is assumed that the half Statutory allowance has not been deducted from the annual value, hence it has been deducted here.

6 Ramesh Mahesh and Naresh are three partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 1. The Profit and Loss account of the firm for the year 1957 showed a net loss of Rs. 20,000 after charging the following items —

Interest on Capital	Ramesh Rs 4 000 Mahesh Rs 3 000 and Naresh Rs 2 000
Salary	Ramesh Rs 1 000 Mahesh Rs 800 and Naresh Rs 2 000

Taxable income of Ramesh from other sources was Rs 8 000 while Mahesh and Naresh had no other incomes

Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered and (b) when it is unregistered

(Agra B Com 1957)

Note—In this question 1957 has been treated as 1959 for the sake of solution

Solution No 6—

Loss as disclosed by P & L A/c			Rs 20 000
Less			
Interest on Capital			
	Rs	Rs	
Ramesh	4,000		
Mahesh	3 000		
Naresh	<u>2 000</u>	<u>9 000</u>	
Salary			
Ramesh	1 000		
Mahesh	800		
Naresh	<u>2 000</u>	<u>3 800</u>	<u>12 800</u>

Net loss of the firm from Income tax point of view Rs 7 200

The Respective Shares of the Partners

	Rame h	Mahesh	Naresh
	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	4 000	3 000	2 000
Salary	1 000	800	2 000
Share of firm's loss	<u>-10 000</u>	<u>-7 500</u>	<u>-2 500</u>
	Rs <u>- 5 000</u>	<u>-3 700</u>	<u>+1 500</u>

When the firm is Registered

Ramesh can set off his share of firm's loss of Rs 5 000 against his taxable income of Rs 8 000 which is from other sources. He will not be liable to pay tax as his remaining income is (Rs 8 000 - 5 000) Rs 3 000 only

Mahesh can carry forward his share of the firm's loss of Rs 3 700 in order to set it off against his share of future profits of the firm or against any other business profits but the maximum

limit for this carry forward is eight years Naresh's total income is only Rs 1 500 hence he is not liable to tax

When the firm is Unregistered

Unregistered firm itself will carry forward its loss of Rs 7 200 for future years in order to set it off from future income but the maximum limit for this carry forward is eight years

Ramesh will pay tax on Rs 8 000 because he is not allowed to set off his share of firm's loss of Rs 5 000 from his other income Mahesh cannot carry forward his share of the firm's loss

Naresh is not liable to pay tax because his total income is only Rs 1 500

7 The following are the particulars of the income of Shri Ram Chandra Sharma who is ordinarily resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1956 You are required to ascertain his total income for the year 1956 57

- (a) His salary was Rs 300 per month and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 1,500, the actual expenditure incurred by him in travelling being only Rs 1 100
- (b) He was getting a house rent allowance of Rs 50 per month and a cycle allowance of Rs 10 per month
- (c) He contributed one anna in the rupee to a provident fund governed by the Provident Funds Act of 1925 his employer contributing an equal amount Interest on his provident fund account amounted to Rs 400
- (d) He received Rs 300 from tax free government securities Rs 500 as dividend and Rs 100 as interest on fixed deposits in a bank
- (e) He owns a house half of which is occupied by his son for his residence and the other half is let out at Rs 50 per month
- (f) He gets 8% dividend from P Co Ltd on an investment of Rs 12 000

(Agra B Com 1957)

Note—In this question 1956 57 is treated as 1960 61 and 31st March 1956 is treated as 31st March 1960

Solution No 7—

	Rs	Rs
Salary	3 600	
House allowance	600	
Cycle allowance	120	
	<hr/>	4 320

Interest on securities :			Rs
Tax free Govt. securities			300
Income from property	Rs.	Rs.	
Annual value of house let		600	
Income of house occupied	600		
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	300	300	
Annual value of both the houses		900	
Less :			
$\frac{1}{2}$ for repairs		150	750
Income from other sources :			
Dividend $\frac{(500 \times 10)}{7}$		714'29	
8% dividend		960	
Interest on fixed deposits		100	
Travelling allowance (Surplus)		400	2,174'29
Total Income			Rs. <u>7,544'29</u>
Exempted Income :		Rs.	
P. F contribution		225	
Interest on the tax free Govt securities		300	
	Rs.	<u>525</u>	

Note (i) The house occupied by the son is treated as occupied by assessee for his residence, because it is not clearly mentioned in the question that the son is living separate

(ii) On dividend, tax is deducted at source in the same way as it is deducted on interest from securities.

8. X is employed in a Business office at Rs 300 per month. He owns Rs. 20,000, $4\frac{1}{2}$ % Govt. Tax Free securities. He also owns a big house, the municipal valuation of which is Rs. 800. He has let out $\frac{1}{2}$ of the house at Rs 50, while the remainder of the house is occupied by him. The house is mortgaged for a loan which he took for meeting the expenses of his sister's marriage. The interest on the Mortgage was Rs 250 for the year and the Municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs 150.

Ascertain his taxable income from property and also his total income for the previous year ending 31st March, 1955.

(Agra, B. Com, 1956)

Note—In this question 1955 has been treated as 1960 for the sake of solution, and it has been assumed that the house was constructed after 1st April, 1950.

Solution No 8—

	Rs
Rental value of the house let	600
Less $\frac{1}{2}$ of proportionate Municipal taxes	<u>37 50</u>
Annual value of the property let	Rs <u>562 50</u>
Value of residential portion on the basis of the portion let	562 50
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	<u>281 25</u>
Annual value of residential portion	Rs <u>281 25</u>
Annual value of full house (Rs 562 50 + 281 25)	843 75
Less admissible deductions	Rs
Repairs $\frac{1}{2}$	140 62
Interest on Mortgage	<u>250</u>
	390 62
Taxable income from property	Rs <u>453 13</u>

Statement of Total Income of Mr X

	Rs
Salary	3 600
Interest on tax free Govt Securities	900
Income from property	<u>453 13</u>
Total Income	Rs. <u>4 953 13</u>

9 Following are the particulars of the income of Shri M V Mathur who is ordinary resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1953. You are required to prepare his total income in proper form for the year 1953-54.

- (a) Salary Rs 300 per month. House rent allowance Rs 50 per month. contribution to unrecognised provident fund 5%. Employees contribution to above 5%, Interest on P F (5% per annum) Rs 350.
- (b) His investments during the year were
 - (i) Rs 5 000 in 6% preference shares of a company
 - (ii) Rs 2 000 in 3% fixed deposit in a Bank
 - (iii) Rs 4 000 in 4% Tax Free Govt loan
- (c) He owns a house, $\frac{1}{2}$ of which is occupied by his son for his residence and the other half is let at Rs 40 per month.
- (d) He paid a premium of Rs 240 on his life policy and Rs. 120 on the policy of his wife.

(Agra B Com 1955)

Note—In this question 1953-54 has been treated as 1960-61 and 31st March 1953 as 31st March 1960 for the sake of solution.

Solution No 9—

	Rs	Rs
Salary	3 600	
House allowances	<u>600</u>	4 200
Interest from securities		
4% tax free Govt Loan		160
Income from property		
Annual value of the rented portion	480	
Value of the portion occupied by his son	480	
Less $\frac{1}{2}$ Statutory Allowance	<u>240</u>	
Annual Value	<u>240</u>	
Annual value of full house (480+240)	720	
Less $\frac{1}{2}$ for Repair	<u>120</u>	600
Income from other sources		
Dividend on pref shares of a company	300	
Interest on Banks fixed deposit	<u>60</u>	<u>360</u>
Total Income of Shri M V Mathur		Rs <u>5 320</u>
Exempted Income		
Interest on tax free Govt loan	160	
Insurance Premium	<u>360</u>	
	<u>Rs 520</u>	

Note—The house occupied by Son of assessee is treated as the house used by assessee himself for his residence because it is not clearly mentioned in the question that the son is living separate

10 Gopal is employed in a factory on a monthly salary of Rs 120. He is the owner of a big house whose municipal valuation is Rs 800 p a. He has let $\frac{1}{2}$ portion of his house on a monthly rent of Rs 30 and the remaining $\frac{1}{2}$ is occupied by his family. He has mortgaged the house for a loan of Rs 5 000 taken at 6% p a for educating his son in America. The house is subject to a local tax of Rs 150 p a. Gopal's taxable income from other sources during the previous year was Rs 1 400. Find out Gopal's total income. (Agra B Com 1954)

Note—It has been assumed that the house was constructed after 1st April 1950

Solution No. 10—

	Rs.	Rs
Rental value of the portion let	360	
Less $\frac{1}{2}$ of proportionate local tax	<u>25</u>	
Annual value of the portion let	335	
Value of residential portion determined in the same manner as that of portion let	670	
Less $\frac{1}{2}$ of statutory allowance	<u>335</u>	
Annual value of property	335	
But this Rs 335 should not be more than $\frac{1}{10}$ of total income hence —		
$\left[(3019^* - 200) \times \frac{1}{10} \times \frac{12}{11} \right] = 307.5$		
Total annual value of both the houses (335 + 307.5)		642.5
Less		
$\frac{1}{2}$ for repairs	107.1	
Interest on Mortgage	<u>300</u>	407.1
Income from property		<u>Rs 235.4</u>

Statement of Total Income of Mr. X

Salary	1,440
Income from property	235.4
Income from other sources	1,400
Total Income	<u>Rs 3,075.4</u>

* This amount has been calculated as Rs. 1,440 + 1,400 + 179. This amount of Rs 179 has been found out by deducting $\frac{1}{2}$ of Rs 335 for repairs and Rs 100 proportionate interest on mortgage, from Rs 335 the annual value of rented portion.

11. Following are the particulars of income of Shri O. P. Varshney for the previous year ended 31st March 1952 —

- (i) Salary Rs 300 P. M
- (ii) His contribution towards P. F. @ 6 $\frac{1}{4}$ % and his employer's contribution at the same rate
- (iii) He is provided with rent free quarters of the annual value of Rs. 400
- (iv) Interest credited to his P. F. during the year was Rs. 620.

He paid Rs 450 Insurance Premium on his own life policy. Ascertain his total income and the income exempted from tax.

- (i) When the P. F. is recognised
 (ii) When it is not recognised.

(Agra, B. Com., 1953)

Note—In this question 1952 has been treated as 1960 for the sake of solution.

Solution No. 11—

When he is a Member of Recognised P. F.

		Rs.
Salary	3,600	
Annual accretion :		Nil
House allowance (Assumed unfurnished not exceeding 10% of salary)	360	
Total Income	Rs 3,960	
Exempted Income	Rs.	
Employee's P. F.	225	
Insurance Premium	450	
	Rs 675	

When he is Member of Unrecognised Provident Fund

		Rs.
Salary	3,600	
House Allowance	360	
Total Income	Rs. 3,960	
Exempted Income		
Insurance Premium	Rs 450	

12. The following are the particulars of the income of P. K. Datta a Govt. servant for the year ended 31st March, 1953—

(a) Salary at Rs. 750 p.m. and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs. 1,800 the actual amount spent by him on travelling being Rs 1,500.

(b) He contributed one anna per rupee for his Provident Fund to which the Govt. contributed an equal amount. The interest on his Provident Fund amounted to Rs. 250.

(c) He owns two bungalows, one of which is let at Rs 120 per month and the other is occupied by him for his residence, the annual value of the same being Rs 960. He has paid Rs. 200 as ground rent and Insurance charges in respect of the first bungalow and Rs. 150 in respect of the second. The Municipal Taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted to Rs. 150 and Rs. 160 respectively and he spent Rs 300 on white washing and petty repairs in respect of both the bungalows.

(d) He received during the year Rs. 250 as Tax Free interest on Government securities and Rs. 300 as dividend from a company. He has insured his life and pays an annual premium of Rs 1,250 on his policies. Ascertain his total income, taxable income and exempted income

(Agra, B. Com., 1952)

Note—In this question, 1953 is treated as 1960 for the sake of solution and it has been assumed that both the bungalows were constructed after 1 April, 1950.

Solution No 12—

Statement of total income of Mr. P K. Dutta.			Rs.
Salary			9,000
Interest on securities			250
Income from property .—			
		Rs	
Rental value of bungalow let		1,440	
Less $\frac{1}{2}$ of local taxes		<u>75</u>	
Annual Value		1,365	
Less .	Rs		
$\frac{1}{2}$ for repairs	227.50		
Ground Rent	<u>200</u>	427 50	937 50
Value of the residential house		960	
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance		<u>480</u>	
Annual Value of residential house		480	
	Rs		
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	80		
Less ground rent	<u>150</u>	<u>230</u>	
Income from residential Bungalow			250
Income from other sources .			
Excess of Travelling Allowance			300 ✓
Dividend (300×10)			
			<u>428.57</u> ✓
Total Income			Rs <u>11,166 07</u>
Exempted Income .		Rs.	
Employees P. F.		562 50	
Insurance Premium		1,250 ✓	
Int. on Tax Free Govt. Security		<u>250</u> ✓	
	Rs	<u>2,062 50</u>	

Note—(1) Whatever may be the amount of repairs only $\frac{1}{2}$ of annual value is allowed as repairs

(2) It is assumed that annual value given in the question is such from which statutory allowance was not deducted
Half of M. tax has not been deducted because annual value of residential house is given Had it been municipal valuation, half of M. tax would have been deducted.

13. The following are the particulars of the income of a University professor

- (a) Salary Rs 1 200 p m. from which 8 P C. is deducted for P F to which the university contributes 12 P C
- (b) Proctorship allowance Rs 1,200 per annum
- (c) Rent free Bungalow of which the annual letting value is Rs. 720
- (d) 5% dividend on 50 shares of Rs. 100 each in a limited company
- (e) 3% tax free interest on Govt. loan of Rs 5,000
- (f) Income from property let Rs. 1,200
- (g) Interest on Postal Savings Bank Deposit Rs. 120
- (h) Profit on sale of property Rs. 1 00 000

During the year he paid Rs 900 as Life Insurance Premium on his own policy.

Find out his total income, taxable income and exempted income for the year 1953 54 (Agra, B Com., 1951)

Note—In the question 1953 54 has been treated as 1960–61 for the sake of solution.

Solution No. 13

Statement of Total Income of the University Professor

	Rs.	Rs.
Salary	14,400	
Proctorship Allowance	1,200	
House Allowance	<u>720</u>	16 320
Interest on Securities		
3% tax free Govt. loan		150
Income from property	1,200	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	<u>200</u>	
Taxable income from property		1,000

Income from other sources	
5% tax free dividend	250
Total taxable income	Rs <u>17,720</u>
Taxable Income for capital gains tax	Rs. <u>1,00,000</u>
Exempted Income	Rs
Employee's P F	1,152
Tax free Gov't Securities	150
Insurance Premium	<u>900</u>
	Rs <u>2,202</u>

Note— In case of rent free bungalow as actual value given is less than 10% of the salary actual will be taken into consideration

14 Shri Radhey Lal, the proprietor of a flour mill has prepared the following P. & L Account for the year ending 31st March 1953 You are required to compute his total taxable income from business Also give reasons why you treat some of the expenses as inadmissible

To Trade Expenses	Rs 450	By Gross Profit	Rs 22,400
„ Establishment charges	2,200	„ Profit on Sale of	
„ Rent, rates & taxes	1,400	Investments	2,600
„ Household exps	1,850		
„ Discounts & Allowances	200		
„ Income tax	700		
„ Advertisement	450		
„ Postage & Telegrams	100		
„ Gifts and presents	125		
„ Fire Insurance			
premium	250		
„ Charities	375		
„ Donations	400		
„ Repairs & renewals	250		
„ Loss on sale of			
motor-car	1,400		
„ Life Insurance			
premium	850		
„ Reserve for bad debts	600		
„ Interest on capital	150		
„ Salaries	250		
„ Net profit transferred			
to capital account	<u>13,000</u>		
	Rs <u>25,000</u>		
		Rs <u>25,000</u>	

Note—1953 in this question has been treated as 1960 for the sake of solution.

Solution No 14—

	Rs.
Profit as disclosed by P & L account	13 000
Add Inadmissible Exps	Rs.
Household expenses	1,850
Income-tax	700
Gifts and presents	125
Charities	375
Donations	400
Loss on sale of Motor-car	1,400
Life Insurance Premium	850
Reserve for Bad Debts	600
Interest on capital	<u>150</u>
	6 450
	<u>19,450</u>
Less	
Profit on sale of Investment	<u>2 600</u>
Total Taxable Income from business	Rs <u>16 850</u>

Note—Consult the chapter of Income from Business, Profession and Vocation for finding out reasons of treating the above mentioned expenses as inadmissible

15 Shri Lajpat Rai owns several properties, the annual letting value of which amounts to Rs 25 000, including Rs 7,000 for a bungalow where he resides. He claims the following expenses in addition to the Statutory allowance for repairs viz Rs. 100 insurance premium, Rs. 700 for interest on mortgage, Rs 500 for vacancy allowance, Rs 25 for ground rent, Rs 10 for land revenue and Rs 1 200 for rent collection charges.

Ascertain his taxable income from property.

(Agra B Com, 1950, Raj, B Com., 1956)

Solution No. 15—

	Rs.
Annual Rental Value (Rs 25 000—7,000)	18,000
Less	Rs.
$\frac{1}{2}$ Repairs	3 000
Premium ($100 \times \frac{1^6}{25}$)	72
Interest on Mortgage ($700 \times \frac{1^6}{25}$)	504
Vacancy Allowance	500
Ground rent ($25 \times \frac{1^6}{25}$)	18

Land revenue ($10 \times \frac{18}{20}$)	7	
Collection charge (limited to 6%)	<u>1,080</u>	<u>5,181</u>
		12,819
Annual value of residential house restricted to $\frac{1}{10}$ of total income	Rs. 1,372'9	
Less	Rs	
Repairs $\frac{1}{2}$	228'8	
Premium	28	
Interest on mortgage	196	
Ground rent	7	
Land revenue	<u>3</u>	<u>462'8</u>
Total Taxable Income		Rs. <u>910'1</u> <u>13,729 1</u>

16. The following is the Manufacturing and P. & L. A/c. of Sugar Co., for the year ending 31st March, 1953.

	Rs.		Rs.
To opening stock	1,82,000	By Sales	24,51,500
„ Cost of cane crushed	12,57,700	„ Misc.	
„ Manufacturing exps.	7,98,500	receipts	6,700
„ Repairs and renewals	40,700	„ Closing	
„ Establishment charges	41,600	Stock	3,66,000
„ Misc. Exps.	17,800		
„ Commission of Sales etc.	63,800		
„ Directors fees	1,600		
„ Auditors fees	2,000		
„ Managing Agent's Allowance and commission	78,600		
„ Depreciation written off	1,30,700		
„ Balance being Profit c/d	<u>2,09,200</u>		
	<u>28,24,200</u>		<u>28,24,200</u>
To Reserve Fund	25,000	By Profit	
„ Reserve for Income-tax	90,000	b/d.	2,09,200
Balance carried to Balance Sheet	<u>94,200</u>		
	Rs. <u>2,09,200</u>		Rs. <u>2,09,200</u>

Prepare the Company's assessment for the year 1953-54 after taking the following information into consideration:—

(a) Cane crushed includes Rs. 1,54,000, the cost of cane
मांकविंसा (१७)

grown on companies own farms the average market price of the same being Rs 1 96 000

(b) Manufacturing Expenses include —

- 1 Rs 4 26 000 for excise duty
- 2 Rs 78 000 spent on Scientific Research as follows
Rs. 67 000 on Capital Expenditure on the fitting of a new Research Laboratory and Rs 11 000 for current expenditure

(c) Establishment Charges include Rs 3 200 for contribution towards Employees Provident Fund which is unrecognised

(d) Misc Exps include Rs 5,000 for donation to local educational institutions and Rs 2 000 for donations to a public hospital where the companies employees are treated free.

(e) Sugar worth Rs 1 000 was distributed free which is included in Misc. Exps

(f) Rs 15 000 cost of additions to factory building has been charged to repairs and renewal.

(g) Amount of Depreciation admissible according to rules work out at Rs. 95 200

(Agra B Com 1949)

Note—In this question 31st March 1953 is treated as 31st March 1960 and 19 3 54 is treated as 1960 61 for the sake of solution

Solution No 16—

	Rs.
Profit as disclosed by P & L A/c	2 09 200
Add Inadmissible Exps	Rs
Contribution to unrecognised P F	3,200
Excess Depreciation	37,500
Capital Expenditure on Research Laboratory (1/5)	53 600
Donations to local institution	5 000
Sugar given in charity	1 000
Cost of Addition to factory building	<u>15 000</u>
	<u>1 10,300</u>
	Rs. 3 19 500
Less —	
Agricultural income (1 96 000—1 57 000)	<u>47 000</u>
Total Income	<u>2 77,500</u>

17. State whether any tax is payable on the following incomes by an assessee who is an ordinary resident. Give reasons for your answer in each case —

- (a) Rs. 6 500 income from investments in a foreign country of which Rs 4,800 has been remitted
 (b) Rs 3 200 net income from house property which is mortgaged against a loan of Rs 25 000 carrying interest 6% per annum
 (c) Rs 7,200 income from speculation in Bullion
 (d) Rs 4,500 income from black marketing in sugar.
 (Agra, B Com, 1949, Raj, B Com., 1951)

Solution No. 17—

(a) Whole income of Rs 6 500 from investments in a foreign country will be included in total income for taxation because statutory exemption of Rs 4,500 on unremitted foreign income has now been stopped

(b) Income from House Property		Rs. 3,200
	Rs	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	533 33	
Interest on mortgage (25,000 @ 6%)	1 500	
Taxable Income	Rs	2 033*33 <u>1 166*67</u>

(c) If the assessee is usually doing speculation, this income of Rs. 7 200 from speculation on bullion will be taxable.

(d) He will have to pay tax on Rs 4,500 income from black-marketing of sugar because income tax is charged on all legally and illegally earned incomes

18 Mr. Hari Har Nath is an employee in the Capital Stores Ltd., New Delhi. The following are the particulars about his income for the year ending 31st March 1948 —

(a) Salary Rs 480 p. m. He contributes 6 $\frac{1}{2}$ % of his salary towards a recognised P F, his employer contributing an equal amount. On the occasion of independence day celebration, he received two months salary as bonus Rs 375 was credited to his provident fund account during the year in respect of interest on accumulated balance.

(b) He owns a house at Agra which is let at Rs. 60 a month. At the same rent he hired a house for his residence in New Delhi.

(c) He received Rs. 385 as dividend on his investment in the ordinary shares of the Indian Iron & Steel Company Ltd

(d) He received Rs. 4,000 from the Post Office in respect of cash certificates which he purchased 5 years ago at the rate of Rs 88/2/-.

(e) He paid Rs. 370 as premium on his life insurance policy.

You are required to find out his total income, taxable income and exempted income. (Agra, B. Com., 1949)

Note—In this question 31st March, 1948 is treated as 31st March, 1960 for the sake of solution.

Solution No. 18—

		Rs.
Salary		5,760
Bonus		960
Annual accretion		<u>Nil</u>
	Rs.	<u>6,720</u>
Income from Property	720	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	<u>120</u>	600
Income from other sources :		
Dividend $\left(\frac{385 \times 10}{7}\right)$		550
Total Income		<u>Rs. 7 870</u>
Exempted Income	Rs.	
P. F.	360	
Insurance Premium	<u>370</u>	
	<u>730</u>	

19. Raja Ram and Din Dayal are partners in an unregistered firm sharing P. & L. in the proportion of $\frac{2}{3}$ and $\frac{1}{3}$ respectively. Their P. & L. A/c. for the year ending 31st March, 1960 was as follows :—

	Rs.		Rs.
To Sundry Exps.	22,800	By Profit on Sale of goods	55,600
„ Charity	570	„ Commission Recd.	620
„ Reserve for Bad Debts	1,480		
„ Legal charges	860		
„ Interest on Capital :			
Raja Ram 1,280			
Din Dayal 760	2,040		
„ Profits :			
Raja Ram 18,980			
Din Dayal 9,490	28,470		
	<u>Rs. 56,220</u>		<u>Rs. 56 220</u>

The item of Sundry expenses includes salary of Raja Ram Rs. 1,800 and that of Din Dayal Rs. 1,200. It also includes Rs. 1,500 in respect of the rent of residential house of the two partners. The house is shared by the two partners half and half according to terms of agreement. Legal charges are incurred in recovering the amount due from a customer. Depreciation on Plant and Machinery which is calculated at Rs. 3,340 and accrued interest on loan which amounts to Rs. 1,060 have not been provided for in the P. & L. A/c. above :

The other taxable incomes of the partners are as follows :—

	Raja Ram	Din Dayal
	Rs	Rs.
Interest on securities	400	2,100
Income from property	600	—
Interest on Post Office Saving Bank account	27	—
	<u>1,027</u>	<u>2,100</u>

You are required to calculate the taxable income of the firm and to prepare the assessment of Raja Ram and Din Dayal. The amount of tax payable by the partners need not be calculated.

Solution No. 19—

Profit as per P. & L account		Rs. 28,470
Add Inadmissible exps. :	Rs.	
Salary of Raja Ram	1,800	
Salary of Din Dayal	1,200	
Rent of residential house	1,500	
Charity	570	
Reserve for Bad Debt	1,480	
Int. on capitals	2,040	
	Rs. <u>8,590</u>	<u>8,590</u>
		37,060
Less :—		
Depreciation	3,340	
Interest on Loan	1,060	
	<u>4,400</u>	<u>4,400</u>
Taxable Income of Firm		Rs. 32,660
Less :		
Interest, Salaries and Rent of the Partners (2,040+3,000+1,500)		<u>=6,540</u>
Balance divisible to Partners		Rs. <u>26,120</u>

	Raja Ram	Din Dayal
Interest on Capital	Rs 1 280	Rs 760
Salaries	1 800	1 200
Rent allowance	750	750
Profit (26 120)	17 413	8 707
	<u>21 243</u>	<u>11 417</u>

Taxable Income of Raja Ram

		Rs
Interest from securities (gross) $\left(\frac{400 \times 10}{7}\right)$		571 4
Income from Business		21 243
Income from property	Rs 600	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	100	500
Total		Rs <u>22 314 3</u>

Taxable Income of Din Dayal

Interest from securities $\left(\frac{2 100 \times 10}{7}\right)$		3 000
Income from Business		11 417
		Rs <u>14 417</u>

20 The following are particulars about the income of Mr X of Allahabad University —

(a) He was employed at the starting salary in the grade of Rs 500 30 800 plus D A at 10% of the salary

(b) He is member of statutory P F and contributes 8% of the salary towards his P F while the University contributes 12%

(c) As a Proctor of the University he received —

(i) An allowance of Rs 100 p m

(ii) House allowance Rs 540

(iii) An orderly who was paid Rs 35 p m by the University

(iv) A motor car allowance of Rs 45 per month

(d) His income from examinership amounted to Rs 1 150 and from royalty to Rs 750

(e) He holds 50 shares of Rs 100 each in the Upper India Trading Company Ltd on which he received a dividend of 12% less tax

(f) He received a prize of Rs 350 in a commonsense cross word competition

He paid Rs 1 520 as premium on his life insurance policy
 You are required to prepare his assessment for the year 1947 48
 Actual amount of tax payable by him need not be calculated
 (Agra B Com 1948)

Note—In this question 1947 48 has been treated as 1960 61 for the sake of solution

Solution No 20—

Total Income of Mr X

	Rs	Rs
Salary	6 000	
Dearness Allowance	600	
Doctor's Allowance	1 200	
House Allowance	540	
Motor car Allowance	<u>540</u>	
Total Salary		8 880
Examinership	1 150	
Royalty	750	
Dividend	<u>600</u>	
Total Income		Rs <u>2 500</u>
Total Income		Rs <u>11 380</u>
Exempted Income	Rs	
Provident Fund (employee)	480	
Insurance Premium	<u>1 520</u>	
	Rs <u>2 000</u>	

Note—Prize of Rs 350 in a common-sense crossword competition has not been taken into consideration because it is casual income and the salary of orderly Rs 35 is also excluded because it is necessary expenditure

21 The following are the investments of the Upper India Trading Company You are required to calculate their income from securities

Investment on 1st April 1946

- (a) Rs 60 000 4% U P Govt loan
- (b) Rs 30 000 5% Calcutta Improvement Trust Debentures
- (c) Rs 15 000 6% Preference Shares of a Cotton Mills Co
- (d) Rs 20 000 5% Free of Tax Govt loan
- (e) Rs 40 000 6% Debentures of the Imperial Trading Company

On 1st September 1946 the company sold the above Rs. 40 000 6% Debentures of the Imperial Trading Company Cum-

Int and purchased Rs 70 000 6½% Debentures Cum Int of the Eastern Bengal Jute Co Ltd The additional sum of Rs 30 000 needed for the purpose was borrowed from the bank at 7½% interest The Banker of the company charged commiss on selling and buying of the investments at the rate of one anna per cent and on the collection of interest and dividend @ of 1/4 per cent calculated on the gross amount Interest or dividend on Investment is payable half yearly on 1st July and 1st January each year (Agra B Com 1947)

Note—In this question 1946 is treated as 1959 for the sake of solution

Solution No 21—

	Rs-
Rs 60 000 4% U P Govt loan	2 400
Rs 30 000 5% Calcutta Improvement Trust Debentures	1,500
Rs 20 000 5% Free of tax Govt loan	1 000
Rs 40 000 6% Debentures of the Imperial Trading Co (half year)	1 200
Rs 70 000 6½% Debentures of the Eastern Bengal Jute Co (half year)	<u>2 275</u>
	Rs 8 375
Less	Rs
Interest on loan (on Rs 30 000) @7½% for 7 month	1 312 50
Bank Commission	<u>20 94</u>
Income from Securities	Rs <u>7 041 56</u>

Note—(1) 15 000 6% shares of a Cotton Mill Co have not been taken into consideration Dividend on these shares will go under the heading of Income from other sources

(2) Commission paid to Bank on selling and buying of investments @ of one anna per cent will not be taken into consideration as it is not the amount of collection charges and only collection charges are allowed as deduction

(3) Bank Commission of Rs 20 94 has been calculated on Rs 8 375 @ 1/4 per cent

22 From the following Profit and Loss Account of a Merchant for the year ended 31st March 1946 Find his taxable income from business

	Rs.		Rs.
To Office Salaries	7,220	By Gross Profit	27,635
„ General Expenses	2,640	„ Interest on Govt. Securities	1,460
„ Interest on Bank loan 480		„ Discount	365
on capital <u>1,580</u>	2,060	„ Bad debt Recovered	640
„ Fire Insurance charges	775	„ Profit on sale of Investment	750
„ Reserve for Bad debt	835	„ Sundry Receipts	350
„ Audit Fee	400		
„ Income tax	1,760		
„ Charity	485		
„ Law charges	370		
„ Compensation to retrenched employees	1,500		
„ Rent	1,155		
„ Net Profit	12,000		
	Rs. <u>31,200</u>		Rs. <u>31,200</u>

In computing the income following facts should be taken into consideration

- In the item of rent, Rs 600 is included in respect of the rent of office building which belongs to the proprietor himself
- In the amount of salaries Rs. 320 is included in respect of employer's contribution to P. F. which is recognised.
- General expenses include Rs 350 in respect of cost of new furniture purchased during the year.
- Amount of depreciation allowance according to rules, on assets used for business purpose is worked out at Rs 1,475

Note—In this question 31st March 1946 is treated as 31st March 1960 for the sake of solution.

Solution No. 22—

Profit as disclosed by Profit and Loss A/c		Rs.	12,000
Add Inadmissible Expenses	Rs.		
Interest on capital	1,580		
Reserve for Bad debt	835		
Income tax	1,760		
Charity	485		
Rent of Office Building which belongs to the proprietor	600		
Cost of Furniture	<u>350</u>		
			<u>5,610</u>
			17,610

Less	Rs	
Interest on securities	1 460	
Profit on sale of Investment	750	
Depreciation	<u>1 475</u>	<u>3 685</u>
Taxable Income from business		Rs <u>13 925</u>

23 Following are the particulars about the income of Mr D D Pandey, a Govt servant

(a) His salary was Rs 750 per month and his T A bills for the whole year amounted to Rs 1 660 The actual expenditure incurred by him on travelling being Rs 1 140

(b) He contributed one anna in a rupee to a Govt Provident Fund His employer contributing an equal amount. Interest on his P F account balance for the year amounted to Rs 1 580

(c) He owns two bungalows in the civil lines, one of these is let at Rs 125 p m and the other the monthly rental value of which is Rs 150 is occupied by him for his own residence He pays Rs 150 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 210 per year in respect of the second one

(d) His investments during the year were as follows —

(i) Rs 5 000 in 5% Free of tax Govt Securities

(ii) Rs 8 000 in 6% Preference shares of a Sugar Mill

(e) He is insured and pays an annual premium of Rs 1 250

You are required to find out his total income and his exempted income

(Agra, B Com 1947)

Solution No 23—

Salary	Rs	9 000
Interest from Securities		
5% Free of tax Govt Securities		250
Income from property	Rs	
Annual value of the bungalow (rented)	<u>1 500</u>	
Rental value of residential House	1 800	
Less $\frac{1}{2}$ Statutory allowance	<u>900</u>	
Annual value of residential bungalow	<u>900</u>	
Annual value of both bungalows		
(1 500 + 900)	2,400	
Less	Rs	
$\frac{1}{2}$ for repairs	400	

Ground rent and Insurance charges (150+210)	360	760	
Income from property			1 640
Income from other sources			
Dividend		480	
Travelling allowance (Excess)		520	1 000
Total Income			<u>Rs 11 890</u>
Exempted income		Rs	
P F contribution		562 50	
Insurance Premium		1 250	
Interest on tax Free Govt Securities		250	
		<u>Rs 2 062 50</u>	

24 X is employed as a professor in a college on Rs 800 p m He contributes $5\frac{1}{2}\%$ of his salary to a recognised Provident Fund the college also contributing the same amount to his P F account The interest on his P F account for the year amounted to Rs 672

He also owns house one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his residence and the other (municipal valuation Rs 1 000) let at Rs 100 per month His expenses in respect of property were —

	Rs.
(a) Interest on Mortgage of house	1,200
(b) Land Revenue for both the houses	40
(c) Premium for fire Insurance	120
(d) Interest on loan taken to repair his residential house	105

The house which is let remained vacant for two months during the year He paid Rs 800 as premium on his life policies Ascertain his total income and exempted income

(Agra B Com 1946 Raj B Com 1951)

Solution No 24—

Salary		Rs
Annual accretion		9,600
		Nil
Annual value of the rented house	Rs 1 200	
Rental value of residential house on the basis of house let $\left(\frac{1 200}{1 000} \times 800\right)$	900	

Le s $\frac{1}{2}$ statutory allowance		<u>480</u>	
Annual Value of residential house	Rs	<u>480</u>	
Total annual value of both the houses (Rs 1,200 + 480)		1 680	
Less	Rs		
$\frac{1}{2}$ for repairs	250	/	
Int on Mortgage of house	1 200		
Land revenue	40	/	
Premium for Fire Ins	120	/	
Int on loan taken for repairs	105	/	
Vacancy allowance	200	/	
		<u>1 945</u>	
		-265	
Total Income			Rs <u>9 335</u>
Exempted Income	Rs		
P F by employee	528		
Insurance Premium	850	/	
		<u>1 378</u>	

25 A and B are partners in a Registered Firm sharing profits and losses equally and following is their profit and loss account —

Salaries	Rs 10 750	Gross Profit	Rs 51 040
Rates Taxes and Insurance	1 260	Interest on Tax Free Govt Security	900
Travelling Exp	654	Profit on sale of Investment	1 200
Interest on Bank Loan	1 650		
Legal charges	403		
Discounts	897		
Carriage	601		
General Expenses	2 050		
Marketing	2 300		
Depreciation on Motor car	500		
Interest on Capital			
A	1 700		
B	<u>1 550</u>		
	3 250		
Reserve for Bad debt	1 000		
Net Profit	<u>27 875</u>		
	Rs <u>53 140</u>		Rs <u>53 140</u>

After considering the following matters compute the taxable profit of the firm

- (a) Salaries include a partnership salary of Rs 200 p. m. to B.
- (b) the legal charges consist of Rs. 300 for alternation of the Partnership agreement and the balance for Debt collection.
- (c) the general expenses include Rs. 210 for additional filing cabinet and Rs 360 for a new typewriter and Rs. 30 donated to a war fund.
- (d) The car was used for domestic purpose.

Solution No 25—

	Rs.
Profit as disclosed by P. & L. A/c	27,825
Add Inadmissible Expenses :	Rs
Interest on Capital	3,250
Reserve for bad debt	1,000
Partners Salary	2,400
Capital Expenditure (Rs. 210+ Rs 360)	570
Donation to war fund	30
Depreciation on motor car	500
Legal charges	300
	8,050
	35,875
Less	
Interest on Tax Free Govt Securities	900
Profit on Sale of Investment	1,200
Taxable Profit of the firm	Rs. 33,775

26 A is a manager of a firm drawing a salary of Rs. 600 and a house rent allowance of Rs 50 per month. He contributed Rs. 700 to a recognised Provident Fund. The employer contributed the same amount. The interest on his P F account for the year was Rs 915. He received his two months salary as bonus during the year. His other income consisted of (a) Rs. 900 as a share of profit from an unregistered firm which has been taxed, (b) Rs. 1,275 from property, (c) Rs. 500 interest from Tax Free Govt securities, (d) Rs 810 received as dividends. The premium paid on his life Insurance Policy was Rs 600 and that on his wife's Insurance Policy was Rs. 265. Find out his total income for the year ending 31st March 1945.

(Raj., B. Com, 1956)

Note—In this question 31st March, 1945 has been treated as 31st March, 1960 for the sake of solution.

Solution No. 28—

Interest from securities—		Rs
3% War Bond (Free of tax)		600
Income from unregistered firm		750
<i>Income from other sources</i>	Rs.	
Dividends	750	
Dividend less tax	<u>500</u>	
Total Income		Rs. <u>1,250</u>
Exempted Income	Rs.	
Interest on 3% War Bonds		
(Free of tax)	600	
Insurance Premium ($\frac{1}{4}$ of total income)	<u>650</u>	
	<u>1,250</u>	

Note—As the income from unregistered firm is untaxed, it would be taxed here

29 A doctor's income consists of Rs. 5,400 from profession, 5% interest on Rs 10,000 tax free Govt. Securities and Rs 100 as director's fees. He owns a Bungalow which he uses for his residence. The municipal valuation of this is Rs 1,000 and Rs 150 is of fire insurance premium and Rs. 50 is ground rent. The Bungalow is mortgaged and the interest amounts to Rs 800. He paid Rs. 1,200 life insurance premium on his own life. Ascertain his taxable income for the year 1957-58.

(Agra, B. Com., 1944)

Note—In this question 1957-58 has been treated as 1900-61 for the sake of solution.

Solution No. 29.

Interest from tax free Govt securities		Rs.
		500
Income from Property —		Rs
Municipal Valuation of the Bungalow is	1,000	
Less $\frac{1}{2}$ Statutory Allowance	<u>500</u>	
Annual Value	500	
Less .	Rs.	
$\frac{1}{2}$ for repairs	83 33	
Fire insurance Premium	150	
Ground rent	50	
Int. on mortgage	<u>800</u>	
	<u>1,083 33</u>	Rs. —583.33

		Rs
Income from Profession		5 400
Director s fees		100
Total Income		Rs <u>5 416 67</u>
Exempted Income	Rs	
Int on tax free Govt securities	500	
Insurance Premium	1 200	
	Rs <u>1 700</u>	

30 Given below s the Profit and Loss A/c of the Bhatia Cotton Mills Co for the year ended 31st Dec 1941

	Rs		Rs
Stock 1st Jan 1941	17 82 105	Sales	61 90 327
Cotton consumed	25 83 685	Rent of Staff Quarters	25 36 ²
Manufacturing Exp	9 45 395	Stock 31 Dec 1941	13 59 480
Wages and salaries	8 65 972		/
Marketing	61 215		
Insurance	27 156		
Establishment	2 79 76 ²		
Welfare Expenses	17 825		
Balance c/d	10 12 054		
	Rs <u>75 75 169</u>	Balance b/d	Rs <u>10 12 054</u>
Directors Fee	2 500	Transfer Fees	1 500
Auditor Fee	2 500		
Law charges	3 250		
Interest	1 05 250		
Repairs to Building and Machinery	14 640		
General Charges	25 875		
Managing agents	60 420		
Contribution to war Fund	10 000		
Contribution to staff P F	20 000		
Debenture Sinking Fund	25 000		
General reserve	1 00 000		
Taxation reserve	3 00 000		
Balance	3 44 110		
	Rs <u>10 13 554</u>		Rs <u>10 13 554</u>

You are required to compute the company s taxable income from business and also its total income for the year 1941 after taking into account the following informations —

- (a) Welfare expenses include Rs 825 the cost of pukka well built for the use of the Co s workmen.

	Rs.
Income from Profession	5,400
Director's fees	100
Total Income	<u>Rs 5,416 67</u>
Exempted Income	Rs.
Int. on tax free Govt securities	500
Insurance Premium	<u>1,200</u>
	Rs <u>1,700</u>

20 Given below is the Profit and Loss A/c. of the Bhatia Cotton Mills Co. for the year ended 31st Dec., 1941.

	Rs		Rs.
Stock 1st Jan. 1941	17 82 105	Sales	61,90,327
Cotton consumed	25 83 685	Rent of Staff Quarters	25,362
Manufacturing Exp.	9,45,395	Stock 31 Dec. 1941	13,59,480
Wages and salaries	8,65 972		/
Marketing	61,215		
Insurance	27 156		
Establishment	2,79,762		
Welfare Expenses	17,825		
Balance c/d	<u>10 12 054</u>		
	Rs. <u>75 75 169</u>	Balance b/d	<u>10,12,054</u>
Directors Fee	2 500	Transfer Fees	1,500
Auditor Fee	2,500		
Law charges	3 250		
Interest	1,05,250		
Repairs to Building and Machinery	14,640		
General Charges	25,875		
Managing agents	60,420		
Contribution to war Fund	10,000		
Contribution to staff P. F.	20,000		
Debenture Sinking Fund	25,000		
General reserve	1,00,000		
Taxation reserve	3 00,000		
Balance	<u>3 44 119</u>		
	Rs <u>10 13 554</u>		Rs <u>10 13 554</u>

You are required to compute the company's taxable income from business and also its total income for the year 1941 after taking into account the following informations —

- (a) Welfare expenses include Rs. 825 the cost of pukka well built for the use of the Co's workmen.

Solution No. 28—

Interest from securities—		Rs
3% War Bond (Free of tax)		600
Income from unregistered firm		750
Income from other sources :	Rs.	
Dividends	750	
Dividend less tax	<u>500</u>	
Total Income		Rs. <u>1,250</u>
Exempted Income :	Rs.	
Interest on 3% War Bonds (Free of tax)	600	
Insurance Premium ($\frac{1}{4}$ of total income)	<u>650</u>	
	<u>1,250</u>	

Note—As the income from unregistered firm is untaxed, it would be taxed here.

29. A doctor's income consists of Rs. 5,400 from profession, 5% interest on Rs. 10,000 tax free Govt. Securities and Rs. 100 as director's fees. He owns a Bungalow which he uses for his residence. The municipal valuation of this is Rs. 1,000 and Rs. 150 is of fire insurance premium and Rs. 50 is ground rent. The Bungalow is mortgaged and the interest amounts to Rs. 800. He paid Rs. 1,200 life insurance premium on his own life. Ascertain his taxable income for the year 1957-58.

(Agra, B. Com, 1944)

Note—In this question 1957-58 has been treated as 1960-61 for the sake of solution.

Solution No. 29.

Interest from tax free Govt. securities		Rs.
		500
Income from Property —	Rs	
Municipal Valuation of the Bungalow is	1,000	
Less $\frac{1}{4}$ Statutory Allowance	<u>500</u>	
Annual Value	500	
Less .	Rs.	
$\frac{1}{4}$ for repairs	83 33	
Fire insurance Premium	150	
Ground rent	50	
Int. on mortgage	<u>800</u>	
	<u>1,083 33</u>	—583.33

Income from Profession		Rs	5 400
Director's fees			100
Total Income		Rs	<u>5 416 67</u>
Exempted Income		Rs	
Int on tax free Govt securities		500	
Insurance Premium		<u>1 200</u>	
		Rs	<u>1 700</u>

30 Given below is the Profit and Loss A/c of the Bhatia Cotton Mills Co for the year ended 31st Dec 1941

	Rs		Rs
Stock 1st Jan 1941	17 82 100	Sales	61 90 327
Cotton consumed	25 83 680	Rent of Staff Quarters	25 367
Manufacturing Exp	9 45 395	Stock 31 Dec 1941	13 59 480
Wages and salaries	8 65 972		
Marketing	61 215		
Insurance	21 156		
Establishment	2 79 762		
Welfare Expenses	17 825		
Balance c/d	<u>10 12 054</u>		
	Rs		Rs
	<u>75 15 169</u>	Balance b/d	<u>10 12 054</u>
Directors Fee	2 500	Transfer Fees	1,500
Auditor Fee	2 500		
Law charges	3 250		
Interest	1 05 250		
Repairs to Building and Machinery	14 640		
General Charges	25 875		
Managing agents	60 420		
Contribution to war Fund	10 000		
Contribution to staff P F	20 000		
Debenture Sinking Fund	25 000		
General reserve	1 00 000		
Taxation reserve	3 00 000		
Balance	<u>3 44 119</u>		
	Rs		Rs
	<u>10 13 554</u>		<u>10 13 554</u>

You are required to compute the company's taxable income from business and also its total income for the year 1941 after taking into account the following information —

- (a) Welfare expenses include Rs 825 the cost of pukka well built for the use of the Co's workmen.

- (b) Insurance Rs. 1,000, Repairs Rs. 3,750 and Municipal Taxes Rs. 2,150 (included in general charges) were in respect of staff quarters.
- (c) Law charges amounting to Rs. 1,500 were incurred in connection with additional land purchased during the year.
- (d) The staff P. F. is a recognised one.
- (e) The amount of depreciation allowable is Rs. 2,64,325.
(Agra, B Com, 1942)

Note—In this question 1941 is treated as 1960 for the sake of solution and it is assumed that staff quarters were constructed after 1st April, 1950.

Solution No. 30—

		Rs.
Profit as per P. & L. Account		3,44,119
Add Inadmissible Expenses -	Rs.	
Contribution to war fund	10,000	
Debenture sinking fund	25 000	
General reserve	1,00,000	
Taxation reserve	3,00 000	
Cost of pukka well	825	
Law charges	1,500	
Expenses for staff quarters	Rs.	
Insurance	1,000	
Repairs	3 750	
Municipal tax	<u>2,150</u>	
	6,900	Rs. 4,44,225
		<u>Rs. 7,88,344</u>
Less :		
Rent of staff quarters	Rs. 25,362	
Depreciation	<u>2 64 325</u>	
Taxable income from business		Rs. <u>2 89,657</u>
		<u>Rs. 4,98 657</u>

Statement of Total Income

		Rs.
Income from business		4,98 657
Income from property	Rs.	
Annual rent	25,362	
Less $\frac{1}{2}$ municipal tax	<u>1,075</u>	
	<u>24,287</u>	

Less	Rs		
$\frac{1}{2}$ Repairs	4 048		
Insurance	<u>1 000</u>	<u>5 048</u>	<u>19 239</u>
Total and taxable income			Rs <u>5 17 896</u>

31 A and B are in partnership under the name of Mr X & Co they share Profit and Loss in the ratio of 2 and 1 respectively and their Profit and Loss Account for the year ending 31st December 1940 is as follows —

	Rs		Rs
Office salaries	75 000	Gross profit	1 64 000
General exp	20 000	Other receipts (Business)	19 000
Bad debts	5 000		
Bad debts reserve	5 000		
Interest on A's loan	6 000		
Partners Salary			
A 6 000			
B 3 000	9 000		
Interest on capital			
A 5 000			
B 10 000	15 000		
Balance			
A 32 000			
B 16 000	<u>48 000</u>		
	Rs 1 83 000		Rs 1 83 000

A's other incomes for the year 1940 consisted of the following —

- (1) A net dividend of Rs 2/8/ per share on 2 000 ordinary shares in a Jute Mill
- (2) Rs 750 as directors fees
- (3) Interest on Rs 30 000 $3\frac{1}{2}\%$ Govt paper
- (4) Rs 300 interest on postal cash certificates

During the year A paid Rs 8 500 as premium on his life policy

Ascertain A's taxable income if the firm is (a) registered (b) unregistered (Agra B Com 1941 adapted)

Note—In this question 1940 is treated as 1959 for the sake of solution

Solution No 31—

Profit as per P & L Account		Rs	48 000
Add inadmissible expenses		Rs	
Bad debt reserve		5 000	

	Rs.	
Interest on A's loan	6,000	
Partners' salary	9,000	Rs.
Interest on capital	<u>15,000</u>	<u>35,000</u>
Taxable income of business		83,000
Less Interest, salary, etc., to partners (6,000+9,000+15,000)		<u>30,000</u>
Balance divisible between partners		Rs. <u>53,000</u>

Particulars of Income	A	B
	Rs	Rs.
Interest on loan	6 000	—
Partners salary	6,000	3,000
Interest on capital	5 000	10,000
Firm's computed share of profit Rs 53,000 (in the ratio of 2 : 1)	35 333	17,667
Rs	<u>52 333</u>	<u>30,667</u>

When the firm is registered—

Statement of A's Total Income

		Rs
Interest from securities		1 050
Income from business		52,333
Income from other sources :	Rs.	
Director's fees	750	
Dividends (Gross)	<u>7,142 86</u>	<u>7,892 86</u>
Total Income		Rs. <u>61 275 86</u>
Exempted Income	Rs.	
Insurance Premium	<u>8 500</u>	
When the firm is unregistered—		Rs.
Total Income of A		<u>61 275 86</u>
Exempted Income :	Rs.	
Insurance Premium	8 500	
Share of unregistered firm	<u>52,333</u>	
	Rs. <u>60,833</u>	

32. The following is the Profit and Loss A/c of the Standard & Co. Ltd. You are required to find out its total income.

Trading & P. & L. Account

	Rs.			Rs.
To Opening Stock	50,000	By Sales		3,00,000
„ Purchases	1,50,000	„ Stock		45,000
„ Direct Charges	5,000			
„ Gross Profit	1,41,000			
	Rs. 3,45,000		Rs.	3,45,000
„ Rent	6,000	„ Gross Profit		1,40,000
„ Salaries	24,000	„ Interest on fixed deposit		9,000
„ Commission	10,000	„ S Receipts		7,000
„ Depreciation	2,000			
„ Contribution to war Fund	15,000			
„ Repairs	1,000			
„ Bad debt	250			
„ Bad debts Reserve	2,500			
„ Income-tax	40,000			
„ Donation to Calcutta Relief Fund	6,000			
„ Net Profit	49,250			
	Rs. 1,56,000		Rs.	1,56,000

Solution No 3:-

Profit as per P. & L A/c		Rs.	
			49,250
Add inadmissible Expenses :-	Rs.		
Contribution to war Fund	15,000		
Bad debts reserve	2,500		
Income-tax	40,000		
Donations to Calcutta Relief Fund	6,000		
			63,500
		Rs.	1,12,750
Less	Rs.		
Interest on fixed deposits	9,000		
Income from business			9,000
		Rs.	1,03,750

Statement of Total Income -

	Rs
Income from business	1,03,750
Income from other sources	
Int. on fixed Deposits	9,000
Total taxable Income	Rs. 1,12,750

Note—Sundry receipts are of business nature, hence treated as business income.

33. Mr. A. N. Vakil, a solicitor has prepared the following Income and Expenditure Account for the year :—

Rs		Rs	
To Office expenses	13,000	By Professional earning	1,25,000
„ Purchase of ornaments for his wife	9,000	„ Profit on sale of property purchased in 1920	20,000
„ Household exps	36,000	„ Ground rent	1,000
„ Wedding exps for his daughter	10,000	„ Fees as director	3,000
„ Charity	5,000	„ Interest from tax free Govt. securities	8,000
„ Life Insurance Premium		„ Gifts on the occasion of daughter's weddings	16,000
His own life	12,000		
Wife's	5,000		
	17,000		
„ School and college fees and other exp of children	4,000		
„ Net loss share bazar Transactions (allowable)	15,000		
„ Balance being excess of income over expenditure	64,000		
	Rs 1,73,000		Rs 1,73,000

He lives in a bungalow which belongs to him. Its net or rebateable value as per Municipal Bill is Rs. 16,000. Expenses on this bungalow were—Ground Rent Rs. 1,000. Fire insurance premium Rs. 200. Prepare his Income tax Liability.

(Patna, B Com, 1948)

Solution No 33—

Income as per Income and Expenditure Account	Rs 64,000
Add Inadmissible expenses,	Rs
Purchase of ornaments for his wife	9,000
Household expenses	36,000
Wedding expenses for his daughter	10,000
Charity	5,000
Life Insurance Premium	17,000
School and College Fees etc	4,000
	<u>81,000</u>
	1,45,000
Less :	Rs
Profit on sale of property	20,000
Ground rent	1,000
Director's Fees	3,000

Interest from Tax Free securities	8,000	
Gifts on the occasion of daughter wedding	<u>16,000</u>	48,000
Income from Profession		Rs. <u>97,000</u>

Statement of Total Income

Interest from tax free securities		8,000
Income from Profession		97,000
Income from other sources	Rs	
Director's Fees	3,000	
Ground rent	<u>1,000</u>	4,000
Income from property (Restricted to $\frac{1}{10}$ total income)		
$[(1,09,000 - 1,200) \times \frac{6}{55}]$	11,760	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	Rs. 1,960	
Ground rent	1,000	
Insurance Premium	<u>200</u>	3,160
Total Income		Rs. <u>1,17,600</u>

Taxable income for capital gains Tax Rs 20,000

Note—It has been assumed that share bazar transaction wherein a loss of 15,000 is given is not on account of speculation but on actual delivery.

34 Mr Z requests you to ascertain his total assessable income and his income from business. His profit and loss account for the year is as follows —

	Rs.		Rs
To Salaries including Z's		By Gross Profits from	
Salary Rs 2,400	8,400	trading	35,000
" Office Expenses	1,500	" Interest from	
" Reserve for doubtful debts	1,200	securities	1,400
" Fire Insurance Premium	300		
" Bad debts	500		
" Rent	3,000		
" Advertising	1,000		
" Income-tax	600		
" Discount	800		
" Loss on sale of furniture	125		
" Interest on Bank over draft	350		
" Interest on Z's capital	450		
" Depreciation (allowable)	400		
" Net Profit transferred to capital A/c.	<u>17,775</u>		
	Rs. 36,400		Rs. 36,400

There is a carried forward business loss of Rs. 1,560 from the last assessment year. (Patna, B. Com., 1948)

Solution No. 34—

	Rs.	
Profit as disclosed by P & L A/c.		17,775
Add inadmissible Expenses :	Rs	
Z's Salary	2,400	
Reserve for doubtful debts	1,200	
Income-tax	600	
Loss on sale of Furniture	125	
Interest on Z's capital	400	
		4,775
		22,550
Less interest from securities		1,400
Income from Business		Rs. 21,150

Statement of Total Income

	Rs	
Interest from securities $\frac{(1,400 \times 10)}{7}$		2,000
	Rs	
Income from business	21,150	
Less business loss carried forward from last year	1,560	
Total Income		Rs. 19,590
		Rs. 21,590

33. From the following particulars find out the taxable income of Mr A.

- (a) Salary Rs. 350 p. m.
- (b) Interest on 4% tax free Victory Bonds on an Investment of Rs. 15,000.
- (c) Rent from house property Rs. 1,800 (Municipal value being Rs 1,500).
- (d) Fees as directors Rs 600.
- (e) Business profit Rs. 1,200.
- (f) Interest on 3% (Free of Tax) Independence Bonds on a investment of Rs. 4,000.
- (g) Insurance Premium paid by A during the year Rs 1 950

(Patna, B. Com., 1950, Supp)

Solution No 35.

	Rs.	
Salary		4,200
Interest from securities on 4% Victory Bonds (Tax-free)	Rs 600	
on 3% Independence Bonds free of tax	120	720

Profit from business		1 200
Income from property	1,800	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	<u>300</u>	1 500
Income from other sources		
Directors fees		<u>600</u>
Total Taxable Income		Rs <u>8 220</u>
Exempted Income —		
Life Insurance Premium	1,900	
Interest on tax free securities	<u>720</u>	
	Rs <u>2 670</u>	

36 From the following informations relating to the previous year find out total income and exempted income of Mr A —

He is the chief accountant of a large mill company drawing a salary of Rs 600 and a house rent allowance Rs. 50 p m During the year he contributes Rs 700 to a recognised P F to which his employers also contribute the same amount. The interest on P F account for the year was Rs 915

On the occasion of company's silver jubilee he was given two months salary as bonus during the year His other taxable income consisted of (a) Rs 900 as share of profits from unregistered firm which has been taxed, (b) Rs 1 275 from property, (c) Rs 500 as interest from tax free Govt securities and (d) Rs 180 received as dividend

The premiums paid on his Life Insurance policy amounted to Rs. 865 (Patna, B Com 1949, Raj B Com, 1956)

Solution No 36—

	Rs	
Salary	7 200	
House rent	600	Rs
Bonus	<u>1 200</u>	9,000
Interest from tax free Govt Securities		500
Income from property	1 275	
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	<u>212 50</u>	1 062 50
Income from an unregistered firm		900
Dividend $\left(\frac{180 \times 10}{7}\right)$		255 56
Total Income		Rs. <u>11 718 06</u>

Exempted income

Provident fund contribution	Rs
by employee only	700
Life Insurance premium	865
Income from unregistered firm	900
Interest from Govt tax free securities	500
	<u>Rs 2 965</u>

37 A Co started business on 1st Jan 1950 with new machinery costing Rs. 3 50 000. It closes its accounts on 31st December. On 1st January 1953 a fire broke out in the factory and the machinery was destroyed. As the company had insured the machinery, it received compensation of Rs. 1 50 000. Work out the profit or loss to be assessed or allowed in the 1954-55 assessment year, the rate of depreciation being 10%.

(Patna M. Com., 1956)

Solution No 37 —

Tax year		Rs
1951-52	Cost of Machinery	3 50 000
	Initial Depreciation	Rs
	@ 20 p. c	70 000
	Less Normal Depreciation	
	@ 10 p. c	35 000
	" Additional Depreciation	
	(same as normal)	35 000
		<u>70 000</u>
1952-53	Written Down Value	2 80,000
	" Normal Depreciation	
	@ 10 p. c	28,000
	" Additional Depreciation	
		<u>28 000</u>
		<u>55 000</u>
1953-54	Written Down Value	2 24,000
	" Normal Depreciation	22,400
	" Further Depreciation	<u>22 400</u>
		<u>44 800</u>
1954-55	Written Down Value	1,79,200
	Less Initial Depreciation	70 000
	W D. V	Rs <u>1,09 200</u>
	Insurance Money Recd is	1 50 000
Less	Written Down Value	<u>1,09 200</u>
	Profit taxable	Rs <u>40 800</u>

38 An assessee established a new industry on 1st Jan, 1951 for which he purchased new machinery for Rs 50 000 and new furniture for Rs 10 000. He also purchased secondhand machinery for Rs 20 000 on 1st April 1951. His accounting year ends on 31st Dec each year. Find out the allowable depreciation for the assessment year 1952-53 and the written down value of machinery and furniture for the assessment year 1953-54 taking the rate of normal depreciation at 10% on machinery and 6% on furniture (Agra B Com, 1951)

Solution No. 3.—

Calculation of Depreciation
for the Assessment Year 1952-53

	New machinery Rs-	Second hand machinery Rs	Furni- ture Rs
Cost 1-1 1951	<u>50 000</u>	<u>20 000</u>	<u>10 000</u>
Initial Depreciation @ 20% on new machinery	10,000		
Normal Depreciation @ 10% on machinery	5 000		
@ 10% on second machi- nery for 9 months		1 500	
@ 6% on furniture			600
Additional Dep Equal to normal on new machinery	5 000		
	<u>20 000</u>	<u>1 500</u>	<u>600</u>
W D V for 1953-54	<u>40 000</u>	<u>18 500</u>	<u>9 400</u>
Total Depreciation Allowable for the assessment year 1952-53		Rs (20,000+1 500+600) Rs 22 100	

39 The incomes of an individual (a resident and ordinary resident) for the year ending 31st March 1954 are as follows —

- (a) Business Profits (after setting off Rs. 5,000 donations paid to a University and Rs 2 000 life insurance premium) Rs 31 000
- (b) Interest on tax free Govt securities Rs 8 000
- (c) Dividend from a limited Co which has paid tax on its entire income Rs 3 000

Find out his total assessable income (Agra, B Com, 1956)

Note—In this question 31st March, 1954 has been treated as 31st March 1960 for the sake of solution.

Solution No. 39—

Int. on tax free Govt. Securities		Rs.	8,000
Business Profits		Rs.	
Add :		31,000	
Donations	Rs.		
Life Insurance Premium	5,000		
	<u>2,000</u>	<u>7,000</u>	
Business Income			38,000
Dividend $\left(\frac{3,000 \times 10}{7}\right)$			4,285 71
Total assessable income		Rs.	<u>50 285 71</u>

40 The following are the particulars of income of a Government servant for the year ended 31st March, 1958.—

- (a) Salary at Rs 900 p m. His travelling allowance bills for the year amounted to Rs. 2,005. the actual expenditure on travelling being Rs 1,730
- (b) He contributed to his provident fund at 8% of his salary and the Government contributed an equal amount The interest on his provident fund amounted to Rs. 350 for the year.
- (c) He owns two houses, one of which is let out at Rs. 150 p m and the other, whose annual value is Rs. 1,200, is occupied by him for his own residence. He has paid Rs. 300 as ground rent and insurance charges in respect of the first house and Rs. 180 in respect of the second The municipal taxes in respect of the two houses amounted to Rs. 160 and Rs. 175 respectively, and he spent Rs. 600 on whitewashing and other repairs in respect of both the houses
- (d) He received Rs. 350 as interest on tax-free Government securities and Rs. 500 as dividend from a company.
- (e) He pays an annual premium of Rs. 1,800 on his life policies.

Prepare the assessment for 1958-59.

(Allahabad, B. Com., 1959
(See also question No 12)

Note—In this question 1958-59 has been treated as 1960-61 for the sake of solution and it has been assumed that his both the houses were constructed after 1st April 1950

Solution No 40—

	Rs.
Salary	10 800
Interest on tax free Govt securities	350
	Rs
Rental value of the house let	1 800
Less $\frac{1}{2}$ Municipal tax	<u>80</u>
Annual Value	Rs 1 720
Less	Rs
$\frac{1}{2}$ for repairs	286 67
Ground Rent	<u>300</u>
	<u>586 67</u>
Annual value of residential house	1 200*
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	<u>600</u>
	600
Less	
$\frac{1}{6}$ for repairs	100
Ground Rent	<u>180</u>
	<u>280</u>
Income from other Sources	
Dividend $\frac{(500 \times 10)}{7}$	714 29
Excess of travelling allowance	<u>275</u>
Taxable Total Income	Rs 13 592 62
Exempted Income	Rs
Employee's Contribution to P F	864
Insurance Premium	1 800
Interest on Tax free Govt Securities	<u>350</u>
	Rs <u>3 014</u>

* As the annual Value of the residential house is given, $\frac{1}{2}$ of municipal taxes should not be deducted. Had the Municipal Valuation been given $\frac{1}{2}$ of municipal taxes would have been deducted. It is assumed that $\frac{1}{2}$ statutory allowance has not been deducted from the annual value hence it has been deducted here.

41 From the following particulars of income of Shri L. B. Saxena a Govt servant for the year ended 31st March 1957, you are required to ascertain his total income taxable income and exempted income —

- (a) Salary for the year Rs 6 000, Travelling allowance bills for the whole year amounted to Rs 1,500, while the actual expenditure incurred by him on travelling was Rs 1,000 only
- (b) He contributed $6\frac{1}{2}$ percent of his salary to the Govt. Provident Fund (under Act of 1925), the Govt also contributes the same amount
- (c) His income from property is as follows :—
- (i) First house let at Rs. 100 per month, payment for ground rent and insurance charges being Rs 100 and local taxes Rs 266.
- (ii) Second house occupied by him for his own residence gross annual value being Rs. 2 000.
- (d) His income from investment was (i) Tata Debentures interest received Rs. 500, (ii) Dividend gross Rs. 800 from the Modī Soap Company
- (e) He pays Rs 800 as insurance premium on his life while a sum of Rs 200 is paid as insurance premium on the life of his wife. (Allahabad, B Com., 1958)

Note—In this question 31st March 1957 has been treated as 31st March 1960 for the sake of solution and it has been assumed that his houses were constructed after 1st April 1950.

Solution No 41—

	Rs	
Salary		6 000
Interest on Securities		
Interest on Debenture (gross)		714 29*
Income from property	Rs	
Rental value of the house let	1 200	
Less $\frac{1}{2}$ taxes	<u>133</u>	
	Rs	<u>1 067</u>
Less	Rs	
$\frac{1}{2}$ for Repairs	177 83	
Ground Rent and		
Insurance Charges	<u>100</u>	<u>277 83</u>
		789 17
Gross annual value of residential house		
Rs. 2 000 but it is restricted		
to $\frac{1}{10}$ of the total income		
		$\left(8,803.46 \times \frac{6}{55}\right) = \text{Rs. } 960.38$
Less $\frac{1}{2}$ for Repairs	<u>160 06</u>	<u>800 32</u>

Income from other sources .

(i) Dividend	800
(ii) Excess of Travelling Allowance	500
Total Taxable Income	Rs. 9 603 78

Exempted Income	Rs.
Employee's P. F.	375
Insurance Premium	1 000
	Rs 1 375

*Note—This amount is calculated thus . $\frac{500 \times 10}{7}$

42. A and B are partners in a registered firm Their Profit and Loss Account for the year ending 31st March 1956 is as follows —

		Rs.			Rs.
To Salaries	20 000	By Gross Profit	50 000		
To Rent	2 400	By Dividend (gross)	900		
To Advertisement	2 600	By Bad Debts recoveries	1 000		
To Charity	1,000				
To Bad debts Reserve	2,500				
To Income-Tax	5,000				
To Sundry Exps.	6 000				
To Interest on Capital					
	Rs				
A	1,000				
B	<u>1,000</u>	2,000			
To Partner's Commission					
	Rs.				
A'	2,500				
B	<u>2 000</u>	4,500			
To Net Profit		5,900			
	Rs	51 900		Rs	51,900

The item salaries includes Partner's Salaries A Rs 3,000, B Rs 3 000. Furniture purchased for Rs. 2,000 has been debited to 'Sundry Expenses' Find the total incomes of the partners (Aild , B Com , 1957)

Note—In this question 31st March, 1956 has been treated as 31st, March, 1960 for the sake of solution.

Solution No. 42—

Profit as disclosed by P. & L. A/c.		Rs. 5,900
Add :	Rs.	
Charity	1,000	
Bad debts reserve	2,500	
Income-tax	5,000	
Partners Salaries Rs. (3,000+3,000)	6,000	
Furniture purchased	2,000	
Interest on Partners' Capital	2,000	
Partners' Commission	4,500	<u>23,000</u>
		28,900
Less :		
Dividend		<u>900</u>
Firm's income from Business	Rs.	28 000
Add Dividend		<u>900</u>
Total income of the firm		28,900
Less interest, salaries and commission of partners (2,000+6 000+4,500)		<u>12,500</u>
Balance Divisible to Partners		<u>16,400</u>

Distribution of Firm's income among A and B

Particulars	A	B
	Rs.	Rs.
Interest on Capital	1,000	1,000
Salaries	3,000	3,000
Commission	2,500	2,000
Profit	8,200	8,200
Total income of partners	Rs 14,700	14,200

43. Sita Ram has the following incomes for the year ending 31st March, 1954 :

- (a) Salary Rs. 500 per month. He has contributed 6 per cent of his salary to a recognised provident fund, to which an equal amount has been contributed by his employer. The interest at $4\frac{1}{2}$ percent per annum on his provident fund amounts to Rs. 300.
- (b) He owns a house the municipal valuation of which is Rs. 1,800. The house has been let out on a rent of Rs. 175 per month. He has incurred the following expenses in respect of this house: Interest on the

mortgage of the property Rs. 120, Land revenue Rs. 40, premium for fire insurance Rs. 150, municipal taxes Rs. 50. The house remained vacant for two months during the year.

- (c) He has received dividend at 5 percent on 50 shares of rupees 100 each
- (d) 3 percent interest (free of tax) on Govt. securities of Rs. 5,000
- (e) Profit on sale of property Rs. 10,000.
- (f) He is a member of joint Hindu family getting Rs. 2,400 as his share of income.

During the year he paid Rs. 1,000 as premium on his life insurance policy. Prepare his assessment for the year 1954-55.

(Alld., B Com, 1955)

Note—In this question 31st March, 1954 has been treated as 31st March 1960 and 1954-55 as 1960-61 for the sake of solution. It has also been assumed that his house was constructed after 1st April, 1950.

Solution No. 43—

		Rs.
Salary		6,000
Interest on Govt. Securities (free of tax)		150
Income from property	Rs.	
Annual Rental value of the house let	2,100	
Less $\frac{1}{2}$ of M tax	<u>25</u>	
Annual value	Rs. 2,075	
Lss	Rs	
$\frac{1}{2}$ for Repairs	345.83	
Interest on Mortgage	120	
Land Revenue	40	
Fire insurance premium	150	
Vacancy Allowance	<u>345.83</u>	<u>1,001.66</u>
		1,073.34
Income from other sources :		
Dividend		<u>250</u> *
Total Taxable Income		<u>7,473.34</u>
Profit on sale of Property (will be taxed as capital gains)		Rs. <u>10,000</u>
Exempted Income :	Rs.	
Employee's P. F.	360	
Premium	1,000	

Int. on tax free Govt.

securities	150
Rs.	1 510

44 Prepare assessment of Mr. X from the following particulars of his income for the previous year ended 31st March, 1953 -

(a) He is the secretary of a company on a salary of Rs. 750 per month. He contributes at the rate of 5 P. C. to a recognised P. F. to which the employer contributes at the rate of 12 percent. Interest on his Provident Fund balance amounted to Rs 800 during the year.

(b) He owns a house which he lets out at Rs. 12 000 p.a. The admissible deduction for insurance is Rs 200. His collection charges are Rs 800.

(c) He earned Rs. 2 600 from dividends and Rs. 1,500 from tax free Govt securities.

(d) He is an equal partner with F in an unregistered firm from which he gets Rs. 3,000 as his share of profits

(e) As a member of a Hindu joint family, he gets Rs 3,600.

During the year he paid Rs 1 200 as premium on his life insurance policies.

(All India B. Com, 1954)

Note—In this question 31st March 1953 has been treated as 31st March, 1960 for the sake of solution

Solution No. 44—

		Rs.
Salary		9,000
Annual accretion		
Employer's contribution to P. F. (in excess of 10% of Salary)	180	
Interest on P. F. (in excess of 6. P. C. or $\frac{1}{2}$ salary)	Nil	180
Int. on tax free Govt securities		1,800
	Rs	
Annual value of rented house	12,000	
Less	Rs	
$\frac{1}{2}$ for repairs	200	
Insurance	200	

Collection charges (limited to 6% of annual value)	720	1 120	10 880
Income from other sources			
Dividend (assumed gross as it is 'earned' and not 'received')			2 600
Share of profit from an unregistered firm			3 000
Total Taxable Income		Rs	<u>27,460</u>
Exempted Income			

	Rs
Employees P F.	720
Insurance Premium	1,200
Profit of unregd firm	<u>3 000</u>
	Rs, <u>4 920</u>

45 X and Y are equal partners in a regd firm whose profit and loss account for the year ended 31st Dec 1951 is as follows —

	Rs		Rs.
o Rent and Rates	2 600	By Gross Profit	71 200
„ Salaries	8 000	„ Int on Investments	
„ Sales tax	6 000	(gross)	6 000
„ General Exps.	12 000		
„ Bad Debts			
written off	6 00		
„ Bad Debts Reserve	1,600		
„ Subscription and charity	2 000		
„ Advertising	4 000		
„ Depreciation Reserve	2 400		
„ Loss of Building	4 000		
„ Partner s Salaries			
Rs			
X	2 400		
Y	<u>3 600</u>		
	6 000		
„ Commission to Y	2 000		
„ Int on Capitals			
Rs			
X	3 000		
Y	<u>3 000</u>		
	6 000		
„ Net Profit	<u>20 000</u>		
	Rs. 77,200		Rs 77,200

(a) General Expenses include Rs 400 legal charges regarding a new partnership deed

(b) Subscription and charity include—

- (i) Rs 1,000 cost of constructing a shed for pilgrims
- (ii) Rs 400 subscription to a trade association.
- (iii) Rs. 600 donation to a school.

(c) Advertising represents Rs 1,400 cost of permanent sign and Rs. 2,600 cost of insertion in trade journals.

(d) The amount of allowable depreciation is Rs. 1,000

The other incomes of the partners were as follows—

X—Interest from securities (gross) Rs. 10,000, dividends (gross) Rs 3,000 and rent from property Rs 3 600

Y—Interest from securities (gross) 14,000, dividends (gross) Rs 8,000 and rent from buildings Rs. 12,000.

Compute the assessable income of X and Y for income tax year 1952-53

(All India B. Com., 1953)

Note—In this question 31st Dec., 1951 has been treated as 31st Dec., 1959 and 1952-53 as 1960-61 for the sake of solution.

Solution No. 45—

		Rs.
Profit as per P. & L. Account		20,000
Add	Rs.	
Bad Debts Reserve	1 600	
Depreciation Reserve	2 400	
Loss of Building	4 000	
Partners Salaries	6,000	
Commission to Y	2,000	
Int. on capitals	6,000	
Legal Charges of a Partnership Deed	400	
Subscription and Charity	1,600	
Advertising (Cap exp)	<u>1,400</u>	25 400
		Rs. 45,400
Less	Rs	
Int. on Investment	6 000	
Depreciation	<u>1 000</u>	7 000
Firm's Business Income		Rs. 38,400
Int. on Investment		6,000
Firms total Income		<u>44,400</u>
Less Salaries, Interest and Commission of Partners (6 000 + 6 000 + 2 000)		14 000
Balance Divisible to Partners		Rs. <u>30 400</u>

Distribution of Firm's Income Amongst X & Y

Particulars	X	Y
	Rs	Rs.
Salaries,	2,400	3,600
Interest on Capital	3,000	3,000
Commission		2,000
Profit	15,200	15,200
	Rs	Rs
	20,600	23,800

Total Income of X & Y

Particulars	X	Y
	Rs.	Rs.
Interest from Securities	10,000	14,000
Dividends	3,000	8,000
Income from Property :		
X	Rs.	
Less $\frac{1}{2}$ repair	3,600	
	600	
	3,000	
Y	12,000	
Less $\frac{1}{2}$ Repairs	2,000	
	10,000	
Taxable Income from Property	3,000	10,000
Firm's Share	20,600	23,800
Total Taxable Income	Rs 36,600	Rs 55,800

46 A Hindu undivided family carrying on business in gold, silver, money lending, brokerage and share dealings showed the following particulars in the return of income filed for the previous year ended Dewali Samuat 2015 .-

Loss in Silver	Rs. 1,00,000	Profit in gold	Rs. 1,50,000
Loss in Share dealings	70,000	Brokerage	75,000
Law Charges	30,000	Interest	1,00,000
Bad Debts	50,000	Dividends (gross)	50,000
Establishment and contingencies	20,000		
Net Profit	1,05,000		
Total	Rs. 3,75,000	Total	Rs. 3,75,000

Less			
‡ for repairs	1,370		
Int on mortgage	450		
Fire insurance premium	350		
Ground rent	<u>50</u>	2,220	6 000
Share of unregd. firm			5,000
Director's fee			<u>500</u>
Total Taxable Income			Rs. <u>19 000</u>
Exempted Income			
		Rs.	
Share of unregd firm	5,000		
Insurance Premium	<u>1 200†</u>		
		Rs.	<u>6 200</u>

* As annual value is given, no deduction has been made for Municipal taxes.

† Insurance premium should not be more than $\frac{1}{10}$ of the policy money.

48 *A, B and C* are partners in a registered firm whose *P and L* Account for the year ended 31st Dec., 1949 shows a loss of Rs 40,000 after charging Rs. 10,000 interest on *B's* capital

The other incomes of the partners for the same period is *A* Rs 10 000 from director's fees and *B* Rs 3 000 from bank interest. *C* had no other income that year, but he claimed a loss of Rs. 10,000 brought forward from the preceding assessment year on account of his individual cloth business which he managed himself personally.

On 1st April, 1950, *A* retired and *D* joined as a partner taking over *A's* share.

The firm's loss for the year ended 31st Dec., 1950 has been computed at Rs. 12,000, the partners having no other income for that year.

State clearly how the assessments would be made for the years 1950-51 and 1951-52.

(Raj, B Com., 1951)

Note—In this question 31st Dec., 1949, 1st April, 1950, 1950-51 and 1952-53 have been treated as 31st Dec., 1958, 1st April, 1959, 1959-60 and 1960-61 respectively for the sake of solution.

Solution No. 48—

Assessment for 1959-60

Loss as per P. & L. A/c.	Rs. 40,000
Less :	
Int. on B's capital	<u>10,000</u>
Loss of the firm from income-tax point of view.	Rs. <u>30,000</u>

**Distribution Amongst A, B & C for the Assessment
Year 1959—60**

	A	B	C
Interest on Capital	Rs. Nil	Rs. 10 000	Rs Nil
Firm's Loss	-10,000	-10 000	-10 000
Rs.	<u>-10 000</u>	Nil	<u>-10,000</u>

A can write off his share of firm's loss from his income of other sources which is Rs. 10,000. His income now becomes zero, he will pay no tax.

B's income from bank interest is Rs. 3,000 and he has no gain or loss from the firm, hence Rs. 3,000 will not be taxed as it is minimum exemption limit.

C will carry forward his share of firm's loss of Rs. 10,000 and also his business loss of Rs. 10,000 to the next year. These losses can be carried forward for a maximum period of 8 years.

Assessment Year 1950—61

Total Loss for the year	Rs. <u>12,000</u>
Loss up to 1st April, 1959 (three months)	3,000
	Rs.
A's share	1,000
B's share	1,000
C's share	1,000
	Rs. <u>3 000</u>
Loss from 1st April, 1959 to 31st Dec., 1959	Rs. 9,000
	Rs.
D's share	3,000
B's share	3,000
C's share	3 000
	Rs. <u>9 000</u>

Thus *A*'s share of loss is Rs. 1,000, *B*'s share of loss is Rs. 4,000 (Rs. 1,000 + Rs. 3,000), *C*'s share of loss is Rs. 4,000 (Rs. 1,000 + Rs. 3,000) and *D*'s share of loss is Rs. 3,000.

As all these partners have no other incomes they will carry forward their losses to future years. The maximum limit for this purpose is 8 years

49. Mr. *X* is the owner of a house, its municipal valuation is Rs. 3,000, but he receives Rs. 280 per month as rent. He claims the following expenses :—

	Rs.
(i) Repairs	1,200
(ii) Interest on mortgage of property	1,500
(iii) Collection charges	185
(iv) Interest on loan taken to construct the house	1,800
(v) Ground rent	120
(vi) Fire insurance premium	300

His income from interest on fixed deposits is Rs. 4,500. Ascertain his taxable liability.

(Raj., B. Com., 1952)

Solution No. 49.

	Rs.
Annual rental value of the house	3,360
As municipal taxes are not given hence same amount will be treated as Annual value.	
Less :	Rs.
½ for repairs	560
Int on Mortgage	1,500
Collection charges	185
Int on loan taken to construct the house	1,800
Ground rent	120
Fire insurance premium	300
	4,365
Loss on property	Rs. -1,005
Income from interest on fixed deposits	4,500
Total Income	3,495

50 Mr. *A*'s investments are —Rs 20,000 5% Govt. Paper. Rs. 10,000 4% Municipal Debentures. Rs. 10,000 6% Pref. Shares of a Co.

His bankers charged Rs. 25 as commission for collecting interest. He paid Rs 500 as interest on a loan which he had specially taken for purchasing the securities. His other income from property in this period was Rs 3,000. Calculate his assessable income.
(Raj. B Com., 1952)

Solution No. 50.

	Rs.		
Int. on 5% Govt. Paper		1,000	
Ins. on 4% Municipal Deb		<u>400</u>	
		1,400	
Less :	Rs.		
Banker's Commission	25		
Int. on loan	<u>500</u>	<u>525</u>	
Int on Investments			Rs 875
Income from property	Rs. 3,000		
Less $\frac{1}{2}$ for repairs	<u>500</u>		
Taxable income from property			2,500
Income from other sources			
Dividends			<u>600</u>
Total Taxable Income		Rs. <u>3,975</u>	

51 A and B are partners in a regd. firm sharing profits and losses equally and following is their P. & L. account :

	Rs.		Rs.
Salaries	10,750	Gross profit	51,040
Rent, rates and insurance	1,200	Int. on tax free Govt securities	900
Travelling exps.	954	Profit on sale of investment	1,200
Interest on Bank Loan	1,650		
Legal Charges	1,103		
Discounts	897		
Carriage (car)	601		
General exps.	2,050		
Marketing	2,300		
Dep. on Car	500		
Int. on Capitals			
	Rs.		
A	1,700		
B	<u>1,550</u>		
	3,250		
Reserve for bad debts	1,000		
Net profit	26,885		
	Rs.		Rs.
	<u>53,140</u>		<u>53,140</u>

After considering the following matters compute the total income of the firm for the year ended 31st March, 1958

- (i) Salaries include a partnership salary of Rs 200 p. m. to B
- (ii) The legal charges consist of Rs. 500 for alteration of the partnership agreement and the balance for debt collection
- (iii) Rs 200 paid as premium on an insurance policy on the life of a debtor is included in insurance
- (iv) The general exps. include Rs. 210 for additional filing cabinet and Rs 360 for a new typewriter.
- (v) The car was used for domestic purposes.

(Ra), B Com, 1959)

Note—In this question 31st March, 1958 has been treated as 31st March 1960 for the sake of solution.

Solution No 51—

Net profit as disclosed by P. & L account		Rs.	26,885
Add	Rs.		
Reserve for bad debts	1,000		
B's Salary	2,400		
Charges of alteration of partnership agreement	500		
Insurance premium on life of the debtor	200		
Additional filing cabinet	210		
New typewriter	360		
Dep on car	500		
Carriage (car)	601		
Int on Capitals			
A	1,700		
B	1 550	3 250	9,021
			<u>35,906</u>
Less		Rs	
Int. on tax free Govt. securities	900		
Profit on sale of investment	1,200		2 100
Business Income of the firm			33 806
Int. on tax free Govt securities			900
Total Income			Rs <u>34,706</u>

52. X is the principal of a college in Rajasthan drawing Rs 800 p.m. He received income as royalty Rs 1,800.

He held 4% Debentures of B. I. C. Ltd. to the value of Rs. 15,000. He owned two houses one let out for Rs. 100 p. m. and the other occupied by him of the municipal valuation of Rs. 600 per annum. He paid Rs. 200 as fire insurance premium and Rs. 200 as ground rent in respect of let out house. He paid fire insurance premium of Rs. 150 and Rs. 125 as interest on loan taken for repair in respect of the house occupied by him for purposes of his residence.

Find out his total income and assessable income.

(Raj., B. Com., 1959)

Solution No. 52—

	Rs.	
Salary		9,600
Int on Deb.		600
Income from property :	Rs	
Annual rental value of the house let	1,200	
(The same will be annual value as municipal taxes are not given)		
Less .	Rs.	
½ for repairs	200	
Fire insurance premium	200	
Ground rent	<u>200</u>	<u>600</u>
Municipal value of residential house		600
Less ½ statutory allowance		<u>300</u>
Annual value		300
Less	Rs.	
½ for repairs	50	
Fire Insurance premium	150	
Int on loan for repairs	<u>125</u>	<u>325</u>
Income from other sources *		—25
Royalty		<u>1 800</u>
Total Taxable Income		Rs. <u>12,575</u>

53. A, B and C are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 1. The P. & L. A/c. of the firm for the year ended 31st March showed a net loss of Rs. 24,000 after charging the following items

	Rs.	Rs	Rs.
Int. on Cap	A 2,000	B 1,000	C 1,000
Salary	A 4,000	B 3,000	C 2,000
Commission	A 1,500	B 1,000	C 500

Taxable in one of A from other sources was Rs. 7,500 while B and C had no other incomes. Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered and (b) when it is unregistered.

(Raj, B. Com., 1960)

(See also Q No 2)

Solution No 53—

	Rs.	
Loss as per P & L. A/c.		24 000
Less		
Int on Capital :		
A	Rs. 2,000	
B	1,000	Rs
C	<u>1,000</u>	4,000
Salary		
A	4,000	
B	3,000	
C	<u>2 000</u>	9,000
Commission		
A	1,500	
B	1,000	
C	<u>500</u>	<u>3 000</u>
		<u>16,000</u>
		<u>Rs. 8,000</u>

Allocation of Firm's Income Amongst the Partners

	A	B	C
	Rs	Rs.	Rs.
Int on Capital	2,000	1,000	1,000
Salary	4,000	3,000	2,000
Commission	1,500	1 000	500
Share of Firm's loss	-12,000	-9,000	-300
Total	Rs -4,500	-4,000	+500

When the Firm is Registered—

A can set off his share of the firm's loss of Rs. 4,500 against his other income of Rs 7,500, and thus his income remains only Rs. 3,000 He will not pay any tax. As B has no other income, he can carry forward his share of firm's loss of Rs. 4,000 in order to set it

off against his share of future profit of the firm or against any other business profit, but the maximum limit for this carry forward is eight years. C's income is only Rs 500, hence he is not liable to tax.

When the Firm is Unregistered—

Unregistered firm will itself carry forward its loss of Rs. 8,000 for eight years in order to set it off against its future income

A will pay tax on Rs 7 500 because he is not allowed to set off his share of firm's loss from his other income

B cannot carry forward his share of firm's loss to future years.

C is not liable to pay tax, as his total income is only Rs 500, which is below the minimum exemption limit.

54. The following are the particulars of the income of an individual for the year ended 31st March, 1959—

- (a) His salary was Rs 1 000 per month and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 2 000 the actual expenditure incurred by him in travelling being Rs 1,500
- (b) He contributed 8% of his salary to a provident fund governed by the Provident Funds Act 1925, his employer contributing an equal amount Interest on his P F. account for the year amounted to Rs 600
- (c) He owns two houses one of which is let at Rs 150 per month and the other whose municipal value is Rs. 1,200 is occupied by him for his own residence. He pays Rs 300 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first house and Rs 200 per year in respect of the second.
- (d) He received Rs 600 as interest on tax free govt securities and Rs. 500 dividend from a company
- (e) He pays an annual premium of Rs. 3,000 on his life policies of Rs. 25,000

Ascertain his total income and exempted income for the assessment year 1959—60.

(Raj. B Com, 1960)

(See also Q No 40)

In this question 1959 60 has been treated as 1960 61 for the sake of solution.

Solution No. 54—

		Rs.
Salary		12,000
Int. on tax free Govt. securities		600
Annual rental value of the house let	Rs. 1,800	
Same amount of Rs. 1,800 is treated as annual value because municipal or local taxes are not given.		
Less :	Rs.	
½ for repairs	300	
Ground rent and insurance charges	300	600
Taxable income of the house let		1,200
Municipal valuation of Residential house	1,200	
Less ½ statutory allowance	600	
Annual value	600	
Less	Rs.	
½ for repairs	100	
Ground rent etc.	200	300
Taxable income of the residential house		300
Income from other sources		
Dividend $\left(\frac{500 \times 10}{7}\right)$		714 29
Excess of travelling allowance		500
Total income		Rs. <u>15,314 29</u>
Exempted Income :	Rs.	
P F. by employee	960	
Insurance Premium	2,500	
Int on tax free govt. securities	600	
	Rs. <u>4,060</u>	

Note—Insurance premium should not be more than 10 P. C. of the amount of the policy.

MISCELLANEOUS THEORETICAL QUESTIONS

(On Short Notes only)

Note — These questions are given in order to give the idea to the examinees regarding the style in which questions on short notes are asked.

1. Define any four of the following
Agricultural income previous year, dividends, development rebate, balancing depreciation, charitable donations.
(Agra B Com, 1960)

2. Explain the following terms —
(a) Previous Year, (b) Set off and carry forward, (c) Earned income relief, (d) Capital gains (e) Total world income.
(Agra, B. Com, 1959)

निम्नलिखित को समझाकर लिखिये :—

(क) गत वर्ष, (ख) घाटे की पूर्ति और उसका आगे ले जाना, (ग) कमाई हुई आय की छूट, (घ) पूँजी लाभ, (ङ) कुल विश्व आय ।

(भाग्य, बी० कॉम०, १९५९)

3 Distinguish between —
(a) recognised P F, and an unrecognised P F,
(b) a registered firm and an unregistered firm
(Agra, B Com., 1958)

4 State with reasons, whether the following items are admissible or inadmissible in the P and L A/c of a business —

- (a) Interest paid on loans taken to pay off income tax
- (b) Gift made to employees in return for services rendered, though such gifts were not legally claimable by employees
- (c) Payment of compensation to an employee for compelling him to retire before the contracted date.
- (d) Bad debts in respect of loans and advances given to customers.

(e) Interest on Govt Securities. (Agra, B Com, 1955, 1958)

5. Explain the following terms —
(a) set off and carry forward, (b) Earned income,
(c) Previous year. (d) Unabsorbed depreciation.
(Agra, B. Com, 1956)

6. Write short notes on the following :—

- (a) Extra shift allowance,
- (b) Initial depreciation,
- (c) Vacancy allowance,
- (d) Bond washing transactions, and
- (e) Capital gains.

(Agra, B. Com., 1958 S)

7. What will be the tax liability of an individual under the following circumstances —

- (a) When he is a member of a Hindu undivided family.
- (b) When he is a member of an unregistered firm
- (c) When he is a member of a regd. firm.
- (d) When he is a member of an association of persons.
- (e) When he is a shareholder in a joint stock company.

(Agra, B. Com., 1958 S)

8. Explain the following terms .—

- (a) Less tax and free of tax,
- (b) Non-resident.
- (c) Recognised Provident Fund,
- (d) Agricultural income,
- (e) Casual income.

(Agra, B. Com., 1957)

9. Discuss, giving reasons, if the following receipts are subject of charge to income-tax —

- (a) A receives Rs 50 000 as compensation for termination of managing agency.
- (b) On the failure of a debtor to pay, B, a moneylender, accepts a piece of land in satisfaction of his debts. He sells the same and makes a profit of Rs 500.
- (c) C is a student who receives a monthly scholarship of Rs. 200.
- (d) D wins a bet amounting to Rs. 1,500 on a race-course.
- (e) E, who is the manager of an agricultural farm, draws a salary of Rs. 350 p m.

(Allahabad, B. Com., 1956)

10. Explain *any four* of the following terms :—

- (a) Previous year ,
- (b) Agricultural income ;
- (c) Capital gains ;
- (d) Dividends ;

- (e) Extra shift allowance,
- (f) Bond washing,
- (g) Initial depreciation,
- (h) Balancing charge

(Agra, B Com, 1955)

11 Write explanatory notes on the following —

- (a) Annual value of property
- (b) Unabsorbed depreciation
- (c) Best judgement assessment
- (d) Free of tax and less tax securities

(Allahabad, B. Com, 1955)

12 Distinguish between —

- (a) Free of tax and less tax securities.
- (b) Slab system and step system of taxation

(Alld. B Com, 1954)

13 Discuss briefly the following from the point of view of Income tax —

- (a) Advance payment of tax
- (b) Bonafide annual value
- (c) Best judgement assessment
- (d) Previous year
- (e) Hindu undivided family

(Alld, B. Com, 1953)

14 Answer any two of the following —

- (a) Explain clearly the difference between slab system and step system of taxation
- (b) Explain the difference between set off losses and carry forward of losses
- (c) State the conditions necessary for claiming exemption from tax by a newly established industrial undertakings.

(Raj B Com, 1954)

15 Write short explanatory notes on any four of the following terms used in connection with Income tax assessment —

- (a) Provisional assessment
- (b) Grossing up of dividends.
- (c) Unregistered firm
- (d) Earned income relief
- (e) Written down value
- (f) Agricultural income.

(Raj, B Com, 1950)

16. Write short explanatory notes on any four of the following terms used in connection with Income tax assessment :—

- (a) Taxable territories.
- (b) Bond-washing transactions
- (c) Resident and ordinary resident.
- (d) Cash system of accounting.
- (e) Unabsorbed depreciation
- (f) Total world income.

(Raj, B Com., 1951)

17. Write short notes on any four of the following —

- (a) Agricultural income
- (b) Grossing up of Dividends
- (c) Casual income
- (d) Unabsorbed depreciation
- (e) Total world income.
- (f) Previous year.

(Raj, B Com, 1952)

18 Explain any two of the following —

- (a) Recognised Provident Fund
- (b) Capital gains (पू जो लाभ)
- (c) Development rebate (उन्नति छूट)
- (d) Assessment of a Registered firm
- (e) Provisional assessment

(Raj, B Com, 1960)

THE FINANCE ACT, 1960

(Received the assent of the President)

To give effect to the financial proposals of the Central Govt for the financial year 1960-61

Be it enacted by Parliament in the Eleventh Year of the Republic of India as follows —

1 (1) This Act may be called the Finance Act 1960

(2) Save as otherwise provided in this Act sections 3 to 17 inclusive shall be deemed to have come into force on the first day of April 1960

2 (1) Subject to the provisions of sub sections (2) (3) and (4) for the year beginning on the 1st day of April 1960 —

(a) income tax shall be charged at the rates specified in Part I of the First Schedule and in the cases to which Paragraphs A B and C of that Part apply shall be increased by a surcharge for purposes of the Union and a special surcharge calculated in either case in the manner provided therein and

(b) super tax shall for the purposes of section 55 of the Indian Income tax Act 1922 (hereinafter referred to as the Income tax Act) be charged at the rates specified in Part II of the First Schedule and in the cases to which Paragraphs A B and C of that Part apply shall be increased by a surcharge for purposes of the Union and a special surcharge calculated in either case in the manner provided therein

(2) In making any assessment for the year ending on the 31st day of March 1961 —

(a) where the total income of an assessee not being a company includes any income chargeable under the head Salaries or any income chargeable under the head Interest on Securities or any income from dividends from which income tax has been or might have been deducted under the provisions of section 18 of the Income tax Act or in respect of which by virtue of section 49B of the Income tax Act as continued in force by sub section (4) of section 19 of the Finance Act 1959 he is deemed himself to have paid the income tax imposed under the Income tax Act the income tax payable by the assessee

on that part of his total income which consists of such inclusions shall be an amount bearing to the total amount of income-tax payable according to the rates applicable under the operation of the Finance Act, 1959, on his total income the same proportion as the amount of such inclusions bears to his total income,

(b) where the total income of an assessee, not being a company, includes any income chargeable under the head "Salaries" on which super tax has been or might have been deducted under the provisions of sub section (2) of section 18 of the Income-tax Act, the super tax payable by the assessee on that portion of his total income which consists of such inclusion shall be an amount bearing to the total amount of super tax payable according to the rates applicable under the operation of the Finance Act, 1959, on his total income the same proportion as the amount of such inclusion bears to his total income

(3) In making any assessment for the year ending on the 31st day of March, 1959, or for the year ending on the 31st day of March, 1960, or for the year ending on the 31st day of March, 1961, where the total income of a company, other than the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 includes any profits and gains from life insurance business, the super-tax payable by it shall be the aggregate of the tax calculated—

(i) on the amount of profits and gains from life insurance business so included, at the rate applicable to the Life Insurance Corporation of India in accordance with the Finance Act of the relevant year, and

(ii) on the remaining part of its total income, at the rate applicable to the company on its total income

(4) In cases to which section 17 of the Income-tax Act applies, the tax chargeable shall be determined as provided in that section, and with reference to the rates imposed by sub section (1).

(5) In cases in which tax has to be deducted under section 18 of the Income-tax Act at the prescribed rates, the deduction shall be made at the rates specified in Part III of the First Schedule.

(6) For the purposes of this section, and of the rates of tax imposed thereby, the expression "total income" means total income as determined for the purposes of income tax or super-tax, as the case may be, in accordance with the provisions of the Income tax Act, and the expression "earned income" has the meaning assigned to it in clause (6AA) of section 2 of that Act.

3 In section 19 of the Finance Act, 1959,—

(1) after sub section (3), the following sub section shall be inserted, and shall be deemed always to have been inserted, namely —

“(3A) The amendments to the Income-tax Act made by section 5, section 7, section 12, section 14 and section 15 shall, in relation to dividends declared or payable by a company in respect of the previous year relevant to the assessment for the year ending on the 31st day of March, 1961, have effect on and from the 1st day of April, 1959.”;

(11) in sub section (4), after the words “declared or payable by a company”, the words and figures “on or before the 30th day of June, 1960,” shall be inserted, and shall be deemed always to have been inserted.

4. In section 9 of the Income-tax Act, in sub section (2), for clause (a) of the third proviso, the following clause shall be substituted, namely —

“(a) in the case of a property the construction of which was completed before the 1st day of April, 1950, the total amount of such taxes and in the case of any other property, one half of the total amount of such taxes, shall notwithstanding anything contained in such law, be deemed to be the tenant's liability for such taxes, and”.

5 In section 10 of the Income tax Act, in sub-section (2), for clause (xiii), the following clause shall be substituted, namely —

“(xiii) any sum paid to a scientific research association having as its object the undertaking of scientific research or to a university, college or other institution to be used for scientific research or to a university college or other institution to be used for research in social science or statistical research related to the class of business carried on

Provided that such association, university, college or institution is for the time being approved for the purposes of this clause by the prescribed authority.”.

6 In section 14 of the Income-tax Act, for sub-section (3), the following sub section shall be substituted, namely:—

“(3) The tax shall not be payable by a co operative society —

(i) in respects of its profits and gains of business carried on by it, if it is—

(a) a society engaged in carrying on the business of banking or providing credit facilities to its members, or

(b) a society engaged in a cottage industry, or

(c) a society engaged in the marketing of the agricultural produce of its members, or

(d) a society engaged in the purchase of agricultural implements, seeds, livestock or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying them to its members, or

(e) a society engaged in the processing without the aid of power of the agricultural produce of its members, or

(f) a primary society engaged in supplying milk raised by its members to a federal milk co-operative society,

Provided that, in the case of a co-operative society which is also engaged in activities other than those mentioned in this clause, nothing contained herein shall apply to that part of its profits and gains as is attributable to such activities and as exceeds fifteen thousand rupees,

(ii) in respect of so much of its profits and gains of business carried on by it as does not exceed fifteen thousand rupees if it is a co-operative society other than a co-operative society referred to in clause (f)

(iii) in respect of interest and dividends derived from its investments with any other co-operative society,

(iv) in respect of any income derived from the letting of godowns or warehouses for storage, processing or facilitating the marketing of commodities,

(v) in respect of any interest on securities chargeable under section 8 or any income from property chargeable under section 9 where the total income of the co-operative society does not exceed twenty thousand rupees and the society is not a housing society or an urban consumer's society or a society carrying on transport business or a society engaged in the performance of any manufacturing operations with the aid of power

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to—

(i) the Sankatta Salt Owner's Society,

(ii) a co-operative society carrying on insurance business in respect of the profits and gains of that business computed in accordance with rule 9 in the Schedule.

Explanation.—For the purposes of this sub section, an 'urban consumer's co operative society' means a society for the benefit of the consumers within the limits of a municipal corporation, municipality, municipal committee, notified area committee town area or cantonment."

7 In section 15B of the Income tax Act, in clause (b) of the second proviso to sub section (1), for the words "one twentieth of the assessee's total income" and "one hundred thousand rupees", the words 'seven and a half per cent. of the assessee's total income' and "one hundred and fifty thousand rupees" shall respectively be substituted

8 In section 15C of the Income tax Act,—

(a) in clause (ii) of sub section (2), for the word "thirteen", the word 'eighteen' shall be substituted, and

(b) to sub section (6), the following proviso shall be added namely —

'Provided that where the assessee is a co operative society this sub section shall have effect as if for the words 'six assessments' had been substituted.'

9 In section 18 of the Income tax Act,—

(i) in sub section (3D), after the words "declaration and payment of dividends" the brackets and words '(including dividends on preference shares)' shall be inserted

(ii) sub section (3E) shall be omitted.

10 In section 18A of the Income tax Act,—

(i) in clause (a) of sub-section (1), for the words "In the case of income in respect of which provision is not made under section 18 for deduction of income-tax at the time of payment", the words "In the case of income other than income chargeable under the head 'Salaries'" shall be substituted, and after the words "the amount of such inclusions bears to his total world income", the following words shall be inserted, namely —

"The income tax and super tax so calculated shall be reduced by the amount of income-tax and super-tax which would be deductible during the said financial year in accordance with the provisions of section 18 on any income (other than income chargeable under the head 'Salaries') included in the said total income";

(ii) in sub-section (3), for the words "to which the provisions of section 18 do not apply", the words "which is not chargeable under the head 'Salaries'" shall be substituted,

(iii) in sub-section (6),—

(a) for the words "regular assessment," so far as such tax relates to income to which the provisions of section 18 do not apply", the following words shall be substituted, namely —

"regular assessment (reduced by the amount of tax deductible in accordance with the provisions of section 18 on any income, other than income chargeable under the head 'Salaries', included in such assessment), so far as such tax relates to income other than income chargeable under the head 'Salaries"

(b) in the second proviso, for the words to which the provisions of section 18 do not apply", the words "other than income chargeable under the head 'Salaries'" shall be substituted

11. In section 23A of the Income tax Act,—

(i) in sub-section (2), in clause (1) for the words 'ninety per cent', the words "eighty per cent" shall be substituted,

(ii) in *Explanation 2* for the figures '100%', where they occur, the figures 90% shall be substituted.

12. After section 49B of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, namely —

'49BB. (1) Where in respect of any previous year relevant to the assessment year commencing after the 31st day of March, 1960, an Indian company or a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India pays any dividend wholly or partly out of its profits and gains actually charged to income-tax for any assessment year ending before the 1st day of April, 1960, and deducts tax therefrom in accordance with the provisions of section 18, credit shall be given to the company against the income-tax, if any, payable by it on the profits and gains of the previous year during which the dividend is paid, of a sum calculated in accordance with the provisions of sub-section

(2), and where the amount of credit so calculated exceeds the income-tax payable by the company as aforesaid, the excess shall be refunded.

(2) The amount of income tax to be given as credit under sub section (1) shall be a sum equal to ten per cent. of so much of the dividends referred to in sub-section (1) as are paid out of the profits and gains actually charged to income-tax for any assessment year ending before the 1st day of April, 1960.

Explanation I — For the purposes of this section, the aggregate of the dividends declared by a company in respect of any previous year shall be deemed first to have come out of the distributable income of that previous year and the balance, if any, out of the undistributed part of the distributable income of one or more previous years immediately preceding that previous year as would be just sufficient to cover the amount of such balance and as has not likewise been taken into account for covering such balance of any other previous year,

Explanation II — The "distributable income" of any previous year shall mean the total income assessed for that year as reduced by—

(i) the amount of income tax and super tax payable by the company in respect of the said total income,

(ii) the amount of any other tax levied under any law for the time being in force on the company by the Government or by a local authority in excess of the amount, if any, which has been allowed in computing the total income,

(iii) the amount paid to any charitable institution or fund to the extent to which it is exempt from tax under section 15B, and

(iv) in the case of a banking company, the amount actually transferred to a reserve fund under section 17 of the Banking Companies Act, 1949,

and as increased by—

(a) any profits and gains or receipts of the company not included in its total income, and

(b) any amount attributable to any allowance made in computing the profits and gains of the company for purposes of assessment, which the company has not taken into account in its profit and loss account "

13. Notwithstanding anything contained in the Wealth-tax Act 1957 (hereinafter referred to as the Wealth tax Act), no tax shall be charged in respect of the net wealth of a company for any financial year commencing on or after the 1st day of April, 1960.

14 In section 5 of the Wealth tax Act, in clause (xx) of sub-section (1), for the words 'if on the relevant valuation date the provisions of this Act are not applicable to the company by reason of the provisions contained in that section', the following words shall be substituted namely —

for a period of five successive assessment years commencing with the assessment year next following the date on which the company is established, which period shall, in the case of a company established before the commencement of this Act, be computed in accordance with this Act from the date of its establishment as if this Act had been in force on and from the date of its establishment'.

15 In section 5 of the Expenditure tax Act 1957 (hereinafter referred to as the Expenditure tax Act) in clause (d), for the word, brackets figures and letter 'clause (i:a)', the words, brackets, figures and letters 'sub clause (a) of clause (i:a)' shall be substituted

16 In section 6 of the Expenditure-tax Act,—

(i) in sub section (1) —

(a) for clause (g) the following clause shall be substituted, namely —

(g) any expenditure incurred by the assessee in respect of the education of himself or any of his dependants and where the assessee is a Hindu undivided family of any member of the family—

(i) if the expenditure is incurred in India, subject to a maximum of rupees three thousand per year and

(ii) if the expenditure is incurred in any country outside India, subject to a maximum of rupees eight thousand per year,"

(b) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely —

(j) any expenditure incurred by the assessee for travel in India in connection with his proceeding on a holiday and any expenditure incurred on be-

half of the assessee by his employer by way of travel concession or assistance in connection with his proceeding on leave in India, subject in the aggregate to a maximum of rupees one thousand five hundred per year' .

(ii) for sub section (4) the following sub section shall be substituted, and shall be deemed always to have been substituted, namely —

“(4) If the assessee proves in any year that, in respect of any sum out of which any expenditure incurred is chargeable to tax under this Act, he has paid in any foreign country any income tax, wealth tax, expenditure tax, gift-tax or estate duty under any law for the time being in force in that country and that any such tax or duty has been included in the expenditure chargeable to tax under this Act, he shall be entitled to a deduction of the full amount of such tax and duty paid in the foreign country’

17 For section 18 of the Gift tax Act, 1958, the following section shall be substituted, namely —

“18 If a person making a taxable gift pays into the treasury within fifteen days of his making the gift the amount of tax due on the gift calculated at the rates specified in the Schedule, he shall, at the time of assessment under section 15 be given credit, in addition to the amount so paid, for an amount equal to ten per cent. of the amount so paid

Explanation.—If a person makes more than one taxable gift in the course of a previous year the amount of tax due on any one of such gifts shall be the difference between the total amount of tax due on the aggregate value of all taxable gifts so far made including the taxable gift in respect of which tax has to be paid, calculated at the rates specified in the Schedule and the total amount of tax on the aggregate value of all the gifts made during that year excluding the taxable gift in respect of which tax has to be paid.’

THE FIRST SCHEDULE

(See Section 2)

Part I

*Income tax and surcharges on income tax**Paragraph A*

(a) In the case of every individual who is married and every Hindu undivided family whose total income does not exceed Rs 20,000 in either case—

Rates of Income tax

	Where the individual has no child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has no minor coparcener.	Where the individual has one child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has one minor coparcener.	Where the individual has more than one child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has more than one minor coparcener.	
	Rs.	Rs	Rs.	
(1) On the first	3 000 of total income	3,300 of total income	3 600 of total income	Nil
(2) On the next	2 000	1,700	1,400	3%
(3) On the next	2 500	2 500	2 500	6%
(4) On the next	2 500	2 500	2,500	9%
(5) On the next	2 500	2,500	2 500	11%
(6) On the next	2 500	2 500	2,500	14%
(7) On the next	5 000	5 000	5 000	18%

(b) In the case of every individual who is not married and every individual or Hindu undivided family whose total income in either case exceeds Rs 20,000 and in the case of every unregistered firm or other association of persons, not being a case to which any other Paragraph of this Part applies.—

	Rs		
(1) On the first	1,000 of total income		Nil
(2) On the next	4,000	" "	3%
(3) On the next	2,500	" "	6%
(4) On the next	2 500	" "	9%
(5) On the next	2,500	" "	11%
(6) On the next	2,500	" "	14%
(7) On the next	5,000	" "	18%
(8) On the balance of total income			25%

Provided that for the purposes of this Paragraph—

(i) no income tax shall be payable on a total income which does not exceed the limit specified below

(ii) the income tax payable shall in no case exceed half the amount by which the total income exceeds the said limit

(iii) the income tax payable by an individual who is married or a Hindu undivided family whose total income exceeds in either case Rs 20 000 shall not exceed the aggregate of—

(a) the income tax which would have been payable if the total income had been Rs 20 000

(b) half the amount by which the total income exceeds Rs 20 000

The limit aforesaid shall be—

(i) Rs 6 000 in the case of every Hindu undivided family which as at the end of the previous year satisfies either of the following conditions namely —

(a) that it has at least two members entitled to claim partition who are not less than eighteen years of age or

(b) that it has at least two members entitled to claim partition who are not lineally descended one from the other and who are not lineally descended from any other living member of the family

(ii) Rs 3 000 in every other case

Surcharges on income tax

The amount of income tax computed at the rates herein before specified shall be increased by the aggregate of the surcharges calculated as under —

(a) A surcharge for purposes of the Union equal to the sum of—

(i) five per cent of the amount of income tax and

(ii) where the earned income included in the total income exceeds Rs. 1 00 000 five per cent of the difference between the amount of income tax which would have been payable on the whole of the earned income included in the total income if such earned income had been the total income and the amount of income tax payable on a total income of Rs 1 00 000

(b) A special surcharge at fifteen per cent of the difference between the amount of income tax on the total income and the amount of income tax on the whole of the earned income if any included in the total income if such earned income had been the total income

Provided that—

(i) no surcharge for purposes of the Union shall be payable where the total income does not exceed the limit specified below,

(ii) no special surcharge shall be payable in the case of an assessee whose total income does not include any income from dividend on ordinary shares if his total income does not exceed the limit specified below, and where the total income includes any dividends on ordinary shares, such limit shall be increased by Rs 1000 or the amount of the said dividends, whichever is less

Provided further that—

(a) where the total income includes any dividends on ordinary shares, the surcharge for purposes of the Union and the special surcharge shall not in each case exceed half the amount by which the total income exceeds the respective limits applicable in either case

(b) the surcharge for purposes of the Union and the special surcharge both together, shall not exceed half the amount by which the total income exceeds the limit specified below.

The limit aforesaid shall be—

(i) Rs. 15000 in the case of every Hindu undivided family which satisfies as at the end of the previous year either of the following conditions namely—

(a) that it has at least two members entitled to claim partition who are not less than eighteen years of age, or

(b) that it has at least two members entitled to claim partition who are not lineally descended one from the other and who are not lineally descended from any other living member of the family

(ii) Rs 7000 in every other case.

Explanation—For the purposes of this Paragraph, in the case of every Hindu undivided family governed by the *Mitakshara* law a son shall be deemed to be entitled to claim partition of the coparcenary property against his father, or grand father notwithstanding any custom to the contrary

Paragraph B

In the case of every local authority—

Rate of income-tax

On the whole of the total income 30%

Surcharge on income tax

The amount of income tax computed at the rate hereinafore

specified shall be increased by a surcharge for purposes of the Union of 5 per cent. of the amount of income-tax.

Paragraph C

In every case in which under the provisions of the Income-tax Act, income tax is to be charged at the maximum rate,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income	25%
----------------------------------	--------	-----

Surcharges on income-tax

The amount of income tax computed at the rate hereinbefore specified shall be increased by the aggregate of the surcharges calculated as under :—

(a) a surcharge for purposes of the Union of five per cent. of the amount of income tax, and

(b) a special surcharge of fifteen per cent. of the amount of income tax.

Paragraph D

In the case of every company,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income	20%
----------------------------------	--------	-----

Paragraph E

In the case of every registered firm,—

Rates of income-tax

(1) On the first Rs 40,000 of total income	Nil
(2) On the next Rs 35 000 of total income	5%
(3) On the next Rs 75,000 of total income	6%
(4) On the balance of total income	9%

Part II

Super-tax and surcharges on super-tax

Paragraph A

In the case of every individual, Hindu undivided family, unregistered firm and other association of persons, not being a case to which any other Paragraph of this Part applies,—

Rates of super-tax

(1) On the first Rs. 20,000 of total income	Nil
(2) On the next Rs. 5,000 of total income	5%
(3) On the next Rs. 5,000 of total income	15%
(4) On the next Rs. 10,000 of total income	20%
(5) On the next Rs. 10,000 of total income	30%
(6) On the next Rs 10 000 of total income	35%
(7) On the next Rs. 10,000 of total income	40%
(8) On the balance of total income	45%

Surcharges on super tax

The amount of super tax computed at the rates heretofore specified shall be increased by the aggregate of the surcharges calculated as under :—

(a) A surcharge for purposes of the Union equal to the sum of—

(i) five per cent of the amount of super-tax, and

(ii) where the earned income included in the total income exceeds Rs. 1,00,000, five per cent of the difference between the amount of super-tax which would have been payable on the whole of the earned income included in the total income, if such earned income had been the total income and the amount of super-tax payable on a total income of Rs. 1,00,000,

(b) A special surcharge at fifteen per cent. of the difference between the amount of super tax on the total income and the amount of super tax on the whole of the earned income, if any, included in the total income, if such earned income had been the total income

Paragraph B

In the case of every local authority, —

Rate of super tax

On the whole of the total income 16%

Surcharge on super-tax

The amount of super tax computed at the rate heretofore specified shall be increased by a surcharge for purposes of the Union of 12½ per cent. of the amount of super-tax.

Paragraph C

In the case of every association of persons being a co-operative society as defined in clause (5B) of section 2 of the Income tax Act,—

Rates of super-tax

(1) On the first Rs. 25,000 of total income	...	Nil
(2) On the balance of total income	...	16%

Surcharge on super tax

The amount of super-tax computed at the rates heretofore specified shall be increased by a surcharge for purposes of the Union of 12½ per cent of the amount of super tax.

Paragraph D

In the case of every company other than the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956,—

Rates of super-tax

On the whole of the total income 55%
Provided that—

(i) a rebate at the rate of 45 per cent. on so much of the total income as consists of dividends from a subsidiary Indian company at the rate of 40 per cent. on so much of the total income as consists of dividends from any other Indian company formed and registered on or after the 1st day of April, 1959 and at the rate of 35 per cent on the balance of the total income shall be allowed in the case of any company which—

(a) in respect of its profits liable to tax under the Income tax Act for the year ending on the 31st day of March 1961, has made the prescribed arrangements for the declaration and payment within India of the dividends payable out of such profits in accordance with the provisions of sub section (3D) of section 18 of that Act, and

(b) is such a company as is referred to in sub section (9) of section 23A of the Income tax Act with a total income not exceeding Rs 25 000,

(ii) a rebate at the rate of 45 per cent on so much of the total income as consists of dividends from a subsidiary Indian company at the rate of 35 per cent on so much of the total income as consists of dividends from any other Indian company formed and registered on or after the 1st day of April 1959, and at the rate of 30 per cent. on the balance of the total income shall be allowed in the case of any company which satisfies condition (a) but not condition (b) of the preceding clause,

(iii) a rebate at the rate of 45 per cent on so much of the total income as consists of dividends from a subsidiary Indian company, at the rate of 22 per cent. on so much of the total income as consists of dividends from

any other Indian company formed and registered on or after the 1st day of April, 1959, and at the rate of 12 per cent. on the balance of the total income shall be allowed in the case of any company not entitled to a rebate under either of the preceding clauses :

Provided further that—

(i) the amount of the rebate under clause (i) or clause (ii) of the preceding proviso shall be reduced by the sum, if any, equal to the amount or the aggregate of the amounts, as the case may be, computed as hereunder —

(a) on the aggregate of the sums computed in the manner provided in clause (i) of the second proviso to Paragraph D of Part II of the First Schedule to the Finance Act, 1959 as reduced by the amount, if any, which is deemed to have been taken into account, in accordance with clause (ii) of the said proviso, for the purpose of reducing the rebate mentioned in clause (i) of the said proviso to nil, and

(b) on the amount representing the face value of any bonus shares or the amount of any bonus issued to its shareholders during the previous year with a view to increasing the paid-up capital, at the rate of 30%

(ii) where the sum arrived at in accordance with clause (i) of this proviso exceeds the amount of the rebate arrived at in accordance with clause (i) or clause (ii), as the case may be, of the preceding proviso, only so much of the amounts of reduction mentioned in sub clauses (a) and (b) of clause (i) of this proviso as is sufficient, in that order, to reduce the rebate to nil shall be deemed to have been taken into account for the purpose :

Provided further that the super tax payable by a company, the total income of which exceeds rupees twenty five thousand, shall not exceed the aggregate of—

(a) the super tax which would have been payable by the company if its total income had been rupees twenty five thousand, and

(b) half the amount by which its total income exceeds rupees twenty five thousand.

Explanation.—For the purposes of this Paragraph, where any portion of the profits and gains of a company is not included in its total income by reason of such portion being agricultural income, the amount representing the face value of any bonus shares and the amount of any bonus issued to its shareholders shall each be deemed to be such proportion thereof as the average of the total income of the company in the five previous years in which the company has been in receipt of taxable income immediately preceding the relevant previous year bears to the average of its total profits and gains (excluding capital receipts) for the preceding five years aforesaid reduced by such allowances as may be admissible under the Income tax Act which have not been taken into account by the company in its profit and loss accounts for the preceding five years aforesaid

Paragraph E

In the case of the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 —

Rate of super tax

On the whole of its profits and gains from life insurance business

22 5%

Part III

Rates for deduction of tax under section 18 of the Income tax Act at the prescribed rates

In every case in which under the provisions of section 18 of the Income tax Act tax is to be deducted at the prescribed rates, deduction shall be made from the income subject to deduction at the following rates,

	Income tax		Super-tax		
	Rate of income-tax	Rates of Surcharges		Rate of super-tax	Rates of surcharges
		Sur-charge for purposes of the Union	Special sur-charge		

1. In the case of a person other than a company—

(a) in every case on 25% 1·25% 3·75%

the whole income (excluding interest payable on any security of the Central Govt issued or declared to be income tax free), and

(b) in addition where the person is one whom the person responsible for paying the income has no reason to believe to be resident in the taxable territories, on the whole income

Super tax and surcharges on super tax in accordance with the provisions of clause (b) of sub section (1) of section 17 of the Income tax Act.

	Rate of Income tax	Rate of Super- tax
2 In the case of a company—		
(a) in every case—		
(i) on the whole income (excluding interest payable on any security of the Central Government issued or declared to be income tax free), and	40%	
(ii) on the whole income (excluding dividends payable by an Indian company referred to in section 56A of the Income tax Act), and		10%
(b) in addition, where the company is neither an Indian company nor a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India,—		
(i) on the income from dividends (excluding dividends payable by its subsidiary Indian company if any, or by an Indian company referred to in section 56A of the Income tax Act)—		
(a) on 'dividends payable by an Indian company formed and registered on or after the 1st day of April, 1959		25%
(b) on any other dividend		33%
(ii) on any other income, not being income from dividends		33%